


भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

मार्च 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

संघ सरकार
संघ सरकार के लेखे
2007 की संख्या - 13



विषय सूची

	विषय	पृष्ठ
प्राक्कथन		i
विशिष्टताएं		iii
अध्याय		
1.	संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था - एक विहंगावलोकन	1-12
2.	संसाधन: प्रवृत्तियां तथा संरचना	13-32
3.	संसाधनों का उपयोग: व्यय	33-56
4.	घाटा: राजकोषीय असंतुलनों का प्रबंधन	57-71
5.	राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन	72-87
6.	विनियोग लेखे 2006-07: प्रस्तावना	88-91
7.	विनियोग लेखे 2006-07: एक विश्लेषण	92-106
8.	चयनित अनुदानों की समीक्षा	107-129
9.	सरकार की वित्तीय व्यवस्था का प्रबंधन: एक सामान्य मूल्यांकन परिशिष्ट सूची	130-136
	परिशिष्ट	137
	शब्दावली	138-191
		192-196




प्राक्कृतिक

मार्च 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

मार्च 2007 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए संघ सरकार के वित्त लेखे तथा विनियोग लेखाओं (रेलवे को छोड़ कर) की नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत मामले इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए हैं। मंत्रालयों के विभिन्न वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा से उद्भूत टिप्पणियों को पृथक रूप से प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

संघ सरकार के लिए, स्वायत्त निकायों, रक्षा सेवाएं-सेना तथा आयुध कारखाने, रक्षा सेवाएं-वायु सेना एवं नौ सेना, रेलवे, अप्रत्यक्ष कर-सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर तथा प्रत्यक्ष कर पर पृथक प्रतिवेदन भी संसद को प्रस्तुत किए जाते हैं।



संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था तथा लेखे : 2006-07

विशिष्टताएं

यह प्रतिवेदन संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था और तीन योजनाओं की अवधि अर्थात् VIIIवीं (1992-1997), IXवीं (1997-2002) तथा Xवीं योजना (2002-07) के मुख्य राजकोषीय सूचकों की प्रवृत्तियों पर चर्चा करता है। इसमें 2006-07 के विनियोग लेखाओं का एक विश्लेषण भी अन्तर्विष्ट है।

- वर्ष 2006-07 भारत की समेकित निधि में 19,244 करोड़ रु. के घाटे एवं भारत के लोक लेखे में 48,639 करोड़ रु. के अधिशेष के साथ समाप्त हुआ।
- 2006-07 में राजस्व घाटा 1,32,847 करोड़ रु. था जबकि राजकोषीय घाटे की राशि 1,82,934 करोड़ रु. थी। राजस्व घाटा, सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) का 3.22 प्रतिशत था जबकि राजकोषीय घाटा, स.घ.उ. का 4.43 प्रतिशत था। 2006-07 हेतु संघ वित्त लेखों के अनुसार राजस्व एवं राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तर महत्वपूर्ण रूप से अपने बजट अनुमानों से क्रमशः 1.12 एवं 0.63 प्रतिशतता अंक ऊर थे।
- 2006-07 में संघ सरकार के संसाधनों की राशि 28,30,083 करोड़ रु. थी। गैर-ऋण प्राप्तियाँ कुल प्राप्तियों का लगभग 24 प्रतिशत थीं। शेष उधारों और लोक लेखा प्राप्तियों से आया था।
- 2006-07 के दौरान राजस्व कर, राज्यों तथा सं.शा.क्षे. के अंशों को सौंपने के बाद, पिछले वर्षों की अपेक्षा 30 प्रतिशत की वृद्धि को दर्ज करते हुए, 3,53,182 करोड़ रु. था। राजस्व कर, निगम एवं सेवा कर से अधिक वसूली, जो पिछले वर्षों की अपेक्षा क्रमशः 42.50 एवं 63.08 प्रतिशत बढ़ी थी, के परिणामस्वरूप उत्पावक था। 2006-07 में कुल गैर-कर राजस्व 1,72,211 करोड़ रु. था जो संघ सरकार के निवल राजस्व का लगभग 33 प्रतिशत था।
- संघ सरकार का कुल संवितरण VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 4,33,716 करोड़ रु. की औसत से बढ़कर 2006-07 में 27,35,200 करोड़ रु. हो गया। 1992-2007 के दौरान संवितरण की वृद्धि की 15.07 प्रतिशत की औसत वार्षिक प्रवृत्ति स.घ.उ. की वृद्धि दर की अपेक्षा अधिक थी, जिसका औसत उसी अवधि में 12.21 प्रतिशत था।
- राजस्व व्यय, कुल व्यय का प्रमुख घटक बना रहा और इसका अंश VIIIवीं योजना के दौरान 78.88 प्रतिशत की औसत से बढ़ कर 2006-07 में 90.47 प्रतिशत हो गया। पूंजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम के सापेक्ष अंश VIIIवीं

योजना के दौरान 21.12 प्रतिशत की औसत से कम हो कर 2006-07 में 9.53 प्रतिशत हो गए।

- 1992-2007 के दौरान कुल व्यय में 23.05 प्रतिशत के योजनागत व्यय का दीर्घावधि औसत अंश 2006-07 में बढ़कर 25.57 प्रतिशत हो गया।
- सामाजिक सेवाओं पर संघ सरकार का समग्र व्यय VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 6903 करोड़ रु. की औसत से बढ़ कर 2005-06 में 39,160 करोड़ रु. तथा 2006-07 में 46,494 करोड़ रु. हो गया। सामाजिक सेवाओं पर व्यय में दीर्घावधि प्रवृत्ति वृद्धि दर 16.70 प्रतिशत थी (1992-2007)।
- कुल राजकोषीय देयताएं - स.घ.उ. अनुपात 1991-92 के दौरान शिखर पर रहा जब यह स.घ.उ. के 65.43 प्रतिशत तक पहुंचा था। यह अनुपात IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 58.92 प्रतिशत तक अत्वरित हुआ। Xवीं योजना में जहां यह अनुपात 2002-03 में 62.98 प्रतिशत तक बढ़ गया वहीं यह 2005-06 में 55.19 प्रतिशत तथा 2006-07 में 52.96 प्रतिशत तक अत्वरित हुआ।
- 1992-2007 के दौरान, राजस्व और गैर-ऋण प्राप्तियों की तुलना में राजकोषीय देयताओं के अनुपात की ऋणात्मक परिवर्तन दर थी। गैर-ऋण प्राप्तियों की तुलना में राजकोषीय देयताओं का औसत अनुपात VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 446 प्रतिशत से बढ़ कर 2002-03 में 453 प्रतिशत हो गया। तथापि, यह 2006-07 में कम हो कर 401 प्रतिशत हो गया।
- सिविल मंत्रालयों के अन्तर्गत 2006-07 में 2086198 करोड़ रु का कुल संवितरण 2005-06 के दौरान 15,90,085 करोड़ रु के कुल संवितरण से 4,96,113 करोड़ रु अधिक था।
- 2006-07 के दौरान सिविल मंत्रालयों/विभागों से संबंधित चार अनुदानों के अन्तर्गत 36,637 करोड़ रु के अतिरिक्त व्यय एवं अनुदानों में 35,603 करोड़ रु के अव्ययित प्रावधानों के कारण 1,034 करोड़ रु का निवल आधिक्य था।

अध्याय 1

संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था - एक विहंगावलोकन

वर्ष 2006-07 के लिए संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था के विहंगावलोकन ने प्रकट किया कि पिछले वर्ष की तुलना में भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.) में घाटे में सीमान्त रूप से बढ़ोतरी हुई है वहीं लोक लेखा में अधिशेष में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है। जबकि दूरदर्शी राजकोषीय नीति का राजस्व प्राप्तियों पर प्रभाव सुस्पष्ट था लेकिन सामाजिक क्षेत्रों पर बढ़े हुए व्यय का परिणाम राजस्व व्यय की वृद्धि में हुआ। पूंजीगत व्यय में अर्थपूर्ण परिवर्तन प्रदर्शित किया। 2003-04 और 2004-05 के दौरान इसकी वृद्धि में अर्थपूर्ण गति प्राप्त करने के उपरान्त बाद के वर्ष के दौरान मंदन दिखलाया। राजकोषीय असंतुलन न केवल निरन्तर जारी रहे बल्कि अर्थपूर्ण राशि में रहे। 2006-07 के दौरान स.घ.उ. की तुलना में राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा निरन्तर रूप से क्रमशः 3.22 तथा 4.43 प्रतिशत थे जो प्रदर्शित करते थे कि राजकोषीय असंतुलन न केवल बने हुए थे बल्कि महत्वपूर्ण भागों में थे। बारहवां वित्त आयोग (बा.वि.आ.) द्वारा अनुशंसित राज्यों को उच्च राजकोषीय अंतरण तथा सामाजिक क्षेत्रों पर उच्चतर खर्च के परिणामस्वरूप इन प्रवृत्तियों ने रा.उ.ब.प्र. नियमावली, 2004 के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों के संबंध में परिकल्पित राजकोषीय सुधार में मंदन को दर्शाया। संसाधन उपलब्धता तथा परिसम्पत्ति गठन में ऋणात्मक फैलाव का परिणाम संघ सरकार के उत्तरदायित्वों के सापेक्ष इसकी परिसम्पत्ति आधार में प्रगामी गिरावट में हुआ।

1.1 यह अध्याय वर्ष 2006-07 के दौरान संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था का एक विस्तृत परिदृश्य प्रस्तुत करता है तथा VIIIवीं, IXवीं तथा Xवीं योजना अवधियों को सम्मिलित करके 1992-2007 की अवधि के दौरान मुख्य राजकोषीय संचयन में नाजुक परिवर्तनों का विश्लेषण करता है।

बॉक्स 1.1: संघ सरकार की निधियां और लोक लेखे	
समेकित निधि संघ सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, खजाना बिलों के निर्गम द्वारा उगाहे गए समस्त ऋण, आंतरिक तथा बाह्य ऋण तथा ऋणों के पुनर्मुग्यतान के रूप में सरकार द्वारा प्राप्त समस्त धन भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अन्तर्गत स्थापित की गई “भारत की समेकित निधि” शीर्षक एक समेकित निधि बनाएंगे।	आकस्मिकता निधि संविधान के अनुच्छेद 267(1) के अंतर्गत स्थापित भारत की आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रखे गए एक अग्रदाय के रूप में हैं जो उन्हें संसद के लंबित प्राधिकार के रहते अतिआवश्यक अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम प्रदान करने का अधिकार देता है। ऐसे व्यय और समेकित निधि से इसके बाबार राशि के आहरण के लिए वैधानिक अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है तत्पश्चात आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिमों की निधि से प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।
लोक लेखा समेकित निधि से संबंधित सरकार की सामान्य प्राप्तियों तथा व्ययों के अतिरिक्त सरकारी लेखाओं में कुछ ऐसे लेन-देन भी सम्मिलित होते हैं जिनके संबंध में सरकार अधिकार बैंकर के रूप में कार्य करती है। भविष्य निधियों, लघु बचतों, अन्य जमाओं आदि से संबंधित लेन-देन इसके कुछ उदाहरण हैं। इस प्रकार, प्राप्त लोक धन को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत गठित लोक लेखा में रखा जाता है तथा सम्बद्ध संवितरण उसमें से भी किए जाते हैं।	

1.2 तालिका 1.1 प्राप्तियों, संवितरणों, घाटों तथा उधारों (आवश्यकता और इसके समायोजन) को समाविष्ट करते हुए चालू वर्ष (2006-07) में संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था की स्थिति का सार प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.1: चालू वर्ष के प्रचालन का सार

(करोड़ रुपयों में)

प्राप्तियाँ	व्युत्पन्न मापदण्ड	संवितरण
भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.)		
राजस्व प्राप्ति	525393	राजस्व घाटा
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	534	पूँजीगत व्यय
ऋणों की वसूली	18691	राजकोषीय घाटा
कुल गैर-ऋण प्राप्तियाँ	544618	कुल व्यय
लोक ऋण	1644628	भा.स.नि. में घाटा
कुल भा.स.नि.	2189246	लोक ऋण
आकस्मिकता निधि		
प्राप्तियाँ	0	विनियोग
लोक लेखा		
लघु बचत	309269	लघु बचत
आरक्षित एवं निक्षेप निधि	58483	आरक्षित एवं निक्षेप निधि
जमा	52041	जमा
अग्रिम	29116	अग्रिम
उचन्त लेखे	5238	लोक लेखे में अधिशेष
प्रेषण	872	प्रेषण
कुल लोक लेखे	455019	रोकड़ में बढ़ोतरी
अथ नकद	65488	अंत नकद
लोक लेखा अधिशेष (भांग)	48639	भा.स.नि. में घाटा +रोकड़ में बढ़ोतरी
वार्धिक देयताएं (आपूर्ति)	217790	(ऋण+लघुबचत+आ.नि.+जमा) का अधिशेष
वार्धिक देयताएं (सांग)	217790	राजकोषीय घाटा + रोकड़ में बढ़ोतरी + (अग्रिम+उचन्त+प्रेषण) का निवल संवितरण

1.3 वर्ष 2006-07 भारत की समेकित निधि में 19244 करोड़ रु. के घाटे के साथ समाप्त हुआ जो पिछले वर्ष के घाटे की तुलना में 1020 करोड़ रु अधिक था। लोक लेखे ने अधिशेष 2005-06 में 3514 करोड़ रु. से बढ़कर चालू वर्ष में 48639 करोड़ रु हुआ। संघ वित्त में हुए राजकोषीय परिवर्तन मुख्यतः (क) पिछले वर्ष की तुलना में 2006-07 के दौरान गैर-ऋण प्राप्तियों में 100296 करोड़ रु. (22.57 प्रतिशत) की वृद्धि के प्रति कुल व्यय में 118303 करोड़ रु. (19.42 प्रतिशत) की वृद्धि, (ख) पिछले वर्ष की तुलना में लोक ऋण प्राप्तियों में 16537 करोड़ रु की निवल वृद्धि, (ग) वर्ष के

दौरान संवितरण के 1841 करोड़ रु कमी के प्रति पिछले वर्ष की तुलना में 2006-07 में लघु बचतों के अंतर्गत प्राप्तियों में 17993 करोड़ रु की बढ़ोतरी तथा (घ) पिछले वर्ष की तुलना में 2006-07 में उच्चत लेखों के अंतर्गत प्राप्तियों में 1314 करोड़ रु के साथ-साथ संवितरण में 23301 करोड़ रु की कमी के कारण थे। भा.स.नि. में घाटे को पूरा करने के लिए पश्चात लोक लेखे में 48639 करोड़ रु आधिक्य का परिणाम वित्त वर्ष 2006-07 के अंत में संघ के नकद शेषों में 29395 करोड़ रु की वृद्धि में हुआ। तथापि पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व घाटा 2006-07 में 23150 करोड़ रु से बढ़ गया है लेकिन संवितरण में 2474 करोड़ रु की कमी के प्रति ऋणों की वसूली में 6890 करोड़ रु के सुधार तथा पूंजीगत व्यय में 3174 करोड़ रु की वृद्धि के कारण पिछले वर्ष की तुलना में राजकोषीय घाटे में कुल 18007 करोड़ रु की वृद्धि हुई। तथापि, नई देयताएं जो इस संसाधन अन्तराल के संचयी प्रवाहों को पूरा करती थी भा.स.नि. में राजकोषीय घाटे से अधिक थी जिसका परिणाम चालू वर्ष के अन्त में 29395 करोड़ रु नकद शेषों की अभिवृद्धि में हुआ।

बॉक्स 1.2: निधियों का प्रबन्ध: संवैधानिक प्रावधान

भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(3) में प्रावधान है कि "भा.स.नि. या राज्य की समेकित निधि में से कोई भी राशि, जैसा कि विधि के अनुसार है तथा उस प्रयोजनों के लिए और जैसा कि संविधान में प्रावधान है के सिवाय, विनियोजित नहीं की जाएगी।" लोकसभा द्वारा वित्तीय वर्ष में अनुदान की मांगों के लिए मत देने के उपरान्त, विनियोग अधिनियम के रूप में परिणत हुआ यह प्रावधान अनुच्छेद 112 तथा 114 के साथ पठित है तथा संबंधित विनियोग बिल संसद द्वारा पारित किया जाता है और जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। विनियोग अधिनियम की धारा 2 एवं 3 के प्रावधान नीचे दिये गये हैं:

भा.स.नि. में से, विभिन्न प्रभारों को चुकाने के प्रति अनुसूची के कॉलम 3 में निर्दिष्ट राशि से अधिक न होकर लागू राशि, जो अनुसूची के कालम 2 में निर्दिष्ट सेवाओं के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान के लिए होगी, अदा की जाएगी।

इस अधिनियम के द्वारा भा.स.नि. में से भुगतान तथा प्रयुक्त किये जाने वाली के लिए प्राधिकृत राशियाँ, उल्लिखित वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं तथा प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी।

1.4 संघीय बजट, आंकड़ों के तीन सैट (क) पूर्ववर्ती वर्ष के वास्तविक आंकड़े, (ख) चालू वर्ष के संशोधित अनुमान तथा (ग) आगामी वर्ष के बजट अनुमान प्रस्तुत करता है। वास्तविक आंकड़े बजट अनुमानों के कितने निकट हैं उस सीमा को दर्शाता है जहां तक वर्ष के दौरान राजकोषीय अनुशासन को लागू किया गया था। बजट अनुमानों से वास्तविक आंकड़ों में विचलन के बहुत से कारण हैं। यह अपूर्वानुमानित तथा यादृच्छिक बाह्य कारणों या कार्यप्रणालीगत अपर्याप्तताओं के कारण हो सकता है जिसका परिणाम बजट स्तर पर व्यय अथवा राजस्व का कम अथवा अधिक अनुमान में हो सकता है अथवा कुछ अवसरों पर अनुदार होना विवेकपूर्ण माना जा सकता है। वास्तविक राजस्व की प्राप्ति और इसका संवितरण कुछ आन्तरिक एवं अन्य बाह्य कई कारणों पर निर्भर करता है। तालिका 1.2 कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय पैरामीटरों के लिए, बजट अनुमानों तथा वास्तविक आंकड़ों का एक सार उपलब्ध कराती है।

तालिका 1.2: संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था 2006-07 - बजट तथा वास्तविक आंकड़े

(करोड़ रुपयों में)

बजट अनुमान	2005-06 वास्तविक आंकड़े	2006-07		बजट से विचलन	विचलन* प्रतिशत
		वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमान		
1 संघ सरकार की कुल प्राप्तियां	2117454	2644265	2635477	8788	0.33
2 राजस्व प्राप्तियां	430940	525393	490154	35239	7.19
कर राजस्व	271766	353182	328705	24477	7.45
गैर-कर राजस्व	159174	172211	161449	10762	6.67
3 विविध पूँजीगत प्राप्तियां	1581	534	3840	-3306	-86.09
4 कर्जों तथा अग्रिमों की वसूली	11801	18691	9530	9161	96.13
5 लोक ऋण की प्राप्ति	1262363	1644628	1274219	370409	29.07
6 लोक लेखा प्राप्तियां	410769	455019	367580	87439	23.79
7 संघ सरकार के कुल संवितरण	2132164	2614870	2099322	515548	24.56
8 राजस्व व्यय	540637	658240	576381	81859	14.20
9 पूँजीगत व्यय	56119	59293	66937	-7644	-11.42
10 कर्जे तथा अग्रिम	12493	10019	10391	-372	-3.58
11 लोक ऋण की वापसी	1115210	1480938	1098308	382630	34.84
12 लोक लेखा संवितरण	407255	406380	347305	59075	17.01
13 राजस्व घाटा	109697	132847	86227	46620	54.07
14 राजकोषीय घाटा	164927	182934	148686	34248	23.03

* विचलन (बजट अनुमान-वास्तविक आंकड़े)/बजट अनुमान x100 के रूप में अनुमानित हैं।

1.5 मुख्यतः कर तथा गैर-कर राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 2006-07 के दौरान 7.45 तथा 6.67 प्रतिशत की वृद्धि के कारण राजस्व प्राप्तियां, बजट अनुमानों से उपान्तीय 7.19 प्रतिशत अधिक थी। तथापि बजट अनुमानों से संबंधित राजस्व व्यय में 14.20 प्रतिशत की वृद्धि 2006-07 के लिए परिकल्पित बजटीकृत स्तर की तुलना में राजस्व घाटे में 54 प्रतिशत वृद्धि का कारण बनी। राजकोषीय घाटा, जो सरकार के समग्र संसाधन अंतराल का द्योतक है, बजटीकृत आंकड़ों से 23 प्रतिशत अधिक था। बजट अनुमानों के प्रति ऋण एवं अग्रिम की वसूली (9161 करोड़ रु) में वृद्धि संवितरण (372 करोड़ रु) तथा साथ-साथ पूँजीगत व्यय (7644 करोड़ रु) में कमी ने राजकोषीय घाटा हेतु सकल प्रदान किया तथा वर्ष के दौरान तदनुस्री अनुमानों की अपेक्षा 2006-07 में राजस्व घाटे में 46620 करोड़ रु की वृद्धि के प्रति यह 34248 करोड़ रु बढ़ गया। लोक ऋण के संबंध में यद्यपि प्राप्ति एवं संवितरण (पुनर्भुगतान), दोनों बजटीकृत आंकड़ों से अधिक थे, फिर भी देयताओं में वृद्धि के रूप में इनका निवल प्रभाव बजट अनुमानों से उपान्तीय केवल 12221 करोड़ रु. अधिक था। कुल मिलाकर विवेकपूर्ण राजकोषीय नीतियों का असर राजस्व प्राप्तियों पर सुस्पष्ट था।

लेकिन सामाजिक क्षेत्रों पर बढ़ते व्यय का परिणाम राजस्व व्यय में वृद्धि में हुआ। इसके अतिरिक्त बजट अनुमानों के साक्षेप अन्य पैरामीटरों में विचलन काफी अधिक थे।

संघ सरकार वित्तीय व्यवस्था 1992-2007 - कुछ मुख्य मापदण्ड

1.6 राजस्व प्राप्तियां, व्यय, राजकोषीय असंतुलन तथा राजकोषीय देयताओं को शामिल करते हुए संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण इस प्रतिवेदन के अध्याय 2 से 5 में अन्तर्विष्ट है। मुख्य पैरामीटरों का विहंगावलोकन नीचे प्रस्तुत किया गया है।

शेषों का सार

1.7 वित्त लेखे के विवरण 12 में संसाधनों की उपलब्धता तथा उपयोग की शर्तों के संबंध में सरकारी वित्तीय व्यवस्था के संचित निष्कर्ष का सार है। वित्त लेखे के विवरण 5 के साथ पठित यह विवरण, सरकार के तुलनपत्र के सदृश है। तालिका 1.3, 1992-93 तथा 2006-07 के दौरान विश्लेषण के आधार वर्ष तथा चालू वर्ष में सरकारी वित्तीय व्यवस्था का सार उपलब्ध कराती है।

तालिका 1.3: सरकारी वित्तीय व्यवस्था के शेषों का सार

संसाधनों के उपयोग			संसाधनों की उपलब्धता			
	31 मार्च को		वृ. सं. वा. द.*	31 मार्च को		वृ. सं. वा. द.*
	1993	2007		1993	2007	
पूँजीगत परिव्यय	155291	603283	9.52	आंतरिक ऋण	199100	1544975
ऋण तथा अग्रिम	135672	220798	3.32	बाह्य ऋण	42269	102716
कार्यों के अनुसार स्रोत उपयोग				लघु बचत	136802	307546
सामाजिक सेवाएं	6052	24255	9.75	अन्य उत्तरदांयित्व	23752	131295
कृषि एवं सम्बद्ध	8740	8713	-0.02	राजकोषीय देयताएं	401923	2086532
सिंचाई एवं बिजली	40364	64147	3.15	नकद शेष	-1380	-94883
उद्योग एवं खनिज	41174	84471	4.93	उच्चत लेखे	-3819	-20253
परिवहन एवं संचार	38370	135319	8.81	प्रेषण	-3607	-4047
अन्य आर्थिक सेवाएं	25549	77856	7.75	अग्रिम	-1307	-3342
कुल आर्थिक सेवाएं	154197	370506	6.05	आकस्मिकता निधि	50	500
सामान्य सेवाएं तथा अन्य	39160	281664	14.13	निधियों की उपलब्धता	391860	1964509
राज्यों को ऋण	91554	147656	3.25	संसाधन अन्तराल	-100897	-1140427
कुल परिसम्पत्तियां	290963	824081	7.22	संसाधन उपयोग	290963	824081

(*वृद्धि की संचयी वार्षिक दर)

1.8 जहां संघ सरकार की निधियों की निवल उपलब्धता 11.41 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी थी, पूँजीगत व्यय और ऋणों तथा अग्रिमों को समाविष्ट करते हुए सरकारी परिसम्पत्तियां केवल 7.22 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ी थी। स्रोत की उपलब्धता तथा

परिसम्पत्तियों के निर्माण की वृद्धि में इस नकारात्मक फैलाव के परिणामस्वरूप संघ सरकार की अपनी देयताओं के सापेक्ष मूल परिसम्पत्तियों में उत्तरोत्तर गिरावट आई। 1993-2007 के दौरान परिसम्पत्तियों के भीतर, पूँजीगत व्यय या सरकार द्वारा पूँजीगत निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से अपेक्षाकृत उच्चतर वृद्धि देखी गयी थी। “ऋण तथा अग्रिम” जो अपने पराश्रयी के माध्यम से पूँजीगत निर्माण के सदृश हैं, में 3.32 प्रतिशत की औसत दर से वृद्धि हुई। कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों में निवेश अथवा परिसम्पत्ति सृजन में -0.02 प्रतिशत के ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की जबकि सिंचाई तथा ऊर्जा के साथ-साथ उद्योग तथा खनिज ने इस अवधि के दौरान अन्य क्षेत्रों की तुलना में निम्न वृद्धि दर्ज की। सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं में निवेश में क्रमशः 9.75 प्रतिशत तथा 6.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत यातायात तथा दूरसंचार में निवेश इस अवधि के दौरान इसके अन्य घटकों की तुलना में तीव्र दर से बढ़ा। अन्य घटक, जिसमें औसत वृद्धि से तीव्र वृद्धि हुई, लोक निर्माण कार्य तथा रक्षा को शामिल करते हुए सामान्य सेवाएं तथा अन्य सेवाओं पर व्यय था। निधियों की निवल उपलब्धता तथा संसाधन उपयोग के बीच, अन्तर के रूप में मापा जाने वाला संसाधन अन्तराल 31 मार्च 1993 को लगभग 25.75 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च 2007 को 58.05 प्रतिशत के निकट हो गया था।

बॉक्स 1.3: सूचना पैरामीटर

राजकोषीय संचयन, जैसे कर तथा गैर-कर राजस्व, राजस्व तथा पूँजीगत व्यय, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण तथा राजस्व एवं राजकोषीय घाटे चालू बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में दर्शाए गए हैं। 1993-94 को आधार मानकर केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा प्रकाशित नई स.घ.उ. शृंखला का उपयोग किया गया है। चालू वर्ष के लिए स.घ.उ. के अनुमान के सांस्कृतिक दृष्टिकोण से दर्शाए गए हैं।

कर राजस्व के लिए उत्प्लावकता अनुमान दिए गए हैं। उत्प्लावकता कर आधार में प्रतिशतता परिवर्तन से कर की प्रतिक्रियाशीलता का संकेत देती है। यहाँ पर उत्प्लावकताओं को उपर्युक्त वर्णित स.घ.उ. शृंखलाओं के संदर्भ में परिकलित किया गया है।

अधिकतर शृंखलाओं के लिए 1992-2007 के दौरान एक प्रवृत्ति वृद्धि का संकेत दिया गया है। इसके अतिरिक्त, VIIIवीं योजना (1992-97), IXवीं योजना (1997-2002) तथा Xवीं योजना (2002-2007) के दौरान प्रवृत्ति वृद्धि भी इंगित की गई है। इन वृद्धि दरों को परिकलित करते समय, अतर्योजना वृद्धि दरों का अनुमान लगाने के लिए योजना के पहले वर्ष को आधार वर्ष के रूप में लिया गया है। यह प्रक्रिया योजना के तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की ‘निम्न आधार प्रवृत्ति’ का निराकरण करती है। उच्च वृद्धि दर समयावधि के दौरान प्रवृत्तियों को दर्शाने के लिए Xवीं योजना (2002-07) के पांच वर्षों के लिए वार्षिक वृद्धि दरें भी दर्शाई गई हैं।

अधिकतर शृंखलाओं के लिए स.घ.उ. के संबंध में अनुपात भी इंगित किए गए हैं। 1992-2007 की अवधि के लिए वृद्धि दरों के मामले की ही भाँति तथा VIIIवीं, IXवीं तथा Xवीं योजना अवधियों के लिए पृथक औसत अनुपातों का उपयोग किया गया है। Xवीं योजना (2002-07) के प्रथम चार वर्षों के लिए वार्षिक अनुपात भी दर्शाए गए हैं।

राजस्व प्राप्तियाँ

1.9 तालिका 1.4, VIIIवीं योजना (1992-1997), IXवीं योजना (1997-2002) तथा पांच वर्षों को पृथक रूप से दर्शाते हुए Xवीं योजना (2002-07) के दौरान वृद्धि दर तथा साक्षेप भाग को, कर के स.घ.उ., गैर-कर तथा कुल राजस्व प्राप्तियों (संघ सरकार के करों में राज्यों का निवल हिस्सा) की प्रतिशतता के रूप में इंगित करती है।

तालिका 1.4 : संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियों के मुख्य पैसामीटर

अवधि	सकल कर राजस्व		गैर-कर राजस्व		संघ सरकार के कुल राजस्व		(प्रतिशत) स.घ.उ. में वृद्धि
	क	ख	क	ख	क	ख	
1992-2007	12.95	9.50	9.75	5.38	11.75	12.39	12.21
VIIIवीं योजना (1992-97)	15.89	9.32	14.66	5.94	15.61	12.71	16.54
IXवीं योजना (1997-02)	9.00	8.65	8.00	6.04	8.12	12.37	10.49
Xवीं योजना (2002-07)	21.31	10.07	4.86	4.81	14.59	12.29	13.77
2002-03	15.61	8.80	6.58	5.68	13.02	12.20	7.76
2003-04	17.61	9.20	7.76	5.44	13.10	12.26	12.51
2004-05	19.90	9.75	-0.01	4.81	11.14	12.05	13.06
2005-06	20.07	10.26	5.76	4.46	14.35	12.08	14.09
2006-07	29.32	11.48	8.19	4.17	21.92	12.73	15.66

क्र:- वृद्धि की दर

ख:- स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में सापेक्ष भाग

1.10 1992-2007 के दौरान राजस्व प्राप्तियों (कर तथा गैर-कर प्राप्तियों सहित) की वृद्धि की औसत वार्षिक दर स.घ.उ. की वृद्धि से अपेक्षाकृत कम थी। आठवीं तथा नौवीं पंचवर्षीय योजनाओं को सम्मिलित करके 1992 से 2002 तक के एक दशक से अधिक के लिए राजस्व प्राप्तियाँ और इसके दो घटकों की वृद्धि दर स.घ.उ. की वृद्धि दर से कम रही थी। संघ की निवल राजस्व प्राप्ति की औसत वृद्धि दर केवल Xवीं योजना (2002-07) अवधि के दौरान की स.घ.उ. की औसत वृद्धि दर से अधिक हुई थी जो राजस्व उत्प्लावकता के इकाई से अधिक प्रदर्शित करती थी। Xवीं योजना (2002-07) के दौरान सकल कर राजस्व में वृद्धि की दर में नियमित वृद्धि हुई जिसका परिणाम आरोही कर-स.घ.उ. अनुपात में हुआ। स.घ.उ. की तुलना में कर प्राप्तियों का अनुपात, जो IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 8.65 प्रतिशत की औसत तक कम हो गया था, ने अपनी आरोही प्रवृत्ति जारी रखी तथा आर्थिक सुधार के काल के दौरान 2005-06 में पहली बार 10 प्रतिशत को पार करने के पश्चात चालू वर्ष में 11.48 प्रतिशत के स्तर तक पहुंचा। संघ के कर राजस्व में बढ़ती हुई उत्प्लावकता के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कर ढांचे का युक्तिकरण तथा पिछले कुछ वर्षों के दौरान किए गए अन्य कराधान उपाय जिम्मेदार हो सकते थे।

1.11 संघ के कर राजस्व (राज्यों के अंशदानों में शामिल करते हुए) में उत्प्लावकता VIIIवीं योजना (1992-1997) में 0.961 तथा IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान

0.859 थी। यह Xवीं योजना (2002-07) के सभी पांच वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण रूप से बढ़ी जिसका परिणाम 1992-2007 की अवधि के दौरान औसत दर उत्प्लावकता के एक से अधिक होने में हुआ। जबकि निगम तथा व्यक्तिक आयकर को समाविष्ट करके प्रत्यक्ष कर की उत्प्लावकता एक से अधिक थी, 2006-07 के दौरान अप्रत्यक्ष कर (सीमा-शुल्क तथा उत्पाद शुल्क दोनों) की निम्न उत्प्लावकता जो कि कुल कर राजस्व की 43.07 प्रतिशत बनती थी जिसका परिणाम सकल कर प्राप्तियों की समग्र निम्नतर उत्प्लावकता में हुआ। गैर-कर प्राप्तियों में, जबकि ऋणों तथा अग्रिमों पर ब्याज की औसत दर उधारों की औसत लागत से अधिक बनी रही, निवेश पर वापसी तथा सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं से उपभोक्ता प्रभारों की वसूली कम रही।

1.12 औसत गैर कर प्राप्ति VIIIवीं योजना (1992-97) की तुलना में IXवीं योजना (1997-2002) तथा Xवीं योजना (2002-07) के दौरान निम्न वृद्धि दर को दर्शाती थी। गैर-कर प्राप्तियों की वृद्धि दर आंशिक रूप से दूरसंचार सेवाओं के निगमीकरण और प्रसार भारती की स्थापना के कारण दसवीं योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान न केवल मंद रही बल्कि मुख्यतः उच्च लागत केन्द्रीय सरकार ऋणों के पूर्व भुगतान को सक्षम बनाने के लिए ऋण विनियम योजना के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान संघ की ब्याज प्राप्तियों में सार्थक कमी के कारण 2004-05 के दौरान यह ऋणात्मक हो गई थी। बारहवें वित्त कमीशन के पंचाट के अंतर्गत 20 वर्षों की नई अवधि के लिए मार्च 2004 तक राज्यों को करार किए गए केन्द्रीय ऋणों के और समेकन तथा पुनः योजित करने के कारण 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान ब्याज प्राप्तियों का ऋणात्मक वृद्धि दर प्रदर्शित करना जारी था। मुख्यतया ‘सूचना एवं प्रसार’ शीर्ष के अंतर्गत अधिक वसूली के कारण सामाजिक सेवाओं से प्राप्तियां 2004-05 में 451 करोड़ रु. से तीन गुणा बढ़कर 2005-06 में 1643 करोड़ रु. हो गई थी। ‘आर्थिक सेवाओं’ से प्राप्तियों में 12 प्रतिशत की वृद्धि के साथ मिलकर सामाजिक सेवाओं से अधिक वसूली पिछले वर्ष की तुलना में 2005-06 के दौरान गैर-कर राजस्व प्राप्तियों में 6 प्रतिशत वृद्धि का कारण बनी। यद्यपि सामाजिक सेवाओं से प्राप्तियाँ 2005-06 में 1643 करोड़ रु के असामान्य उच्च स्तर से 2006-07 के दौरान 467 करोड़ रु के उसके प्रवृत्ति स्तर तक कम हो गई थी परन्तु आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत वसूली तथा पिछले वर्ष की तुलना में लाभांश तथा लाभ में क्रमशः 15573 करोड़ रु (18.34 प्रतिशत) तथा 3859 करोड़ रु (15.16 प्रतिशत) में बढ़ोतरी का परिणाम चालू वर्ष के दौरान गैर कर प्राप्तियों में 13037 करोड़ रु (8.19 प्रतिशत) की समग्र वृद्धि में हुआ।

व्यय

1.13 संघ सरकार का कुल व्यय (तालिका 1.5) भी ऐसी ही स्थिति दर्शाता था। कुल व्यय की वृद्धि दर VIIIवीं योजना (1992-1997) में 11.87 प्रतिशत की औसत से कम होकर IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 8.86 प्रतिशत तथा Xवीं योजना

(2002-07) में तीव्र वृद्धि से 10.86 प्रतिशत हो गई जिसका परिणाम 1992-2007 अवधि के दौरान 10.89 प्रतिशत की दीर्घावधि वृद्धि दर में हुआ। 2004-05 में कुल व्यय में वृद्धि बढ़ गई थी तथा पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान 8.51 प्रतिशतता बिन्दु की तीव्र वृद्धि के साथ 2006-07 में 19.42 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई थी। कुल व्यय - स.घ.उ. अनुपात आठवीं योजना (1992-97) के दौरान 19.66 प्रतिशत की औसत प्रवृत्ति से कम होकर नौवीं योजना (1997-2002) के दौरान 19.51 प्रतिशत तथा Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 17.88 प्रतिशत हो गया। राजस्व व्यय VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 14.64 प्रतिशत की सापेक्ष उच्च औसत दर से बढ़ा, IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 10.40 प्रतिशत की औसत दर तक कम हुआ परन्तु 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान विशेषतया इसके त्वरण के कारण Xवीं योजना (2002-07) के दौरान दोबारा 12.24 प्रतिशत की औसत दर तक बढ़ गया।

तालिका 1.5: संघ सरकार के व्यय के मुख्य पैरामीटर

(प्रतिशत)

अवधि	राजस्व व्यय		पूंजीगत व्यय		ऋण तथा अग्रिम		कुल व्यय	
	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख
1992-2007	12.12	15.81	8.62	1.51	-1.23	1.37	10.89	18.69
VIIIवीं योजना (1992-1997)	14.64	15.51	-8.44	1.89	11.91	2.26	11.87	19.66
IXवीं योजना (1997-2002)	10.40	16.31	9.22	1.37	-3.42	1.83	8.86	19.51
Xवीं योजना (2002-07)	12.24	15.61	19.61	1.46	-29.46	0.81	10.86	17.88
2002-03	9.06	16.66	-2.55	1.24	-6.19	1.47	6.92	19.38
2003-04	7.45	15.91	16.08	1.28	-13.51	1.13	6.40	18.33
2004-05	3.52	14.57	51.56	1.72	28.02	1.28	8.39	17.57
2005-06	18.67	15.16	4.59	1.57	-68.85	0.35	10.91	17.08
2006-07	21.75	15.95	5.66	1.44	-19.80	0.24	19.42	17.63

क: - वृद्धि की दर

ख: - स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में सापेक्षिक भाग

1.14 पूंजीगत व्यय की महत्वपूर्ण अस्थिरता प्रमाणित थी, परन्तु व्यय के इस घटक की औसत वार्षिक वृद्धि कम रही। कुल व्यय का यह घटक 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान वृद्धि में महत्वपूर्ण त्वरण प्राप्त करने के पश्चात 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान सापेक्षिक निम्न गति से बढ़ा। स.घ.उ. के सापेक्ष, इसके हिस्से में उत्तार-चढ़ाव था, परन्तु इसके साक्षेप हिस्सों में विचलन की प्रवृत्ति दर ऋणात्मक थी। ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण ने भी IXवीं योजना (1997-2002) से समग्र घटती हुई प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया। 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान तीव्र गिरावट बा.वि.आ. की अनुशंसाओं पर चालू वर्ष से बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अन्तर्गत ऋणों को छोड़कर राज्यों को भविष्य में उधार लेने में संघ सरकार की मध्यस्थता संबंधी अपनी भूमिका को समाप्त करने के कारण थी।

राजकोषीय असंतुलन

1.15 राजकोषीय असन्तुलन न केवल निरन्तर जारी रहे, बल्कि राशि में भी अधिक थे। जैसा कि नीचे तालिका 1.6 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.6: स.घ.उ. से राजस्व तथा राजकोषीय घाटे का अनुपात

(प्रतिशत)

अवधि	राजस्व घाटा	राजकोषीय घाटा	राजकोषीय घाटे की प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा
1992-2007	3.42	5.12	66.86
VIIIवीं योजना (1992-1997)	2.80	6.04	46.26
IXवीं योजना (1997-2002)	3.95	6.23	63.26
Xवीं योजना (2002-07)	3.32	4.16	79.74
2002-03	4.47	5.48	81.56
2003-04	3.65	2.93	124.77
2004-05	2.52	3.32	75.82
2005-06	3.08	4.62	66.51
2006-07	3.22	4.43	72.62

1.16 राजस्व घाटा/स.घ.उ. अनुपात में VIIIवीं योजना(1992-1997) के दौरान 2.80 प्रतिशत की औसत से IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 3.94 प्रतिशत के औसत की वृद्धि थी परन्तु यह प्रवृत्ति बदल गई तथा Xवीं योजना (2002-07) के दौरान कम होकर 3.32 प्रतिशत की औसत पर आ गया। राजकोषीय घाटा-स.घ.उ. द्वारा भी ऐसी ही प्रवृत्ति प्रदर्शित की जो VIIIवीं योजना के दौरान 6.04 प्रतिशत की औसत से IXवीं योजना के दौरान 6.23 प्रतिशत की औसत तक बढ़ गया परन्तु यह Xवीं योजना (2002-07) के दौरान कम होकर 4.16 हो गया जिसने इन पैरामीटरों के व्यवहार में मिश्रित प्रवृत्ति को दर्शाया। स.घ.उ. की तुलना में राजस्व घाटे का अनुपात 2002-03 में 4.47 प्रतिशत से कम हो कर 2004-05 में 2.52 प्रतिशत (1.95 प्रतिशतता अंक तक) हो गया परन्तु इसके बाद यह दोबारा बढ़ा तथा चालू वर्ष में 3.22 प्रतिशत हो गया। स.घ.उ. की तुलना में राजकोषीय घाटे का अनुपात, जो 2002-03 में 5.48 प्रतिशत से 2003-04 में 2.55 प्रतिशतता बिन्दु अर्थात् 2.93 प्रतिशत तक कम हो गया था, फिर से उत्तरवर्ती दिशा में बढ़ने की प्रवृत्ति को दर्शाया क्योंकि चालू वर्ष के दौरान अनुपात 4.43 प्रतिशत तक बढ़ गया। मुख्यतः 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान स.घ.उ. अनुपात की तुलना में निम्न राजकोषीय घाटे के लिए ऋण विनिमय योजना तथा राज्यों को पूर्व में दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की त्वरित वसूली को आरोपित किया था। स.घ.उ. अनुपात की तुलना में राजस्व घाटा 0.14 प्रतिशतता बिन्दु की वृद्धि हुई है वहीं स.घ.उ. अनुपात की तुलना में राजकोषीय घाटा में पिछले वर्ष की तुलना में 2006-07 में 0.19 प्रतिशतता बिन्दुओं की कमी आई। बा.वि.आ. द्वारा अनुशंसित राज्यों की उच्च राजकोषीय सुपुर्दगी तथा सामाजिक क्षेत्रों पर उच्चतर खर्च, राज्यों से ऋणों की त्वरित वसूली की तुलना में ऋणों का संवितरण तथा पूँजीगत व्यय की गति में कमी थी के

परिणामस्वरूप ये प्रवृत्तियां दर्शाती थी कि राजकोषीय सुधार रा.उ.ब.प्र. नियमावली, 2004 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है। सच्चाई यह थी कि त्वरित वसूली तथा परिसम्पत्ति आधार में कभी के बीच ऐकिक संबंध के कारण रा.उ.ब.प्र. लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एक वहनीय मार्ग के रूप में नहीं लिया जा सकता है इसलिए निर्धारित राजकोषीय सुधार को बनाए रखने के लिए राजस्व प्राप्तियों की सापेक्षिक उच्चतर वृद्धि की आवश्यकता होगी। यद्यपि राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व घाटे के अनुपात में निरन्तर वृद्धि अधिक चिन्ताजनक थी। राजकोषीय घाटे की प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 46.26 प्रतिशत की औसत से बढ़कर IXवीं योजना (1997-2002) में 63.26 प्रतिशत तथा Xवीं योजना (2002-07) में और बढ़ कर 79.74 प्रतिशत हो गया हालांकि इसमें अन्तर्वर्षीय परिवर्तन थे।

राजकोषीय देयताएं

1.17 संघ सरकार की कुल राजकोषीय देयताओं के बहुत पैरामीटर निम्न तालिका 1.7 में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका 1.7: संघ सरकार के राजकोषीय देयताओं की विशिष्टताएं

(प्रतिशत)

अवधि	कुल देयताओं* की वृद्धि दर	कुल देयताएं/ स.घ.उ अनुपात	ब्याज की औसत दर	देयताओं की तुलना में परिसम्पत्तियों का अनुपात
1992-2007	11.36	58.35	7.54	46.65
VIIIवीं योजना (1992-1997)	12.48	60.72	7.91	57.68
IXवीं योजना (1997-2002)	11.85	58.92	9.06	50.90
Xवीं योजना (2002-07)	8.98	57.25	8.09	40.26
2002-03	10.62	62.98	8.90	44.78
2003-04	7.20	60.01	8.28	41.48
2004-05	9.86	58.32	7.89	39.36
2005-06	7.98	55.19	7.75	39.32
2006-07	10.98	52.96	7.84	37.71

* राज्य सरकारों द्वारा इस सीमा तक रा.ल.ब.नि. को जारी प्रतिमूलियों में लघु बचतों के कारण देयताओं में 1999-2000 से लोक लेखा देयताएं शामिल हैं।

1.18 1992-2007 के दौरान, संघ सरकार की कुल राजकोषीय देयताएं, स.घ.उ. के 58.35 प्रतिशत से थोड़ी अधिक रहीं। कुल देयताओं में वृद्धि की औसत वार्षिक दर, जो आठवीं तथा नौवीं पंचवर्षीय योजनाओं को समाविष्ट करके 1992-2002 के दशक के दौरान 12 प्रतिशत थी, की औसत Xवीं योजना (2002-07) के दौरान कम हो कर 8.98 प्रतिशत हो गई थी। इस मंद प्रवृत्ति के बावजूद स.घ.उ. की तुलना में देयताओं के अनुपात में दसवीं योजना के प्रथम वर्ष में वृद्धि हुई थी जो कि मुख्यतः इसलिए थी क्योंकि स्वयं स.घ.उ. वृद्धि में नाममात्र का मंदन देखा गया था। तथापि अनुपात ने

2002-03 से घटती हुई प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया जो कि इन वर्षों के दौरान कुल देयताओं में वृद्धि की दर में कमी तथा स.घ.उ. में संतुलित औसत वृद्धि दर के सामूहिक प्रभाव के कारण थी। बकाया देयताओं पर ब्याज की औसत दर का VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 7.91 प्रतिशत से अन्तर्वर्षीय परिवर्तनों के साथ बढ़ कर Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 8.09 प्रतिशत हो गई। औसत ब्याज दर में 2003-04 में 8.28 प्रतिशत तथा चालू वर्ष में 7.84 प्रतिशत की और कमी हुई जिसका परिणाम VIIIवीं तथा IXवीं योजना अवधियों की औसत ब्याज दरों से ब्याज दरों में 149 तथा 122 मूलाधार बिन्दुओं की कमी में हुआ। राजकोषीय देयताओं पर ब्याज दरें स.घ.उ. की वृद्धि दर से बहुत कम रही थी जो उच्चतर ऋण-स.घ.उ. अनुपात को बनाए रखने में अवश्य ही सुरक्षा प्रदान करती है। संचालित ब्याज दर संरचना जो इस अवधि के आरम्भ में प्रचलित थी, बाह्य ऋणों पर कम ब्याज दरें, जो 1991-92 के सिवाय कभी भी 4 प्रतिशत से अधिक नहीं रही तथा निक्षेप निधियों तथा जमाओं की प्रकृति की अन्य देयताएं, जो निरंतर अधिक निम्न ब्याज दरें आकृष्ट करती रही, 1992-2002 दशक के दौरान निम्न दरें पोषित करते रहे। तथापि, उधार ली गई निधियों का उपयोग चिंता का विषय बना रहा। वृहद राजस्व घाटे द्वारा संघ सरकार की सकल देयताओं के समर्थन में परिसम्पत्तियों का क्षय जारी था जिनमें नियमित रूप से कमी हुई थी तथा 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान 39.32 प्रतिशत पर स्थिर रहा था चालू वर्ष के दौरान 37.71 प्रतिशत तक पिछ गया।

अध्याय 2

संसाधन : प्रवृत्तियां तथा संरचना

संघ सरकार के समग्र संसाधनों में राजस्व तथा पूँजीगत (ऋण तथा गैर-ऋण प्राप्तियों के साथ साथ लोक लेखे में सम्भूति) प्राप्तियां सम्मिलित हैं। दीर्घावधि (1992-2007) में विभिन्न घटकों की वृद्धि में अन्तर्वर्षीय परिवर्तन के बावजूद, जिसमें लोक लेखा में सम्भूतियों को शामिल करके ऋण प्राप्तियों तथा गैर-ऋण प्राप्तियों (राजस्व प्राप्तियां तथा अन्य गैर-ऋण प्राप्तियां) के बीच अनुपात 2004-05 तक दो तिहाई तथा एक तिहाई पर लगभग स्थिर था लेकिन इसके पश्चात् इसमें ऋण प्राप्तियों के पक्ष में झुकाव हुआ तथा यह अनुपात चालू वर्ष के दौरान तीन-चौथाई तथा एक-चौथाई हुआ है।

राजस्व प्राप्तियां, अपनी कर तथा गैर-कर प्राप्तियों के विस्तृत घटकों के साथ, राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। सकल कर वसूली में वृद्धिदर ने दसवीं योजना (2002-07) के अपने सबसे प्रथम वर्ष से त्वरण प्रदर्शित किया तथा 2006-07 में 29.32 प्रतिशत के शीर्ष स्तर पर पहुंच गई। आर्थिक सुधारों के बाद के वर्षों, विशेषतया: दसवीं योजना अवधि (2002-07) के दौरान, वस्तु-आधारित कराधान से आय आधारित कराधान में करों की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। सकल कर वसूलियों में प्रत्यक्ष करों अप्रत्यक्ष करों तथा सेवा कर के अंश 1990 के दशक की शुरुआत में 27, 70 तथा 0.48 प्रतिशत की तुलना में 2006-07 के दौरान 46, 43 तथा 8 प्रतिशत थे। प्रवृत्तियों से प्रकट होता है कि वर्षों के दौरान राजकोष की तुलना में लाभ में उच्चतर निगम कर वसूली के रूप में सुधार हुआ था जबकि सकल कर राजस्व में उत्पाद तथा सीमा शुल्कों के अंश में 2002-03 से प्रत्येक वर्ष औसतन गिरावट हुई। यद्यपि 1994-95 में अपने आरम्भ होने से ही सेवा कर के अंश में लगातार बढ़ोतरी हुई है।

2002-03 से 2006-07 के दौरान समग्र रूप से कर उत्स्लावकता में वृद्धि के पुनः प्रवर्तन, विशेषकर अर्थव्यवस्था के औद्योगिक क्षेत्र, जिसमें सरकार की कर वसूली विवेचनात्मक रूप से निर्भर है तथा सेवा कर के आधार में वृद्धि के कारण मुख्य रूप से अर्थपूर्ण प्रगति हुई है। चालू वर्ष में उत्पाद शुल्क के मामले के अलावा, निगम कर, आयकर तथा सेवा कर की उत्स्लावकता का इकाई से अधिक होना सूचित करता है उनकी वृद्धि दरें स.घ.उ. की वृद्धि से उच्च रही थी। कर-स.घ.उ. अनुपात ने विशेषतया 2002-03 से उथल-पुथल प्रदर्शित की तथा 2005-06 के पश्चात् यह 10 प्रतिशत से अधिक था। गैर-कर राजस्व, जिसने 1992-2002 दशक के दौरान संघ सरकार के निवल राजस्व का 48 प्रतिशत संस्थापित किया था, Xवीं योजना अवधि के दौरान निरन्तर गिरा है तथा 2006-07 के दौरान 33 प्रतिशत की औसत पर पहुंच गया।

गैर कर राजस्व के विभिन्न घटकों की वृद्धि में प्रवृत्तियां संकेत करती है कि जबकि लाभांश तथा लाभों के अंश में बढ़ोतरी हुई वहीं ब्याज प्राप्तियों के अंश में Xवीं योजना (2002-07) के दौरान, 2002-03 में 32 प्रतिशत से 2006-07 में 15.42 प्रतिशत की निरन्तर गिरावट हुई। पिछले तीन वर्षों के दौरान ऋण अग्रिम पर ब्याज दरों में नस्मी तथा ऋण विनिमय ने इस अवत्वरण में योगदान दिया है। 1992-2007 के दौरान सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं तथा सरकार के संप्रभु तथा अन्य सामान्य प्रकारों से गैर-ऋण प्राप्तियों में विचलन दर ऋणात्मक थी। गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों का अंश जिसमें विविध पूँजीगत प्राप्तियां (विनिवेश) तथा ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली मुख्य रूप से शामिल है, पूर्णतया निर्थक रही थी तथा यह 2005-06 में एक प्रतिशत से और कम हो गई थी।

संघ सरकार के संसाधन: 2006-07

2.1 राजस्व एवं पूँजीगत, प्राप्तियों की दो धाराएं हैं जिनसे संघ सरकार के संसाधन बनते हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, सहायता अनुदान एवं अंशदान

शामिल हैं। पूंजीगत प्राप्तियों के दो घटक ऋण प्राप्तियां, जो भविष्य में शोधन के लिए दायित्वों का सृजन करती हैं और विविध पूंजीगत प्राप्तियां, जो संघटित तौर पर विनिवेश से प्राप्तियां तथा ऋणों एवं पेशगियों की वसूलियां, जो परिसम्पत्तियों के प्रभावी या वास्तविक आधार को कम करने में सहायक होती है। नीचे तालिका 2.1 संघ सरकार के कुल संसाधनों, जो वर्ष 2006-07 के लिए 28,30,083 करोड़ रु. बनते थे, का सारांश प्रस्तुत करती है। 6,64,948 करोड़ रु. की गैर-ऋण प्राप्तियां कुल प्राप्तियों का लगभग 24 प्रतिशत बनती थी। शेष या तो राज्यों को समनुदेशित किये जाने थे या उधार तथा लोक लेखा प्राप्तियों की प्रकृति के थे।

तालिका 2.1: संघ सरकार के संसाधन

	(करोड़ रुपयों में)
I राजस्व प्राप्तियां	6,45,723
II पूंजीगत प्राप्तियां	16,63,853
क. विविध प्राप्तियां	534
ख. कर्जों तथा पेशगियों की वसूली	18,691
ग. ऋण प्राप्तियां	16,44,628
III लोक लेखा प्राप्तियां	4,55,019
IV आकस्मिकता निधि	0
कुल प्राप्तियां	27,64,595
नकद अथ शेष	65,488
संसाधनों की कुल उपलब्धता	28,30,083


टिप्पणी: (1) राजस्व प्राप्तियों में 1,20,330 करोड़ रु. राज्यों को सौंपे गये करों तथा शुल्कों का हिस्सा शामिल है और संघ सरकार के वित्त लेखाओं में नहीं दर्शाया गया है।

(2) राजस्व प्राप्तियों में रेलवे, डाक एवं विभागीय उपक्रमों से प्राप्तियां शामिल हैं।

संसाधनों में प्रवृत्तियां

2.2 संघ सरकार के समग्र संसाधनों में 1992-2007 के दौरान 15.18 प्रतिशत की प्रवृत्ति दर से वृद्धि हुई। विभिन्न योजना अवधियों के दौरान वृद्धि दर में परिवर्तन के बावजूद प्रवृत्ति वृद्धि स.घ.उ. की वृद्धि दर से कम रही। आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के प्रारम्भ होने के तुरन्त बाद VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान संघ के सकल संसाधनों की संभूतियों में 14.87 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई। तथापि IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान वार्षिक प्रवृत्ति वृद्धि 7.02 प्रतिशत तक अवतरित हो गई। Xवीं योजना (2002-07) के दौरान प्रवृत्ति में व्युत्क्रम था क्योंकि वृद्धि प्रवृत्ति दर न केवल 24.97 प्रतिशत दर तेजी से बढ़ी बल्कि योजना अवधि के दौरान स.घ.उ. की वृद्धि से आगे बढ़ गई थी।

2.3 अन्तः वर्ष में, सकल प्राप्तियों के विभिन्न संघटकों की वृद्धि में महत्वपूर्ण भिन्नताएं थीं। गैर-ऋण प्राप्तियों के लिए वृद्धि प्रवृत्ति (1992-2007) न केवल निम्नतम थी बल्कि इसमें अवधि के दौरान वृहत रूप से उतार - चढ़ाव हुआ। गैर-ऋण पूंजीगत



प्राप्तियों में वृद्धि जो कि बहुत उच्च आधार पर थी 2004-05 तथा 2005-06 में ऋणात्मक थी। सही अर्थों में, 2003-04 तथा 2004-05 में गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ, ऋण विनियम योजना के कारण, अपनी दीर्घावधि प्रवृत्ति की तुलना में पर्याप्त रूप से उच्चतर स्तर पर अनुरक्षित की। Xवीं योजना (2002-07) के अंतिम चार वर्षों के दौरान ऋण प्राप्तियों में तीव्र बढ़ोत्तरी के कारण Xवीं योजना के दौरान वृद्धि प्रवृत्ति दर IXवीं योजना (1997-2002) में 2.22 प्रतिशत के निम्न स्तर से 42 प्रतिशत पर तीव्रता से बढ़ी। IXवीं योजना अवधि के दौरान देखी गई वृद्धि दरों के संदर्भ में राजस्व प्राप्तियों में विशेष रूप से उत्प्लावकता थी, औसत त्वरण 7.0 प्रतिशतता अंक के निकट था।

तालिका 2.2: प्राप्तियों के घटक : प्रवृत्तियाँ

(करोड रुपयों में)

अवधि	राजस्व प्राप्तियां#	पूँजीगत प्राप्तियां			कुल प्राप्तियां	सकल घरेलू उत्पाद
		गैर-ऋण प्राप्तियां	ऋण प्राप्तियां	लोक लेखे में संभूतियां		
1992-2007	305825	24264	502914	235516	1068519	2054577
VIII वीं योजना (1992-97)	157991	9373	164326	102117	433807	1035315
IX वीं योजना (1997-02)	282019	17430	427187	210498	937134	1919800
X वीं योजना (2002-07)	477466	45989	917229	393933	1834617	3208615
2002-03	355948	41896	435371	307235	1140450	2458084
2003-04	404866	86780	538492	369133	1399271	2765491
2004-05	455466	68664	705289	427507	1656926	3126596
2005-06	525325	13382	1262363	410769	2211839*	3567177
2006-07	645723	19225	1644628	455019	2764595	4125725
वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत)						
1992-2007	11.84	12.31	17.72	14.34	15.18	12.21

VIII वीं योजना (1992-97)	15.41	0.01	15.98	14.43	14.87	16.54
IX वीं योजना (1997-02)	8.58	18.24	2.22	13.76	7.02	10.49
X वीं योजना (2002-07)	15.62	-29.02	42.05	9.33	24.97	13.77
2002-03	11.89	71.85	-0.30	18.88	9.91	7.76
2003-04	13.74	107.13	23.69	20.15	22.69	12.51
2004-05	12.50	-20.88	30.97	15.81	18.41	13.06
2005-06	15.34	-80.51	78.99	-3.92	33.49	14.09
2006-07	22.92	43.66	30.28	10.77	24.99	15.66

2006-07 के लिए राज्यों को सौंपे गए करों तथा शुल्कों (1,20,330 करोड़ रु.) के आंकड़े सम्मिलित हैं। *

2005-06 के दौरान कुल प्राप्तियों भारत की आकस्मिकता निधि को क्षतिपूर्ति के रूप में 450 करोड़ रु. की प्राप्तियां के अतिरिक्त हैं।

2.4 नीचे तालिका 2.3 संसाधनों के विभिन्न संघटकों के सापेक्षिक अंश को दर्शाती है। काफी लम्बे समय से (1992-2007) ऋण प्राप्तियों के अतिरिक्त, अन्य तीन संघटकों के सापेक्षिक अंशों में ऋणात्मक विचलन रहा था।

तालिका 2.3: कुल प्राप्तियों के विभिन्न संघटकों के सापेक्षिक अंश

(प्रतिशत)

राजस्व प्राप्तियां	पूंजीगत प्राप्तियां			कुल प्राप्तियां	
	सकल गैर-ऋण प्राप्तियां	सकल ऋण प्राप्तियां	सकल लोक लेखे में संभूतियां		
1992-2007	28.62	2.27	47.07	22.04	100.00
VIII वीं योजना (1992-97)	36.42	2.16	37.88	23.54	100.00
IX वीं योजना (1997-02)	30.09	1.86	45.58	22.46	100.00
X वीं योजना (2002-07)	26.03	2.51	49.99	21.47	100.00
2002-03	31.21	3.67	38.18	26.94	100.00
2003-04	28.93	6.20	38.48	26.38	100.00
2004-05	27.49	4.14	42.57	25.80	100.00
2005-06	23.75	0.61	57.07	18.57	100.00
2006-07	23.36	0.70	59.49	16.46	100.00
अंशों में औसत वार्षिक विचलन की दर					
1992-2007	-2.90	-2.49	2.20	-0.73	

जहां VIII वीं योजना के दौरान राजस्व प्राप्तियां का सापेक्षिक अंश शिखर पर था, वहीं ऋण प्राप्तियों का अंश चालू वर्ष के दौरान शिखर पर था। 2002-03 तथा 2003-04 वर्षों के दौरान क्रमशः गैर-ऋण प्राप्तियां तथा लोक लेखे से संभूतियां पराकाष्ठा पर पहुँच गई थीं तथा बाद के वर्षों में गिरावट प्रदर्शित हुई। राजस्व प्राप्तियों का सापेक्षिक अंश VIII वीं योजना (1992-97) के दौरान 36.42 प्रतिशत की पराकाष्ठा तक पहुँचने के पश्चात IX वीं योजना (1997-2002) के दौरान पिछले वर्षों में 30 प्रतिशत से कुछ ज्यादा के साथ दक्षिण की ओर बह गया तथा X वीं योजना (2002-07) के दौरान इसका औसत 26.03 प्रतिशत हो गया। ऋण प्राप्तियों के मामले के अलावा राजस्व

प्राप्तियों के अंश के सापेक्ष ऋणात्मक विचलन तथा गैर-ऋण प्राप्तियां सार्थक थी जबकि 1992-2007 की अवधि के दौरान लोक लेखे में संभूतियों में ऋणात्मक विचलन सीमान्तक देखा गया। संघ सरकार के सकल संसाधनों के चार घटकों के सापेक्षिक अंशों में इन विचलनों के बावजूद लोक लेखे में संभूतियों को सम्मिलित करते हुए ऋण प्राप्तियों तथा गैर-ऋण प्राप्तियों (राजस्व प्राप्तियां और अन्य गैर-ऋण प्राप्तियां) के बीच अनुपात 2004-05 तक लगभग दो तिहाई और एक तिहाई पर स्थिर रहा लेकिन यह 2005-06 एवं 2006-07 के दौरान ऋण प्राप्तियों के पक्ष में झुक गया तथा यह अनुपात चालू वर्ष के दौरान तीन चौथाई तथा एक चौथाई हो गया।

स.घ.उ. के सापेक्ष में संसाधनों तक पहुंच


2.5 जैसे आय बढ़ती है संसाधनों की पहुंच में वृद्धि स्वाभाविक है, क्योंकि आधार अपने आप में विस्तृत हो जाता है। तथापि स.घ.उ. के सापेक्ष में वृद्धि अधिक महत्वपूर्ण है। स.घ.उ. की तुलना समग्र संसाधनों का अनुपात VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 41.90 प्रतिशत था; IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान यह औसत बढ़ कर 48.81 प्रतिशत तथा Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 57.18 प्रतिशत हो गया जिसका परिणाम 52.01 प्रतिशत (1992-2007) की दीर्घावधि औसत प्रवृत्ति में हुआ। हाल के वर्षों में इस अनुपात में लगातार सुधार हुआ तथा 2006-07 में 67.01 प्रतिशत के शीर्ष स्तर पर पहुंच गया। पिछले वर्षों में इस सुधार के कारण राजस्व प्राप्तियों के अलावा अन्य तीन घटकों के साथ साथ स.घ.उ. अनुपात की तुलना में समग्र प्राप्तियों में धनात्मक विचलन दर थी (तालिका 2.4)। यहां तक कि राजस्व प्राप्तियों में ऋणात्मक विचलन सीमान्तक रूप से -0.33 पर था तथा यह कहीं भी जा सकता था क्योंकि स.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियां पिछले वर्ष की तुलना में लगभग एक प्रतिशतता बिन्दु की वृद्धि हुई है। ये प्रवृत्तियां संशोधनों की पहुंच महत्वपूर्ण सुधार दर्शाती हैं क्योंकि 1992-2007 की अवधि के दौरान आधार अर्थात् स.घ.उ. बढ़ गया था। यदि 1992-93 में कुल प्राप्तियां तथा स.घ.उ. 100 पर स्थिर थे तो 2006-07 में कुल प्राप्तियां स.घ.उ. हेतु 551 के मूल्य के प्रति केवल 903 होगी। चार्ट 2.2 1992-2007 अवधि के दौरान स.घ.उ., कुल प्राप्तियां तथा स.घ.उ. में कुल प्राप्तियों के अंश के बीच अन्तः सम्बन्ध के ग्राफीय प्रस्तुतीकरण को दर्शाता है।

तालिका 2.4: स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में प्राप्तियां

(प्रतिशत)

अवधि	राजस्व प्राप्तियां	पूंजीगत प्राप्तियां			कुल प्राप्तियां
		गैर-ऋण प्राप्तियां	ऋण प्राप्तियां	लोक लेखे में संभूतियां	
1992-2007	14.89	1.18	24.48	11.46	52.01
VIII वीं योजना (1992-97)	15.26	0.91	15.87	9.86	41.90
IX वीं योजना (1997-02)	14.69	0.91	22.25	10.96	48.81
X वीं योजना (2002-07)	14.88	1.43	28.59	12.28	57.18

अवधि	राजस्व प्राप्तियां	पूँजीगत प्राप्तियां			कुल प्राप्तियां
		गैर-ऋण प्राप्तियां	ऋण प्राप्तियां	लोक लेखे में संभूतियां	
2002-03	14.48	1.70	17.71	12.50	46.40
2003-04	14.64	3.14	19.47	13.35	50.60
2004-05	14.57	2.20	22.56	13.67	52.99
2005-06	14.73	0.38	35.39	11.52	62.02
2006-07	15.65	0.47	39.86	11.03	67.01
अंशों में विचलन की औसत वार्षिक दर					
1992-2007	-0.33	0.09	4.91	1.89	2.65



2.6 वित्त लेखाओं में प्राप्तियां एवं संवितरण, विशेषतः जो लोक ऋण एवं लोक लेखे से सम्बन्धित हैं, सकल आधार पर प्रकट होते हैं तथा इसलिए, राष्ट्रीय संसाधनों पर सरकार के काफी बड़ी रूपरेखा को दर्शाते हैं। अर्थोपाय अग्रिमों (अ.अ.) तथा 14 दिवसीय खजाना बिलों के माध्यम से समायोजन, स्वभाव से ही अत्यावधि उपाय हैं तथा अस्थायी बेमेल के लिए एक आवरण प्रदान करते हैं। ये स्वपरिसमापक हैं तथा उनको ऋण प्राप्तियों में सम्मिलित किये जाने से ये आंकड़े अनावश्यक रूप से बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार लोक लेखे में संभूतियां, जो कि सरकार द्वारा बैंकिंग संचालन के सदृश है, सकल आधार पर वास्तविक पहुंच प्रदान किये बिना सकल आंकड़ों को आत्मसात कर सकती है। जहां कुछ सीमा तक यह अन्य ऋण प्राप्तियों के लिए भी सही हो सकता है क्योंकि इन प्राप्तियों का बड़ा अंश ऋण परिसमापन के लिए है, वहीं ये एक संरचित उधार योजना की आवश्यकता को दर्शाता है। इसे ध्यान में रखते हुए, इसकी प्रभावी रूपरेखा प्राप्त करने के लिए सरकार के संशाधनों पर उसके अ.अ. तथा 14 दिवसीय खजाना बिलों के प्रचालनों के प्रभार को निवल करना आवश्यक है। तालिका 2.5 कुल प्राप्तियों पर इस निवलता तथा पिछले आठ वर्षों के लिए स.घ.उ. की तुलना में कुल प्राप्तियों के अनुपात के प्रभाव को दर्शाती है। ऐसे निष्प्रभावीकरण के फलस्वरूप संघ

सरकार की निवल रूपरेखा में 2006-2007 में कुल प्राप्तियों के 67.01 प्रतिशत से 27.20 प्रतिशत तक 39.81 प्रतिशतता अंकों तक गिरावट आ जाती है।

तालिका 2.5 : संशोधित प्राप्तियां तथा स.घ.उ. में इसका अंश

वर्ष	राजस्व प्राप्तियां*	गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियां	ऋण प्राप्तियां**	अ.आ. की निवल प्राप्तियां	खजाना बिलों से निवल प्राप्तियां	निवल लोक लेखा संभूतियां	कुल प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां/ स.घ.उ. (प्रतिशत)
1998-99	254369	19063	131819	1042	-880	40942	446355	25.64
1999-00	298076	14274	132556	-2060	-4440	23345	461751	23.65
2000-01	307724	18924	152146	4413	1340	25123	509670	24.24
2001-02	318121	24379	187523	-219	-1553	42364	570615	25.02
2002-03	355948	41896	206830	-5176	3134	37011	639643	26.02
2003-04	404866	86780	297096	0	1626	-22650	767718	27.76
2004-05	455466	68664	326960	0	7354	27119	885563	28.32
2005-06	525325	13382	369247	0	24733	3514	936201	26.24
2006-07	645723	19225	408517	0	136	48639	1122240	27.20

* राज्यों को सौंपे गए करों तथा शुल्कों के आंकड़े सम्मिलित हैं।

** अर्थोपाय अग्रिमों तथा खजाना बिलों की प्राप्तियों का निवल

राजस्व प्राप्तियां: मुख्य समुच्चयों की गति

2.7 राजस्व प्राप्तियां, इसके कर तथा गैर-कर प्राप्तियों के विस्तृत घटकों के साथ, राजस्व का बहुत महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि इन प्राप्तियों तक पहुंचने में कोई भविष्य भुगतान के दायित्व नहीं है। संघ सरकार की समग्र राजस्व प्राप्ति में (राज्यों के सकल कर संग्रहण से उनके अंश का निवल) 1992-2007 के दौरान 11.75 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से वृद्धि हुई। तथापि, औसत वार्षिक वृद्धि दर में VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 15.61 प्रतिशत की औसत से IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 8.12 प्रतिशत दर तक एक तीव्र गिरावट आई। Xवीं योजना (2002-2007) के दौरान प्रवृत्ति में उत्कमण था जब योजना अवधि के दौरान गैर-कर प्राप्ति में सुस्त वृद्धि के बावजूद वृद्धि की औसत वार्षिक दर में तीव्रता से 14.59 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 1992-2007 की अवधि के दौरान निवल कर राजस्व में गैर-कर प्राप्तियों के अंश की विचलन दर भी ऋणात्मक थी जबकि अवधि के दौरान स.घ.उ. के सापेक्ष संघ का निवल राजस्व धनात्मक था जैसाकि निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 2.6: राजस्व प्राप्तियों की संरचना एवं प्रवृत्तियां

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	सकल कर राजस्व	करों में राज्यों का भाग	निवल कर राजस्व	गैर-कर राजस्व	संघ के निवल राजस्व	गैर-कर राजस्व का अंश (प्रतिशत)	स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में निवल राजस्व
1992-2007	195222	51351	143871	110603	254475	43.46	12.39
VIII वीं योजना (1992-97)	96533	26391	70142	61459	131601	46.70	12.71
IX वीं योजना (1997-02)	166087	44622	121465	115933	237397	48.84	12.37
X वीं योजना (2002-07)	323047	83040	240007	154419	394426	39.15	12.29
2002-03	216266	56122	160144	139682	299826	46.59	12.20
2003-04	254348	65766	188582	150518	339100	44.39	12.26
2004-05	304958	78595	226363	150508	376871	39.94	12.05
2005-06	366151	94385	271766	159174	430940	36.94	12.08
2006-07	473512	120330	353182	172211	525393	32.78	12.73
वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत)							
1992-2007	12.95	12.31	13.18	9.75	11.75	-1.78	0.86
VIII वीं योजना (1992-97)	15.89	14.41	16.47	14.66	15.61		
IX वीं योजना (1997-02)	9.00	11.05	8.25	8.00	8.12		
X वीं योजना (2002-07)	21.31	20.76	21.50	4.86	14.59		
2002-03	15.61	6.21	19.32	6.58	13.02		
2003-04	17.61	17.18	17.76	7.76	13.10		
2004-05	19.90	19.51	20.03	-0.01	11.14		
2005-06	20.07	20.09	20.06	5.76	14.35		
2006-07	29.32	27.49	29.96	8.19	21.92		

टिप्पणी: इसमें रेलवे, डाक एवं विभागीय उपक्रमों की प्राप्तियाँ शामिल हैं।

2.8 गैर-कर राजस्व, आठवीं तथा नवीं पंचवर्षीय योजनाओं को सम्मिलित करते हुए 1992-2002 के दशक के दौरान संघ सरकार के निवल राजस्व के औसत का 48 प्रतिशत बनता है। दसवीं योजना अवधि के दौरान, कुल गैर-कर राजस्व में मंद वृद्धि तथा इन वर्षों के दौरान कर राजस्व में भारी वृद्धि के कारण संघ की निवल राजस्व प्राप्तियों में सापेक्षिक उच्चतर वृद्धि के सामूहिक प्रभाव के कारण इसमें निरन्तर कमी हुई थी। संघ के निवल राजस्व प्राप्तियों में गैर-कर राजस्व के अंश में निरन्तर गिरावट का परिणाम 1992-2007 के दौरान -1.78 की ऋणात्मक विचलन दर में हुआ।

2.9 दसवीं योजना ने अपने सबसे पहले वर्ष में सकल कर वसूली की वृद्धि की दर में त्वरण देखा तथा संघ द्वारा रखे गए वसूली के उस भाग में इस संवेदन को भी बनाए रखा। 2006-07 में सकल कर वसूली की वृद्धि 29.32 की उच्चतम सीमा तक पहुँची तथा 2005-06 में 20.07 प्रतिशत अंकों से 9.25 प्रतिशत अंकों तक तीव्र रूप से बढ़ी। बारहवें वित्त आयोग (बा.वि.आ.) पंचाट के अन्तर्गत प्रतिशतता अंश में बढ़ोतरी के साथ-साथ बा.वि.आ. प्रक्षेपण के विपरीत सकल कर राजस्व की परिशुद्ध राशि में बढ़ोतरी के

विचलन की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत में)

कारण केन्द्रीय करों तथा शुल्कों में राज्यों के अंश 2005-06 में 94,385 करोड़ रु. से 27.49 प्रतिशत बढ़ कर 2006-07 में 1,20,330 करोड़ रु. हो गया।

मुख्य कर: सापेक्षिक निष्पादन

2.10 1992-2007 के दौरान निगम कर में 20.41 प्रतिशत की उच्चतम प्रवृत्ति वृद्धि के साथ विभिन्न करों के सापेक्षिक निष्पादन में पिछले वर्षों में सार्थक परिवर्तन हुआ (तालिका 2.7)।

तालिका 2.7: कर राजस्व के संघटक (सकल)

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	कुल सकल कर राजस्व#	निगम कर	आयकर	सीमाशुल्क	उत्पाद शुल्क	सेवा कर	अन्य
1992-2007	195222	43559	29883	44730	66021	6719	4312
VIII वीं योजना (1992-97)	96533	13567	12575	30273	37014	465	2638
IX वीं योजना (1997-02)	166087	29508	25353	43418	60838	2317	4652
X वीं योजना (2002-07)	323047	87602	51720	60497	100210	17373	5645
2002-03	216266	46172	36866	44852	82310	4122	1944
2003-04	254348	63562	41387	48629	90774	7891	2105
2004-05	304958	82680	49268	57611	99125	14200	2074
2005-06	366151	101277	55985	65067	111226	23055	9541
2006-07	473512	144318	75093	86327	117613	37598	12563
वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत)							
1992-2007	12.95	20.41	15.94	7.73	10.49	*	4.46
VIII वीं योजना (1992-97)	15.89	21.71	24.72	18.00	10.45	*	-2.50
IX वीं योजना (1997-02)	9.00	17.15	18.58	1.61	11.41	19.19	-30.18
X वीं योजना (2002-07)	21.31	31.59	18.83	17.36	9.60	73.21	68.93
2002-03	15.61	26.12	15.19	11.38	13.44	24.83	-16.28
2003-04	17.61	37.66	12.26	8.42	10.28	91.44	8.28
2004-05	19.90	30.08	19.04	18.47	9.20	79.95	-1.47
2005-06	20.07	22.49	13.63	12.94	12.21	62.36	360.03
2006-07	29.32	42.50	34.13	32.67	5.74	63.08	31.67

* सेवा कर 1994-95 में लागू किया गया था। # राज्यों/सं.शा.क्ष. को सौंपे गए करों/कर्तव्यों के आंकड़े शामिल हैं।

2.11 आर्थिक सुधारों के बाद के वर्षों में करों के ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। अधिक व्यापक क्षेत्र, विस्तृत आधार तथा संतुलित दरें, नई कर शासन प्रणाली की आधारशिला बन गये। पदार्थ आधारित कराधान से कम विकारपूर्ण आये आधारित कराधान की ओर भी परिवर्तन था। इस परिवर्तन से कर अनुपालना, कर उत्प्लावकता तथा अन्ततः कर-संघ.उ. अनुपात में सुधार होना अपेक्षित था। VIII वीं योजना (1992-1997) के दौरान कर प्राप्तियों की वृद्धि दर 15.89 प्रतिशत की औसत से बढ़ी थी जो 1992-2007 के दौरान की प्रवृत्ति वृद्धि से तीन प्रतिशतांता अंकों से ऊपर थी। आयकर, निगम कर तथा सीमा शुल्क में बढ़ी हुई वृद्धि का इस बढ़ोतरी में योगदान था। तथापि

IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान इन तीनों करों/शुल्कों की औसत वार्षिक वृद्धि की दर में, गिरावट आई थी। जबकि सीमा शुल्कों तथा उत्पाद शुल्कों में वृद्धि की दर में, शुल्कों को घटाये जाने को ध्यान में रखते हुये, गिरावट अपेक्षित थीं, इसकी दूसरे करों में वृद्धि की दर में बढ़ोतरी से सम्पूर्ण प्रतिपूर्ति नहीं हो पाई थी। यहां तक कि 1994-95 में सेवा कर के लागू किये जाने, जिससे अतिरिक्त कर प्राप्त हुआ था, से भी इस अवधि के दौरान वृद्धि दर को कायम नहीं रखा जा सका था। यदि 1992-93 में मुख्य करों से सकल वसूली 100 पर स्थिर होती है तो 2006-07 में वसूली सूची निगम करों के लिए 1622, आय कर के लिए 951, उत्पाद शुल्क से 381 तथा सीमा शुल्क के लिए केवल 363 होगी। निगम तथा आयकर की वसूली में त्वरण विशेष तौर पर अवधि के दौरान कर संरचना के वैज्ञानिक पुनर्गठन तथा अन्य कर सुधारों का परिणाम था।

2.12 2006-07 में कर प्राप्तियों ने उत्पाद शुल्क के अलावा सभी करों से संभावित उत्प्लावकता से उच्च उत्प्लावकता को दर्शाया है। जबकि आयकर तथा सीमा शुल्क से कुल वसूली कुल वसूलियों के लिए 29.32 प्रतिशत की वृद्धि के विरुद्ध क्रमशः 34.13 प्रतिशत तथा 32.67 प्रतिशत बढ़ी, चालू वर्ष के दौरान निगम तथा सेवा कर से वसूलियों में अर्थपूर्ण रूप से क्रमशः 42.5 प्रतिशत तथा 63.08 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सेवा कर में वृद्धि, दरों में परिवर्तन तथा सेवाओं के आच्छादन में वृद्धि दोनों के कारण थी। 2005-06 में प्रत्यक्ष कर संरचना में जिसमें कर स्तरों तथा दरों को कम करने के अधोगामी समायोजन के रूप में व्यापक बुद्धिसंगत व्याख्या प्रारम्भ की गई थी तथा ये समायोजन मानदण्ड बढ़ाने के उपयुक्त आधार द्वारा अनुपूरक थे जिसमें नये कर आरम्भ करना, मूल्यहास दरों में कमी तथा कुछ कर छूटों को समाप्त करना सम्मिलित था। अप्रत्यक्ष कर सुधार सीमा शुल्कों हेतु एसियन स्तरों तथा केन्द्रीय उत्पाद हेतु सेनेट दरों के और बढ़ने पर केन्द्रित थे। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान कर प्रशासन सहित कर संरचना की बुद्धिसंगत व्याख्या की प्रभाविकता सुदृढ़ीकरण करने के लिए कई पहल की गई थी। इन उपायों के परिणामस्वरूप पिछले वर्षों की तुलना में 2006-07 के दौरान आयकर, सीमा शुल्कों तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों के अन्तर्गत वसूली में सुस्पष्ट वृद्धि दर्ज की गई थी लेकिन केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों की वृद्धि दरों में गिरावट अंशतः उनकी कर संरचना में बुद्धिसंगत व्याख्या के कारण तथा अंशतः पिछले वर्ष में उनके अपेक्षाकृत उच्चतर आधारों के कारण थी। अन्य ‘शीर्ष’ के अन्तर्गत अर्थपूर्ण वृद्धि मुख्यतः सीमान्त लाभ कर, प्रतिभूतियां सम्पादन कर तथा बैंकिंग नकद सम्पादन कर, जो कि बजट अनुमानों में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा है, के अधीन वसूली में प्रदर्शित उत्प्लावक वृद्धि के कारण है तथा ‘अन्य कर’ शीर्ष के अन्तर्गत प्रतिविम्बित की गई है।

2.13 विभिन्न करों के अन्तर्गत वसूली के रूप में अन्तरीय निष्पादन के अलावा संघ के सकल कर राजस्व में उनके प्रारंभिक अंश में भी अर्थपूर्ण बदलाव विशेषरूप से Xवीं योजना अवधि (2002-07) के दौरान हुए थे (तालिका 2.8)। चूंकि अर्थव्यवस्था में सुधार 90 के प्रारम्भ में शुरू हुए थे, कुल सकल कर राजस्व में निगम कर का अंश 14.05

प्रतिशत था, जबकि VIII वीं योजना (1992-1997) के दौरान उत्पाद शुल्क का अंश 38.34 प्रतिशत था। तथापि, वर्षों से, उच्चतर निगम कर वसूली के रूप में लाभ धीरे-धीरे पहुंचा जबकि, निगम कर के अंतर्गत वसूलियां 2002-03 में 46,172 करोड़ रु. से बढ़कर 2006-07 में 144,318 करोड़ रु. हुई थी वहीं उत्पाद शुल्क 2002-03 में 82,310 करोड़ रु. से बढ़कर 2006-07 में 117,613 करोड़ रु. हुई। 2002-03 से सकल कर राजस्व में उत्पाद कर का अंश में प्रत्येक वर्ष 2.6 प्रतिशतता अंकों की औसत से गिरावट आई है जबकि दूसरी तरफ निगम कर के अंश में लगभग 1.8 प्रतिशतता अंक प्रति वर्ष की बढ़ोतरी हुई थी। दसवीं योजना के दौरान सकल कर राजस्व में उत्पाद तथा सीमा शुल्कों से बने अप्रत्यक्ष कर के अंश में 3.1 प्रतिशतता अंक की वार्षिक औसत दर से गिरावट आई है। तथापि, योजना अवधि के दौरान वैयक्तिक आयकर के अंश ने क्रमिक गिरावट दर्शाई है लेकिन 0.24 प्रतिशतता अंकों की अपेक्षाकृत धीमी दर से। 1994-95 में अपनी शुरुआत से सेवा कर का अंश लगातार बढ़ रहा है तथा दसवीं योजना अवधि के दौरान यह प्रति वर्ष 1.2 प्रतिशतता अंक की औसत से बढ़ गया है।

तालिका 2.8: कर राजस्व घटकों का सापेक्षिक अंश (सकल)

(प्रतिशत)

अवधि	कुल सकल कर राजस्व	निगम कर	आयकर	सीमा शुल्क	उत्पाद शुल्क	सेवा कर	अन्य
1992-2007	100.00	22.31	15.31	22.91	33.82	3.44	2.21
VIII वीं योजना (1992-1997)	100.00	14.05	13.03	31.36	38.34	0.48	2.73
IX वीं योजना (1997-2002)	100.00	17.77	15.26	26.14	36.63	1.40	2.80
X वीं योजना (2002-07)	100.00	27.12	16.01	18.73	31.02	5.38	1.75
2002-03	100.00	21.35	17.05	20.74	38.06	1.91	0.90
2003-04	100.00	24.99	16.27	19.12	35.69	3.10	0.83
2004-05	100.00	27.11	16.16	18.89	32.50	4.66	0.68
2005-06	100.00	27.66	15.29	17.77	30.38	6.30	2.61
2006-07	100.00	30.48	15.86	18.23	24.84	7.94	2.65

कर उत्पादकता

2.14 कर वसूली पर कर व्यवस्था की प्रभावकारिता को सम्मिलित करके सामान्यतः तीन मुख्य घटक अर्थात् कर आधार, कर दर तथा कर अनुपालन प्रभाव डालते हैं। यद्यपि विभिन्न प्रत्यक्ष करों के लिए कानूनी आधार भिन्न होते हैं तथा छूट एवं दूसरी रियायतों के कारण प्रभावकारी ढंग से निर्धारित करने में अत्यन्त जटिल होते हैं, इसलिए स.घ.उ. को कर आधार का उत्तम द्योतक माना जाता है। हाँलाकि कर अनुपालन का कोई परिभाषित मापदण्ड नहीं है, तथापि यह कर प्रशासन की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है एवं तीन प्रासंगिक प्रतिपक्ष कारक हैं - निर्धारण की गति, बकायों की वसूली तथा कर निर्धारण हेतु संभावित करदाताओं का नामांकन। कर अनुपालन, स्वैच्छिक तथा बाधित

दोनों होते हैं। तथापि स्वैच्छिक अनुपालन प्रभावी एवं निवारक जुर्मानों के अतिरिक्त प्रवर्तन मशीनरी की प्रभावकारिता पर भी निर्भर है। मध्यावधि में आय एवं निगम करों के लिए कर दरें साधारणतः स्थिर रही हैं।

2.15 कर राजस्व अर्थव्यवस्था के समग्र स्वारस्थ्य का प्रतिबिम्बित समझी जाता है। कर उत्प्लावकता न केवल कर नीति तथा प्रशासन पर बल्कि अर्थव्यवस्था के सामान्य प्रदर्शन पर भी निर्भर करता है। स.घ.उ. को अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का अच्छा सूचना माने तो, उत्प्लावकता गुणांक, स.घ.उ. या कर आधार में एक प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद कर राजस्व में प्रतिशतता बढ़ोतरी को दर्शाता है। आधार के अतिरिक्त, उच्चतर उत्प्लावकता, कर की दरों तथा इसकी व्याप्ति में परिवर्तन के कारण भी हो सकता है। जबकि एक से अधिक की उत्प्लावकता अपेक्षित है, एक से कम की उत्प्लावकता दर्शाती है कि संबंधित कर वसूली ने आधार के परिवर्तन के साथ गति नहीं पकड़ी है। तालिका 2.9 1992-2007 के दौरान तथा दसवीं पंच वर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष हेतु पृथक रूप से तथा साथ-साथ VIIIवीं, IXवीं एवं Xवीं योजना अवधियों के दौरान मुख्य करों की उत्प्लावकता को भी दर्शाती है।

तालिका 2.9: मुख्य करों की उत्प्लावकता

अवधि	सकल कर राजस्व	निगम कर	आयकर	सीमाशुल्क	उत्पाद शुल्क	सेवा कर
1992-2007	1.060	1.672	1.306	0.633	0.859	--
VIII वीं योजना (1992-97)	0.961	1.313	1.495	1.088	0.632	--
IX वीं योजना (1997-02)	0.859	1.635	1.772	0.154	1.088	1.829
X वीं योजना (2002-07)	1.547	2.294	1.367	1.261	0.697	5.317
2002-03	2.012	3.366	1.958	1.467	1.732	3.200
2003-04	1.408	3.012	0.981	0.673	0.822	7.309
2004-05	1.524	2.303	1.458	1.415	0.705	6.122
2005-06	1.424	1.596	0.968	0.918	0.866	4.426
2006-07	1.873	2.714	2.180	2.087	0.367	4.028

2.16 उत्प्लावकता गुणांक में प्रवृत्तियों से प्रकट हुआ कि में करों में तथा योजनाओं के दौरान उनमें उतार-चढ़ाव आया है। आठवीं तथा नवीं योजनाओं के दौरान सकल कर वसूलियों की उत्प्लावकता, एक से कम रही थी तथापि Xवीं योजना के प्रत्येक वर्ष में यह एक से अधिक थी जिसका परिणाम योजना अवधि के दौरान 1.547 की औसत उत्प्लावकता में हुआ। पिछले वर्षों के दौरान कर राजस्व में उचित उत्प्लावक वृद्धि को प्रदर्शित किया यद्यपि 1992-2007 की अवधि में दीर्घावधि प्रवृत्ति ने भी इकाई में सीमान्तक वृद्धि की। 2002-03 से 2006-07 के दौरान समग्र कर उत्प्लावकता में अर्थपूर्ण प्रगति मुख्यतः सवेग वृद्धि के पुनः प्रवर्तन विशेषतया अर्थव्यवस्था के औद्योगिक क्षेत्र में जिसमें सरकार के कर संग्रहण विवेचनात्मक रूप से निर्भर है, की वजह से हुई थी। उच्च कर उत्प्लावकता के पीछे अन्य महत्वपूर्ण कारण, कर क्षेत्र में नई सेवाओं के समावेश द्वारा इसके आधार को विस्तृत करने के साथ-साथ सेवा कर की दर में वृद्धि

रहा है। सकल कर वसूली में उत्प्लावकता में गिरावट होगी यदि हम इसमें से सेवा कर को निकाल देते हैं। तथापि कुल कर वसूली अर्थात् 2006-07 में 8 प्रतिशत में सेवा कर का बहुत कम अंशदान इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि कर आधार को विस्तृत करने के हाल के प्रयासों के बावजूद, राजस्व आवश्यकता हेतु सरकार की औद्योगिक क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता अभी भी जारी है। 2006-07 में 20.76 प्रतिशत तक वृद्धि के लिए बजटीकृत सकल कर राजस्व निगम तथा आयकरों के प्रदर्शन पर बहुत अधिक निर्भर है तथा वर्ष के लिए निगम और आयकरों हेतु परिकल्पित बजट अनुमान क्रमशः 31.33 प्रतिशत और 38.27 प्रतिशत थे। राजस्व प्राप्तियों (केन्द्र को निवल), निगम एवं आयकर से प्राप्तियों में वृद्धि की समग्र वसूली पिछले वर्ष की अपेक्षा क्रमशः 29.32, 42.50 तथा 34.13 प्रतिशत पाई गई थी।

2.17 जबकि महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष करों अर्थात् निगम कर तथा आयकर की समग्र उत्प्लावकता एक से बढ़ गया था, दो महत्वपूर्ण उत्पाद करों अर्थात् सीमा एवं उत्पाद शुल्कों में 1992-2007 अवधि के दौरान यह एक से महत्वपूर्ण रूप से कम था। उत्पाद तथा सीमा शुल्कों ने VIIIवीं तथा IXवीं योजना अवधि तथा आगामी वर्षों के दौरान भी अस्थिरता को दर्शाया है। चालू वर्ष में, उत्पादन शुल्क के अलावा जहाँ उत्प्लावकता, इसके प्रवृत्ति अनुपात से आधे से भी कम थी, अन्य तीन मुख्य करों में उनके उत्प्लावकताओं में मुख्यतः उनकी वसूली में वृद्धि की दरों में वृद्धि के कारण सार्थकता दर्ज की गई थी जबकि पिछले वर्ष से 2006-07 में स.घ.उ. 1.57 प्रतिशतता अंक बढ़ गया है। उसके अतिरिक्त, निगम कर, आयकर, सीमा शुल्क तथा सेवा कर का दो से अधिक होना उनकी वृद्धि दरों के स.घ.उ. की वृद्धि से सार्थक रूप से उच्च होने को इंगित करती है। स.घ.उ. में चढ़ाव, जिसे वास्तव में इन करों के अतिरिक्त राजस्व वसूली में सहायक होना चाहिए, के कारण तेल कीमतों तथा उत्प्लावक गैर-तेल आयातों की उच्च तथा बढ़े हुए स्तर के कारण सीमा शुल्क मोरचे पर अपेक्षाकृत उत्प्लावक निष्पादन पाया गया था। जिसने इन करों से अतिरिक्त राजस्व संघटित करने में सहायता करनी चाहिए थी। कर आधार विस्तारित करने की नीति के बजाए दरों में वृद्धि करने तथा सेनेटेट दर की ओर बढ़ना, पहचान की गई वस्तुओं पर सीमा शुल्क में कटौती तथा अन्यों को छूट प्रदान करना मुख्य रूप से सीमा शुल्क के अंतर्गत वसूलियों की मंद गति हेतु उत्तरदायी रहा है। उत्प्लावक स.घ.उ. वृद्धि के बावजूद संघ की कुल कर प्राप्तियों में सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क का गिरता हुआ अंश व्यापार उदारीकरण से सम्बद्ध शुल्क में कटौती के परिदृश्य में राजस्व उत्पन्न करने की युक्ति के रूप में घटी हुई भूमिका की ओर संकेत करता है।

कर-स.घ.उ. अनुपात

2.18 सरकार के संसाधन संग्रहण प्रयासों की पर्याप्तता एवं प्रभावकारिता तथा इसके कर सम्बाद्य की वसूली की सीमा का अन्य संकेतक कर-स.घ.उ. का अनुपात है। तालिका 2.10 तथा चार्ट 2.3, VIIIवीं, IXवीं तथा Xवीं योजना अवधि सहित 1992-


2007 की अवधि में इस अनुपात की प्रवृत्ति को प्रस्तुत करते हैं। 1992-2007 अवधि हेतु कर-स.घ.उ. अनुपात के विचलन की 0.65 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर्शाती है कि इस अवधि के दौरान सकल कर राजस्व में वृद्धि स.घ.उ. में वृद्धि दर के साथ गति बनाए रखे हुए है। VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान कर - स.घ.उ. अनुपात 9.32 प्रतिशत से IXवीं योजना (1997-2002) में 8.65 प्रतिशत पर नीचे गिरा लेकिन यह प्रवृत्ति Xवीं योजना (2002-07) के दौरान विपरीत हो गई क्योंकि यह अनुपात पिछले कुछ वर्षों विशेष रूप से 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान मुख्य रूप से उत्पादक कर वसूली के कारण 10 प्रतिशत तक बढ़ गया। 1992-2007 की अवधि के दौरान कर-स.घ.उ. अनुपात 2001-02 में इसके 8.20 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर पर था जब पिछले वर्ष की तुलना में सकल कर राजस्व वसूलियों में पूर्ण रूप से 1543 करोड़ रु. की गिरावट हुई। अनुपात ने बाद के वर्षों में सुधार इंगित किया तथा पहली बार आर्थिक सुधार व्यवस्था, जो 1992-93 से आरम्भ हुई थी, के दौरान चालू वर्ष 2005-06 में 10 प्रतिशत से आगे बढ़ गया। वृद्धि प्रवृत्ति जारी रही तथा यह चालू वर्ष के दौरान 11.48 प्रतिशत के स्तर पर पहुंची जो 2006-07 हेतु म.अ.रा.नी. विवरणी में परिकल्पित 11.2 के बजटीय स्तर से सीमान्तक रूप से उच्च थी।

तालिका 2.10: मुख्य करों का कर/स.घ.उ. अनुपात

(प्रतिशत)

अवधि	सकल कर राजस्व	निगम कर	आयकर	सीमा शुल्क	उत्पाद शुल्क	सेवा कर
1992-2007	9.50	2.12	1.45	2.18	3.21	0.33
VIII वीं योजना (1992-97)	9.32	1.31	1.21	2.92	3.58	0.04
IX वीं योजना (1997-02)	8.65	1.54	1.32	2.26	3.17	0.12
X वीं योजना (2002-07)	10.07	2.73	1.61	1.89	3.12	0.54
2002-03	8.80	1.88	1.50	1.82	3.35	0.17
2003-04	9.20	2.30	1.50	1.76	3.28	0.29
2004-05	9.75	2.64	1.58	1.84	3.17	0.45
2005-06	10.26	2.84	1.57	1.82	3.12	0.65
2006-07	11.48	3.50	1.82	2.09	2.85	0.91
अंशों में विचलन की औसत वार्षिक दर						
1992-2007	0.65	7.31	3.33	-4.00	-1.53	*

* वार्षिक विचलन दर परिकलित नहीं की गई थी क्योंकि सेवाकर 1994-95 में लागू किया गया था।



2.19 विभिन्न साधनों से कर क्षेत्र को व्यापक किए जाने के साथ बढ़ते हुए निगम लाभों एवं वेतनों में उत्पावकता को फलीभूत करने वाला वसूली एवं उच्च आर्थिक वृद्धि का चरण भी मुख्यतः कर माफी/छूटों के कारण स.घ.उ. के साथ कर के अनुपात में अधिक सुधार नहीं ला पाया। इसके अलावा, पिछले दो दशकों से अधिक के दौरान अर्थात् 1985-86 में सीमान्त कर दरें तेजी से नीचे आई, व्यक्तिगत आय पर कर की सीमान्त दर 62 से 50 प्रतिशत तक तथा निगम कर दर लगभग 60 से 50 प्रतिशत तक नीचे लाई गई थी। 1990 के दशक के आरम्भिक बजट में, विशेष रूप से 1992-93 तथा 1994-95 में, सीमान्त दरें 40 प्रतिशत तक और भी कम हो गई तथा वर्तमान में वे लगभग 33 प्रतिशत पर हैं। स.घ.उ. अनुपात की तुलना में कर 2001-02 में न्यूनतम थे जब वे 1992-93 में क्रमशः 9.97 तथा 7.23 प्रतिशत की तुलना में केन्द्र के सकल कर राजस्व के मामले में 8.20 प्रतिशत तथा निवल कर राजस्व के मामले में 5.88 प्रतिशत थे। यह गिरावट, निगम, आय तथा सेवा करों (स.घ.उ. से संबंधित) की वसूली में सुधार के बावजूद हुई थी, जो उत्पाद शुल्क के ‘युक्तिकरण’ तथा व्यापार उदारीकरण के परिणामस्वरूप सीमा तथा उत्पादन शुल्कों की वसूली में हुई हानि की भरपाई नहीं कर सके थे। स.घ.उ. की तुलना में सीमा एवं उत्पाद शुल्क वसूली के अनुपात में समग्र गिरावट ने इस अवधि के दौरान स.घ.उ. अनुपात की तुलना में कर में गिरावट में भूमिका निभाई। स.घ.उ. की तुलना में सीमा उत्पादन शुल्क वसूली का अनुपात VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 2.92 और 3.58 प्रतिशत की औसत से 2005-06 में क्रमशः 1.82 और 3.12 प्रतिशत तक गिरा। यद्यपि स.घ.उ. के प्रति सीमा शुल्क वसूली के अनुपात ने 2006-07 में सुधार की प्रवृत्ति को इंगित किया लेकिन इस केन्द्रीय उत्पाद शुल्क हेतु इस अनुपात में आगे चालू वर्ष के दौरान हास हुआ है। यद्यपि 1992-

2007 के दौरान स.घ.उ. के सापेक्ष उनके अंश में ऋणात्मक विचलन था लेकिन निगम कर, आयकर, सेवा कर तथा अन्य प्रत्यक्ष करों के अंतर्गत प्राप्तियों की उत्प्लावक वृद्धि सकल कर वसूली में समग्र घनात्मक विचलन बनाए रख सकती है। स.घ.उ. के सापेक्ष निगम तथा आय कर वसूली में सुधार देखा गया तथा इनमें सकारात्मक विचलन दर थी। यह वास्तव में सच है कि बाद में उत्प्लावक निगम लाभों, एक विस्तृत कर आधार और देयताओं तथा बकायों के उन्नत वसूली ने कर-स.घ.उ. अनुपात को बढ़ाने में सहायता की। किन्तु उच्च वृद्धि उन्नत लाभकारिता ओर बढ़ी हुई विषमता के चिह्नों (जिन्हें कर की वसूली को उन्नत करना चाहिए) के बावजूद बढ़ोतरी कर-स.घ.उ. अनुपात को उसके उदारीकरण के तत्काल पहले के स्तरों तक वापस पहुंचाने मात्र के लिए पर्याप्त रहे हैं। यह इस कारण है कि हांलाकि निगम, आय तथा सेवा कर राजस्वों (विशेष रूप से प्रथम) ने बढ़ोतरी में भूमिका निभाई फिर भी उनका प्रभाव स्तर को 1980 के दशक के अन्त में प्रचलित स्तर से ऊर बढ़ाने के लिए अपर्याप्त था।

गैर-कर राजस्व

2.20 सरकार के गैर-कर राजस्व के दो घटक; इसके संप्रभु क्रियाकलापों जैसे न्यायपालिका, पुलिस, मुद्रा एवं सिक्का ढलाई आदि से आय तथा वह जो या तो मध्यस्थता वापसी अथवा लाभांश अथवा उपभोगकर्ता प्रभारों जैसे रेलवे, डाक और विभागीय उपक्रमों के रूप में इसकी परिसम्पत्तियों/निवेशों से उत्पन्न हुआ हो, से संघटित समझा जा सकता है। जहां संप्रभु क्रियाकलापों, वित्तीय मध्यस्थता एवं निवेश से राजस्व वास्तविक उगाही के रूप में होते हैं, वहीं सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं से आय सकल आधार पर होती है तथा उन्हें सेवा प्रदान करने की प्रचालन लागत से निवलीकृत नहीं किया गया है। आगे, लाभांश आय में भारतीय रिजर्व बैंक से अंतरित अधिशेष भी शामिल होता है तथा यह निवेश सम्बद्ध होने से कहीं सलाभ सिक्का ढलाई (सलाभ सिक्के ढलाई मुद्रा भण्डार में गैर-मुद्रा स्फीति वृद्धि है) से अधिक सम्बन्धित है। राशि, जो सरकार की आय/राजस्व के रूप में वास्तव में हिसाब में ली जानी चाहिए, के सम्बन्ध में गैर-कर राजस्व की सीमाओं के होते हुए, 1992-2007 अवधि के दौरान इस साधन से संभूतियों का संघ के वर्तमान राजस्व का लगभग 43.46 प्रतिशत अंशदान था। 1992-2007 के दौरान कुल गैर-कर राजस्व सकल आधार पर 9.75 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ा था (तालिका 2.11)।

तालिका 2.11: गैर-कर राजस्व - प्रवृत्तियां

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	कुल गैर-कर राजस्व	ब्याज प्राप्तियां	लाभांश तथा लाभ	सामाजिक सेवाएं	आर्थिक सेवाएं	संप्रभु तथा अन्य कार्य
1992-2007	110603	29446	13514	621	57103	9918
VIII वीं योजना (1992-97)	61459	16791	4969	606	33100	5993
IX वीं योजना (1997-02)	115933	34526	11555	572	60257	9024
X वीं योजना (2002-07)	154419	37023	24018	687	77953	14738

अवधि	कुल गैर- कर राजस्व	ब्याज प्राप्तियां	लाभांश तथा लाभ	सामाजिक सेवाएं	आर्थिक सेवाएं	संप्रभु तथा अन्य कार्य
2002-03	139682	44705	21230	424	60663	12660
2003-04	150518	46645	21160	449	68156	14108
2004-05	150508	36412	22939	451	75588	15118
2005-06	159174	30799	25451	1643	84893	16388
2006-07	172211	26553	29310	467	100466	15415
वृद्धि की औसत वार्षिक दर						
1992-2007	9.75	7.70	18.48	-0.20	9.12	9.14
VIII वीं योजना (1992-97)	14.66	14.32	30.01	10.93	15.54	2.87
IX वीं योजना (1997-02)	8.00	13.00	21.19	-21.24	2.25	13.16
X वीं योजना (2002-07)	4.86	-13.56	8.65	16.07	13.07	5.59
2002-03	6.58	5.81	22.79	42.76	2.28	6.29
2003-04	7.76	4.34	-0.33	5.90	12.35	11.44
2004-05	-0.01	-21.94	8.41	0.45	10.90	7.16
2005-06	5.76	-15.42	10.95	264.30	12.31	8.40
2006-07	8.19	-13.79	15.16	-71.58	18.34	-5.94

2.21 लाभांशों एवं लाभों से गैर कर राजस्व (भारतीय रिजर्व बैंक से अंतरित अधिशेष को शामिल करके), 1992-2007 के दौरान 18.48 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ता हुआ तीव्रतम घटक था। तथापि, इस स्रोत से राजस्व वास्तविक रूप में 2003-04 में गिरावट आई थी लेकिन आगामी वर्षों में धीरे-धीरे बढ़ा। इस स्रोत से 2003-04 में गिरावट भारतीय रिजर्व बैंक से 2002-03 में 10320 करोड़ रु. से 2003-04 में 8834 करोड़ रु. और उसके बाद 2004-05 में 5400 करोड़ रु. का अधिशेष अंतरित करने के कारण थी। चालू वर्ष के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक से अंतरित अधिशेष में 8404 करोड़ रु. की तीव्र वृद्धि के साथ साथ सी.पी.एस.यू. से लाभांश में बढ़ोतरी तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में लाभों के अंश बहुत रूप से 2006-07 में लाभांश तथा लाभ के घटक के अंश में वृद्धि का कारण बने। दसवीं योजना (2002-07) के प्रथम दो वर्षों के दौरान ब्याज प्राप्तियों में कमी देखी गई थी लेकिन योजना के अंतिम तीन वर्षों के दौरान मुख्यतः ऋण विनियम योजना लागू करने के कारण मुख्य रूप से परिशुद्ध तौर पर में गिरावट आई जिसका परिणाम निम्न ब्याज दरों सहित बुकाया ऋणों के कम संग्रह में हुआ।

2.22 आठवीं योजना (1992-97) तथा नौवीं योजना (1997-2002) के दौरान सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, स्वच्छता एवं सफाई तथा सामाजिक सुरक्षा आदि से कुल प्राप्तियां Xवीं योजना (2002-07) के दौरान औसत प्रवृत्ति प्राप्तियों से अपेक्षाकृत अधिक थी। सामाजिक सेवाओं से प्राप्तियों में 2003-04 में सीमान्तक रूप से वृद्धि हुई तथा 2005-06 के अलावा Xवीं योजना के दौरान प्रभावोत्पादकता स्थिर बनी रही जब सामाजिक सेवाओं से प्राप्तियों में 2004-05 में 451 करोड़ रु. से 2005-06 में 1643 करोड़ रु. तक तीन गुणा से अधिक वृद्धि हुई जो निश्चित ही पिछले वर्षों के दौरान 'सूचना तथा प्रचार' शीर्ष के अन्तर्गत 1139 करोड़ रु. की वसूली में बढ़ोतरी के कारण था। आर्थिक सेवाओं से कुल प्राप्तियां VIIIवीं

योजना (1992-1997) के दौरान 33100 करोड़ रु. वार्षिक औसत प्राप्तियों से बढ़कर 2006-07 की अवधि के दौरान 9.12 प्रतिशत वार्षिक औसत वृद्धि दर से 100466 करोड़ रु. हो गई। आर्थिक सेवाओं से प्राप्तियों में प्रवृत्ति यह भी प्रकट करती है कि आठवीं योजना (1992-97) के अलावा, कुल प्राप्तियां 1992-2007 के दौरान औसत वार्षिक प्राप्तियों से अधिक थी। आर्थिक सेवाओं से प्राप्तियों का एक विस्तृत विश्लेषण यह दर्शाता है कि रेलवे से प्राप्तियों में 2000-07 के दौरान ‘आर्थिक सेवाओं’ से कुल प्राप्तियों में बड़े भाग का अंशदान शामिल है तथा यह 2002-03 में 70.46 प्रतिशत की उच्चतम सीमा तक पहुँचने के उपरान्त 2000-01 में 61 प्रतिशत से 2006-07 में 65 प्रतिशत के बीच थी। दूरसंचार सहित सूचना सेवाओं ने 2000-01 में आर्थिक सेवाओं की कुल प्राप्तियों में 20 प्रतिशत अंशदान किया जो बाद में मुख्यतः भारत में दूरसंचार सेवाओं के निगमीकरण के कारण 2006-07 में 12.4 प्रतिशत तक कम हुआ। यद्यपि संघ के प्रति दूरसंचार प्राप्तियों में 2000-01 से गिरावट आई लेकिन बेतार योजना तथा समन्वय संस्था और दूरसंचार लाईसेंस शुल्क/सार्वभौमिक पहुँच उगाही को शामिल करके अन्य संचारी सेवाओं से प्राप्तियों 2000-01 में 1614 करोड़ रु. से बढ़कर 2006-07 में 12465 करोड़ रु. हो गई। रेलवे सहित संचार, विद्युत तथा पेट्रोलियम के साथ मिलकर 2006-07 के दौरान आर्थिक सेवाओं से कुल प्राप्तियों में 89 प्रतिशत अंशदान किया। आर्थिक सेवाओं से प्राप्तियों तथा लाभों तथा लाभांशों में 18.34 प्रतिशत तथा 15.16 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई जिसका परिणाम वर्ष के दौरान ब्याज प्राप्तियों में सामाजिक सेवाओं से 2005-06 में बढ़े हुए स्तर से औसत प्रवृत्ति में गिरावट के बावजूद 2006-07 में गैर-कर प्राप्तियों में 8.19 प्रतिशत की वृद्धि में हुआ।

2.23 गैर-कर राजस्व के विभिन्न घटकों के सापेक्षिक अंशों में 1992-2007 के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गये (तालिका 2.12)। पिछले दो वर्षों में अन्तर्वर्षीय विचलन तथा सामान्य वृद्धि होने के बावजूद लाभों तथा लाभांशों के अंश VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 8 प्रतिशत की औसत दर से 2006-07 के दौरान लगभग 17 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई और 1992-2007 के दौरान 7.95 प्रतिशत की ऋणात्मक औसत वार्षिक विचलन दर थी ब्याज प्राप्तियां दसवीं योजना (2002-07) के दौरान 2002-03 में 32 प्रतिशत से लगातार कम होकर 2006-07 में 15.42 प्रतिशत हो गया जिसका परिणाम 1992-2007 के दौरान इसकी - 1.87 की ऋणात्मक विचलन दर में हुआ। ऋण अग्रिमों पर ब्याज दरों में कमी तथा ऋण विनिमय ने पिछले तीन वर्षों के दौरान इस त्वरण में सहयोग किया है। सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं और सरकार के संप्रभुतथा अन्य सामान्य कार्यकलापों से गैर-कर प्राप्तियों के कारण 1992-2007 के दौरान ऋणात्मक विचलन दर थी। आर्थिक सेवाओं के लिए सापेक्ष अंश में इस गिरावट का एक भाग दूरसंचार से राजस्व का विराम था क्योंकि विभागीय उपक्रमों का निगमीकरण हो गया था। उनका राजस्व, जो पहले समेकित निधि का हिस्सा होता था, नये गठित निगम का राजस्व बन गया था। गैर-कर राजस्व में सामाजिक सेवाओं का समग्र अंशदान नगण्य ही नहीं था बल्कि दसवीं योजना (2002-07) के दौरान वस्तुतः स्थिर रहा यद्यपि उसने

‘सूचना तथा प्रचार’ शीर्ष के अन्तर्गत अधिक संचयनों के कारण 2005-06 में तीव्र बढ़ोतरी दर्शाई।

तालिका 2.12: गैर कर राजस्व घटकों का सापेक्षिक अंश

(प्रतिशत)

	कुल गैर कर राजस्व	ब्याज प्राप्तियां	लाभांश तथा लाभ	सामाजिक सेवाएं	आर्थिक सेवाएं	संप्रभु एवं अन्य कार्य
1992-2007	100.00	26.62	12.22	0.56	51.63	8.97
VIII वीं योजना (1992-97)	100.00	27.32	8.09	0.99	53.86	9.75
IX वीं योजना (1997-02)	100.00	29.78	9.97	0.49	51.98	7.78
X वीं योजना (2002-07)	100.00	23.98	15.55	0.44	50.48	9.54
2002-03	100.00	32.00	15.20	0.30	43.43	9.06
2003-04	100.00	30.99	14.06	0.30	45.28	9.37
2004-05	100.00	24.19	15.24	0.30	50.22	10.04
2005-06	100.00	19.35	15.99	1.03	53.33	10.30
2006-07	100.00	15.42	17.02	0.27	58.34	8.95
अंशों में विचलन की औसत वार्षिक दर						
1992-2007		-1.87	7.95	-9.07	-0.57	-0.56

गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां

2.24 गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां (विनिवेश) तथा कर्जों एवं अग्रिमों की वसूली शामिल हैं। तालिका 2.13 विनिवेश से गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों तथा संघ सरकार द्वारा राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों, विदेशी सरकारों, सरकारी निगमों, गैर-सरकारी संस्थानों तथा सरकारी कर्मचारियों को दिए गए कर्जों तथा अग्रिमों की वसूली के विवरण को दर्शाती है। यह तालिका संघ सरकार के कर्जों तथा अग्रिमों की वास्तविक वसूली के साथ-साथ विनिवेश से प्राप्तियों के बजट अनुमान तथा वास्तविक वसूली को भी दर्शाती है।

तालिका 2.13: विनिवेश से वसूली एवं कर्जों की वसूली

अवधि	विनिवेश			कर्जों की वसूली		
	बजट अनुमान	वास्तविक वसूली	प्रतिशत वसूली	बजट अनुमान	वास्तविक वसूली	प्रतिशत वसूली
1996-97	5000	380	7.60	8184	8696	106.26
1998-99	5000	5369	107.38	11560	13189	114.09
1999-00	10000	1723	17.23	13337	12551	94.11
2000-01	10000	1870	18.70	15839	16799	106.06
2001-02	12000	3028	25.23	17488	20733	118.56
2002-03	12000	3149	26.24	20080	38745	192.95
2003-04	13200	16632	126.00	20523	69827	340.24
2004-05	4000	4363	109.10	29625	64240	216.84

अवधि	विनिवेश			कर्जों की वसूली		
	बजट अनुमान	वास्तविक वसूली	प्रतिशत वसूली	बजट अनुमान	वास्तविक वसूली	प्रतिशत वसूली
	(करोड़ रुपयों में)			(करोड़ रुपयों में)		
2005-06	0.0	1570	-	13525	11801	87.25
2006-07	3840	534*	0.00	9530	18691	196.13

2.25 2006-07 के दौरान ब.आ.⁺ स्तर पर केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में अंशधारिताओं के आंशिक विनिवेश के कारण 3840 करोड़ रु. की प्राप्तियां हुई। तथापि, वर्ष 2006-07 में विनिवेश के कारण कोई प्रगति नहीं थी। 534 करोड़ रु. की प्राप्ति मुख्यतया तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बोनस अंश जारी करने के कारण थी। तथापि विनिवेश प्राप्तियों को जमा करने के लिए राष्ट्रीय निवेश निधि (रा.नि.नि.) को स्थापित करने के निर्णय के साथ कि चालू वर्ष में ऐसी प्राप्तियां रा.नि.नि. को अंतरण द्वारा बराबर की जानी थी। 2003-04 तथा 2004-05 के ऋण विनिमय योजना के अन्तर्गत नरम-ब्याज व्यवस्था का लाभ उठाने के लिए राज्यों के साथ-साथ कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उच्च लागत कर्जों के पूर्व-भुगतान के साथ, कर्जों की वसूली के अन्तर्गत प्राप्तियों ने 2005-06 के दौरान एक अनुमानित गिरावट दर्शाई। पिछले वर्ष से ऋणों की वसूली में न केवल अर्थपूर्ण कमी आई बल्कि 2005-06 के दौरान 13525 करोड़ रु. के अपर्याप्त बजट लक्ष्य से कम रही। 2006-07 के दौरान 18691 करोड़ रु. की ऋण वसूली ने सुधार को प्रदर्शित किया तथा 9530 करोड़ रु. के अपर्याप्त ब.आ. से आगे बढ़ गई। बाजार उधारों तथा लोक लेखों में संभूतियों से बने अन्य पूंजीगत प्राप्तियां, जो प्रवृत्ति से ऋण सर्जक हैं, की चर्चा बाद के अध्यायों में की गई है।

* 534 करोड़ रु की प्राप्ति मुख्यतया तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बोनस अंश जारी करने के कारण थी।

+ बजट अनुमान

अध्याय ३

संसाधनों का उपयोग : व्यय

1992-2007 के दौरान संघ सरकार का कुल संवितरण 15 प्रतिशत की औसत वार्षिक प्रवृत्ति वृद्धि दर से बढ़ा। संघ सरकार के कुल संवितरण के चार प्रमुख घटक हैं: राज्यों को सहायता अनुदान सहित वास्तविक व्यय; राज्यों को संघ करों की प्राप्तियों में से अनिवार्य अंतरण; ऋण का पुनर्भुगतान तथा लोक लेखों से संवितरण। कुल संवितरण के चारों घटकों के सापेक्षिक अंश ने वर्ष दर वर्ष आधार पर तथा योजना अवधियों, में दोनों में ही भारी उत्तर-चढ़ाव प्रदर्शित किए। 1992-2007 की अवधि में वास्तविक व्यय के अंश में धीरे-धीरे गिरावट आई है जबकि अन्य तीन घटकों के अंशों ने एक मिश्रित प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया।

राजस्व व्यय कुल व्यय का प्रमुख घटक बना रहा तथा इसका अंश VIIIवीं योजना के दौरान 78.88 प्रतिशत की औसत से संगत रूप से बढ़कर IXवीं योजना (1997-2002) में 83.61 तथा चालू वर्ष के दौरान 90.47 प्रतिशत के शीर्ष स्तर पर पहुंचने के बाद इसकी औसत Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 87.27 प्रतिशत हो गई। राजस्व व्यय का एक महत्वपूर्ण भाग प्रायः प्रतिबद्ध है यानि कि व्यय का वह भाग जिस पर सरकार का बहुत कम स्वनिर्णय होता है। व्याज भुगतान, आर्थिक सहायता, पेंशन, वेतन एवं भजदूरी तथा ज्यादातर राज्य/संघ शासित क्षेत्र को सहायता अनुदान इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

राजस्व व्यय में इन प्रवृत्तियों के विपरीत, पूंजीगत व्यय तथा ऋणों एवं अग्रिमों का सापेक्षिक अंश VIIIवीं योजना के दौरान 21.12 प्रतिशत की औसत से गिरकर चालू वर्ष के दौरान 9.53 प्रतिशत के न्यूनतम् अंश के साथ इसकी औसत Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 13 प्रतिशत हुई। 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान ऋणों एवं अग्रिमों में तीव्र गिरावट, राज्य सरकारों द्वारा उनकी राज्य योजनाओं के वित्तीयषण के लिए उधार लेने में संघ सरकार की अमाध्यस्थिता के संबंध में बा.वि.आ. संस्तुतियों की मंजूरी के कारण थी। इसके अतिरिक्त, शासकीय व्यय में प्रवृत्तियों का विश्लेषण प्रकट करता है कि योजनेतर व्यय योजनागत व्यय से बहुत अधिक प्रभावशाली है तथा राजस्व व्यय पूरी तरह से पूंजीगत व्यय पर छा गया है। राजस्व व्यय हेतु एक के नजदीक की उत्प्लावकता के प्रति 1992-2007 के दौरान स.घ.उ. के साथ पूंजीगत व्यय की उत्प्लावकता तथा राजस्व प्राप्तियां लगभग 0.7 हुई हैं।

गतिविधियों के संबंध में, सरकार के कुल व्यय में सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं तथा आर्थिक सेवाएं शामिल हैं। 1992-2007 के दौरान सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर कुल व्यय क्रमशः 16.70 तथा 10.58 प्रतिशत की दीर्घावधि वृद्धि दर से बढ़ा है। सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर व्यय विशेषतौर से Xवीं योजना (2002-07) की अवधि के दौरान उत्प्लावक था। Xवीं योजना अवधि के दौरान संघ सरकार के व्यय के प्रतिमान में प्रवृत्तियां ग्रामीण रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता जैसे क्षेत्रों पर बढ़े व्यय को प्रकट करती हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण सड़कें, आवास एवं ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी संरचनात्मक सुविधाओं पर व्यय भी पिछले कुछ वर्षों में बढ़ गया है।

3.1 संघ सरकार अपने संप्रभु क्रियाकलापों के निष्पादन, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के वितरण के अपने मौजूदा नेटवर्क के रखरखाव, पूंजीगत व्यय और निवेशों के माध्यम से इन सेवाओं के नेटवर्क के विस्तार और ऋण सेवा की बाध्यताओं के निर्वहन के लिए संसाधन जुटाती है। सरकार ने 2006-07 के दौरान जुटाए अपने संसाधनों से

संवितरण के लिए कुल 2,830,083 करोड़ रु. का उपयोग किया था जैसा कि तालिका 3.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1 : संसाधनों का उपयोग

(करोड़ रुपयों में)

I	उपलब्ध संसाधन	2,830,083
II	संसाधनों का उपयोग	2,735,200
क.	ऋणों का पुनर्भुगतान	1,480,938
	आन्तरिक ऋण	1,473,053
	बाह्य ऋण	7,885
ख.	लोक लेखे की देयताओं को चुकाना	406,380
	अल्प बचत तथा भविष्य निधि	277,102
	आरक्षित निधि	46,774
	जमा तथा अग्रिम	70,972
	अन्य	11,532
ग.	वास्तविक व्यय	727,552
	राजस्व व्यय	658,240
	पूंजीगत व्यय	59,293
	ऋण और अग्रिम	10,019
घ.	करों में राज्यों का अंश	120,330
3	आकस्मिक निधि को विनियोग	-
III	रोकड़ अन्तश्वेष	94,883

3.2 ऋण का पुनर्भुगतान तथा लोक लेखे की देयताओं को चुकाने (1887,318 करोड़ रु.), ब्याज भुगतान (154,280 करोड़ रु.), अपनी सकल कर प्राप्ति के अधिदेशित अंश को राज्यों के सुपुर्द करने (120,330 करोड़ रु.) तथा राज्यों को सहायता अनुदान (88,871 करोड़ रु.) में इसके कुल संसाधनों का लगभग 80 प्रतिशत चला गया। सरकार ने अपनी चालू गतिविधियों पर अपने सकल संग्रहण का लगभग 20 प्रतिशत खर्च किया।

कुल संवितरण

3.3 संघ सरकार के कुल संवितरण के चार मुख्य घटक हैं: राज्यों को सहायता अनुदान सहित वास्तविक व्यय; राज्यों को संघ करों की प्राप्तियों में से अनिवार्य अन्तरण; ऋण का पुनर्भुगतान तथा लोक लेखे से संवितरण। इन व्यय वर्गों के आर-पार सापेक्ष गतियों को तालिका 3.2 में दर्शाया गया है।


तालिका 3.2: कुल संवितरण के घटक

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	वास्तविक व्यय	करों में राज्यों का अंश	ऋण का पुनर्भुगतान	लोक लेखे में संवितरण	कुल संवितरण	स.घ.उ. (बाजार मूल्य)
1992-2007	383964	51351	407049	219957	1062321	2054577
VIII वीं योजना (1992-97)	203539	26391	126525	77261	433716	1035315
IX वीं योजना (1997-02)	374502	44622	310011	207404	936539	1919800
X वीं योजना (2002-07)	573852	83040	784612	375206	1816709	3208615
2002-03	476310	56122	339677	270224	1142333	2458084
2003-04	506817	65766	430963	391783	1395329	2765491
2004-05	549333	78595	556269	400388	1584585	3126596
2005-06	609249	94385	1115210	407255	2226099	3567177
2006-07	727552	120330	1480938	406380	2735200	4125725
वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत में)						
1992-2007	10.89	12.31	18.77	16.96	15.07	12.21
VIII वीं योजना (1992-97)	11.87	14.41	20.90	14.32	14.84	16.54
IX वीं योजना (1997-02)	8.86	11.05	-2.34	22.05	7.00	10.49
X वीं योजना (2002-07)	10.89	20.76	47.63	8.92	24.77	13.77
2002-03	6.92	6.21	5.58	25.06	10.25	7.76
2003-04	6.40	17.18	26.87	44.98	22.15	12.51
2004-05	8.39	19.51	29.08	2.20	13.56	13.06
2005-06	10.91	20.09	100.48	1.71	40.48	14.09
2006-07	19.42	27.49	32.79	-0.21	22.87	15.66

3.4 केन्द्र सरकार का कुल संवितरण VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 433,716 करोड़ रु. की औसत से निरंतर बढ़ कर चालू वर्ष में, 2735,201 करोड़ रु. हो गया था। 1992-2007 के दौरान 15.07 प्रतिशत की औसत वार्षिक प्रवृत्ति वृद्धि स.घ.उ. की वृद्धि दर, जो कि उसी अवधि में औसतन 12.21 प्रतिशत थी, से उच्च थी। VIIIवीं और IXवीं योजना के दौरान व्यय की औसत वार्षिक वृद्धि की दर वास्तव में स.घ.उ. की वृद्धि दर से कम थी। Xवीं योजना (2002-2007) ने इस प्रवृत्ति के उत्क्रमण को प्रदर्शित किया है तथा कुल वितरण की वृद्धि दर स.घ.उ. वृद्धि से बढ़ गई। स.घ.उ. वृद्धि दर से वास्तविक व्यय की औसत वार्षिक वृद्धि दर चालू वर्ष को छोड़कर हमेशा कम रही, जबकि लोक लेखों से संवितरण के मामले में VIIIवीं योजना और Xवीं योजना के अंतिम तीन वर्षों के अलावा, जब इन घटकों ने सिर्फ 1.23 प्रतिशत की औसतन दर की नाममात्र वृद्धि दर्शाई थी, यह उच्च थी। स.घ.उ. वृद्धि दर के प्रति दो अन्य संघटकों में वृद्धि दर ने अवधि के दौरान मिली-जुली प्रवृत्ति दर्शाई थी। लोक लेखा से संवितरण के मामले के अलावा दसवीं योजना के अंतिम दो वर्षों के दौरान कुल संवितरण के अन्य घटकों में वृद्धि दर में लहर दर्शाई गई है। यदि 1992-1993 में कुल संवितरण के सभी चार घटक 100 पर स्थित हों, तो लोक लेखे में से संवितरण हेतु 702 के मूल्य की तुलना में ऋण के पुनर्भुगतान के घटक के सूचकांक का मूल्य 2066 होगा। अन्य दो घटक, वास्तविक व्यय तथा करों में राज्यों के अंश के मूल्य क्रमशः 465

और 586 होंगे। चार्ट 3.1, 1992-2007 की अवधि के दौरान कुल संवितरण में विभिन्न घटकों में प्रवृत्ति को दर्शाता है।



3.5 कुल संवितरण के चार घटकों के आपेक्षिक अंश में वर्षानुवर्ष आधार पर और योजना अवधियों में बहुत उतार-चढ़ाव दिखाई दिया जैसा कि निम्न तालिका में वर्णित है।

तालिका 3.3: संवितरण घटक: सापेक्ष अंश

(प्रतिशत)


अवधि	वास्तविक व्यय	करों में राज्यों का अंश	ऋण का पुनर्भुगतान	लोक लेखे से संवितरण
1992-2007	36.14	4.83	38.32	20.71
VIII वीं योजना (1992-97)	46.94	6.08	29.17	17.81
IX वीं योजना (1997-02)	39.99	4.76	33.10	22.15
X वीं योजना (2002-07)	31.59	4.57	43.19	20.65
2002-03	41.70	4.91	29.74	23.66
2003-04	36.32	4.71	30.89	28.08
2004-05	34.67	4.96	35.11	25.27
2005-06	27.37	4.24	50.10	18.29
2006-07	26.60	4.40	54.14	14.86
अपने सापेक्ष अंशों में विचलन की औसत वार्षिक दर				
1992-2007	-3.63	-2.40	3.22	1.64

3.6 वास्तविक व्यय का अंश (राजस्व एवं पूंजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम को आच्छादित करके वर्तमान प्रचालनों पर व्यय को दर्शाना) VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 46.94 प्रतिशत के अपने उच्चतम स्तर से IXवीं योजना (1997-2002) के अंतर्गत मंदन प्रवृत्ति दर्शाता है। Xवीं योजना (2002-2007) के दौरान पहले वर्ष (2002-03) में वास्तविक व्यय के अपेक्षित अंश ने बढ़ोतरी दर्शाई थी लेकिन उसके बाद मंदन

प्रवृत्ति जारी रही और चालू वर्ष में उसका अंश 26.60 प्रतिशत पर गिर गया। अत्वरित प्रवृत्ति भी VIIIवीं योजना के बाद 1992-2007 के दौरान ऋणात्मक विचलन दर भी दर्शाती थी। ऋण के पुनर्भुगतान पर व्यय के आपेक्षिक अंश VIIIवीं योजना (1992-1997), IXवीं योजना (1997-2002) और Xवीं योजना (2002-2007) की अवधि के दौरान मिली-जुली प्रवृत्ति दर्शाते हैं जो कि अंत में 1992-2007 के दौरान अपनी दीर्घावधि प्रवृत्ति में ऋणात्मक वार्षिक औसत दर को अभिसरित करता है। 1992-2007 के दौरान लोक लेखे से संवितरण ने 20.71 प्रतिशत की दीर्घावधि प्रवृत्ति अंश दर्शाया। VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान इस घटक का सापेक्ष अंश कुल संवितरणों का 17.81 प्रतिशत था जो बाद में IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 22.15 प्रतिशत की वार्षिक औसत तक बढ़ कर, रा.ल.ब.नि. के सृजन तथा अल्पबचतों के शेषों के दिनांकित प्रतिभूतियों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप 1999-2000 में 33.76 प्रतिशत के शिखर तक पहुँच गया। लोक लेखे से संवितरण का अंश घटकर 2004-05 में 25.27 प्रतिशत और चालू वर्ष में 14.86 प्रतिशत हो गया। पिछले तीन वर्षों के दौरान अपने अंश में अवनति के बावजूद इस घटक की 1992-2007 के दौरान 1.64 प्रतिशत की सकारात्मक परिवर्तन दर थी जबकि इसने अवनति प्रवृत्ति दर्शाई थी।

व्यय: प्रमुख समुच्चय

3.7 तालिका 3.4 और चार्ट 3.2 संघ सरकार के वास्तविक व्यय (ऋण के पुनर्भुगतान तथा लोक लेखे में से संवितरण शामिल नहीं हैं जिनकी चर्चा राजकोषीय देयताओं के अध्याय में अलग की गई है) तथा योजना अवधियों के दौरान इसके विभिन्न घटकों की अवलोकित प्रवृत्ति वृद्धि दरों को प्रस्तुत करती है।




तालिका 3.4: व्यय घटक

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण और अग्रिम	कुल व्यय	राजस्व व्यय/ कुल व्यय	अन्य/ कुल व्यय
1992-2007	324825	30926	28214	383964	84.60	15.40
VIII वीं योजना (1992-97)	160541	19550	23447	203539	78.88	21.12
IX वीं योजना (1997-02)	313109	26234	35159	374502	83.61	16.39
X वीं योजना (2002-07)	500825	46993	26034	573852	87.27	12.73
2002-03	409591	30497	36222	476310	85.99	14.01
2003-04	440086	35401	31330	506817	86.83	13.17
2004-05	455571	53654	40108	549333	82.93	17.07
2005-06	540637	56119	12493	609249	88.74	11.26
2006-07	658240	59293	10019	727552	90.47	9.53
वृद्धि की औसत वार्षिक दर						
1992-2007	12.12	8.62	-1.23	10.89	1.11	-5.35
VIII वीं योजना (1992-97)	14.64	-8.44	11.91	11.87		
IX वीं योजना (1997-02)	10.40	9.22	-3.42	8.86		
X वीं योजना (2002-07)	12.24	19.61	-29.46	10.86		
2002-03	9.06	-2.55	-6.19	6.92		
2003-04	7.45	16.08	-13.51	6.40		
2004-05	3.52	51.56	28.02	8.39		
2005-06	18.67	4.59	-68.85	10.91		
2006-07	21.75	5.66	-19.80	19.42		

विचलन की औसत वार्षिक दर
(प्रतिशत)

3.8 परिशिष्ट-III-क 1992-93 से 2006-07 की अवधि के दौरान वास्तविक व्यय और उसके तीन उप-घटकों के आंकड़ों को प्रस्तुत करता है। राजस्व व्यय, कुल व्यय का प्रमुख घटक बना रहा (चार्ट 3.3) तथा इसका अंश VIIIवीं योजना के दौरान 78.88 प्रतिशत की औसत से बढ़कर IXवीं योजना (1997-2002) में 83.61 प्रतिशत और चालू वर्ष के दौरान 90.47 प्रतिशत के उच्चतम स्तर के पहुंचने के बाद Xवीं योजना (2002-07) दौरान 87.27 प्रतिशत था। राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 2006-07 के दौरान 117,603 करोड़ रु. राशि की 21.75 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई थी जो मुख्यतया आर्थिक सेवाओं (62138 करोड़ रु.: 33.22 प्रतिशत); केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यों के अंश को समाविष्ट करके राज्य तथा सं.शा.क्षे. सरकारों हेतु केन्द्रीय अन्तरण (25945 करोड़ रु.: 27.49 प्रतिशत) तथा सहायता अनुदान (16284 करोड़ रु.: 21.62 प्रतिशत) तथा सामान्य सेवाओं (32217 करोड़ रु.: 13.43 प्रतिशत) पर बढ़े हुए राजस्व व्यय की राशि के कारण सूचित किए गए थे। 2006-07 के दौरान राजस्व व्यय बजट अनुमान की अपेक्षा 14.20 प्रतिशत अधिक था जो कि राज्यों के लिए अनुशंसित ऋण राहत को समाविष्ट करने के बाद केन्द्रीय सरकार के लिए बा.वि.आ. द्वारा किए गए नियामक अनुमान की अपेक्षा स्वयं से 38.61 प्रतिशत अधिक था। 1992-2007 के दौरान इसका अपेक्षित अंश में 1.11 प्रतिशत प्रतिवर्ष की सकारात्मक विचलन दर थी।



3.9 राजस्व व्यय में इन प्रवृत्तियों के प्रति, पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम का सापेक्षित अंश VIIवीं योजना के दौरान 21.12 प्रतिशत की औसत से गिरकर IXवीं योजना (1997-2002) में 16.39 प्रतिशत एवं इसके आगे चालू वर्ष के दौरान 9.53 प्रतिशत के न्यूनतम अंश के साथ Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 12.73 प्रतिशत की औसत पर पहुंचा था। चालू वर्ष के दौरान, पूँजीगत व्यय अपने बजट अनुमानों की अपेक्षा 66937 करोड़ रु. कम था, जो स्वयं इसके अधिनिर्णय अवधि के सीमान्त वर्ष (2009-10) द्वारा स.घ.उ. के 3.5 प्रतिशत के लक्षित स्तर को प्राप्त करने हेतु 2006-07 हेतु बा.वि.आ. द्वारा प्रक्षेपित स्तर (112080 करोड़ रु.) से बहुत नीचे निर्धारित किया गया था। 1992-2007 के दौरान केन्द्र सरकार का राजस्व व्यय (करों में राज्यों का निवल अंश) 12.12 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ा था। तथापि पूँजीगत व्यय 8.62 प्रतिशत की निम्न दर से बढ़ा तथा ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण में कमी आई तथा इस अवधि के दौरान इसकी वृद्धि दर -1.23 प्रतिशत रही। 1992-2007 की अवधि के दौरान वास्तविक व्यय की वृद्धि की औसत वार्षिक प्रवृत्ति, जिनमें ये तीनों घटक शामिल थे, 10.89 प्रतिशत था।

3.10 VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान, पूँजीगत व्यय ने संकुचन को प्रदर्शित किया तथा ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की। IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि की 9.22 प्रतिशत तथा उसके बाद Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 19.61 प्रतिशत की पूर्ति हुई। तथापि, ऋण एवं अग्रिम ने IXवीं योजना के दौरान वृद्धि दर ऋणात्मक बदलाव वृद्धि के साथ एक भिन्न चित्र प्रदर्शित किया तथा Xवीं योजना

(2002-07) की अवधि के दौरान ऋणात्मक प्रवृत्ति को इंगित किया। 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान ऋण एवं अग्रिम में तीव्र गिरावट राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य योजनाओं के वित्तपोषण के लिए ऋण लेने में केन्द्र सरकार की मध्यस्थता के संबंध में बा.वि.आ. की संस्तुति के स्वीकारोक्ति के कारण था। इसलिए राज्यों में केन्द्रीय योजना सहायता के ऋण घटक को केन्द्र सरकार के बजटीय मध्यस्थता के बिना सीधे बाजार से उगाहा। यह तंत्र वर्ष 2005-06 से बा.वि.आ. की संस्तुति के आधार पर है।

राजस्व व्ययः प्रवृत्ति एवं घटक

3.11 नीचे दी गई तालिका 3.5 अपने मुख्य उद्देश्य-वार वर्गीकरण के संदर्भ में राजस्व व्यय के विभिन्न घटकों पर किए गए व्यय को दर्शाती है।

तालिका 3.5: राजस्व व्यय एवं इसके घटक

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	राजस्व व्यय	वेतन एवं भत्ते**	ब्याज भुगतान	पेंशन*	राज्यों के अनुदान	अन्य
1992-2007	324825	30606	90414	15684	37910	150211
VIII वीं योजना (1992-97)	160541	21620	44280	5661	20630	68350
IX वीं योजना (1997-02)	313109	33432	91102	15852	32423	140300
X वीं योजना (2002-07)	500825	36765	135860	25539	60676	241985
2002-03	409591	33317	124573	19085	42136	190480
2003-04	440086	34554	128114	20702	47320	209396
2004-05	455571	38653	130958	24085	52686	209189
2005-06	540637	37263	141375	24750	72367	264882
2006-07	658240	40047	154280	39074	88871	335968

वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत)

1992-2007	12.12	5.47	12.15	16.20	11.15	13.52
VIII वीं योजना (1992-97)	14.64	12.10	17.44	15.65	5.60	16.55
IX वीं योजना (1997-02)	10.40	-2.09	14.90	17.07	11.06	10.11
X वीं योजना (2002-07)	12.24	4.54	5.40	17.46	21.14	14.68
2002-03	9.06	6.08	9.11	0.80	1.55	12.33
2003-04	7.45	3.68	2.84	8.47	12.30	9.94
2004-05	3.52	11.89	2.22	16.34	11.34	-0.10
2005-06	18.67	-3.60	7.95	2.76	37.36	26.62
2006-07	21.75	7.47	9.13	57.87	22.81	26.84

* विविध सामान्य सेवाएं शामिल हैं।

**टिप्पणियाः

- 1) संघ शासित क्षेत्रों के कर्मचारियों एवं रक्षा विभाग के गैर-सिविलियन कर्मचारियों सहित केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों हेतु व्यय विभाग की वेतन अनुसंधान इकाई द्वारा प्रकाशित विवरणिका के अनुसार 2001-02 तक वेतन एवं भत्तों पर व्यय है। 2002-03 से रक्षा के गैर-सिविलियन कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते के व्यय आंकड़ों में शामिल नहीं हैं।
- 2) वेतन एवं भत्ते पर व्यय जिनमें यात्रा भत्ता, उत्पादकता सह बोनस, तदर्थ बोनस, अर्जित अवकाश का नगदीकरण एवं मानदेय सम्मिलित नहीं हैं।

3) 2002-03, 2003-04 एवं 2004-05 वर्षों हेतु केन्द्रीय सरकार के सिविलियन कर्मचारियों हेतु वेतन अनुसंधान इकाई द्वारा प्रकाशित विवरणिका के अनुसार वास्तविक आंकड़े। 2006-07 के लिए वेतन एवं भत्तों पर व्यय संशोधित अनुमान हैं क्योंकि वास्तविक आंकड़े अभी प्रतीक्षित हैं।

3.12 1992-2007 के दौरान, वेतन एवं भत्तों के प्रकरण के सिवाए राजस्व व्यय के सभी घटकों की दो-अंकीय वृद्धि प्रवृत्ति थी। राज्यों एवं पेंशन को अनुदान के सिवाए इन घटकों की वृद्धि की औसत वार्षिक दर VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान अपेक्षाकृत अधिक थी। IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान वृद्धि दर में मंदन विशेष तौर से वेतन एवं भत्तों के लिया सुस्पष्ट था जिसने संकुचन को प्रदर्शित किया है तथा राजस्व व्यय के अवशिष्ट घटकों को 'अन्य' के अंतर्गत समूहित किया है। IXवीं योजना के दौरान ब्याज भुगतानों की वृद्धि दर ने भी सामान्य मंदन तथा उसके बाद Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 5.40 प्रतिशत को प्रदर्शित किया था। अधिकांशतः आंतरिक ऋण हेतु ब्याज दरों में एक सामान्य गिरावट के कारण ब्याज भुगतानों की वृद्धि दर में कमी आई। Xवीं योजना अवधि के दौरान मौजूदा आसान ब्याज दर व्यवस्था के बावजूद, अवधि के दौरान मुख्य रूप से उत्तरोत्तर बढ़ाया ऋण के कारण ब्याज भुगतान लगातार बढ़ा है। घटता ब्याज भुगतान चालू घाटे में ह्लास की अपेक्षा करता है ताकि भविष्य में ब्याज भुगतान घट सके। तकनीकी रूप से, यदि सरकार मुख्य अधिशेषों के सृजन में समर्थ होगी तभी ऋण एवं भविष्य के ब्याज भुगतानों में ह्लास हो सकता है। तथापि, मुख्य घाटे की लगातार व्यापकता के कारण ऋण स्तर लगातार बढ़ता रहा जिसका परिणाम अवधि के दौरान ब्याज भुगतानों की वृद्धि में हुआ। इस एवं विभागीय उपक्रमों में सिविल कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर व्यय, 1997-98 में 33.84 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कराने के बाद, पंचम वेतन आयोग की सिफारिश को लागू होने के परिणामस्वरूप, बाद के वर्षों में कम हुआ तथा IXवीं योजना अवधि के दौरान औसतन एक गिरावट दर्ज की। तिसपर भी मजदूरी पश्च वेतन आयोग वर्षों में बढ़ा है, राजस्व व्यय के इस घटक की वृद्धि की प्रवृत्ति स.घ.उ. की वृद्धि से कम थी।

3.13 राजस्व व्यय का एक महत्वपूर्ण भाग प्रायः प्रतिबद्ध है यानि कि व्यय का वह भाग जिस पर सरकार का बहुत कम स्वनिर्णय होता है। ब्याज भुगतान, पेंशन, वेतन एवं मजदूरी तथा ज्यादातर राज्य/संघ शासित क्षेत्र को सहायता अनुदान इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। प्रतिबद्धता एवं अन्य देयताओं के संदर्भ में राजस्व व्यय के संयोजन तथा राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियां एवं गैर-ऋण प्राप्तियों (तालिका 3.6) के साथ समय पर उनके संबंध का अध्ययन आवश्यक है। तालिका 3.6 में प्रतिबद्ध व्यय को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् 'ब्याज भुगतान' एवं 'अन्य'। अवशिष्ट श्रेणी 'अन्य' में वेतन एवं भत्तों तथा विविध सामान्य सेवाओं पर व्यय सहित पेंशन पर व्यय समाविष्ट है।

तालिका 3.6: कुल राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियां एवं गैर-ऋण प्राप्तियों की तुलना में
प्रतिबद्ध राजस्व व्यय का अंश

(प्रतिशत)

अवधि	राजस्व व्यय			राजस्व प्राप्तियां			गैर-ऋण प्राप्तियां		
	ब्याज भुगतान	अन्य	कुल	ब्याज भुगतान	अन्य	कुल	ब्याज भुगतान	अन्य	कुल
1992-2007	27.83	14.25	42.08	35.53	18.19	53.72	32.44	16.61	49.05
VIII वीं योजना (1992-97)	27.58	16.99	44.57	33.65	20.73	54.38	31.41	19.35	50.76
IX वीं योजना (1997-02)	29.10	15.74	44.84	38.38	20.76	59.14	35.75	19.34	55.09
X वीं योजना (2002-07)	27.13	12.44	39.57	34.45	15.80	50.25	30.85	14.15	45.00
2002-03	30.41	12.79	43.20	41.55	17.48	59.03	36.45	15.33	51.78
2003-04	29.11	12.55	41.66	37.78	16.29	54.07	30.08	12.97	43.05
2004-05	28.75	13.77	42.52	34.75	16.65	51.40	29.39	14.08	43.47
2005-06	26.15	11.47	37.62	32.81	14.39	47.20	31.82	13.96	45.78
2006-07	23.44	12.02	35.46	29.36	15.06	44.42	28.33	14.53	42.86
अंशों में विचलन की औसत वार्षिक दर									
1992-2007	0.03	-3.10	-1.08	0.37	-2.77	-0.75	0.10	-3.03	-1.02

टिप्पणी: राजस्व प्राप्तियां एवं राजस्व व्यय दोनों विभिन्न करों में राज्य के अंश का निवल है।

व्यय: योजनागत एवं योजनेतर

3.14 वित्त लेखे व्यय वितरण को आगे योजनागत और योजनेतर में बांटते गया है। योजनागत व्यय सामान्यतः नई परियोजनाओं अथवा योजनाओं पर वृद्धिसंबंधि विकासात्मक व्यय से संबंधित होता है और इसमें राजस्व तथा पूंजीगत दोनों व्यय शामिल होते हैं। दूसरी तरफ, योजनेतर व्यय सामान्यतः पहले से प्राप्त सेवाओं के स्तरों को बनाए रखने के लिए उपयोग होता है। तथापि, योजनागत और योजनेतर व्यय, दोनों में राजस्व व्यय के सापेक्ष पूंजीगत व्यय में वृद्धि को गुणात्मक रूप से अधिक वांछनीय माना जाता है क्योंकि यह सरकार द्वारा सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना नेटवर्क के विस्तार और पूंजी निर्माण को जन्म देती है। तालिका 3.7 संघ सरकार के योजनागत एवं योजनेतर व्यय की वृद्धि तथा गठन को प्रस्तुत करती है जबकि तालिका 3.8 कुल व्यय में योजनागत और योजनेतर व्यय के सापेक्षिक अंश में प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 3.7: व्यय के घटक - योजनागत एवं योजनेतर

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	योजनागत				योजनेतर			
	कुल	राजस्व	पूंजीगत	ऋण	कुल	राजस्व	पूंजीगत	ऋण एवं अग्रिम
1992-2007	88485	58490	12157	17838	295477	266334	18768	10375
VIII वीं योजना (1992-97)	48190	26749	8380	13061	155348	133792	11170	10386
IX वीं योजना (1997-02)	78595	47089	10132	21373	295907	266019	16102	13786
X वीं योजना (2002-07)	138674	101633	17960	19081	435179	399189	29033	6954

संसाधनों का उपयोग : व्यय

अवधि	योजनागत				योजनेतर			
	कुल	राजस्व	पूंजीगत	ऋण	कुल	राजस्व	पूंजीगत	ऋण एवं अग्रिम
2002-03	111471	71570	14643	25258	364839	338021	15854	10964
2003-04	122281	78638	16913	26730	384536	361448	18488	4600
2004-05	132932	87494	19372	26066	416401	368077	34282	14042
2005-06	140637	111858	19457	9322	468612	428779	36662	3171
2006-07	186060	158618	19414	8028	541492	499622	39879	1991
वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत)								
1992-2007	11.07	14.12	7.53	1.89	10.85	11.66	9.48	-7.34
VIII वीं योजना (1992-97)	7.53	11.48	-4.45	7.28	13.24	15.27	-11.36	18.27
IX वीं योजना (1997-02)	13.49	14.50	4.56	15.71	7.63	9.69	13.12	-29.30
X वीं योजना (2002-07)	12.35	21.46	7.30	-28.44	10.38	9.99	28.78	-31.50
2002-03	6.36	16.08	30.52	-20.90	7.09	7.68	-21.03	64.08
2003-04	9.70	9.88	15.50	5.83	5.40	6.93	16.61	-58.04
2004-05	8.71	11.26	14.54	-2.48	8.29	1.83	85.43	205.26
2005-06	5.80	27.85	0.44	-64.24	12.54	16.49	6.94	-77.42
2006-07	32.30	41.80	-0.22	-13.88	15.55	16.52	8.77	-37.21

तालिका 3.8: योजनागत एवं योजनेतर व्यय: सापेक्षिक अंश

(प्रतिशत)

अवधि	यो.व्य./कु.व्य.	गै.यो.व्य./कु.व्य.	यो.रा.व्य./यो.व्य.	गै.यो.रा.व्य./गै.यो.व्य.
1992-2007	23.05	76.95	66.10	90.14
VIII वीं योजना (1992-97)	23.68	76.32	55.51	86.12
IX वीं योजना (1997-02)	20.99	79.01	59.91	89.90
X वीं योजना (2002-07)	24.17	75.83	73.29	91.73
2002-03	23.40	76.60	64.20	92.65
2003-04	24.13	75.87	64.31	94.00
2004-05	24.20	75.80	65.82	88.39
2005-06	23.08	76.92	79.54	91.50
2006-07	25.57	74.43	85.25	92.27

टिप्पणी: यो.व्य. = योजनागत व्यय, गै.यो.व्य. = गैर योजनागत व्यय, यो.रा.व्य. = योजनागत राजस्व व्यय, गै.यो.रा.व्य. = गैर योजनागत राजस्व व्यय तथा कु.व्य. = कुल व्यय


3.15 1992-2007 के दौरान कुल व्यय में योजनागत व्यय का अंश लगभग स्थिर था। VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान कुल व्यय के 23.68 प्रतिशत की औसत की तुलना में इसके अंश में IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 2.69 प्रतिशतता बिन्दुओं की गिरावट के पश्चात Xवीं योजना (2002-2007) के दौरान 24.17 प्रतिशत का मामूली सुधार हुआ। तथापि, स्थिर दिखाई देने वाला यह अंश, कुल योजना तथा इसके उप-घटक स्तरों पर वर्ष तथा योजना के अन्दर परिवर्तन को छिपाता है।

3.16 योजनागत व्यय की वृद्धि दर VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 7.53 प्रतिशत प्रतिवर्ष की औसत से IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 13.49 प्रतिशत हो कर छः प्रतिशतता अंकों के एक त्वरण को प्रदर्शित किया। यह त्वरण अपने तीनों उप-घटकों को पार कर गयी थी। यद्यपि योजनेतर व्यय की दीर्घावधि वृद्धि प्रवृत्ति VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 13.24 प्रतिशत पर अपेक्षाकृत ऊंची थी, तथापि IXवीं योजना के दौरान इसकी वृद्धि दर में करीब 6 प्रतिशतता अंकों का महत्वपूर्ण मंदन देखा गया। Xवीं योजना (2002-06) के दौरान, वृद्धि दर, विशेष रूप से योजनागत व्यय के तथा योजनेतर दोनों घटकों में उप-घटकों के स्तर पर, विस्तृत रूप से बदलती रही। तथापि, योजनागत एवं योजनेतर व्यय दोनों की समग्र वृद्धि प्रवृत्ति, स.घ.उ. तथा राजस्व प्राप्ति की वृद्धि से कम थी। 1992-2007 के दौरान स.घ.उ. एवं राजस्व प्राप्ति के साथ योजनागत व्यय की उत्पादकता क्रमशः 0.906 एवं 0.935 थी। योजनेतर व्यय के मामले में, उत्पादकता गुणांक क्रमशः 0.889 एवं 0.916 (तालिका 3.9) से महत्वपूर्ण रूप से निम्न था लेकिन एक से कम था जो इस तथ्य को दर्शाता था कि उनकी औसत वृद्धि दर यद्यपि सीमान्त रूप से ही, अवधि के दौरान स.घ.उ. एवं राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दरों से भी कम थी।

3.17 योजनागत तथा योजनेतर व्यय दोनों के लिए राजस्व घटक न केवल सबसे प्रधान रहा अपितु यह 1992-2007 के दौरान सापेक्षिक रूप से अधिकतम उत्प्लावक था। योजनागत व्यय में राजस्व घटक का अंश, जो VIIIवीं योजना के दौरान औसतन 55.51 प्रतिशत था धीरे-धीरे बढ़कर चालू वर्ष के दौरान 85.25 प्रतिशत के उच्च स्तर के साथ Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 73.29 प्रतिशत तक चढ़ गया। यद्यपि योजनागत व्यय Xवीं योजना (2002-07) के प्रथम चार वर्षों के दौरान 7.64 प्रतिशत की मंद दर से बढ़ा लेकिन पिछले वर्षों की तुलना में 2006-07 में मुख्यतया उसके राजस्व घटक में 41.8 प्रतिशत की वृद्धि के कारण यह चालू वर्ष के दौरान 32.3 प्रतिशत तक बढ़ गया। योजनागत व्यय के राजस्व घटक में वृद्धि मुख्य रूप से राज्यों को योजनागत अनुदानों में वृद्धि तथा ग्रामीण रोजगार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य को सम्मिलित करके सामाजिक क्षेत्रों के अंतर्गत व्यय वचनबद्धताओं को पूरा करने के कारण था। ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण जल आपूर्ति, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, पुनःउत्पाद एवं बाल स्वास्थ्य, प्रतिरक्षीकरण, चिकित्सा शिक्षा, ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं, प्राथमिक शिक्षा को पौष्टिक सहायता, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, व्यष्टि सिंचाई तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग जैसे सामाजिक उन्मुख क्षेत्रों में बढ़ता हुआ व्यय Xवीं योजना (2002-07) के अंतिम तीन वर्षों के दौरान योजनागत व्यय का राजस्व व्यय घटक में महत्वपूर्ण वृद्धि का कारण बना। पूंजीगत प्रकृति के योजनागत व्यय तथा योजनागत ऋणों एवं अग्रिमों ने अपने राजस्व घटक के सापेक्ष काफी कम प्रकृति वृद्धि को दर्ज किया। यद्यपि योजनागत पूंजीगत व्यय ने Xवीं योजना (2002-07) के प्रथम तीन वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण त्वरण को प्राप्त किया लेकिन 2005-06 में यह 2004-05 के स्तर पर प्रायः स्थिर रहा तथा चालू वर्ष में इसमें पिछले वर्ष में 19457 करोड़ रु. के स्तर से 43 करोड़ रु. की सीमान्तक कमी आई। बा.वि.आ. की संस्तुति की स्वीकृति के कारण, राज्य घरेलू ऋणों को बढ़ाने में संघ सरकार की अमध्यस्थता को प्रदर्शित करते हुए योजनागत ऋणों ने चालू वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण संकुचन को भी प्रदर्शित किया।

3.18 योजनेतर व्यय में राजस्व घटक का अंश VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 86.12 प्रतिशत की औसत से बढ़कर IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 89.9 प्रतिशत तथा इसके अतिरिक्त 2003-04 में 94 प्रतिशत के शीर्ष स्तर तक पहुंचने के बाद Xवीं योजना (2002-07) के दौरान इसकी औसत और बढ़कर 91.73 प्रतिशत हो गई। ब्याज भुगतान, रक्षा राजस्व व्यय, आर्थिक सहायता एवं पेंशन केन्द्र सरकार के योजनेतर राजस्व व्यय के मुख्य घटक का निर्माण करते हैं। 2006-07 के दौरान योजनेतर राजस्व व्यय में 70843 करोड़ रु. की कुल वृद्धि में ब्याज भुगतान, रक्षा राजस्व व्यय, पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाओं ने एक साथ मिलकर 30747 करोड़ रु. (43.40 प्रतिशत) का योगदान किया। इसके अतिरिक्त, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर योजनेतर राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 47165 करोड़ रु. की वृद्धि हुई जिसका परिणाम 2006-07 के दौरान समग्र योजनेतर राजस्व व्यय में उत्प्लावकता में

हुआ। ब्याज भुगतान, रक्षा राजस्व व्यय, आर्थिक सहायता तथा पेंशन जैसी मदों पर बचनबद्ध योजनेतर राजस्व व्यय न केवल अपने बजट अनुमानों से अधिक पाया गया बल्कि 2006-07 हेतु बा.वि.आ. द्वारा किए गए मानकीय अनुमानों से भी काफी अधिक था। उदाहरण के तौर पर 2006-07 में ब्याज भुगतान तथा रक्षा राजस्व व्यय बा.वि.आ. द्वारा वर्ष हेतु किए गए मानकीय अनुमानों से क्रमशः 12271 करोड़ रु. तथा 5202 करोड़ रु. अधिक थे। योजनेतर पूंजीगत परिव्यय ने पिछले वर्ष की तुलना में सीमान्तक सुधार प्रदर्शित किया तथा चालू वर्ष में 8.77 प्रतिशत बढ़ा। धीमी गति मुख्यतया पिछले वर्ष की तुलना में 2006-07 में रक्षा सेवाओं के अंतर्गत पूंजीगत व्यय में 1490 करोड़ (4.6 प्रतिशत) की सीमान्तक वृद्धि के कारण थी जो योजनेतर पूंजीगत परिव्यय का प्रधान भाग है।



3.19 1992-2007 की अवधि में केन्द्र संघ के व्यय का संयोजन, जो वर्षों से बढ़ रहा है (चार्ट 3.4), प्रकट करता है कि योजनेतर व्यय योजनागत व्यय से बहुत अधिक प्रभावशाली है तथा राजस्व व्यय पूरी तरह से पूंजीगत व्यय पर छा गया है। योजनागत राजस्व व्यय की प्रधानता मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण है कि राज्यों के विकास की गतिविधियों को केन्द्रीय सहायता, चाहे वे केन्द्रीय सहायता के माध्यम से अथवा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से हों, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि राज्यों अथवा कार्यान्वित अभिकरणों द्वारा किस उद्देश्य के लिए उनका उपयोग किया गया, राजस्व व्यय को वर्गीकृत किया जाता है।


व्यय की उत्प्लावकता

3.20 सांकेतिक व्यय में वृद्धि या इसकी परम मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण आधार के सापेक्ष में इसके विभिन्न घटकों की उत्प्लावकता है। नीचे दी गई तालिका 3.9, 1992-2007, VIIIवीं, IXवीं एवं Xवीं योजना अवधियों हेतु पृथक रूप से राजस्व प्राप्तियों एवं स.घ.उ. के सापेक्ष व्यय के विभिन्न घटकों के औसत उत्प्लावकता अनुपातों को मुहैया करता है।

तालिका 3.9: स.घ.उ. एवं राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में व्यय की उत्प्लावकता में प्रवृत्तियाँ

व्यय का प्रकार	1992-2007		VIIIवीं योजना (1992-97)		IXवीं योजना (1997-2002)		Xवीं योजना (2002-07)	
	स.घ.उ.	राजस्व प्राप्तियाँ	स.घ.उ.	राजस्व प्राप्तियाँ	स.घ.उ.	राजस्व प्राप्तियाँ	स.घ.उ.	राजस्व प्राप्तियाँ
योजनागत व्यय	0.906	0.935	0.455	0.489	1.286	1.572	0.897	0.791
गैर-योजनागत व्यय	0.889	0.916	0.800	0.859	0.728	0.889	0.754	0.664
राजस्व व्यय	0.993	1.024	0.885	0.950	0.992	1.211	0.889	0.783
पूंजीगत व्यय	0.706	0.728	-0.510	-0.548	0.879	1.074	1.424	1.255
ऋण एवं अग्रिम	-0.101	-0.104	0.720	0.773	-0.326	-0.399	-2.139	-1.886
कुल व्यय	0.892	0.920	0.718	0.770	0.845	1.032	0.789	0.695

3.21 IXवीं योजना अवधि के दौरान अपेक्षाकृत उच्चतर उत्प्लावकता अनुपात निश्चित तौर पर स.घ.उ. एवं राजस्व प्राप्तियों में निम्नतर वृद्धि दरों के कारण था। स.घ.उ. और राजस्व प्राप्तियाँ, दोनों के ही संबंध में कुल व्यय की तुलना में राजस्व व्यय की अपेक्षाकृत उच्चतर उत्प्लावकता इंगित करती थी कि कुल व्यय की वृद्धि की दर से मंदन मुख्यतः पूंजीगत व्यय और/अथवा ऋणों और अग्रिमों का घटा कर हासिल किया गया था। 1992-2007 के दौरान राजस्व व्यय के लिए एक के निकट तथा राजस्व प्राप्ति के संदर्भ में एक से अधिक रही उत्प्लावकता के प्रति स.घ.उ. और राजस्व प्राप्ति के साथ पूंजीगत व्यय की उत्प्लावकता 0.7 के आस-पास रही है। इसी प्रकार, स.घ.उ. और राजस्व प्राप्तियाँ, दोनों के संबंध में योजनेतर व्यय की उत्प्लावकता योजनागत VIIIवीं योजना अवधि में व्यय की उत्प्लावकता के सापेक्ष अधिक रही है।



3.22 1992-2007 की अवधि हेतु स.घ.उ. एवं राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में व्यय के प्रकार द्वारा उत्पादकता अनुपातों को भी चार्ट 3.5 में दर्शाया गया है।

आर्थिक सहायता प्रबन्धन

3.23 किसी भी कल्याणकारी राज्य में, समाज के सुविधा वंचित वर्गों को आर्थिक सहायताएं/राजकीय सहायताएं प्रदान करना एवं भुगतान हस्तांतरित करना तथा इमदादी मूल्यों पर उत्कर्ष पदार्थों¹ का प्रावधान करने के रूप में भी सहायताएं असामान्य नहीं है। यदि आर्थिक सहायताओं का प्रभाव वस्तुओं या आगतों की कीमतों को कम करने में होता है, जो बदले में इन वस्तुओं को लक्षित वर्गों के लिए सुगमता से प्राप्त बनाता है या/और उच्चतर उत्पादन को प्रोत्साहित/सुगम करता है, तो ऐसी आर्थिक सहायताएं कल्याण-प्रेरक हो सकती हैं। तालिका 3.10, सरकार द्वारा VIIIवीं, IXवीं तथा Xवीं योजनाओं के दौरान मुख्य मदों पर सुस्पष्ट रूप से प्रदान की गई आर्थिक सहायताओं का चित्र प्रस्तुत करती है।

तालिका 3.10: संघ सरकार के बजट में सुस्पष्ट आर्थिक सहायताएं

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	खाद्य	उर्वरक @	उर्वरक #	पैट्रोलियम आर्थिक सहायता	अन्य *	कुल आर्थिक सहायताएं	आर्थिक सहायताएं (अ)	आर्थिक सहायताएं (ब)
औसत वार्षिक मूल्य								
VIII वीं योजना (1992-97)	4976	6088	-	-	2405	13469	1.30	8.39
IX वीं योजना (1997-02)	11199	11376	-	-	3516	26091	1.36	8.33

¹ प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आवश्यक वस्तुओं का सार्वजनिक वितरण उत्कर्ष पदार्थों के उदाहरण हैं।

अवधि	खाद्य	उर्वरक @	उर्वरक #	पेट्रोलियम आर्थिक सहायता	अन्य *	कुल आर्थिक सहायताएं	आर्थिक सहायताएं (अ)	आर्थिक सहायताएं (ब)
X वीं योजना (2002-07)	23941	11017	5717	3983	2223	46881	1.46	9.36
2002-03	24176	7790	3225	5225	3592	44008	1.78	10.74
2003-04	25160	8521	3326	6292	1669	44968	1.63	10.22
2004-05	23280	10985	5142	2956	1976	44339	1.43	9.73
2005-06	23077	11863	6596	2683 **	849	45068	1.28	8.34
2006-07	24014	15924	10298	2699 **	4894	57829	1.40	8.79

@ देशी एवं आयातित उर्वरकों (यूरिया) पर दिए गए आर्थिक सहायता को दर्शाता है।

अनियंत्रित उर्वरकों की बिक्री पर किसानों को छूट के रूप में दिए गए आर्थिक सहायता को दर्शाता है।

* अन्य में इमदादी व्याज, नैफेड को दिया गया अनुदान, विनिमय हानि हेतु क्षतिपूर्ति, हज घोषणा-पत्र हेतु आर्थिक सहायता आदि शामिल है।

** प्रशासनिक मूल्य तंत्र के अन्तर्गत उनके दावें के निपटान में एवं संवेदनशील पैट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के कारण वसूलियों के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के प्रति तेल कम्पनियों को क्रमशः 2005-06 एवं 2006-07 के दौरान जारी किए गए 17263 करोड़ रु एवं 24122 करोड़ रु हेतु पैट्रोलियम बच्च-पत्रों को शामिल नहीं करता।

(अ) स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में

(ब) राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में

3.24 सम्पूर्ण रूप से सुस्पष्ट आर्थिक सहायता VIII वीं योजना (1992-97) के दौरान 13,469 करोड़ रु. की औसत से संगत रूप से बढ़कर IX वीं योजना (1997-2002) के दौरान 26091 करोड़ रु. तथा आगे X वीं योजना (2002-07) के दौरान 46881 करोड़ रु. हो गई। स.घ.उ. के सापेक्ष, VIII वीं योजना (1992-97) के दौरान आर्थिक सहायता 1.30 प्रतिशत से सांकेतिक रूप से बढ़कर IX वीं योजना (1997-2002) के दौरान 1.36 प्रतिशत की औसत तक हो गई। यह अनुपात X वीं योजना में आर्थिक सहायता पर व्यय में भारी वृद्धि तथा वर्ष के दौरान स.घ.उ. वृद्धि दर में प्रदर्शित अर्थव्यवस्था के अपेक्षाकृत कमजोर निष्पादन के संयुक्त संघात के कारण 1.46 की औसत तक और बढ़ा। बाद के वर्षों में, यद्यपि आर्थिक सहायतों पर व्यय ने थोड़े-बहुत बदलाव को इंगित किया लेकिन उत्पादक स.घ.उ. वृद्धि दरों ने इन वर्षों के दौरान अनुपात को क्रमशः दक्षिणवर्ती दिशा में धकेल दिया। आर्थिक सहायता ने 1992-2002 के दशक के दौरान VIII वीं योजना एवं IX वीं योजना की अवधि के अनुरूप होते हुए कुल राजस्व व्यय के लगभग 8 प्रतिशत की भागीदारी की जो X वीं योजना के दौरान अब तक लगभग 10 प्रतिशत तक बढ़ी जो मुख्य रूप से पैट्रोलियम क्षेत्र में ए.पी.एम. को विघटित करने के निर्णय के बावजूद अदा की जा रही पैट्रोलियम आर्थिक सहायता के कारण थी।

3.25 यह सुस्पष्ट है कि खाद्य आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता पर कुल व्यय में VIII वीं योजना के दौरान 37 प्रतिशत की औसत से बदल कर X वीं योजना के दौरान 51 प्रतिशत के प्रभावी अंश को संस्थापित करती है। आर्थिक सहायता के इस घटक ने

चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार के राजस्व व्यय के 3.65 प्रतिशत को संस्थापित किया। चालू वर्ष के दौरान खाद्य आर्थिक सहायता 24014 करोड़ रु. तक सीमान्तक रूप से अधिक थी तथा बा.वि.आ. द्वारा संस्तुत 22000 करोड़ रु. प्रतिवर्ष के स्तर से बढ़ गई। चालू वर्ष के दौरान खाद्य एवं उर्वरकों ने मिलकर आर्थिक सहायता पर कुल व्यय के 87 प्रतिशत के नजदीक संस्थापित किया। चालू वर्ष के दौरान, 57,829 करोड़ रु. की कुल आर्थिक सहायता व्यय वर्ष हेतु बा.वि.आ. द्वारा संस्तुत 37,343 करोड़ रु. के स्तर से बहुत ऊपर था। चूंकि मध्यावधि दृष्टिकोण आर्थिक सहायता पर व्यय में तीव्र संकुचन का समर्थन करते प्रतीत नहीं होता इसलिए सभी आर्थिक सहायतों का बेहतर लक्ष्य करने हेतु प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

3.26 आर्थिक सहायता न केवल सुस्पष्ट रूप से, यानि कि बजट के माध्यम से प्रदान की जाती है, बल्कि लोगों को इमादादी लोक सेवा द्वारा गुप्त रूप में उपलब्ध करायी जाती है। इस प्रकार के आर्थिक सहायताओं को सामान्यताया अप्रत्यक्ष आर्थिक सहायता के रूप में नामित किया जाता है। वित्तीय संस्थानों एवं बैंकों को बजटीय सहायता, लो.क्षे.उ. में इसके निवेश से अपर्याप्त वापसी तथा सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं से उपभोक्ता प्रभारों की अपर्याप्त वसूली, जो सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, अप्रत्यक्ष आर्थिक सहायता की श्रेणी में आती है। नीचे दी गई तालिका 3.11 निवेश एवं बकाया अग्रिमों पर वापसी तथा सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं हेतु राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में उपभोक्ता प्रभार को दर्शाता है।

तालिका 3.11: निवेश एवं अग्रिमों पर वापसी तथा उपभोक्ता प्रभारों की वसूली

(प्रतिशत)

अवधि	ऋणों एवं अग्रिमों पर व्याज	निवेश से वापसी	सामाजिक सेवाओं से प्राप्ति*	आर्थिक सेवाओं से प्राप्ति*
1992-2007	13.54	7.97	3.46	50.27
VIII वीं योजना (1992-97)	11.23	2.35	9.57	57.22
IX वीं योजना (1997-02)	14.15	5.30	3.59	55.80
X वीं योजना (2002-07)	14.29	12.40	2.17	44.56
2002-03	15.11	8.83	2.03	43.07
2003-04	15.91	9.84	1.91	45.27
2004-05	14.30	13.29	1.49	51.37
2005-06	13.36	14.79	4.28	45.39
2006-07	12.03	14.67	1.03	40.32
वापसी में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर				
1992-2007	2.21	18.04	-15.09	-2.38

* सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं से राजस्व प्राप्तियां उनके राजस्व व्यय के प्रतिशत के अनुसार हैं।

3.27 सरकार के निवेश (निवेश के प्रारम्भिक स्टाक के आधार पर) पर वापसी की औसत दर VIII वीं योजना (1992-1997) के दौरान 2.35 प्रतिशत से बढ़कर IX वीं

योजना (1997-2002) के दौरान 5.30 प्रतिशत तक तथा 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान 14.79 तथा 14.67 प्रतिशत के शीर्ष स्तर के साथ Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 12.40 प्रतिशत वार्षिक औसत हुई। तथापि, यह वापसी निवल मूल्य या बाजार्स घूंजीकरण पर आधारित न होकर निवेश के पुस्तकीय मूल्य पर आधारित थी। ऋणों एवं अग्रिमों (अथशेष) पर इसके ब्याज की औसत दर भी 11.23 प्रतिशत से IXवीं योजना (1997-2002) तथा 2003-04 के दौरान 15.91 प्रतिशत के शीर्ष स्तर के साथ Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 14 प्रतिशत कुछ अधिक बढ़ी। यद्यपि सरकार की वित्तीय मध्यस्थिता पर अप्रत्यक्ष आर्थिक सहायता नहीं थी क्योंकि प्राप्त किए गए ब्याज की औसत दर, लिये गये उधारों पर ब्याज के मूल्य से अधिक थी इसलिए सरकार के निवेश पर 7.97 प्रतिशत की वापसी की प्रवृत्ति दर, सरकार द्वारा लिये गये उधारों पर ब्याज की दर (7.54 प्रतिशत) से सीमान्तक उच्च थी। तथापि निवेश पर वापसी की दर में महत्वपूर्ण त्वरण देखा गया तथा 1992-2007 के दौरान इसकी 18.04 प्रतिशत की विचलन परिवर्तन दर थी। वर्तमान स्तरों पर, निवेशों पर वापसी, संसाधन बढ़ाने की लागत से 2.64 प्रतिशतता बिन्दु अधिक थी।

3.28 सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में, वापसी दरों (राजस्व प्राप्तियां/राजस्व व्यय) ने मंद प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया। सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं दोनों में ही राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय से कम थीं जो प्रचालन खर्चों के सदृश हैं। सामाजिक अवसंरचना, विशेषतौर पर शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का विस्तार, के सृजन एवं सुदृढ़ीकरण में किया गया लोक व्यय, हाल के वर्षों के दौरान केवल मासूली लागू प्रयोक्ता प्रभारों के साथ विविध रूप से बढ़ा है। परिणामस्वरूप, सामाजिक सेवाओं को उपलब्ध कराने में किए गए राजस्व व्यय की तुलना में सामाजिक सेवाओं से राजस्व प्राप्तियों का अनुपात VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 9.57 प्रतिशत के संगत गिरावट के साथ 2004-05 में 1.49 प्रतिशत हो गया। 2005-06 के दौरान इस अनुपात में महत्वपूर्ण वृद्धि, विशेषतौर से पिछले वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष के दौरान 'सूचना एवं प्रचार' शीर्ष के अंतर्गत प्रकट: एक बारगी 1139 करोड़ रु. की राशि की बढ़ी हुई वसूली के कारण देखी गई। तथापि यह अनुपात, जैसा कि अनुमान था, चालू वर्ष के दौरान 1.03 प्रतिशत तक तेजी से गिरा। आर्थिक सेवाओं से राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियों का समग्र अनुपात VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 57.22 प्रतिशत से गिरकर X वीं योजना (2002-07) के दौरान 44.56 हो गया जिसमें 1992-2007 की अवधि के दौरान एक ऋणात्मक विचलन दर को प्रदर्शित किया। तथापि, रेलवे (चूंकि रेलवे के प्रचालन से प्राप्त अधिशेष को रेलवे विकास रिजर्व निधि में स्थानांतरित कर दिया गया था इसलिए राजस्व सही ढंग से व्यय से मिल गया) के लिए वसूली दर, राजस्व व्यय का 100 प्रतिशत थी। दूर संचार क्षेत्र में वसूली 100 प्रतिशत से भी आगे बढ़ गई क्योंकि म.दू.नि.लि. एवं भा.स.नि.लि. का निगमीकरण होने के कारण, दूरसंचार क्षेत्र से प्राप्त राजस्व में लाइसेन्स शुल्क शामिल था तथा प्रचालन पर व्यय एवं सेवाओं के अनुरक्षण पर पूर्व में कोई व्यय करने की आवश्यकता नहीं थी।

सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय

3.29 क्रियाकलापों के अनुसार, समग्र व्यय को सामान्य सेवाओं (जिसमें प्रशासन और रक्षा शामिल है), सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं से संघटित हुआ माना जा सकता है। बाद की दो श्रेणियां भी विकासात्मक प्रकृति की समझी जाती हैं। नीचे दी गई तालिका 3.12 सामाजिक सेवाओं और उनके विभिन्न घटकों पर व्यय में प्रवृत्तियां दर्शाती है।

तालिका 3.12: सामाजिक सेवाओं पर व्यय (राजस्व एवं पूँजीगत) -प्रवृत्तियां एवं संघटन

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	सामाजिक सेवाएं	शिक्षा	स्थास्थ्य	जलपूर्ति	सू.प्र.	श्रमिक कल्याण	अन्य
1992-2007	18512	8041	2836	3199	942	789	2706
VIII वीं योजना (1992-97)	6903	2696	901	887	986	465	968
IX वीं योजना (1997-02)	15998	6457	2227	3217	568	768	2761
X वीं योजना (2002-07)	32634	14970	5379	5492	1272	1133	4389
2002-03	21810	9846	3164	4044	1170	764	2822
2003-04	24593	10965	3907	4669	1219	823	3010
2004-05	31115	13997	4465	5997	1237	994	4425
2005-06	39160	16841	6847	6101	1344	1233	6794
2006-07	46494	23200	8510	6648	1389	1851	4896

औसत वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)

1992-2007	16.70	18.24	18.99	21.35	0.00	9.48	18.03
VIII वीं योजना (1992-97)	19.61	16.02	11.39	35.64	12.93	9.52	36.63
IX वीं योजना (1997-02)	7.96	11.38	19.15	12.90	0.00	10.68	25.93
X वीं योजना (2002-07)	21.89	23.90	28.92	13.45	4.49	24.29	21.12
2002-03	33.94	30.10	7.04	1.46	0.00	-9.37	-30.23
2003-04	12.76	11.37	23.48	15.45	4.19	7.72	6.66
2004-05	26.52	27.65	14.28	28.44	1.48	20.78	47.01
2005-06	25.86	20.32	53.35	1.73	8.65	24.04	53.54
2006-07	18.73	37.76	24.29	8.97	3.35	50.12	-27.92

3.30 सामाजिक सेवाओं पर संघ सरकार का समग्र व्यय VIII वीं योजना (1992-1997) के दौरान 6903 करोड़ रु. की वार्षिक औसत से बढ़कर IX वीं योजना (1997-2002) के दौरान 15998 करोड़ रु. तथा आगे चालू वर्ष के दौरान 46494 करोड़ रु. के शीर्ष स्तर के साथ X वीं योजना (2002-07) के दौरान यह वार्षिक औसत और बढ़ कर 32634 करोड़ रु. हो गया। सामाजिक सेवाओं पर व्यय में वृद्धि की दीर्घावधि प्रवृत्ति की 16.70 प्रतिशत (1992-2007) दर, स.घ.उ., राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय से अधिक थी। तथापि IX वीं योजना के दौरान इन दरों में बहुत मन्दन था और पिछली

योजना की तुलना में, संकुचन 12 प्रतिशतता अंक (VIIIवीं योजना के दौरान 19.61 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि से IXवीं योजना के दौरान औसत 7.96 प्रतिशत की औसत तक) के आस-पास था। सामाजिक सेवाओं पर व्यय Xवीं योजना (2002-07) के दौरान विशेष रूप से उत्प्लावक थे। सामाजिक सेवाओं में ग्रामीण रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता (आवास और शहरी विकास सहित) पर व्यय अपेक्षाकृत उत्प्लावक था। चालू वर्ष में भी पिछले वर्ष में उच्च आधार के बावजूद शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर व्यय में बहुत उत्प्लावकता देखी गई।

3.31 आर्थिक सेवाओं के घटकों पर व्यय नीचे तालिका 3.13 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.13: आर्थिक सेवाओं पर व्यय (राजस्व व पूँजीगत) - प्रवृत्तियां और संरचना

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	आर्थिक सेवाएं	कृषि एवं अनुषंगी	ग्रामीण विकास	ऊर्जा	उद्योग एवं खनिज	परिवहन	डाक	दूरसंचार	अन्य
1992-2007	127703	22330	8249	10871	12709	48008	3871	8322	13343
VIII वीं योजना (1992-97)	69161	9665	3263	3061	7229	24246	1598	8417	11682
IX वीं योजना (1997-02)	121107	20048	5146	10158	12294	44714	3937	13554	11256
X वीं योजना (2002-07)	192841	37275	16338	19394	18605	75063	6079	2995	17092
2002-03	154041	31101	11737	12118	13965	60415	5416	3486	15803
2003-04	166058	32911	12174	13664	16761	64379	5681	3102	17387
2004-05	165885	36366	9478	9897	17664	69578	5940	3579	13383
2005-06	207331	37622	15660	25978	19857	83325	6503	2827	15559
2006-07	270891	48376	32642	35315	24776	97615	6857	1983	23327

औसत वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)

1992-2007	10.58	14.54	21.44	18.15	9.60	11.90	14.27	-9.20	3.23
VIII वीं योजना (1992-97)	9.35	14.89	81.37	4.36	2.17	9.22	13.62	26.75	-9.69
IX वीं योजना (1997-02)	6.36	18.28	2.79	1.23	8.78	14.26	19.11	-27.41	-5.55
X वीं योजना (2002-07)	14.46	10.71	25.83	32.07	14.07	12.95	6.26	-11.50	6.91
2002-03	8.98	9.92	89.64	-28.90	4.40	5.69	4.82	-6.77	52.21
2003-04	7.80	5.82	3.72	12.76	20.02	6.56	4.89	-11.02	10.02
2004-05	-0.10	10.50	-22.15	-27.57	5.39	8.08	4.56	15.38	-23.03
2005-06	24.98	3.45	65.22	162.48	12.42	19.76	9.48	-21.01	16.26
2006-07	30.66	28.58	-108.44	35.94	24.77	17.15	5.44	-29.85	49.93

3.32 आर्थिक सेवाओं पर समग्र व्यय VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 69161 करोड़ रु. की औसत से महत्वपूर्ण रूप से बढ़कर IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 121107 करोड़ रु. तथा चालू वर्ष के दौरान 270891 करोड़ रु. के उच्च स्तर पर पहुंचने के पश्चात Xवीं योजना (2002-07) के दौरान और बढ़कर 192841 करोड़ रु. हो गया। 1992-2007 के दौरान आर्थिक सेवाओं पर व्यय की वृद्धि की वार्षिक प्रवृत्ति दर 10.58 प्रतिशत थी। सामाजिक सेवाओं की भाँति, IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दरों में मन्दन देखा गया था। तीन प्रतिशतता अंक का यह मन्दन आर्थिक सेवाओं के लिए सापेक्षतया मामूली था। 2004-

05 में मुख्यतः ग्रामीण विकास और ऊर्जा क्षेत्रों पर व्यय में गिरावट के कारण वृद्धि दर और भी ऋणात्मक हो गई। तथापि, 2005-06 के दौरान इन दो क्षेत्रों में एकाएक परिवर्तन का परिणाम आर्थिक सेवाओं पर कुल व्यय में उत्प्लावकता में हुआ। वृद्धि दरों में वर्ष और सेवाओं के अन्दर बहुत अधिक विचलन थे। कृषि एवं अनुषंगी गतिविधियों (सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण सहित) पर व्यय VIIIवीं एवं IXवीं योजना अवधि के दौरान अपेक्षाकृत उत्प्लावक थे लेकिन Xवीं योजना अवधि के दौरान मिश्रित प्रवृत्ति के साथ वृद्धि दर में महत्वपूर्ण रूप से गिरावट आई। तथापि, ग्रामीण विकास के मामले में, व्यय की वृद्धि दर में, VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 81.37 प्रतिशत औसत से IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 2.79 प्रतिशत की औसत तक की तीव्र गिरावट आई जो Xवीं योजना के दौरान विस्तृत परिवर्तन के साथ 25.83 प्रतिशत तक फिर उछला। ऊर्जा पर व्यय VIIIवीं योजना के दौरान केवल सामान्य दर से बढ़ रहा था तथा IXवीं योजना में पुनः गिरा एवं Xवीं योजना अवधि (2002-07) के दौरान वृहद घूर्णन को प्रदर्शित किया। 2005-06 के दौरान, प्रशासकीय मूल्यों के तहत तेल कम्पनियों के दावों का मूलतः समझौता कराने के प्रति पेट्रोलियम क्षेत्र में 16989 करोड़ रु. के बढ़े हुए व्यय के कारण तीव्र वृद्धि दर्ज की गई। 2006-07 के दौरान भी तेल विपणन कम्पनियों को भारी आर्थिक सहायता के साथ साथ उनको क्षतिपूर्ति के रूप में कुल 26877 करोड़ रु. के भुगतान का परिणाम पिछले वर्ष में पहले से ही विस्तृत आकार की तुलना में ऊर्जा क्षेत्र में व्यय में 35.94 प्रतिशत की वृद्धि दर में हुआ। ‘उद्योग एवं खनिज’ VIIIवीं योजना के दौरान 2.17 प्रतिशत की निम्न वृद्धि दर के साथ अन्तर्वर्षीय परिवर्तनों के साथ Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 14.07 प्रतिशत तक बढ़ा। VIIIवीं योजना अवधि की अपेक्षा IXवीं योजना में परिवहन क्षेत्र पर व्यय ने उत्प्लावन प्रदर्शित किया लेकिन उसके बाद Xवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान सामान्य दर से बढ़ा जिसने 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान तेजी पकड़ ली। 2005-06 के दौरान 19.76 प्रतिशत से महत्वपूर्ण वृद्धि मुख्य रूप से ‘सड़क एवं पुल’ के अंतर्गत रिजर्व निधि में संसाधानों के अन्तरण के कारण थी, सड़क निर्माण पर अधिक व्यय का परिणाम क्षेत्र में उत्प्लावक वृद्धि में हुआ। पिछले कुछ वर्षों, विशेष रूप से Xवीं योजना अवधि के दौरान संघ सरकार के व्यय के प्रतिमान में प्रवृत्तियों ने प्रकट किया कि राजकोषीय नीति ने ग्रामीण रोजगार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों पर बढ़े हुए खर्च पर ज्यादा बल दिया है। इसके अतिरिक्त, वृद्धि प्रक्रिया को सर्वसमावेशी बनाने के लिए ग्रामीण सड़कों, आवास एवं ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी संरचनात्मक सुविधाओं पर व्यय को पिछले कुछ वर्षों के दौरान बढ़ा दिया गया है।

3.33 यह अधिक महत्वपूर्ण है कि सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के व्यय को स.घ.उ. की सापेक्षता में देखा जाये जो कि वह इन क्षेत्रों को प्रदान की गई सापेक्षिक प्राथमिकता और इन व्यापक समूहों में किसी विशिष्ट क्षेत्र को दी गई प्राथमिकता को दर्शाता है। 1992-2007 के दौरान संघ सरकार का सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर

व्यय, स.घ.उ. का औसत 7.117 प्रतिशत था। VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान सामाजिक व अर्थिक सेवाओं पर स.घ.उ. की 7.347 प्रतिशत का किया गया व्यय IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 7.141 प्रतिशत तक तथा आगे Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 7.027 प्रतिशत की वार्षिक औसत तक नीचे गिरा। स.घ.उ. के सापेक्षिक चयनित सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर व्यय क्रमशः तालिका 3.14 तथा 3.15 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.14: स.घ.उ. के सापेक्ष सामाजिक सेवाओं पर व्यय (राजस्व एवं पूँजीगत)

(प्रतिशत)

अवधि	सामाजिक सेवाएं	शिक्षा	स्वास्थ्य एवं प.क.	ज.आ. स्व.*	सू.प्र.**	श्रम कल्याण	अन्य
1992-2007	0.901	0.391	0.138	0.156	0.046	0.038	0.132
VIII वीं योजना (1992-97)	0.667	0.260	0.087	0.086	0.095	0.045	0.094
IX वीं योजना (1997-02)	0.833	0.336	0.116	0.168	0.030	0.040	0.144
X वीं योजना (2002-07)	1.017	0.467	0.168	0.171	0.040	0.035	0.137
2002-03	0.887	0.401	0.129	0.165	0.048	0.031	0.115
2003-04	0.889	0.396	0.141	0.169	0.044	0.030	0.109
2004-05	0.995	0.448	0.143	0.192	0.040	0.032	0.142
2005-06	1.098	0.472	0.192	0.171	0.038	0.035	0.190
2006-07	1.127	0.562	0.206	0.161	0.034	0.045	0.119
उनके सापेक्षिक अंशों में विचलन की औसत वार्षिक दर							
1992-2007	3.998	5.370	6.043	8.146	0.00	-2.431	5.184

* जल आपूर्ति एवं स्वच्छता

** सूचना एवं प्रसारण

3.34 1992-2007 के दौरान सामाजिक सेवाओं (इस क्षेत्र में ऋणों एवं अग्रिमों को छोड़कर) पर व्यय में की स.घ.उ. के सापेक्ष उनके अंश में सकारात्मक विचलन दर थी। जल आपूर्ति एवं स्वच्छता प्रबंधन क्षेत्र के मामले में एक अर्थपूर्ण सकारात्मक विचलन दर्शाता है कि पिछले कुछ समय से सरकार के योजनाबद्ध विनिधान तथा व्यय में, सभी आवासों को पेयजल की आपूर्ति तथा ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में पर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं के प्रावधान को महत्व प्राप्त हुआ है। दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामाजिक सेवाओं -शिक्षा और स्वास्थ्य में भी सकारात्मक विचलन दर देखी गई थी। तथापि, सकारात्मक विचलन दर के बावजूद, सामाजिक क्षेत्रों के लिए पूर्व में समग्र आबंटन स.घ.उ. के एक प्रतिशत से कम था और इसने पिछले तीन वर्षों के दौरान इसी सीमा को मात्र पार ही किया है। सामाजिक सेवाओं के सुदृढ़ीकरण तथा विस्तार हेतु लागत को पुनः प्राथमिकता प्रदान करने के प्रति प्रयास जारी रखने की जरूरत थी।

तालिका 3.15: स.घ.उ. के सापेक्ष आर्थिक सेवाओं पर व्यय (राजस्व एवं पूँजीगत)

(प्रतिशत)

अवधि	आर्थिक सेवाएं	कृषि	ग्रामीण विकास	ऊर्जा	उद्योग एवं खनिज	परिवहन	डाक	दूरसंचार	अन्य
1992-2007	6.216	1.087	0.401	0.529	0.619	2.337	0.188	0.405	0.649
VIIIवीं योजना (1992-97)	6.680	0.934	0.315	0.296	0.698	2.342	0.154	0.813	1.128
IX वीं योजना (1997-02)	6.308	1.044	0.268	0.529	0.640	2.329	0.205	0.706	0.586
X वीं योजना (2002-07)	6.010	1.162	0.509	0.604	0.580	2.339	0.189	0.093	0.533
2002-03	6.267	1.265	0.477	0.493	0.568	2.458	0.220	0.142	0.643
2003-04	6.005	1.190	0.440	0.494	0.606	2.328	0.205	0.112	0.629
2004-05	5.306	1.163	0.303	0.317	0.565	2.225	0.190	0.114	0.428
2005-06	5.812	1.055	0.439	0.728	0.557	2.336	0.182	0.079	0.436
2006-07	6.566	1.173	0.791	0.856	0.601	2.366	0.166	0.048	0.565
उनके सापेक्षिक अंशों में विचलन की औसत वार्षिक दर									
1992-2007	-1.458	2.016	8.220	5.296	-2.325	-0.277	1.835	-19.086	-8.006

3.35 स.घ.उ. के सापेक्ष आर्थिक सेवाओं पर व्यय के अंशों में ऋणात्मक विचलन दर थी। स.घ.उ. के सापेक्ष आर्थिक सेवाओं पर व्यय का समग्र अंश VIIIवीं योजना (1992-97) में स.घ.उ. के 6.68 प्रतिशत की औसत से गिरकर IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान सीमान्त रूप से 6.308 प्रतिशत तथा आगे Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 6.010 प्रतिशत की वार्षिक औसत तक रह गया। आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत ‘अन्य’ के अधीन वर्गीकृत अवशिष्ट आर्थिक सेवाओं सहित, परिवहन, उद्योग तथा ऊर्जा ने 1992-2007 के दौरान अपने सापेक्ष अंशों में विचलन की ऋणात्मक दर प्रदर्शित की। सिंचाई परियोजनाओं हेतु किए गए व्यय में बढ़ोतारी के कारण, कृषि तथा सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण सहित अन्य सम्बद्ध क्रियाकलापों पर व्यय, सोटे तौर पर पूरी अवधि में स.घ.उ. के लगभग एक प्रतिशत के बराबर बना रहा है। ग्रामीण विकास में एक अर्थपूर्ण सकारात्मक विचलन, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसरों को उत्पन्न करने के संदर्भ में, इस क्षेत्र हेतु सरकार की अत्यधिक प्राथमिकताओं को दर्शाता है।

अध्याय 4

घाटा: राजकोषीय असंतुलनों का प्रबंधन

तीन मुख्य राजकोषीय पैरामीटर - राजस्व, राजकोषीय तथा स.घ.उ. के सापेक्ष में परिमित प्राथमिक घाटा - एक विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान संघ अथवा राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था में समग्र राजकोषीय असंतुलनों की सीमा को इंगित करते हैं। स.घ.उ. के संबंध में, राजस्व घाटा 2004-05 में 2.52 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर वर्ष के दौरान 3.22 प्रतिशत हो गया था जबकि राजकोषीय घाटा 2003-04 में अपने 2.93 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर से 2006-07 में 4.43 प्रतिशत बढ़ा। राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटे का प्रमुख घटक बना रहा जो 1992-2007 के दौरान 66.86 प्रतिशत आंका गया। समग्र राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का समानुपात की औसत VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 46.26 प्रतिशत से बढ़कर 2003-04 के दौरान शीर्ष स्तर पर पहुंचने के उपरान्त Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 79.74 प्रतिशत हो गया।

प्राथमिक घाटा, जो ब्याज भुगतानों के निवल वर्तमान असंतुलनों को प्रस्तुत करता है, VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान स.घ.उ. के संदर्भ में, 1.77 प्रतिशत की औसत से घटकर 2002-03 में 0.41 प्रतिशत हो गया। यह बाद में 2003-04 एवं 2004-05 में प्राथमिक आधिक्य में परिवर्तित हो गया लेकिन 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान पुनः घाटे की तरफ मुड़ गया। यद्यपि इन वर्षों के दौरान यह स.घ.उ. के एक प्रतिशत से कम रहा। 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान, राजस्व एवं राजकोषीय घाटे में वृद्धि, रा.उ.ब.प्र. नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में फिसलन को प्रदर्शित करते हैं। स.घ.उ. के सापेक्ष राजकोषीय घाटे के उच्च स्तर सामान्यतः, ऋण-स.घ.उ. अनुपात में तीव्र वृद्धि उत्पन्न करते हैं। इसलिए, राजस्व एवं राजकोषीय घाटे के संबंध में रा.उ.ब.प्र. लक्ष्यों का पालन बहुत-आर्थिक, वित्तीय, बाह्य क्षेत्र बजटीय स्थिरता हेतु निर्णायक समझा जाता है।

4.1 तीन मुख्य राजकोषीय पैरामीटर - राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटा - एक विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान केन्द्र या राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था में समग्र राजकोषीय असंतुलनों की सीमा को इंगित करते हैं। यह अध्याय इन घाटों की प्रवृत्ति, प्रकृति, परिमाण एवं वित्तपोषण की रीति को प्रदर्शित करता है। घाटे, राजस्व तथा व्यय में असंतुलनों के कारण उत्पन्न होते हैं। ये असंतुलन अस्थायी अथवा संरचनात्मक हो सकते हैं। भारतीय संदर्भ में, राजकोषीय असंतुलन निरन्तर के साथ-साथ बहुद रहे हैं। आकार तथा नियमिता के अतिरिक्त, इसकी संरचना, विशेष रूप से राजस्व घाटे की, जो वर्तमान उपभोग की वित्त व्यवस्था के लिए हुआ है, भी चिंता का विषय रही है। बहुद आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में राजकोषीय नियमावली के सूत्रीकरण में घाटे के आकार के संबंध में निर्धारित नियमों को शामिल करना आवश्यक है जिसे वित्त व्यय को वहन किया जा सकता था। समाविष्ट होते हैं। यह अध्याय वित्तीय वर्ष 2006-07 हेतु रा.उ.ब.प्र. अधिनियम तथा नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की तुलना में राजस्व एवं राजकोषीय घाटों के वास्तविक स्तरों के मूल्यांकन को भी प्रदर्शित करता है।

राजस्व घाटा

4.2 राजस्व घाटा, सरकार की राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय का आधिक्य है। यह सरकार की निवल गैर-बचत तथा वर्तमान उपयोग को इसके विचलन को दर्शाता है। राजस्व घाटा का परिणाम उधारों व उसके तदनुरूप पूँजी/परिसंपत्ति के निर्माण के बिना वृद्धि का कारण बनता है। अतः राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए, लिए गए उधार का कोई भी परिसंपत्ति संबल नहीं होता तथा एक बेमेल परिसंपत्ति व देयता का सृजन करता है। इन विशेषताओं के कारण, राजस्व घाटा साधारणतया कम वांछनीय समझा जाता है। राजस्व घाटे में प्रवृत्तियां तथा उसके कुछ मुख्य पैरामीटर तालिका 4.1 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 4.1: राजस्व घाटा तथा उसके पैरामीटर

(करोड़ रुपयों में)


अवधि	राजस्व प्राप्ति	राजस्व व्यय	राजस्व घाटा	निम्न के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा		
				स.घ.उ.	राजस्व प्राप्ति	राजस्व व्यय
1992-2007	254475	324825	70350	3.42	27.65	21.66
VIII वीं योजना (1992-97)	131601	160541	28941	2.80	21.99	18.03
IX वीं योजना (1997-02)	237397	313109	75711	3.95	31.89	24.18
X वीं योजना (2002-07)	394426	500825	106399	3.32	26.98	21.24
2002-03	299826	409591	109765	4.47	36.61	26.80
2003-04	339100	440086	100986	3.65	29.78	22.95
2004-05	376871	455571	78700	2.52	20.88	17.28
2005-06	430940	540637	109697	3.08	25.46	20.29
2006-07	525393	658240	132847	3.22	25.29	20.18
वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत)						
1992-2007	11.75	12.12	13.64	1.27	1.70	1.36
VIII वीं योजना (1992-97)	15.61	14.64	10.88			
IX वीं योजना (1997-02)	8.12	10.40	17.29			
X वीं योजना (2002-07)	14.59	12.24	4.75			
2002-03	13.02	9.06	-0.49			
2003-04	13.10	7.45	-8.00			
2004-05	11.14	3.52	-22.07			
2005-06	14.35	18.67	39.39			
2006-07	21.92	21.75	21.10			

सापेक्ष अंश में विचलन की औसत वार्षिक दर


4.3 संघ सरकार का समग्र राजस्व घाटा VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 28,941 करोड़ रु. की औसत से बढ़कर IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 75,711 करोड़ रु. हो गया तथा Xवीं योजना (2002-07) के दौरान बढ़कर 106399 करोड़ रु. हो गया। 2001-02 में 110,303 करोड़ रु. से राजस्व घाटे ने गिरावट की प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया तथा 2004-05 में 78,700 करोड़ रु. के स्तर तक कम हुआ।

तथापि, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान राजस्व घाटा पिछले वर्ष के अनुकूल क्रमशः 39.39 प्रतिशत तथा 21.10 प्रतिशत बढ़ा तथा चालू वर्ष के दौरान अधिकतम स्तर तक पहुंच गया। 1992-2007 की अवधि के दौरान राजस्व घाटे की वृद्धि की औसत वार्षिक दर 13.64 प्रतिशत थी। राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति के बीच एक नकारात्मक फैलाव ने राजस्व घाटे की वृद्धि में योगदान दिया। राजस्व व्यय की वृद्धि दर, Xवीं योजना (2002-07) की प्रथम तीन वर्षों के दौरान राजस्व प्राप्ति से कम थी जिसका परिणाम राजस्व घाटे की नकारात्मक वृद्धि में हुआ। इन तीन वर्षों ने अपेक्षाकृत उत्प्लावक राजस्व प्राप्तियों तथा सामान्य गति से बढ़ते हुए राजस्व व्यय के कारण राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय के बीच चार से सात प्रतिशत के एक सकारात्मक फैलाव को प्रदर्शित किया। परिणामस्वरूप, राजस्व घाटे ने 2002-03 से गिरावट की प्रवृत्ति को इंगित किया लेकिन वर्ष 2004-05 में गिरावट 22.07 प्रतिशत के रूप में बहुत बड़ी तथा असाधारण थी। किन्तु, 2005-06 के दौरान राजस्व व्यय में वृद्धि दर, राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि दर से 4.32 प्रतिशतता अंक अधिक थी तथा यह चालू वर्ष के दौरान लगभग बराबर थी जिसका परिणाम राजस्व घाटे में क्रमशः 30997 करोड़ रु. तथा 23150 करोड़ रु. की वृद्धि में हुआ जिससे पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदर्शित इसकी गिरावट की प्रवृत्ति में विराम लगा दिया प्रतीत होता है।

4.4 स.घ.उ. के संबंध में राजस्व घाटा 2004-05 के 2.52 प्रतिशत के स्तर पर अवत्वरण से पूर्व VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान स.घ.उ. की 3.42 प्रतिशत की औसत से बढ़कर 2001-02 में 4.84 प्रतिशत हो गया था। तथापि, अनुपात ने 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान त्वरणीय प्रवृत्ति को इंगित किया तथा वर्ष के दौरान 3.22 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच गया (ग्राफ 4.1)। स.घ.उ. की तुलना में राजस्व घाटे के अंश में विचलन की औसत वार्षिक दर 1.27 प्रतिशत थी।



4.5 राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व घाटे का अनुपात 1992-2007 की अवधि के दौरान स.घ.उ. के साथ इसके अनुपात के आस-पास था (चार्ट 4.2)। राजस्व प्राप्ति के समानुपात के रूप में, 2005-06 तथा 2006-07 में राजस्व घाटे का स्तर 2004-05 के दौरान प्राप्त अब तक के दशक (1997-2007) के सबसे कम स्तर से चार से अधिक प्रतिशतता अंक को प्राप्त किया था। जो इंगित करता था कि इस अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियां औसतन करीब चतुर्थांश से राजस्व व्यय से कम थीं। राजस्व व्यय के समानुपात के रूप में, राजस्व घाटा 2005-06 तथा 2006-07 दोनों में 20 प्रतिशत से थोड़ा अधिक था जो राजस्व व्यय के उस समानुपात को इंगित करता है जो कर्ज से वित्तपोषित था (तालिका 4.1)।



राजकोषीय घाटा

4.6 राजकोषीय घाटा, गैर-ऋण प्राप्तियों (राजस्व प्राप्तियां, विविध पूँजीगत प्राप्तियां तथा ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली) पर सरकार के कुल व्यय की अधिकता है। राजकोषीय घाटा साधारणतः सरकार की बढ़ती हुई देयताओं या इसके अतिरिक्त उधारों का प्रतिनिधित्व करता है। कभी को या तो अतिरिक्त लोक ऋणों (आन्तरिक या बाह्य) अथवा लोक लेखाओं से अधिशेष का प्रयोग करके पूरा किया जा सकता था। मुख्य राजकोषीय पैरामीटरों के सापेक्ष घाटे की प्रवृत्तियों के साथ राजकोषीय घाटे की प्रवृत्तियाँ तालिका 4.2 में दर्शाई गई हैं।

तालिका 4.2: राजकोषीय घाटा तथा इसके पैरामीटर

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	गैर-ऋण प्राप्तियां	कुल व्यय	राजकोषीय घाटा	निम्न के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा		
				स.घ.उ.	गैर-ऋण प्राप्तियां	कुल व्यय
1992-2007	278739	383964	105226	5.12	37.75	27.41
VIII वीं योजना (1992-97)	140973	203539	62565	6.04	44.38	30.74
IX वीं योजना (1997-02)	254827	374502	119675	6.23	46.96	31.96
X वीं योजना (2002-07)	440415	573852	133437	4.16	30.30	23.25
2002-03	341722	476310	134588	5.48	39.39	28.26
2003-04	425880	506817	80937	2.93	19.00	15.97
2004-05	445535	549333	103798	3.32	23.30	18.90
2005-06	444322	609249	164927	4.62	37.12	27.07
2006-07	544618	727552	182934	4.43	33.59	25.14


अवधि	गैर-ऋण प्राप्तियां	कुल व्यय	राजकोषीय घाटा	निम्न के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा		
				स.घ.उ.	गैर-ऋण प्राप्तियां	कुल व्यय
वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत)						
1992-2007	12.05	10.89	7.76	-3.97	-3.83	-2.82
VIII वीं योजना (1992-97)	14.51	11.87	6.42			
IX वीं योजना (1997-2002)	8.74	8.86	9.00			
X वीं योजना (2002-07)	10.24	10.86	14.18			
2002-03	17.97	6.92	-13.63			
2003-04	24.63	6.40	-39.86			
2004-05	4.62	8.39	28.25			
2005-06	-0.27	10.91	58.89			
2006-07	22.57	19.42	10.92			

समानुपात में विचलन की औसत वार्षिक दर

4.7 VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान समग्र राजकोषीय घाटा 62,565 करोड़ रु. की औसत से बढ़कर **IXवीं योजना (1997-2002)** के दौरान 119,675 करोड़ रु. हो गया एवं इसके आगे **Xवीं योजना (2002-07)** के दौरान औसत 133,437 करोड़ रु. बढ़ा। राजस्व घाटा पिछले वर्ष में 164,927 करोड़ रु. के पूर्व शीर्ष को पार करने के पश्चात चालू वर्ष के दौरान 182,934 करोड़ रु. के शीर्ष स्तर पर पहुंच गया। 1992-2007 के दौरान राजकोषीय घाटे की वृद्धि की प्रवृत्ति दर 7.76 प्रतिशत थी। Xवीं योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान राजकोषीय घाटे के तीव्र ह्रास को बाद के वर्षों के दौरान तीव्र वृद्धि पार कर गयी जिसका परिणाम Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 14.18 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर, प्रवृत्ति वृद्धि दर के साथ-साथ VIIIवीं तथा IXवीं योजना अवधि की औसत वृद्धि दर से आगे बढ़ गई। निवल राजस्व प्राप्तियों में 94453 करोड़ रु. (21.92 प्रतिशत) तथा गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 5843 करोड़ रु. (43.66 प्रतिशत) की तीव्र वृद्धि के बावजूद चालू वर्ष के दौरान, राजकोषीय घाटे में उछाल कुल व्यय में 118303 करोड़ रु. की वृद्धि मुख्यतः सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं तथा राज्य एवं सं.शा.क्षे. सरकारों को अन्तरण के कारण बढ़े हुए व्यय के कारण थी।

4.8 स.घ.उ. के सापेक्ष राजकोषीय घाटा VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 6.04 प्रतिशत से 1997-98 में 6.87 प्रतिशत से लेकर 1999-2000 में 5.31 प्रतिशत तक के वृहत अंतःवर्षीय परिवर्तन के साथ, बढ़कर **IXवीं योजना के दौरान 6.23 प्रतिशत हो गया। Xवीं योजना (2002-07) के प्रथम तीन वर्षों में स.घ.उ. की तुलना में राजकोषीय घाटे के अनुपात में गिरावट आई लेकिन अंतिम दो वर्षों के दौरान इसने 2003-04 में 2.93 के न्यूनतम स्तर से ऊर एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी को प्रदर्शित किया। 1992-2007 के दौरान इसके अंश में औसतन वार्षिक परिवर्तन दर (-)3.97 प्रतिशत थी। गैर-ऋण प्राप्तियों के समानुपात के रूप में राजकोषीय घाटे ने 1992-2007 के दौरान 3.83 प्रतिशत के ऋणात्मक विचलन दर के साथ 1993-94 में 63.6 प्रतिशत से 2003-04**

के दौरान 19 प्रतिशत के वृहत् घूर्णन बदलाव को प्रदर्शित किया (चार्ट 4.3)। कुल व्यय की तुलना में राजकोषीय घाटा की विचलन दर भी अवधि के दौरान निम्न परिमाण के साथ ऋणात्मक थी।




4.9 पूँजी/परिसम्पत्तियों के निर्माण अथवा या आर्थिक एवं सामाजिक अवसंरचना के सृजन के लिए निधियों उधार लेना तथा राजकोषीय घाटे को चलाना सरकार के लिए कोई असामान्य बात नहीं है। ऐसे उधारों के माध्यम से सृजित परिसम्पत्तियां, एक आय प्रवाह का सृजन करके उधार की अदायगी संभव कर सकती हैं। पूँजीगत निर्माण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था की समग्र आय सृजन क्षमता में भी वृद्धि कर सकती है तथा कर आधार को व्यापक कर सकता है। आगे, ऐसी स्थिति में जहाँ अवसंरचना, वृद्धि के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबंध बन जाता है, सरकार द्वारा ऐसी पूँजीगत रचना, वृद्धि में त्वरण को अधिक व्यावहारिक बना सकती है। अतः ऐसे में राजकोषीय घाटे के विभिन्न संघटकों का विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है। यदि राजकोषीय घाटे का अधिकांश भाग पूँजीगत व्यय को धारणीय बनाये रखने के लिए या पूँजीगत निर्माण हेतु इकाइयों के लिए वित्तीय सुविधायें प्रदान करने के लिए हैं, तो ऐसे घाटे को एक हद तक वांछनीय समझा जा सकता है। नीचे दी गई तालिका 4.3, VIIIवीं, IXवीं तथा Xवीं योजना अवधि में राजकोषीय घाटे की संघटकों की गति को दर्शाती है।

तालिका 4.3: राजकोषीय घाटे के संघटक


(प्रतिशत)

अवधि	राजस्व घाटा	निवल पूँजीगत व्यय	निवल ऋण एवं अग्रिम
1992-2007	66.86	28.35	6.94
VIII वीं योजना (1992-97)	46.26	28.25	25.49
IX वीं योजना (1997-02)	63.26	19.53	17.21
X Plan (2002-07)	79.74	30.34	-10.96
2002-03	81.56	20.32	-1.88
2003-04	124.77	22.79	-47.56
2004-05	75.82	47.43	-23.25
2005-06	66.51	33.07	0.42
2006-07	72.62	32.12	-4.74
परिवर्तन की औसत वार्षिक दर			
1992-2007	5.46	0.53	

4.10 राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटे का प्रमुख घटक बना रहा जो 1992-2007 के दौरान राजकोषीय घाटे का 66.86 प्रतिशत आंका गया। VIII वीं योजना (1992-1997) के दौरान समग्र राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का समानुपात 46.26 प्रतिशत की औसत से बढ़कर IX वीं योजना (1997-2002) के दौरान 63.26 प्रतिशत तथा आगे 2003-04 के दौरान शीर्ष स्तर पर पहुंचने के उपरान्त X वीं योजना (2002-07) के दौरान इसकी औसत 79.74 प्रतिशत हो गई (चार्ट 4.4)। 1992-2007 के दौरान राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व घाटे के अनुपात में 5.46 प्रतिशत की एक सकारात्मक परिवर्तन दर थी। चालू वर्ष के दौरान राजस्व घाटे में दर्ज लगभग 21 प्रतिशत की वृद्धि के प्रति राजकोषीय घाटे में वृद्धि करीब 11 प्रतिशत थी जिसका परिणाम पूर्व वर्ष की अपेक्षा राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व घाटे के अनुपात की वृद्धि में हुआ।



4.11 1992-2007 के दौरान निवल पूंजीगत व्यय (पूंजीगत व्यय-पूंजीगत प्राप्तियां) राजकोषीय घाटे का 28.35 प्रतिशत था। 1992-2007 की अवधि में राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे के बढ़ते भाग ने निवल पूंजीगत व्यय के औसत अंश को VIIIवीं तथा IXवीं योजना अवधि के दौरान नीचे ढकेल दिया। यद्यपि X वीं योजना (2002-2007) के दौरान राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे के अंश में वृद्धि हुई है लेकिन राज्यों को वितरित ऋणों एवं अग्रिमों में 15.40 प्रतिशत की निवल गिरावट के कारण अवधि के दौरान निवल प्रतिव्यक्ति व्यय के अंश ने उत्प्लावकता को प्रदर्शित किया है। प्रवृत्तियां प्रकट करती हैं कि जब ब्याज भुगतान (प्रतिबद्ध व्यय के अन्य घटकों के साथ) सरकार के चालू राजस्वों के सापेक्ष बढ़ते हैं तो सरकारी व्यय में समायोजन की एक प्रक्रिया प्रारम्भ होती है जो सामान्यतया सरकार के पूंजीगत व्यय के प्रतीकूल है। ब्याज भुगतान, पूंजीगत व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों की सह-गतियों ने प्रदर्शित किया कि हालांकि ब्याज भुगतान में वृद्धि ने सरकारी पूंजीगत व्यय को ऋणात्मक रूप से प्रभावित किया, राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि का एक सकारात्मक प्रभाव था। 1992-2007 की अवधि के दौरान राजकोषीय घाटे ने निवल ऋणों एवं अग्रिमों के करीब 7 प्रतिशत को वित्त पोषित किया। X वीं योजना के दौरान अब तक, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली नये ऋणों के निर्गम से प्रायः अधिक थी तथा अधिशेष ने राजकोषीय घाटे के भाग का वास्तविक रूप से वित्त पोषण किया (चार्ट 4.5)। चालू खर्चों को पूरा करने हेतु हेतु उधार ली गयी निधियों के लगातार उपयोग ने न केवल परिसंपत्ति अधार में अपरदन प्रदर्शित किया बल्कि इसने पूंजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) को समायोजन का चर भी बना दिया।



4.12 बहुत आर्थिक स्थिरता के अनुरक्षण में राजकोषीय नीति की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तथापि, राजकोषीय उपकरणों की क्षमता एवं प्रभावकारिता राजकोषीय घाटे की संरचना पर निर्भर करती है। स.घ.उ. अनुपात की तुलना में राजकोषीय घाटे के तीन घटक होते हैं - प्राथमिक संरचनात्मक घाटा, स.घ.उ. के सापेक्ष संरचनात्मक व्याज भुगतान तथा चक्रीय राजकोषीय घाटा। प्रवृत्तियां प्रकट करती हैं कि संरचनात्मक व्याज भुगतान VIIIवीं योजना (1992-97) के प्रारम्भ से अधिकांश वर्षों के दौरान वास्तविक राजकोषीय घाटे के एक बड़े भाग के लिए जिम्मेवार रहा है। संरचनात्मक व्याज भुगतान का प्रभाव नब्बे के दशक में तुलनात्मक रूप से अधिक व्यापक एवं अधिक स्थायी हुआ है। 'प्राथमिक अन्तराल' को वास्तविक संरचनात्मक प्राथमिक घाटे एवं ऋण-स्थिरक प्राथमिक घाटे के बीच अन्तर के रूप में परिभाषित करते हुए, संरचनात्मक आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि प्राथमिक घाटा नब्बे के दशक तथा उसके बाद के अधिकांश वर्षों के दौरान, 'ऋण-स्थिरक' प्राथमिक घाटे से बढ़ा हुआ है। अस्सी के दशक के अंत तथा नब्बे के दशक के अंतिम भाग के आसपास लम्बी अवधियां ऐसे रही हैं जिनमें प्राथमिक घाटा, ऋण-स्थिरक प्राथमिक घाटे से बहुत अधिक रहा है। संरचनात्मक प्राथमिक घाटे एवं संरचनात्मक व्याज भुगतान ने मिलकर संरचनात्मक राजकोषीय घाटे को विशाल बना दिया है। भारी संरचनात्मक राजकोषीय घाटे को देखते हुए, चक्रीय घाटा जो भूमिका अदा कर सकता है, वह उतार-चढ़ाव की अवधि के दौरान बहुत ही सीमित हो गई है।

4.13 संरचनात्मक प्रकृति के मुख्य घटक वाले भारी राजकोषीय घाटा किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि के प्रदर्शन हेतु निहितार्थ है। स.घ.उ. की वृद्धि दरों तथा राजकोषीय घाटे में प्रवृत्तियां VIIIवीं योजना (1992-97), IXवीं योजना (1997-2002) तथा Xवीं योजना (2002-07) की अवधि के दौरान राजकोषीय घाटे तथा भारतीय

अर्थव्यवस्था की वृद्धि के विकास प्रदर्शन के बीच एक प्रतिलोम सहसम्बन्ध को दर्शाती थीं। जब घाटा संकुचित हो रहा था, आठवीं योजना (1992-97) में 6.7 प्रतिशत का तीव्र वृद्धि प्रदर्शित हुई; नौवीं योजना (1997-2002) में जब घाटा बढ़ रहा था तब कुछ मंदन दर्ज किया गया तथा Xवीं योजना (2002-07) में जब राजकोषीय घाटा पुनः घट रहा था तब योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान पुनरुत्थानशील वृद्धि दर्ज की। 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान यह देखा गया कि निवल पूंजीगत व्यय राजकोषीय घाटे का लगभग एक तिहाई था जबकि Xवीं योजना के दौरान राजस्व घाटे का अंश ने कमी की प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया है। राजकोषीय घाटे की संरचना में गुणात्मक सुधार पिछले कुछ वर्षों के दौरान उच्च वृद्धि पथ सहित सहवर्ती बढ़ते हुए राजकोषीय घाटे हेतु एक व्याख्यात्मक घटक हो सकता था।

प्राथमिक घाटा

4.14 यद्यपि राजकोषीय घाटा साधारणतया अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता को निरूपित करता है फिर भी ऐसे संसाधनों के एक भाग की आवश्यकता ब्याज भुगतानों के वित्तपोषण के लिए पड़ सकती है। ब्याज के भुगतान पिछले दायित्वों के व्यय को दर्शाती हैं तथा चालू नियतात्मक वरीयताओं से स्वतंत्र हैं। यदि असंतुलन के वर्तमान स्वरूप को देखना हो तो इन भुगतानों को कुल असंतुलन में से पृथक करने की और घटाये जाने की आवश्यकता है। प्राथमिक घाटा, जो ब्याज भुगतानों के निवल वर्तमान असंतुलनों को प्रस्तुत करता है, का औसत VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 18,285 करोड़ रु. से बढ़कर IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 28,573 करोड़ रु. हो गया किन्तु प्रवृत्ति X वीं योजना के दौरान पुनः विपरीत हो गई थी क्योंकि इसने 2423 करोड़ रु. के औसत अधिशेष को प्रदर्शित किया। संघ सरकार के मुख्य लेखे ने Xवीं योजना के दौरान 2003-04 में 47,177 करोड़ रु. अधिशेष को प्रदर्शित करते हुए वृहत उतास-चढ़ाव को प्रदर्शित किया क्योंकि वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान राजकोषीय घाटे से बढ़ गया था जो 1997-98 ये राजकोषीय घाटे का न्यूनतम स्तर था। तथापि अधिशेष के शीर्ष स्तर ने अगले वर्ष में मंद प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया तथा 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान मुख्य रूप से ब्याज भुगतानों से संबंधित राजकोषीय घाटे में तीव्र वृद्धि के कारण एक बार फिर घाटे पर पहुंच गया।

तालिका 4.4: प्राथमिक घाटा तथा इनके पैरामीटर

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	राजस्व घाटा	राजकोषीय घाटा	ब्याज भुगतान	प्राथमिक घाटा*	स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में प्राथमिक घाटा
1992-2007	70350	105226	90414	14812	0.72
VIII वीं योजना (1992-97)	28941	62565	44280	18285	1.77
IX वीं योजना (1997-02)	75711	119675	91102	28573	1.49
X वीं योजना (2002-07)	106399	133437	135860	-2423	-0.08

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	राजस्व धाटा	राजकोषीय धाटा	ब्याज भुगतान	प्राथमिक धाटा*	स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में प्राथमिक धाटा
2002-03	109765	134588	124573	10015	0.41
2003-04	100986	80937	128114	-47177	-1.71
2004-05	78700	103798	130958	-27160	-0.87
2005-06	109697	164927	141375	23552	0.66
2006-07	132847	182934	154280	28654	0.69
वृद्धि की औसत वार्षिक प्रवृत्ति दर (प्रतिशत)					
1992-2007	13.64	7.76	12.15		
VIIIवीं योजना (1992-97)	10.88	6.42	17.44		
IXवीं योजना (1997-02)	17.29	9.00	14.90		
Xवीं योजना (2002-07)	4.75	14.18	5.40		
2002-03	-0.49	-13.63	9.11		
2003-04	-8.00	-39.86	2.84		
2004-05	-22.07	28.25	2.22		
2005-06	39.39	58.89	7.95		
2006-07	21.10	10.92	9.13		

* ऋणात्मक आंकड़ा प्राथमिक अधिशेष के विद्यमान होने का संकेत करता है।

परिवर्तन की औसत वार्षिक दर

4.15 स.घ.उ. के संदर्भ में, प्राथमिक धाटा VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 1.77 प्रतिशत की औसत से घटकर IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 1.49 प्रतिशत तथा आगे 2002-03 में 0.41 प्रतिशत हो गया। यह बाद में 2003-04 एवं 2004-05 में धनात्मक हो गया लेकिन पिछले दो वर्षों के दौरान प्रवृत्ति पुनः विपरीत हो गई तथा 2006-07 के दौरान स.घ.उ. के संदर्भ में सापेक्ष प्राथमिक धाटा बढ़कर 0.69 प्रतिशत हो गया। स.घ.उ. के 1.77 प्रतिशत से 2004-05 में स.घ.उ. के (-)0.87 प्रतिशत की औसत तक मुख्य धाटे में सुधार, स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि 2003-04 एवं 2004-05 में पूंजीगत व्यय तथा ब्याज भुगतानों से निवल ऋणों एवं अग्रिमों, सहित उस वर्ष में किए गए व्यय को पूरा करने के लिए गैर-ऋण प्राप्तियां पर्याप्त थीं। तथापि, वह मुख्य रूप से लघु-ऋण व्यवस्था का लाभ लेने के लिए 2003-04 एवं 2004-05 में ऋण विनियम योजना के अंतर्गत राज्यों के साथ साथ कुछ लोक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा ऋणों की वसूली के साथ उच्च मूल्य के ऋणों के पूर्वभुगतान के कारण था। परिणाम के तौर पर, अपेक्षाकृत उच्च गति से शासकीय व्यय में वृद्धि के साथ-साथ गैर-ऋण प्राप्तियों में संकुचन ने राजकोषीय धाटे में गिरावट को प्रेरित किया जिसके कारण 2005-06 तथा 2006-07 में प्राथमिक धाटे की स्थिति और भी खराब हो गई। तथापि, ऋणों की वसूली या विविध पूंजीगत प्राप्तियों की संभूति सरकार की परिसंपत्ति आधार में गिरावट को प्रदर्शित करती है तथा इसे अधिक से अधिक एक सीमित एवं एक अस्थायी विकल्प के रूप में देखा जा सकता था।

लक्ष्य/रा.उ.ब.प्र.अधिनियम/नियमावली की अपेक्षाओं की तुलना में वास्तविक घाटा

4.16 सरकारी अधिसूचना जारी किए जाने एवं रा.उ.ब.प्र. नियमावली 2004 के सूत्रीकरण के पश्चात में रा.उ.ब.प्र. अधिनियम 2003 जुलाई 2004 से प्रभाव में आया। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन (रा.उ.ब.प्र.) अधिनियम 2003, यथासंशोधित की धारा 4(1) प्रावधान करता है कि संघ सरकार, राजकोषीय घाटे एवं राजस्व घाटे को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगी ताकि 31 मार्च 2009 तक राजस्व घाटे को समाप्त किया जा सके। अधिनियम एवं नियमावली, जैसा कि मौजूदा समय में लागू है, ने अनुबंधित किया है कि न्यूनतम वार्षिक ह्रास लक्ष्य में स.घ.उ. के 0.5 प्रतिशतता अंक के साथ 2008-09 तक राजस्व घाटे के निवारण हेतु तथा राजकोषीय घाटे को न्यूनतम वार्षिक ह्रास लक्ष्य के रूप में स.घ.उ. के 0.3 प्रतिशतता अंक के साथ स.घ.उ. के 3 प्रतिशत के स्तर पर लाया जा सके। राजस्व एवं राजकोषीय घाटे में ह्रास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में पूर्व से ही कुछ नम्यता है क्योंकि उसका एक उपबन्ध है कि विनिर्दिष्ट सीमा को राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार अथवा आधारों या राष्ट्रीय विपदा या ऐसे अपवादात्मक आधारों जिसे केन्द्र सरकार निर्दिष्ट करे, के कारण पार किया जा सकता है। रा.उ.ब.प्र. अधिनियम/नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य/अपेक्षाओं के अनुसार अन्य विषयों के साथ-साथ राजकोषीय प्रबन्धन में अन्तःउत्पादन इक्विटी तथा दीर्घावधि बृहत-आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करना है।

4.17 बजट के साथ-साथ तथा रा.उ.ब.प्र. अधिनियम के अधीन यथा अपेक्षित, केन्द्र सरकार 2004-05 से मध्यम-अवधि राजकोषीय नीति विवरण (म.अ.रा.नी.वि.) के साथ-साथ राजस्व एवं राजकोषीय घाटे हेतु तथा कर राजस्व हेतु 3-वर्षीय परिवर्तनशील लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए तथा स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में केन्द्र सरकार के कुल बकाया दायित्वों को प्रस्तुत कर रही है। इन्हें वृद्धि के पूर्वानुमानों तथा सरकार के नीतिगत रवैये के आधार पर प्राप्त किया गया है। 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 हेतु म.अ.रा.नी.वि. विवरण में 2006-07 हेतु निर्धारित राजस्व तथा राजकोषीय घाटे के लक्ष्य, के साथ-साथ उनके वास्तविक स्तरों, जैसा कि 2006-07 हेतु संघ सरकार के वित्त लेखों में प्रदर्शित है, को तालिका 4.5 में दिया गया है।

तालिका 4.5: रा.उ.ब.प्र. नियमावली के अधीन लक्ष्यों की तुलना में परिणाम (स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में)

राजकोषीय संकेतक	म.अ.रा.नी.वि. 2004-05 में वर्ष 2006-07 हेतु निर्धारित लक्ष्य	म.अ.रा.नी.वि. 2005-06 में वर्ष 2006-07 हेतु निर्धारित लक्ष्य	म.अ.रा.नी.वि. 2006-07 में निर्धारित लक्ष्य	वास्तविक स्तर (2006-07 के वित्त लेखों से कटौती के अनुरूप)	ब.अ. 2006-07 से विचलन
राजस्व घाटा	1.1	2.0	2.1	3.22	1.12
राजकोषीय घाटा	3.6	3.8	3.8	4.43	0.63

4.18 तालिका 4.5 मुख्य राजकोषीय मापदण्डों - राजस्व तथा राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तरों जैसा कि 2006-07 के लिए संघ के वित्त लेखों से निर्गमित किए गए थे के साथ-साथ 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के लिए बजटों के साथ नथी 2006-07 के लिए मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरणियों (म.अ.रा.नी.वि.) प्रस्तुत करता है। 2005-06 के लिए म.अ.रा.नी.वि. में 2006-07 हेतु राजस्व तथा राजकोषीय घाटे हेतु निर्धारित लक्ष्य बजट 2004-05 के साथ रखे म.अ.रा.नी.वि. में प्रक्षेपित लक्ष्यों से महत्वपूर्ण बदलाव पदर्शित करते हैं। 2004-05 हेतु म.अ.रा.नी.वि. में निर्धारित किए गए परिवर्तनशील सूचकों ने 2006-07 तक राजस्व घाटे को स.घ.उ. के 1.1 प्रतिशत तक गिराने के लिए लक्षित किया था, लेकिन 2005-06 के म.अ.रा.नी.वि. में यह 2.0 प्रतिशत तक ऊर की ओर संशोधित हो गया था। इसी तरह, 2006-07 हेतु राजकोषीय घाटे को पूर्ववर्ती वर्ष में बजट के साथ प्रस्तुत म.अ.रा.नी.वि. में 3.6 प्रतिशत लक्ष्य के विरुद्ध 2005-06 के म.अ.रा.नी.वि. में स.घ.उ. के 3.8 प्रतिशत पर लक्षित किया गया है। तथापि, बजट 2005-06 ने स्पष्ट किया कि चालू वर्ष से बजटीय प्रक्रिया में राजकोषीय सूचकों की गणना पर प्रभाव डालने वाले दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। पहला, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सा.क्षे.उ.) में सरकारी इक्विटी की बिक्री लाभ हेतु ब.अ. 2005-06 में कोई भी क्रेडिट नहीं लिया गया था क्योंकि राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण हेतु स्रोत के रूप में दीर्घावधि तक इनको गणना में नहीं लिया जा सकता था। इसके बजाय, इन प्राप्तियों को राष्ट्रीय 'निवेश निधि' में क्रेडिट किया जाना था, जिसकी आय को सामाजिक अवसंचना के व्यय के वित्तपोषण तथा महत्वपूर्ण सा.क्षे.उ. को पूँजी उपलब्ध कराने के लिए उपयोग में लाया जाए। दूसरा, राज्यों तथा विधान सभा वाले संघ शासित राज्यों को ऋण हेतु बजट 2005-06 में कोई उपबंध नहीं बनाया गया था, जिन्हें केन्द्र सरकार की बजटीय मध्यस्थता के बिना सीधे बाजार से आवश्यक कर्ज लेना था। इसने यह भी उल्लेख किया कि राजस्व में कमी, जो मूल्य वर्धित कर को 1 अप्रैल 2005 से लागू करने के कारण उत्पन्न हो सकता थी, के कारण राज्यों को क्षतिपूर्ति के रूप में 5000 करोड़ रु. के प्रावधान को बजट 2005-06 में पहले ही सम्मिलित कर लिया गया था, अन्यथा राजस्व घाटे हेतु बजट अनुमान 2.7 प्रतिशत के बजाय 2.6 प्रतिशत होता। चूंकि इस राशि को वर्ष के दौरान ही खर्च किया जाना था इसलिए राजस्व तथा राजकोषीय घाटों के लिए 2006-07 के बजट के साथ अधोमुखी संशोधन को प्रदर्शित करते हुए संशोधित अनुमान प्रस्तुत किए। 2006-07 हेतु राजकोषीय घाटे हेतु बजट अनुमान 2005-06 म.अ.रा.नी. विवरणी में परिकल्पित किए गए स्तर पर रखे हुए थे तथापि स.घ.उ. अनुपात के प्रति राजस्व का लक्ष्य सीमान्त रूप से पिछले वर्ष 2.0 की तुलना में 2.1 तक बढ़ा था। 2006-07 हेतु केन्द्रीय वित्त लेखों के अनुसार राजस्व एवं राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तर महत्वपूर्ण रूप से अपने बजट प्राक्कलनों से क्रमशः 1.12 एवं 0.63 प्रतिशतता अंक ऊँचे थे। स.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व तथा राजकोषीय घाटा 2006-07 के दौरान ह्लास के न्यूनतम दर से कम से कम गिरावट को प्रदर्शित करने के बजाय अपने बजटीय स्तरों से बढ़ गया जो रा.उ.ब.प्र. नियमावली के

अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में फिसलन को प्रदर्शित करती है। राजस्व संचयन फ्रंट पर प्रभावशाली निष्पादन के बावजूद रा.उ.ब.प्र. नियमावली द्वारा निर्धारित सभी तीन बैंचमार्कों नामतः गैर-ऋण प्राप्तियां, राजस्व तथा राजकोषीय घाटे चालू वर्ष के दौरान लक्ष्यों से कम थे।

4.19 यद्यपि उत्पावक आर्थिक वृद्धि राजस्व संवर्धन के प्रति तथा राजस्व एवं राजकोषीय लक्ष्यों जैसा कि स.घ.उ. के समानुपात के रूप में स्पष्ट किया गया है, को अप्रत्यक्ष रूप में पूरा करने में सहयोग कर सकती है लेकिन राजस्व घाटे के मुख्य अंश सहित राजकोषीय घाटे के स्थायी उच्च स्तर सामान्यतः, ऋण-स.घ.उ. अनुपात में तीव्र वृद्धि उत्पन्न करते हैं तथा बचतों एवं निवेश व परिणामस्वरूप विकास को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए, राजस्व एवं राजकोषीय घाटे के संबंध में रा.उ.ब.प्र. लक्ष्यों का पालन बृहत्-आर्थिक, वित्तीय, बाह्य क्षेत्र बजटीय स्थिरता हेतु निर्णायिक समझा जाता है। इसके अतिरिक्त, चूंकि उधार ली गई निधियों का उपयोग चालू व्यय की पूर्ति हेतु किए जाने का परिणाम पिछले वर्षों की अपेक्षा परिसंपत्ति-देयताओं के बेमेल में हुआ है, इसलिए राजस्व घाटे का निवारण तथा पर्याप्त राजस्व अधिशेष का सृजन आवश्यक है जिसे देयताएं सुजित किए बिना परिसम्पत्तियों हेतु प्रयोग में लाया जा सके। अब रा.उ.ब.प्र. लक्ष्यों की प्राप्ति में फिसलन, पूर्व में प्राप्त लाभों का क्षरण कर सकती है।

अध्याय 5

राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन

सरकार ऋण के पुनर्भुगतान हेतु अपनी संसाधन आवश्यकताओं, लोक लेखा पर देयताओं को चुकाने, पूंजीगत व्यय और इस प्रकार की अन्य चालू व्यय अपेक्षाओं, जो कि राजस्व और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों द्वारा वसूली की जानी शेष होती है, को पूरा करने के लिए राजकोषीय देयताओं को बहन करती है। सकल राजकोषीय देयताएं VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 628,608 करोड़ रु. की औसत से लगातार बढ़कर Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 1836,987 करोड़ रु. हो गई। 1992-2007 के दौरान इन देयताओं की वृद्धि की औसत वार्षिक प्रवृत्ति दर 11.36 प्रतिशत थी। 1991-92 के दौरान 65.43 प्रतिशत का उच्च सकल राजकोषीय देयताएं स.घ.उ. अनुपात VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 60.72 के औसत तक तथा उसके बाद अंतर्वर्षीय विचलन के साथ Xवीं योजना (2002-2007) के दौरान 57.25 की औसत तक अत्यरित हुआ। इसलिए स.घ.उ. की तुलना में राजकोषीय देयताओं के अनुपात की दीर्घावधि प्रवृत्ति ने स्थिरता को प्रदर्शित किया परन्तु इसके घटकों के अंश ने आन्तरिक ऋण के अंश के साथ समय के साथ परिवर्तीत हो कर अवधि के दौरान बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाया। आन्तरिक ऋण न केवल सकल देयताओं का सर्वाधिक प्रबल घटक था, जो 2006-07 में इनका लगभग 70.71 प्रतिशत आंका गया, बल्कि 1992-2007 के दौरान अपनी 16.74 प्रतिशत औसत वृद्धि के साथ सबसे तेज वृद्धि वाला घटक भी था। लोक लेखा देयताएं 1992-2007 के दौरान 5.44 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ी थी। ये दोनों घटक, जो कि अपने उद्भव के आधार पर घरेलू देयताएं हैं, ने 2006-07 में लगभग 90.79 प्रतिशत सकल देयताएं रखापित की।

राजकोषीय देयताएं वहनीय हैं यदि सरकार पूर्वानुमानित भविष्य के दौरान इन देयताओं के सम्मार की पूर्ति में समक्ष होती है और ऋण-स.घ.उ. अनुपात अनियंत्रणीय सीमा तक नहीं बढ़ता है। ऋण-स.घ.उ. उत्पाद अनुपात के अपेक्षाकृत उच्चतर स्तरों के बावजूद, वृद्धि संबंधी कुल देयताओं (चालू विनिमय दर पर बाह्य ऋण सहित) का 2004-05 में 5.23 प्रतिशत 2005-06 में 4.08 प्रतिशत तक 2006-07 में 5.24 का अनुपात रा.उ.ब.प्र. नियमावली के अंतर्गत निर्धारित सीमा के अन्दर था।

ग्यारहवें तथा बारहवें वित्त आयोग ने सलाह दी थी कि ऋण धारिता को अर्थपूर्ण ढंग से सरल बनाया जा सकता था यदि बढ़ती हुई राजस्व प्राप्तियों बढ़ते हुए व्याज के भार तथा बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकती। 1992-2007 के दौरान यह देखा जा सकेगा कि बढ़ती हुई राजस्व प्राप्तियां बढ़ते हुए राजस्व व्यय को पूरा करने में 21.03 प्रतिशत कम थीं। यह अन्तराल IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 45.47 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया था। Xवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों (2002-05) के दौरान व्यय में सामान्य वृद्धि तथा व्याज दर में नरमी के कारण बढ़ती हुई राजस्व प्राप्तियां बढ़ते हुए राजस्व व्यय से अधिक थी जिसका परिणाम सकारात्मक अन्तराल में हुआ हालांकि अन्तिम दो वर्षों (2005-06 तथा 2006-07) के दौरान जबकि बढ़ती हुई राजस्व प्राप्तियां क्रमशः 43.15 प्रतिशत तथा 74.69 प्रतिशत बढ़ी थी वहीं गैर-कर राजस्व व्यय तथा व्याज प्राप्तियों में तदनुरूपी वृद्धि 2005-06 में 490.53 तथा 266.28 प्रतिशत तथा 2006-07 के दौरान 40.25 तथा 23.88 प्रतिशत सूचित की गई थी। वृद्धि दर में बड़ा अन्तर 30997 करोड़ रु. तथा 23150 करोड़ रु. के बड़े ऋणात्मक अन्तराल का कारण बना जो वास्तव में तदनुरूपी पिछले वर्षों की तुलना में 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान राजस्व घाटे में बड़ी वृद्धि को दर्शाता था। ऋण धारिता में दूसरा पहलू कुल ऋण प्राप्ति की तुलना में ऋण सोचन का अनुपात है। यह अनुपात VIIIवीं योजना के दौरान 93 प्रतिशत की ऊचाई पर था जो Xवीं योजना के दौरान 98.68 प्रतिशत तक और बढ़तर हो गया जो ऋण विमोचन में ऋण प्राप्तियों के उपयोग की सीमा को दर्शाता था।

5.1 आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण और अन्य देयताएं, देयताओं के तीन सेट हैं जिनसे संघ सरकार का ऋण संघटित है। आन्तरिक एवं बाह्य ऋण, लोक ऋण को गठित करते हैं और भारत की समेकित निधि के अधीन सुरक्षित किए जाते हैं। आन्तरिक ऋण में बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विशेष प्रतिभूतियां और राष्ट्रीय लघु बचत निधि, क्षतिपूर्ति एवं अन्य बन्ध-पत्र और अन्य रूपया प्रतिभूतियां सम्मिलित हैं। बाह्य ऋण विदेशी सरकारों और निकायों से प्राप्त ऋणों का द्योतक है। सरकार की अन्य देयताएं उधारकर्ता की अपेक्षा बैंकर या न्यासी के रूप में इसकी हैसियत से अधिक उद्भूत होती हैं जिसमें कर्मचारियों की भविष्य निधि, आरक्षित निधि और निक्षेप निधि (व्यय प्रभारित द्वारा सृजित हालांकि वास्तविक व्यय/संवितरण अभी किया जाना है) और जमा समाविष्ट है। ये उधार या संभूतियां भा.स.नि. के अधीन सुरक्षित नहीं हैं और लोक लेखों के भाग के रूप में दर्शाई जाती हैं। तथापि, यह सभी देयताएं उनकी वापसी अथवा विनिर्देशित व्यय के सम्बन्ध में सरकार के दायित्व हैं।

5.2 सरकार ऋण के पुनर्भुगतान, लोक लेखा पर देयताओं के उन्मोचन; पूँजीगत व्यय और इस प्रकार की अन्य वर्तमान व्यय आवश्यकताओं, जो कि राजस्व तथा गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों द्वारा पूरी न हो पाई हो; के लिए अपनी संसाधन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इन देयताओं को वहन करती है।

सकल राजकोषीय देयताएँ: प्रवृत्तियां तथा संरचना

5.3 तालिका 5.1 सरकार की कुल देयताएं प्रस्तुत करती है जिसमें 1992-2007 के दौरान आंतरिक ऋण एवं वर्तमान विनियम दर तथा ऐतिहासिक दर (जिस दर पर ऋण मूल रूप से अनुबंधित किया गया था) दोनों पर संगणित बाह्य ऋण एवं लोक लेखा सम्मिलित हैं। परिशिष्ट-V-क में उसके संघटन के आधार पर वार्षिक कुल देयता दर्शाई गई है।

तालिका 5.1: सकल राजकोषीय देयताएँ - प्रवृत्तियां तथा संरचना

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	आन्तरिक ऋण	ऐतिहासिक दरों पर बाह्य ऋण	लोक लेखा*	कुल देयताएं (ऐतिहासिक दरों पर)	बाह्य ऋण (वर्तमान दरों पर)	कुल देयताएं (वर्तमान दरों पर)
1992-2007	734429	61208	293058	1088695	171400	1198887
VIIIवीं योजना (1992-97)	272725	49206	218152	540082	137732	628608
IXवीं योजना (1997-02)	655942	61703	292049	1009694	183073	1131064
Xवीं योजना (2002-07)	1274620	72715	368973	1716307	193395	1836987
2002-03	1020689	59612	331419	1411720	196068	1548176
2003-04	1141706	46125	333725	1521556	184203	1659634
2004-05	1275971	60877	356037	1692885	191271	1823279
2005-06	1389758	94243	384842	1868843	194199	1968799
2006-07	1544975	102716	438841	2086532	201233	2185049

(करोड़ रुपयों में)


अवधि	आन्तरिक ऋण	ऐतिहासिक दरों पर बाह्य ऋण	लोक लेखा*	कुल देयताएं (ऐतिहासिक दरों पर)	बाह्य ऋण (वर्तमान दरों पर)	कुल देयताएं (वर्तमान दरों पर)
वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत)						
1992-2007	16.74	4.29	5.44	12.32	3.54	11.36
VIIIवीं योजना (1992-97)	14.13	5.95	14.80	13.62	5.88	12.48
IXवीं योजना (1997-02)	25.42	6.77	-7.05	12.80	5.05	11.85
Xवीं योजना (2002-07)	10.80	19.75	7.29	10.37	1.05	8.98
2002-03	11.79	-16.68	15.65	11.06	-1.92	10.62
2003-04	11.86	-22.63	0.70	7.78	-6.05	7.20
2004-05	11.76	31.98	6.69	11.26	3.84	9.86
2005-06	8.92	54.81	8.09	10.39	1.53	7.98
2006-07	11.17	8.99	14.03	11.65	3.62	10.98

* 1999-2000 से लोक लेखा देयताओं में, विशिष्ट राज्य सरकार प्रतिभूतियों में निवेशित सीमा तक लघु बचतों के कारण देयताएं शामिल नहीं हैं।

5.4 कुल राजकोषीय देयताएं VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 628,608 करोड़ रु. की औसत से निरंतर बढ़कर IXवीं (1997-02) योजना के दौरान 1131,064 करोड़ रु. तथा इसके बाद चालू वर्ष के दौरान उच्च स्तर पर पहुंचने के पश्चात Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 1836,987 करोड़ रु. की औसत पर पहुंच गई थी। 1992-2007 के दौरान इन देयताओं की वृद्धि की औसत वार्षिक प्रवृत्ति दर 11.36 प्रतिशत थी। सकल देयताओं की वृद्धि दर VIIIवीं योजना के दौरान 12.48 प्रतिशत से कम हो कर IXवीं योजना के दौरान 11.85 प्रतिशत तथा इसके बाद Xवीं योजना के दौरान 8.98 प्रतिशत हो गई। 2006-07 में कुल देयताओं के लगभग 70.71 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार आंतरिक ऋण न केवल सबसे प्रमुख घटक था, बल्कि वह 1992-2007 के दौरान अपनी 16.74 प्रतिशत की औसत वृद्धि के साथ तीव्रतम वृद्धि वाला घटक भी था। लोक लेखे देयताओं में 1992-2007 के दौरान 5.44 प्रतिशत की औसत दर से वृद्धि हुई थी। ये दो घटक, जो अपने उद्गम की दृष्टि से घरेलू देयताएं हैं, 2006-2007 में सकल देयताओं के लगभग 90.79 प्रतिशत के बराबर थे, जो VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 78 प्रतिशत के औसत आगे बढ़ गई हैं। 2006-07 में वर्तमान विनिमय दर पर बाह्य देयताएं, सकल देयताओं का लगभग 9.21 प्रतिशत बनती थीं। वित्त लेखे में ऐतिहासिक दर पर बाह्य देयताएं भी दर्ज की। तथापि, यह केवल ब्याज की गणना के लिए है क्योंकि इस ऋण के पुनर्भुगतान के दायित्वों को केवल विनिमय की वर्तमान दर पर ही पूरा किया जाना है। चार्ट 5.1; 1992-2007 के दौरान कुल देयताओं तथा घरेलू देयताओं के अंश की प्रकृति को दर्शाता है।

5.5 रा.उ.ब.प्र. अधिनियम उसके अन्तर्गत बनाई गई नियमावली निर्धारित करते थे कि केन्द्र सरकार वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए स.घ.उ. की 9 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त देयताएं (चालू विनिमय दर पर बाह्य ऋण को शामिल करते हुए) धारण नहीं


करेगी और बाद के प्रत्येक वर्ष में, 9 प्रतिशत की सीमा में प्रगामी रूप से स.घ.उ. के कम से कम एक प्रतिशतता अंक की कमी की जाएगी। स.घ.उ. की तुलना में संबंधी सकल देयताओं (चालू विनिमय दर पर बाह्य ऋण को शामिल करते हुए) का 2004-05 में 5.23 प्रतिशत, 2005-06 में 4.08 प्रतिशत तथा 2006-07 में 5.24 प्रतिशत का अनुपात रा.उ.ब.प्र. नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित सीमा में था।



स.घ.उ. के सापेक्ष में राजकोषीय देयताएं

5.6 तालिका 5.2 स.घ.उ. की तुलना में संघ सरकार की कुल राजकोषीय देयताओं को दर्शाती है। 1991-92 के दौरान सकल राजकोषीय देयताएं-स.घ.उ. अनुपात अधिकतम ऊंचाई को छू गया जब यह स.घ.उ. के 65.43 प्रतिशत तक पहुंच गया था। VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान यह अनुपात 60.72 प्रतिशत तथा इसके आगे IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 58.92 प्रतिशत की औसत तक अवत्वरित हुआ। Xवीं योजना (2002-07) के दौरान स.घ.उ. की तुलना में सकल देयताओं का 57.25 प्रतिशत का अनुपात अंतर्वर्षीय विचलन के साथ लगभग IXवीं योजना (1997-2002) के स्तर की अपेक्षा केवल सीमान्तक निम्न था। पिछले दो वर्षों में यह दीर्घावधि प्रवृत्ति स्तर की अपेक्षा केवल सीमान्तक निम्न था। 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान इसने अत्वरित प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया परन्तु स.घ.उ. की तुलना में राजकोषीय देयताओं के अनुपात की दीर्घावधि प्रवृत्ति ने 1992-2007 के दौरान, केवल -0.76 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर के विचलन के साथ स्थिरता प्रदर्शित की। यद्यपि, 1992-2007 की अवधि के दौरान स.घ.उ. से संबंधित राजकोषीय देयताएं लगभग स्थिर रही लेकिन इसके घटकों के अंश आंतरिक ऋण के अंश के साथ समय के अनुसार परिवर्तित होना अवधि के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाता है (चार्ट 5.2)। जहां आंतरिक ऋण-स.घ.उ. के अनुपात में विचलन की औसत वार्षिक दर 4.03 प्रतिशत थी, अन्य दो घटकों में

महत्वपूर्ण ऋणात्मक विचलन दर ने ऋण-स.घ.उ. के अनुपात को प्रवृत्ति स्तर पर ही बनाए रखा।



तालिका 5.2: स.घ.उ. के सापेक्ष में राजकोषीय देयताएं

(प्रतिशत)

अवधि	आन्तरिक ऋण	ऐतिहासिक दरों पर बाह्य ऋण	लोक लेखा	कुल देयताएं	चालू दरों पर बाह्य ऋण	कुल देयताएं
1992-2007	35.75	2.98	14.26	52.99	8.34	58.35
VIIIवीं योजना (1992-97)	26.34	4.75	21.07	52.17	13.30	60.72
IXवीं योजना (1997-02)	34.17	3.21	15.21	52.59	9.54	58.92
Xवीं योजना (2002-07)	39.72	2.27	11.50	53.49	6.03	57.25
2002-03	41.52	2.43	13.48	57.43	7.98	62.98
2003-04	41.28	1.67	12.07	55.02	6.66	60.01
2004-05	40.81	1.95	11.39	54.14	6.12	58.32
2005-06	38.96	2.64	10.79	52.39	5.44	55.19
2006-07	37.45	2.49	10.64	50.57	4.88	52.96
सापेक्षित अंशों में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर						
1992-2007	4.03	-7.06	-6.04	0.10	-7.73	-0.76

5.7 यदि 1992-93 में राजकोषीय देयताओं के विभिन्न घटकों को 100 पर रखा जाए तो आंतरिक ऋणों हेतु एक से अधिक जबकि बाह्य ऋणों तथा कुल ऋणों हेतु एक से कम उत्प्लावकता को इंगित करते हुए स.घ.उ. सूचकांक 551 के प्रति 2006-07 में आंतरिक ऋण, बाह्य ऋण एवं सकल देयताओं का सूचकांक क्रमशः 776, 167 एवं 455 होगा। 1992-2007 के दौरान स.घ.उ. के संदर्भ में आंतरिक ऋण तथा कुल देयताओं (चालू विनिमय दर पर परिकलित किए जा रहे बाह्य ऋण के साथ) की उत्प्लावकता क्रमशः 1.37 एवं 0.930 थी।


5.8 सकल राजकोषीय देयताओं को संघ सरकार की प्राप्तियों के सापेक्ष देखना उचित होगा। यह अनुपात ऋण स्टॉक का एक बेहतर सूचक माना जाता है क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से उन स्रोतों से सम्बन्धित है जो इसकी सेवा और प्रतिदान के लिए उपलब्ध हैं। तालिका 5.3 गैर-ऋण प्राप्तियों तथा राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में बकाया राजकोषीय देयताओं के अनुपात को दर्शाती है।

तालिका 5.3: गैर-ऋण प्राप्तियों तथा राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में बकाया राजकोषीय देयताएं (चालू विनिमय दर पर)

अवधि	गैर-ऋण प्राप्तियाँ	राजस्व प्राप्तियाँ
1992-2007	430	471
VIIIवीं योजना (1992-97)	446	478
IXवीं योजना (1997-02)	444	476
Xवीं योजना (2002-07)	417	466
2002-03	453	516
2003-04	390	489
2004-05	409	484
2005-06	443	457
2006-07	401	416
सापेक्षित अंश में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर (1992-2007)		
1992-2007	-0.61	-0.35
पैरामीटर की वृद्धि की औसत वार्षिक दर (1992-2007)		
1992-2007	12.05	11.84

टिप्पणी:- गैर-ऋण प्राप्तियाँ, राजस्व प्राप्तियाँ (करों में राज्यों के अंश का निवल) तथा गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ होती हैं।

चार्ट 5.3 : स.घ.उ., गैर-ऋण प्राप्तियों तथा राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ऋण का अनुपात



5.9 1992-2007 के दौरान राजस्व प्राप्तियों और गैर-ऋण प्राप्तियों की तुलना में राजकोषीय देयताओं के अनुपात में विचलन दर धनात्मक थी जो उपरोक्त दो पैरामीटरों की वृद्धि की दर की तुलना में राजकोषीय देयताओं की वृद्धि की कम प्रवृत्ति दर को प्रदर्शित करती थी। VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान गैर-ऋण प्राप्तियों की तुलना में राजकोषीय देयताओं का औसत, 446 प्रतिशत से बहुद अन्तर्वर्षीय विचलनों के साथ IXवीं योजना (2002-07) के दौरान 417 की औसत तक अत्वरित होने से पूर्व 2001-02 में 483 की चरम सीमा तक बढ़ गया था। यह मंदन अवधि के दौरान गैर-ऋण प्राप्तियों के सापेक्ष राजकोषीय देयताओं की मंद वृद्धि के कारण था। उदाहरण के तौर पर 2005-06 के दौरान 0.27 प्रतिशत की गैर-ऋण प्राप्तियों में गिरावट के साथ कुल राजकोषीय देयताओं में 8 प्रतिशत के लगभग बढ़ोतरी का परिणाम उनके 2004-05 में 409 के स्तर से 443 के गैर-ऋण प्राप्तियों की तुलना में अनुपात में बढ़ोतरी में हुआ। इसी प्रकार चालू वर्ष के दौरान सकल देयताओं में 10.98 प्रतिशत की वृद्धि के प्रति गैर-ऋण प्राप्तियों में 22.57 प्रतिशत की वृद्धि दर उनके अनुपात में पिछले वर्ष की तुलना में 2005-06 में 443 के स्तर से 401 के तीव्र मंदन का कारण बना। राजस्व प्राप्तियों की तुलना में कुल राजकोषीय देयताओं का अनुपात VIIIवीं तथा IXवीं योजना अवधियों के दौरान 477 के औसत स्तर पर स्थिर रहा तथा Xवीं योजना (2002-07) के दौरान यह सीमान्तक कम होकर 466 हो गया। 2002-03 में 516 के शीर्ष स्तर पर पहुंचने के उपरान्त यह अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष राजकोषीय देयताओं की मंद वृद्धि के कारण चालू वर्ष के दौरान लगातार 416 दर नीचे गिरा। 1992-2007 के दौरान गैर-ऋण प्राप्तियों तथा राजस्व प्राप्तियों की तुलना में कुल राजकोषीय देयताओं की उत्प्लावकता क्रमशः 0.97 तथा 0.94 थी। किंतु, आंतरिक ऋण तथा घरेलू ऋण (आंतरिक ऋण के साथ संयुक्त किया गया लोक लेखा अधिशेष) में अधिक उत्प्लावकता थी क्योंकि बाह्य ऋण देयताओं की कम वृद्धि का प्रभाव नियंत्रणकारी था। स.घ.उ. के तीन पैरामीटरों, गैर-ऋण प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियों की तुलना राजकोषीय देयताओं का अनुपात चार्ट 5.3 में दर्शाया गया है।

ऋण धारिता

5.10 यदि सरकार निकट भविष्य में इन देयताओं के सम्भार की चुकौती में सक्षम है और ऋण-स.घ.उ. अनुपात अनियंत्रणीय अनुपातों तक नहीं बढ़ता है, तो राजकोषीय देयताओं को जारी रखने योग्य समझा जाता है। इस स्थिरता के लिए एक आवश्यक शर्त डोमर का ऋण स्थिरता समीकरण है। यह बताता है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि की दर ऋण पर ब्याज की दर से अधिक हो तो ऋण-स.घ.उ. अनुपात के स्थिर रहने की संभावना होती है, बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य या सकारात्मक या नाममात्र नकारात्मक हों। ऐसी स्थिति में जहाँ ब्याज की दर, उत्पादन की वृद्धि की दर से अधिक है, ऋण-स.घ.उ. अनुपात का बढ़ना तब तक जारी रहेगा जब तक प्राथमिक शेष सकारात्मक नहीं हो जाते। ऋण की धारिता, अंतः अस्थायी बजट प्रतिबंधों के संबंध में

भी जांची जाती है; अन्तःधारिता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या उधारदाताओं से किसी प्रतिकूल आशय या प्रति उत्तर के बिना, राजस्व व्यय और राजकोषीय घाटे के पूर्व व्यवहार को अनिश्चित काल तक जारी रखा जा सकता था। इस प्रकार, ऋण की धारिता के प्रश्न पर यह विचारणीय है कि क्या पौंजी वित्तपोषण को ऋण प्रबंधन योजना के रूप में उपयोग किया गया था। सम्पन्नता या समग्र बजट प्रतिबंधों के लिए यह भी आवश्यक है कि प्रारंभिक ऋण स्टाक, भविष्य में प्राथमिक आधिक्य के वर्तमान कटौती किये गये मूल्य के बराबर हो। चालू ऋण की समानता और अधिशेष के वर्तमान मूल्य से, अनिवार्य रूप से यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि ऋण का अंत में पुनर्भुगतान हो चुका है या कि ऋण अन्त में स्थिर रहा। इन सबसे यह परिणाम निकलता है कि ऋण अन्त में ब्याज दर से कम तीव्रता से बढ़ता है। ऋण स्थिरता दो संभव उपायों में से एक में हो सकती है। यदि अर्थव्यवस्था की नाममात्र वृद्धि दर, घरेलू ऋण पर ब्याज की नाममात्र दर से बढ़ती है, जो वित्तीय दमन के अंतर्गत हो सकता है, जब प्राथमिक घाटा चल रहा हो तभी घरेलू ऋण की स्थिरता संभव है (मुद्रीकरण की अधिकता में भी)। परन्तु यदि नाममात्र ब्याज दर वृद्धि दर से अधिक है तो ऋण स्थिरता की सम्भावना के लिए प्राथमिक घाटा मुद्रीकरण से पर्याप्त रूप से कम होना चाहिए।

5.11 काफी समय से कुल ऋण पर औसत ब्याज दर (नाममात्र) 1992-2007 के दौरान बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. की वृद्धि की दर से कम रही, जैसे कि तालिका 5.4 में दर्शाया गया है। तथापि विस्तार का औसत VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 8.63 प्रतिशत की औसत से कम हो कर IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 1.43 प्रतिशत हो गया था। 2002-03 में स.घ.उ. वृद्धि तथा ब्याज दरों के बीच विस्तार नकारात्मक हो गया था परन्तु औसत रूप से यह चालू वर्ष के दौरान 7.82 प्रतिशत के अधिकतम सकारात्मक फैलाव के साथ Xवीं योजना (2002-07) के दौरान सकारात्मक 6.37 प्रतिशत था।

5.12 किन्तु, राजकोषीय देयताओं पर औसत ब्याज दरें, एक संकुचित सीमा में बढ़ीं। VIIIवीं योजना के दौरान बाह्य ऋण पर ब्याज की औसत वार्षिक दर 3.07 प्रतिशत थी जो IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 2.51 प्रतिशत तथा इसके आगे Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 1.78 प्रतिशत की औसत तक कम हुई। घरेलू देयताओं के लिए (लोक ऋण तथा लोक लेखे) ब्याज की औसत दर IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 10.42 प्रतिशत थी जो Xवीं योजना के दौरान गिरती हुई प्रवृत्ति को दर्शाते हुए 8.06 प्रतिशत के औसत तक घट गई। घरेलू देयताओं पर ब्याज की औसत दरों में 1999-2000 में 10.79 प्रतिशत की उच्चतम दर तक पहुंचने के उपरान्त गिरावट आरम्भ हुई तथा तब से इसमें चालू वर्ष के दौरान 231 आधार अंकों की गिरावट देखने में आई।

तालिका 5.4: चालू विनिमय दरों पर राजकोषीय देयताओं पर औसत ब्याज दर

(प्रतिशत)

अवधि	आन्तरिक देयताएं	बाह्य ऋण	कुल देयताएं	स.घ.उ. की वृद्धि दर	ब्याज विस्तार
1992-2007	8.42	2.29	7.54	12.21	4.67
VIIIवीं योजना (1992-97)	9.37	3.07	7.91	16.54	8.63
IXवीं योजना (1997-02)	10.42	2.51	9.06	10.49	1.43
Xवीं योजना (2002-07)	8.91	1.78	8.09	13.77	5.68
2002-03	10.03	2.13	8.90	7.76	-1.14
2003-04	9.24	1.60	8.28	12.51	4.23
2004-05	8.69	1.52	7.89	13.06	5.17
2005-06	8.47	1.65	7.75	14.09	6.34
2006-07	8.48	1.97	7.84	15.66	7.82
वृद्धि की औसत वार्षिक दर					
1992-2007	-0.68	-5.37	-0.02		

औसत ब्याज दर = अदा किया गया ब्याज/वर्ष के शुरू में बकाया देयताएँ*100

5.13 सरकार के लिए पूँजीगत परिसम्पत्तियाँ सृजित करने या निवेश करने के लिए निधियाँ उधार लेना आम बात है। यद्यपि सरकारी लेखांकन पद्धति में तुलन-पत्र सरकार द्वारा अपने स्वामित्व की स्थायी परिसम्पत्तियों जैसे भूमि तथा भवन आदि का विस्तृत हिसाब करने के लिए सृजित नहीं किए जाते हैं, तथापि लेखे, किए गए व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को भी दर्शाते हैं व उनका प्रावधान करते हैं। सरकारी निवेश, बकाया ऋण एवं अग्रिम तथा संचित पूँजीगत व्यय को उसकी परिसम्पत्तियों के रूप में समझा जा सकता है। इसकी कुल राजकोषीय देयताओं की तुलना में इन परिसम्पत्तियों के अनुपात को उधार ली गई निधियों के उपयोग की गुणवत्ता मापने के प्रतिस्थानी उपाय के रूप में माना जा सकता है।

तालिका 5.5: परिसम्पत्तियों की उत्पादकता तथा देयताओं की तुलना में परिसंपत्तियों का अनुपात

(रूपये करोड़ में, अनुपात तथा वृद्धि दर प्रतिशत में)

अवधि	कुल देयताएं	कुल परिसम्पत्तियां	देयताओं की तुलना में परिसम्पत्तियों का अनुपात	देयताओं की वार्षिक वृद्धि	परिसंपत्तियों की वार्षिक वृद्धि	परिसंपत्तियों की उत्पादकता
1992-2007	1198887	559252	46.65	11.36	7.50	0.66
VIIIवीं योजना (1992-97)	628608	362555	57.68	12.48	10.31	0.83
IXवीं योजना (1997-02)	1131064	575689	50.90	11.85	8.28	0.70
Xवीं योजना (2002-07)	1836987	739512	40.26	8.98	4.74	0.53
2002-03	1548176	693286	44.78	10.62	4.20	0.40
2003-04	1659634	688434	41.48	7.20	-0.70	-0.10
2004-05	1823279	717675	39.36	9.86	4.25	0.43
2005-06	1968799	774082	39.32	7.98	7.86	0.98
2006-07	2185049	824081	37.71	10.98	6.46	0.59

5.14 देयताओं की तुलना में परिसम्पत्तियों के अनुपात ने VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 57.68 प्रतिशत की औसत से IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 50.90 प्रतिशत की दीर्घकालीन गिरावट प्रदर्शित की जो और आगे Xवीं योजना (2002-07) के दौरान चालू वर्ष के दौरान 37.71 प्रतिशत की न्यूनतम औसत के साथ 40.26 प्रतिशत तक कम हो गई थी। इस अनुपात में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर 1992-2007 के दौरान (-) 3.47 प्रतिशत थी। 2006-07 तक संघ सरकार की लगभग 62 प्रतिशत देयताओं के समर्थन में कोई परिसंपत्तियां नहीं रही थी। परिसंपत्तियों की समग्र वृद्धि दर न केवल देयताओं की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत कम रही बल्कि इन वृद्धि दरों के बीच विस्तार और भी बढ़ रहा था। देयताओं की तुलना में परिसम्पत्तियों की उत्प्लावकता में भी VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 0.83 प्रतिशत से IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 0.70 प्रतिशत और आगे Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 0.53 प्रतिशत की औसत तक की गिरावट आई थी (तालिका 5.5)। 2003-04 में ऋणों व अग्रिमों की बढ़ी हुई वसूली के कारण समग्र परिसम्पत्तियों में वास्तव में गिरावट आई जबकि देयताओं में वृद्धि जारी रही। तथापि इसने 2003-04 के दौरान नकारात्मक मूल्य प्राप्त करने के उपरान्त बढ़ोतरी की प्रवृत्ति प्रदर्शित की और 2005-06 के दौरान 0.98 की अधिकतम सीमा पर पहुंची परन्तु चालू वर्ष के दौरान 0.59 तक कम हुई।

5.15 ऋण धारिता का एक अन्य मामला कुल ऋण प्राप्ति की तुलना में ऋण मोचन का अनुपात है। उच्चतर अनुपात यह दर्शाता है कि जिस सीमा तक ऋण प्राप्तियाँ, ऋण मोचन में प्रयुक्त होती थी, संसाधनों की निवल संभूति कम थी। तालिका 5.6, VIIIवीं, IXवीं तथा Xवीं पंचवर्षीय योजनाओं को सम्मिलित करके 1992-2007 अवधि के दौरान ऋण प्राप्तियों की तुलना में ऋण मोचन का अनुपात दर्शाती है।

तालिका 5.6: ऋण प्राप्तियों की तुलना में ऋण मोचन का अनुपात

अवधि	ऋण प्राप्तियाँ*	ऋण पुनर्भुगतान		मूल ऋण पुनर्भुगतान (1)/ऋण प्राप्तियाँ	कुल ऋण पुनर्भुगतान (2)/ऋण प्राप्तियाँ
		मूल* (1)	मूल+ब्याज (2)		
		(करोड रु.में) (वार्षिक औसत)		(प्रतिशत)	
1992-2007	682380	570957	661367	83.67	96.92
VIIIवीं योजना (1992-97)	266443	203787	248066	76.48	93.10
IXवीं योजना (1997-02)	530341	411106	502208	77.52	94.70
Xवीं योजना (2002-07)	1250358	1097979	1233839	87.81	98.68
2002-03	623645	485764	610337	77.89	97.87
2003-04	811010	726131	854245	89.53	105.33
2004-05	1070716	894577	1025535	83.55	95.78
2005-06	1671997	1521331	1662706	90.99	99.44
2006-07	2074421	1862092	2016372	89.76	97.20

*ऋण प्राप्तियाँ तथा पुनर्भुगतान में भा.स.नि. में ऋण आंकड़े तथा लोक लेखे में निवल अर्थोंपाय अग्रिम तथा प्राप्ति एवं पुनर्भुगतान सम्मिलित हैं।

5.16 ऋण धारिता के मामलों की क्रमिक वित्त आयोगों द्वारा भी चर्चा की गई थी। नौवें वित्त आयोग ने पाया कि अन्ततः सरकारी ऋण समस्या का समाधान उधार ली गई निधियों के (क) वित्तपोषित राजस्व व्यय के लिए उपयोग न किए जाने तथा (ख) पूँजीगत व्यय के लिए प्रभावशाली व उत्पादकतापूर्ण ढंग से उपयोग किए जाने में निहित है जो व्यय या तो प्रत्यक्षतः लाभ प्रदान करता है या परिणामतः साधारण तौर पर आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाता है, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व में वृद्धि हो सकती है। ग्यारहवें वित्त आयोग ने सलाह दी कि ऋण धारिता को पर्याप्त रूप से सरल बनाया जा सकता था यदि बढ़ती हुई राजस्व प्राप्तियां बढ़ते हुए ब्याज के भार तथा बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकती। ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा सुझाए गए दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए बारहवें वित्त आयोग ने अनुभव किया कि इसके लिए राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि तथा व्यय में संकुचन के उपायों को अपना कर, राजस्व शेष हासिल करना पूर्वपेक्षित है।

5.17 तालिका 5.7, VIIIवीं, IXवीं और वर्तमान वर्षों में प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करने हेतु Xवीं योजनाओं के प्रत्येक वर्ष तथा Xवीं योजना उपरोक्त परिभाषित संसाधन अन्तराल को दर्शाती है। यह दिखेगा कि 1992-2007 के दौरान, संवृद्धि राजस्व प्राप्तियां, संवृद्धि राजस्व व्यय को पूरा करने में 21.03 प्रतिशत तक कम रहीं। यह अन्तराल IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 45.47 प्रतिशत तक बढ़ा। Xवीं योजना (2002-07) के प्रथम तीन वर्षों के दौरान व्यय में मंद वृद्धि तथा ब्याज दरों में मंद वृद्धि के कारण संवृद्धि राजस्व प्राप्तियां, संवृद्धि राजस्व व्यय से अधिक थीं जिसका परिणाम सकारात्मक अन्तराल में हुआ जिसमें तीन वर्षों 2002-05 के दौरान नियमित रूप से वृद्धि हुई। 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान जहां संवृद्धि राजस्व प्राप्तियों में क्रमशः 43.15 तथा 74.69 प्रतिशत तक वृद्धि हुई, गैर ब्याज राजस्व व्यय और ब्याज भुगतानों में अनुरूप वृद्धियां 2005-06 में 490.53 तथा 266.28 तथा 2006-07 के दौरान 40.25 तथा 23.88 प्रतिशत थीं। वृद्धियों की दरों में विस्तृत अन्तरों के कारण 30997 करोड़ रु. तथा 23150 करोड़ रु का बड़ा नकारात्मक अन्तराल हुआ जो वर्ष में संवृद्धि राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय के बीच में दर्ज की गई अधिकतम अपसारिता थी और वास्तव में 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान तदनुरूपी पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व कमी में पूर्ण बढ़ोतरी को दर्शाता है।

तालिका 5.7 : राजस्व व्यय संवृद्धि तथा ब्याज भुगतानों को पूरा करने के लिए संवृद्धि राजस्व प्राप्तियों में कमी

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	संवृद्धि			संसाधन अन्तराल
	प्राप्तियां	गैर ब्याज राजस्व व्यय	ब्याज व्यय	
1992-2007	29177	28437	8512	36949 -7772
VIIIवीं योजना (1992-97)	16887	13589	6576	20166 -3279
IXवीं योजना (1997-02)	18621	23212	10939	34151 -15530
Xवीं योजना (2002-07)	52023	48510	8021	56532 -4509

अवधि	संवृद्धि				संसाधन अन्तराल
	प्राप्तियां	गैर ब्याज राजस्व व्यय	ब्याज व्यय	कुल राजस्व व्यय	
2002-03	34547	23609	10400	34009	538
2003-04	39274	26954	3541	30495	8779
2004-05	37771	12641	2844	15485	22286
2005-06	54069	74649	10417	85066	-30997
2006-07	94453	104698	12905	117603	-23150

राजकोषीय घाटा तथा ऋण धारिता

5.18 राजकोषीय धारिता के संदर्भ में बा.वि.आ. ने महसूस किया कि ऋण धारिता के मामले को ऋण तथा राजकोषीय कमी में मेल हेतु देखे जाने की भी आवश्यकता थी क्योंकि यदि राजकोषीय घाटे ऐसा रास्ता अपनाते हैं जिसका परिणाम ऋण-स.घ.उ. अनुपात में स्व-परिस्कृत उभार में होता है तो ऋण अस्थिर हो जाएगा। एक धारणीय ऋण-घाटा संयोजन, ऋण-स.घ.उ. अनुपात तथा प्राथमिक व्यय के अनुज्ञेय स्तर के साथ संगत राजकोषीय स.घ.उ. अनुपात की पदावली में स्थिर होगा। इसलिए संबंधित मुद्दा राजकोषीय घाटे के उस स्तर को निर्धारित करने का है जो ऋण-स.घ.उ. अनुपात को स्थिर करेगा और उसी के साथ वृद्धि को प्रोत्साहित कर सकेगा। अपने नियमों तथा परवर्ती संशोधनों के साथ पठित, केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियमित रा.उ.ब.प्र. अधिनियम, 2008-09 तक केन्द्रीय सरकार द्वारा स.घ.उ. के प्रति राजकोषीय घाटे का 3 प्रतिशत का अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य का विनिर्देशित करता है। 7 प्रतिशत ब्याज दर तथा 12 प्रतिशत की नाममात्र वृद्धि दर के संयोजन हेतु राजकोषीय घाटे के इस कमी का लक्ष्य को देखते हुए, बारहवें वित्त आयोग ने लोक वित्त पुनःसंरचना हेतु सुझाए गए कार्यक्रम में अनुशंसा की कि प्राथमिक घाटा स.घ.उ. के 1.25 प्रतिशत के बराबर होनी चाहिए। बा.वि.आ. ने आगे अनुमान लगाया कि एक बार समायोजन अवस्था बीत जाए तथा केन्द्र की राजकोषीय कमी 3 प्रतिशत तक नियंत्रित हो जाए तो 2008-09 तक संघ का ऋण-स.घ.उ. अनुपात स.घ.उ. के 44 प्रतिशत पर स्थिर रहेगा।

5.19 वर्तमान में संघ का ऋण-स.घ.उ. अनुपात ऐतिहासिक दरों पर मापे गए बाह्य ऋण के साथ तथा रा.ल.ब.नि. देयताओं जिनके विरुद्ध वहां राज्य प्रतिभूतियों के रूप में परिसम्पत्तियां तथा बाजार स्थिरीकरण योजना (बा.स्थि.यो.) देयताएं हैं जिनके प्रति भा.रि.बैं. के पास बराबर नकद धनराशि रखी जाती है, को अलग करने के उपरान्त 53 प्रतिशत के निकट है। Xवीं योजना (2002-07) के दौरान स.घ.उ. अनुपात की तुलना में राजकोषीय घाटे की प्रवृत्ति ने अब तक प्रकट किया कि 2003-04 में 2.93 प्रतिशत की तीव्र गिरावट प्रदर्शित करने के उपरान्त इसने पिछले तीन वर्षों के दौरान बढ़ती हुई प्रवृत्ति प्रदर्शित की है। इसी प्रकार, स.घ.उ. की तुलना में राजस्व घाटा में 2004-05 के दौरान 2.52 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर पर पहुंचने के उपरान्त चालू वर्ष में उसमें 3.22 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। स.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व तथा राजकोषीय घाटे में गति

बा.वि.आ. द्वारा, 2008-09 तक ऋण स.घ.उ. अनुपात को लक्षित स्तर पर स्थिर करने के लिए, पूर्वानुमानित मार्ग पर प्रतीत नहीं होती थी।

रोकड़ प्रबंधन

5.20 संघ सरकार के भारतीय रिजर्व बैंक के साथ 1994 में एक अनुबन्ध होने के साथ ही 1997 में बजट घाटे की स्वचालित मुद्रीकरण की एक पद्धति को क्रमबद्ध किया गया था। अप्रैल 1997 से लागू अर्थोपाय अग्रिमों (अ.अ.) की नई योजना को सरकार के लिए उसके नकद प्रवाह में अस्थायी बेमेल को काबू करने को सुगम बनाने हेतु प्रारंभ किया गया था। रा.उ.ब.प्र. अधिनियम 2003 के अनुसार 1 अप्रैल 2006 से केन्द्रीय सरकार प्रतिभूतियों के प्राथमिक प्रवर्तन में भागीदारी से भारतीय रिजर्व बैंक के पीछे हटने के साथ ही 2006-07 से अर्थोपाय अग्रिमों (अ.अ.) व्यवस्थाओं को संशोधित कर दिया गया था। पिछले व्यवस्थाओं के अन्तर्गत अ.अ. की सीमाओं को अर्धवार्षिक आधार पर तय किया गया था; 2005-06 हेतु राजकोषीय वर्ष के प्रथम छमाही (अप्रैल-सितम्बर) हेतु सीमा 10000 करोड़ रु तथा राजकोषीय वर्ष के द्वितीय छमाही (अक्टूबर-मार्च) हेतु 6000 करोड़ रु थी। रा.उ.ब.प्र. प्रावधानों द्वारा अनिवार्य पारगमन को सुसाध्य बनाने हेतु संशोधित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत 2006-07 हेतु सीमा को त्रैमासिक आधार पर नियत किया गया था। तदनुसार 2006-07 हेतु अ.अ. सीमा प्रथम तथा द्वितीय तिमाही हेतु क्रमशः 20000 करोड़ रु तथा 10000 करोड़ रु तथा तीसरी एवं चौथी तिमाही हेतु प्रत्येक के लिए 6000 करोड़ रु तय की।

5.21 संघ सरकार की परिसमापन स्थिति 2006-07 के दौरान अच्छी रही। केन्द्र के आधिक्य नकद शेष जो मार्च 2006 के अन्त में 65488 करोड़ रु थे अप्रैल 2006 के दौरान कम हो गए तथा केन्द्र को अप्रैल-अगस्त 2006 के दौरान अ.अ. का सहारा लेना पड़ा। वर्ष के दौरान उच्च अ.अ. 6 जून 2006 को 11754 करोड़ रु (सीमा का 59 प्रतिशत) था। तथापि संघ सरकार ने वर्ष के दौरान ओवर ड्राफ्ट का आश्रय नहीं लिया। 2006-07 के दौरान, केन्द्र ने 2005-06 के दौरान केवल दो दिनों की तुलना में कुल 39 दिनों हेतु अ.अ. प्राप्त किया। अ.अ. 7 अगस्त 2006 तक प्राप्त किए गए तथा उसके पश्चात संघ सरकार द्वारा भा.रि.बैं. के साथ आधिक्य धारण किया। आधिक्य 16 सितम्बर 2006 से 20000 करोड़ रु की निवेश सीमा से बढ़ गए तथा आधिक्य शेष 22 मार्च 2007 को 77726 करोड़ रु के शीर्ष पर पहुंच गए जो भारत सरकार के खजाना बिलों में राज्य सरकारों के निवेश तथा अग्रिम कर वसूलियों में उत्प्लावकता को दर्शाती थी। वित्त लेखे के अनुसार 31 मार्च 2007 को अन्त शेष 94883 करोड़ रु थे। संघ सरकार द्वारा 1999-2000 से प्राप्त किए गए अ.अ. के विवरण तालिका 5.8 में दर्शाए गए हैं जो प्रकट करते हैं कि वर्ष 2002-03 के पश्चात कोई अ.अ. बकाया नहीं थे (तालिका 5.8)।

तालिका 5.8: अर्थोपाय अग्रिम

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	अर्थोपाय	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान वापस दिए गए	बकाया अर्थोपाय अग्रिम
1999-00	3042	124972	127032	982
2000-01	982	131300	126887	5395
2001-02	5395	170953	171172	5176
2002-03	5176	118961	124137	शून्य
2003-04	शून्य	96615	96615	शून्य
2004-05	शून्य	62080	62080	शून्य
2005-06	शून्य	1134	1134	शून्य
2006-07	शून्य	25226	25226	शून्य

अप्रयुक्त वचनबद्ध बाह्य सहायता

5.22 31 मार्च 2007 को अप्रयुक्त वचनबद्ध बाह्य सहायता 75783 करोड़ रु. थी। अप्रयुक्त बाह्य सहायता का क्षेत्र-वार विवरण परिशिष्ट-V-ख में दिया गया है तथा नीचे तालिका 5.9 विभिन्न स्रोतों से बाह्य सहायता का वर्ष-वार कुल अनआहरित शेष दर्शाती है। क्षेत्रवार विवरण प्रकट करते हैं कि अप्रयुक्त बाह्य सहायता का एक तिहाई से कुछ अधिक भाग 2006-07 के दौरान शहरी विकास तथा मार्ग क्षेत्र से संबंधित है तथा 2006-07 के दौरान अनआहरित वास्तविक राशि 27,600 करोड़ रु. से अधिक रही थी। ऊर्जा क्षेत्र में यमराणु ऊर्जा ने 2005-06 के दौरान पहली बार 8054 करोड़ रु. की अप्रयुक्त सहायता दर्शाई जो 2006-07 के दौरान 6429 करोड़ रु. तक कम हो गई। कृषि पर्यावरण तथा वानिकी, विद्युत, जल आपूर्ति तथा साफ-सफाई तथा जल संसाधन जैसे क्षेत्र चालू वर्ष के दौरान 21,214 करोड़ रु. धनराशि की बाह्य सहायता की निकासी करने में असमर्थ रहे जो 2006-07 के दौरान कुल अनआहरित शेष का लगभग 28% प्रतिशत है। अधिक महत्वपूर्ण रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र, इस तथ्य के बावजूद कि ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु अधिक निधियों की आवश्यकता है, भी 4260 करोड़ रु. की विभिन्न परियोजनाओं हेतु वचनबद्ध प्रभारों का सरकार द्वारा भुगतान किया जा रहा है, इन क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध निधियों का उपयोग न करने में सामना की जा रही समस्याओं का पता लगाने के लिए पहली की जाने की आवश्यकता है।

तालिका 5.9: अप्रयुक्त वचनबद्ध बाह्य सहायता

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राशि
2000-01	56920
2001-02	62565
2002-03	67361

वर्ष	राशि
2003-04	64517
2004-05	68430
2005-06	63067
2006-07	75783

5.23 अनाहरित बाह्य सहायता पर वचनबद्धता प्रभार, बाद की तिथियों में आहरण हेतु पुनर्निर्धारित मूल राशि पर दिए जाते हैं। क्योंकि वचनबद्धता प्रभारों के भुगतान को दर्शाने के लिए लेखाओं में कोई पृथक शीर्ष नहीं है, इसे 'व्याज देयता' शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया जाता है। तालिका 5.10, 2000-2007 के दौरान बाद की तिथियों में सहायता के आहरण के पुनर्निर्धारित करने के लिए विभिन्न निकायों/सरकारों को दिए गए प्रभारों को दर्शाती है। यह इस सम्बन्ध में निरन्तर अपर्याप्त योजना की ओर संकेत करता है जिसका परिणाम 2006-07 में 140.51 करोड़ रु. के वचनबद्ध प्रभारों के रूप में परिवार्य व्यय से हुआ।

तालिका 5.10: वचनबद्धता प्रभार

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	ए.वि.वैं.	फ्रांस	जर्मनी	अ.पु.वि.वैं.	जोड़
2000-01	13.52	0.27	0.19	26.25	40.23
2001-02	12.84	0.22	0.76	34.64	48.46
2002-03	26.45	0.19	0.95	39.60	67.19
2003-04	38.23	0.02	8.99	45.91*	93.15
2004-05	45.10	शून्य	2.07	117.94*	165.11
2005-06	53.42	0.0	1.86	92.89*	148.17
2006-07	59.56	0.0	1.93	79.02	140.51

स्रोत: सहायता, लेखा एवं लेखापरीक्षा का नियंत्रण * अ.वि.सं. सहायता सम्मिलित है।

संघ सरकार की आकस्मिक देयताओं में वृद्धि

5.24 संघ सरकार की आकस्मिक देयताएं, निवेशकों के लिए निवेश प्रोत्साहित करने और उधार जोखिम कम करने में इसकी अपनी भूमिका, विशेषकर उन क्रियाकलापों में जहाँ लम्बी अवधि की परिपक्वता, निवेश के स्वरूप की विशेषता है, के कारण उत्पन्न होती हैं। जहाँ गारंटियां रुद्दिगत रूप से मापे गए ऋण का भाग नहीं होती, चूक होने की स्थिति में, इससे सरकार की ऋण स्थिति में तेजी की संभावना होती है। गारंटियों का मामला, अवसंरचना की बढ़ती हुई निवेश आवश्यकता; इस प्रकार की परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी और इसके आह्वान किए जाने की बढ़ती सम्भावना के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है। रिसर्जेन्ट इण्डिया बॉडीस और इण्डिया मिलेनियम डिपोजिट्स के लिए उपलब्ध विनिमय जोखिम गारंटियों में सरकारी प्राप्तियों से पर्याप्त वित्तीय व्यय हुआ था। तालिका 5.11, 1999-2007 के दौरान, वित्तीय वर्ष के अन्त तक गारंटियों की

अधिकतम राशि तथा गारंटीकृत राशियां तथा बकाया राशियों से संबंधित स्थिति को दर्शाती है।

तालिका 5.11: संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष के अंत में स्थिति	गारंटी की अधिकतम राशि	बकाया गारंटीकृत राशि	बकाया बाह्य गारंटियां	स्तम्भ (4) से स्तम्भ (3) का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1999-2000	144438	83954	47663	56.77
2000-01	135678	86862	55664	64.08
2001-02	168712	96859	57006	58.85
2002-03	174487	90617	51097	56.39
2003-04	184420	87780	50328	57.33
2004-05	132728	107957	48276	44.72
2005-06	118560	110626	47358	42.81
2006-07	114670	109826	46340	42.19

5.25 कुल बकाया गारंटियाँ, स.घ.ज. का 2.66 प्रतिशत थी तथा संघ सरकार के प्रोद्भूत राजस्व प्राप्तियों का 20.90 प्रतिशत थी। तथापि, ये गारंटियाँ अनिर्णीत पेंशन भुगतानों के रूप में अस्पष्ट आकस्मिक देयताओं की राशि को शामिल नहीं करती हैं।

अध्याय 6

विनियोग लेखे 2006-07: प्रस्तावना

संवैधानिक प्रावधान

6.1 लोकसभा द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के अधीन अनुदान मांगे पारित होने के तत्काल पश्चात्, सरकार अनुच्छेद 114 के अधीन भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.) में से विनियोग कराने के लिए एक विनियोग बिल प्रस्तुत करती है। संसद द्वारा पारित विनियोग अधिनियम, सरकार को विशिष्ट सेवाओं के लिए भा.स.नि. से उपयुक्त विशिष्ट राशि के विनियोग का प्राधिकार देता है। संसद, संविधान के अनुच्छेद 115 की शर्तों के अनुसार अनुवर्ती विनियोग अधिनियमों द्वारा अनुपूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान भी संख्याकृत कर सकती है। विनियोग अधिनियमों में संवितरण, जो अनुच्छेद 114 तथा 115 की शर्तों के अनुसार विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत संसद द्वारा दत्तमत किए गए हैं, तथा संविधान के अनुच्छेद 112(3) तथा अनुच्छेद 293(2) की शर्तों के अनुसार भा.स.नि. को प्रभारित किए गए संवितरण शामिल हैं। सरकार प्रत्येक वर्ष विभिन्न सेवाओं पर वास्तव में व्यय की गई सकल राशि की तुलना में विनियोग अधिनियमों द्वारा प्राधिकृत किये गये व्यय के विवरण को दर्शाते हुए विनियोग लेखे तैयार करती है।

6.2 नियंत्रक महालेखा (नि.म.ले.) सिविल मंत्रालयों के 98 अनुदानों और विनियोजन के संबंध में विनियोग लेखे तैयार करता है। रक्षा मंत्रालय, रेलवे और डाक विभाग अपने-अपने अनुदानों के विनियोग लेखे तैयार करते हैं। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, सरकार के कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों जैसे सिविल, रक्षा, डाक तथा रेलवे के संबंध में चार अलग-अलग विनियोग लेखे, प्रत्येक वर्ष संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत अपने प्रतिवेदन सहित राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है जो कि उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाते हैं। 2006-07 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों के अनुदानों तथा विनियोगों के लिए मांगों का विवरण निम्न प्रकार था:

क्रियाकलाप का क्षेत्र	अनुदानों/विनियोगों के लिए मांगों की संख्या
सिविल	98
रक्षा सेवाएं	6
डाक सेवाएं	1
रेलवे	16
योग :	121

6.3 इस प्रतिवेदन में, आबंटन से अधिक व्यय, जिसकी संसद द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता हो; अव्ययित प्रावधान, जिसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो; अनियमित तथा अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन, कुछ मंत्रालयों द्वारा आवश्यकता के बिना किए गए अनुपूरक प्रावधान, अवास्तविक बजट, तथा गहन परीक्षण के लिए चयनित मंत्रालयों के संबंध में विस्तृत अभ्युक्तियों का विश्लेषण, शामिल करते हुए विनियोग लेखाओं (सिविल, डाक तथा रक्षा सेवाओं), की लेखापरीक्षा टिप्पणियां, निहित हैं। क्षेत्रीय विशिष्टताओं की बेहतर समालोचना की सुविधा हेतु सिविल विभागों, डाक तथा रक्षा विनियोग सम्बन्धी सभी अनुदानों पर व्यापक रूप से विचार किया गया है। तथापि रेलवे विनियोग पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष 2006-07 से सम्बन्धित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उपलब्ध है।

सारांश

6.4 तालिका 6.1 वर्ष 2006-07 के दौरान कुल प्रावधान (प्रभारित तथा दत्तमतदोनों) तथा संवितरण दर्शाती है। परिशिष्ट-VI-क सिविल मंत्रालयों/विभागों, डाक, रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखाओं के सारांश के ब्यौरे प्रस्तुत करता है।

तालिका 6.1: 2006-07 के दौरान प्रावधान तथा संवितरण

विभाग	कुल प्रावधान	संवितरण	(करोड़ रुपयों में)
			बचत (ब) आधिक्य (आ)
सिविल	2085164	2086198	1034(आ)
डाक	7285	7064	221 (ब)
रक्षा सेवाएं	92277	88675	3602 (ब)
कुल योग	2184726	2181937	2789(ब)

6.5 1034 करोड़ रु. का निविल आधिक्य चार अनुदानों के अंतर्गत 36637 करोड़ रु. के अधिक व्यय तथा सिविल मंत्रालयों/विभागों से संबंधित 35603 करोड़ रु. के अव्ययित प्रावधान के कारण था। 36637 करोड़ रु. के समग्र आधिक्य व्यय में से 999 करोड़ रु. अनुदान सं. 37 - कर्ज की अदायगी के अंतर्गत 364 दिवसीय खजाना बिलों के अतिरिक्त अदायगी के कारण था। 35603 करोड़ रु. के समग्र अव्ययित प्रावधानों में से 1500 करोड़ रु. अनुदान सं. 33 - वित्तीय संस्थानों को भुगतान के अंतर्गत प्रभावी परिसम्पत्ति स्थिरीकरण निधि हेतु प्रतिभूतियों के मोचन पर निधियों के अनुपयोग तथा 840 करोड़ रु. अनुदान सं. 20 - रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कैन्टीन सेवा निदेशालय के अंतर्गत बिक्री कर रियायत को वापिस लेने, वैट आदि को लागू करने के कारण बिक्री में कमी के कारण थे। इसके अलावा सकल अव्ययित प्रावधान 33263 करोड़ रु. था।

6.6 सिविल मंत्रालयों से संबंधित अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 206 अनुभागों में निवल अव्ययित प्रावधान और 4 अनुभागों में आधिक्य, डाक विभाग के 3 अनुभागों में अव्ययित प्रावधान और रक्षा मंत्रालय के 11 अनुभागों में अव्ययित प्रावधान और 1 अनुभाग में आधिक्य परिशिष्ट-VI-ख विवरणों के सार को दर्शाता है।

प्रभारित तथा दत्तमत संवितरण

6.7 परिशिष्ट-VI-ग में वर्ष 1995-2007 के लिए सिविल मंत्रालयों की अनुमोदित मांगों (अनुदान तथा विनियोग) के प्रति किए गए वास्तविक संवितरणों का विवरण निहित है। इन वर्षों, दौरान, सिविल मंत्रालयों के लिए कुल संवितरणों का 70 से 81 प्रतिशत भारत की समेकित निधि को प्रभारित था।

6.8 2006-07 के दौरान सिविल मंत्रालयों के अन्तर्गत कुल संवितरण 2086198 करोड़ रु. के थे जो 2005-2006 के दौरान 1590085 करोड़ रु. के कुल संवितरण से 4961113 करोड़ रु. अधिक थे। यह 1995-96 में 322027 करोड़ रु. से 548 प्रतिशत तक बढ़ गया था। प्रभारित संवितरण 1995-96 में 231831 करोड़ रु. से 621 प्रतिशत तक बढ़ कर 2006-07 में 1670413 करोड़ रु. थे तथा दत्तमत संवितरण उसी अवधि में 90196 करोड़ रु. से 361 प्रतिशत तक बढ़ कर 415785 करोड़ रु. तक हो गए थे। 2006-07 के दौरान सिविल मंत्रालयों के प्रभारित संवितरण मुख्यतः, ब्याज भुगतानों (154280 करोड़ रु. जो 2005-06 के लिए 141375 करोड़ रु. से नौ प्रतिशत अधिक था), ऋण की अदायगी (1480938 करोड़ रु.), मुख्यतः संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत अनुदानों के संबंध में राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को अंतरण, राज्य योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज, ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए ऋण आदि के कारण था तथा कुल संवितरणों का 80 प्रतिशत बनता था।

6.9 जबकि प्रभारित संवितरणों के लिए संसद के मतदान की आवश्यकता नहीं होती, संसद द्वारा वित्तीय नियंत्रण का क्षेत्र सिविल मंत्रालयों में कुल संवितरण के केवल 20 प्रतिशत तक ही सीमित हो जाता है। तथापि, भा.स.नि. से कुल संवितरण (सकल 2181937 करोड़ रु. रेलवे को छोड़ कर) की पृष्ठभूमि में देखने पर प्रभारित संवितरण की प्रतिशतता 77 प्रतिशत (1670469 करोड़ रु.) थी (डाक एवं रक्षा सेवाओं को शामिल करके तथा रेलवे को छोड़ कर)।

संवितरण

6.10 परिशिष्ट-VI-घ में दिए गए विवरण यह दर्शाते हैं कि राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों को दिए गए सहायता अनुदानों, पूंजीगत परिव्यय और निवेश पर संवितरण का मुख्य भाग 2007 के मार्च माह/वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में ही जारी किया गया था। चूंकि मार्च में विभिन्न संगठनों को जारी की गई निधियां वर्ष, जो उसी महीने/

तिमाही के अंतिम दिन बन्द हो जाता है, के दौरान रचनात्मक रूप से खर्च नहीं हो सकती, यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि इन निधियों का उन्हीं प्रयोजनों, जिनके लिए वे प्राधिकृत की गई थी, हेतु उपयोग किया गया था।

अध्याय 7

विनियोग लेखे 2006-07: एक विश्लेषण

अनुदानों/विनियोगों की तुलना में अधिक संवितरण

7.1 संविधान के अनुच्छेद 114(3) में व्यवस्था है कि इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार विधि द्वारा पारित किए गए विनियोगों के अधीन को छोड़कर, कोई भी धन, भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.) से, आहरित नहीं किया जाए। इसके अतिरिक्त, सामान्य वित्तीय नियमावली (सा.वि.नि.) के नियम 52(3) में अनुबद्ध है कि अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने या आकस्मिक निधि से अग्रिम को छोड़कर, कोई ऐसा संवितरण नहीं किया जाना चाहिए जिसके कारण वह एक वित्तीय वर्ष के लिए संसद द्वारा प्राधिकृत कुल अनुदान अथवा विनियोग से अधिक हो जाए। तालिका 7.1 में भा.स.नि. से अनुमोदन से अधिक कुल आधिक्य का सार सम्मिलित है। 2006-07 के दौरान, सिविल मंत्रालयों में चार अनुदानों/विनियोगों के चार खण्डों में 366371971375 रु. (अर्थात् 36637.20 करोड़ रु.) तथा रक्षा में एक अनुदान के एक खंड में 6671695590 रु (अर्थात् 667.17 करोड़ रु.) का अधिक संवितरण था। इनका विस्तृत विवरण तालिका 7.2 में दिया गया है तथा संविधान के अनुच्छेद 115(1)(ख) के अंतर्गत नियमन की आवश्यकता है।

तालिका 7.1: अनुदानों/विनियोगों से अधिक संवितरणों का सार

(रुपयों में)			
	सिविल	रक्षा	डाक
दत्तमत	राजस्व	-	6671695590
	पूंजीगत	40000	-
प्रभारित	राजस्व	35879214033	-
	पूंजीगत	330492717342	-
अनुदानों/विनियोगों की संख्या		4	1
कुल आधिक्य	366371971375	6671695590	-

तालिका 7.2: अनुदानों/विनियोगों से अधिक संवितरण का विवरण

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	रुपए	मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताए गए कारण
सिविल:			
राजस्व (प्रभारित)			
1.	34- ब्याज भुगतान	अनुदान	1506918500000 प्रतिभूतियों पर अधिक ब्याज/ब्याज
		व्यय	1542797397248 की उच्च दर का भुगतान, खजाना
		आधिक्य	35878897248

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	रूपए	मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताए गए कारण
			बिलों का अधिक निर्गम, समयबद्ध प्रतिभूतियां, राज्य सरकारों द्वारा आधिक्य निधियों का उच्च निवेश, तेल विपणन कम्पनियों हेतु आयल बाण्ड जारी करने के कारण।
2.	63- खान मंत्रालय	अनुदान 47500000 व्यय 47816785 आधिक्य 316785	न्यायालय आदेशों की अनुपालना में भारत स्वर्ण खान लिमिटेड के कमचारियों को अन्तरिम भुगतान।
	पूँजीगत (दत्तमत्त)		
3.	16- कम्पनी कार्य मंत्रालय	विनियोग 368000000 व्यय 368040000 आधिक्य 40000	सम्बन्धित विभाग से कारण प्रतीक्षित।
	पूँजीगत (प्रभारित)		
4.	37- विनियोजन-कर्ज की अदायगी	विनियोग 14478891000000 व्यय 14809383717342 आधिक्य 330492717342	सम्बन्धित विभाग से कारण प्रतीक्षित।
	रक्षा:		
	राजस्व (दत्तमत्त)		
5.	22- रक्षा सेवाएं - थल सेना	अनुदान 331910400000 व्यय 338582095590 आधिक्य 6671695590	सम्बन्धित विभाग से कारण प्रतीक्षित।

7.2 रेलवे के अधिक संवितरणों के विवरण तथा अनुदानों से संबंधित अन्य विवरण भी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के संबंधित वर्ष 2006-07 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लिखित हैं।

उपलब्ध प्रावधानों से अधिक व्यय

7.3 भुगतान एवं लेखा अधिकारी किसी उप-शीर्ष अथवा प्राथमिक इकाई के अन्तर्गत बजट आबंटन से अधिक भुगतान के केवल अनुदान नियंत्रित करने वाले विभागाध्यक्ष से यह आश्वासन प्राप्त करने के पश्चात ही कर सकता है कि संवितरण हेतु आवश्यक निधियां पुनर्विनियोग आदेश इत्यादि जारी करने पर प्रदान की जाएगी। यद्यपि, 2006-07 वर्ष के शीर्ष-वार विनियोग खातों में 16 अनुदानों तथा विनियोगों के 48 मामलों में देखा गया कि यद्यपि उपशीर्षों में उपलब्ध प्रावधानों से 51128.49 करोड़ रुपए का अधिक व्यय किया गया संबंधित अनुदान/विनियोग का प्रबंधन करने वाले प्राधिकारी ने व्यय को समायोजित करने के लिए कोई पुनर्विनियोग आदेश जारी नहीं किए थे, जो बजटीय नियंत्रण में ढिलाई को दर्शाते हैं। कुछ मामले (एक करोड़ और इससे अधिक) परिशिष्ट VII-क में दिए गए हैं।

100 करोड़ रु. अथवा अधिक के अव्ययित प्रावधान

7.4 एक अनुदान अथवा विनियोग में अव्ययित प्रावधान या तो खराब बजटीय अथवा निष्पादन में कमी अथवा दोनों को दर्शाता है। वर्ष 2006-07 के दौरान 45 अनुदानों के 60 मामलों में 100 करोड़ रु. से अधिक के अव्ययित प्रावधान हुए, जिनकी लोक लेखा समिति को विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणी दी जाने की आवश्यकता है। अधिक अव्ययित प्रावधान रक्षा मंत्रालय, वित्तीय संस्थानों को भुगतान, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, विनिवेश विभाग, राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अन्तरण तथा रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय जैसे क्षेत्रों में थे। मंत्रालयों/विभागों द्वारा अव्ययित प्रावधानों के लिए कुछ योजनाओं को आरम्भ करने में असफल होना बताया गया था। परिशिष्ट-VII-ख अव्ययित प्रावधानों के ब्यौरे दर्शाता है।

अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण

7.5 सा.वि.नि.- 56 के प्रावधानों के अनुसार, अनुदान अथवा विनियोग से अव्ययित प्रावधान का जैसे ही पूर्वानुमान लग जाए उसे वर्ष के अंतिम दिन की प्रतीक्षा किए बिना सरकार को अभ्यर्पित कर दिया जाना चाहिए। अव्ययित प्रावधान को भविष्य में सम्भावित आधिक्य के लिए भी आरक्षित नहीं रखा जाना चाहिए। 2006-07 के दौरान, सिविल मंत्रालयों के 96 अनुदानों/विनियोगों के 206 खण्डों के अंतर्गत 35603.11 करोड़ रु. का अव्ययित प्रावधान था। यह एक अनुदान तथा तीन विनियोगों के चार खण्डों के अंतर्गत 36637.19 करोड़ रु. के आधिक्य के द्वारा प्रतिसन्तुलित किया गया था जिसका परिणाम 1034.08 करोड़ रु. के निवल आधिक्य में हुआ।

अभ्यर्पित की गई राशियां तालिका 7.3 में दर्शाई गई हैं।

तालिका 7.3: अव्ययित प्रावधान तथा अभ्यर्पण का विवरण

(करोड़ रुपयों में)

निवल अव्ययित प्रावधान	अभ्यर्पित की गई राशि	अन्तिम तिथि को अभ्यर्पित की गई राशि	अभ्यर्पित न की गई राशि
राजस्व			
दत्तमत	20772.98	15060.90	12241.00
प्रभारित	(+) 2402.74	1176.12	1175.43
कुल : राजस्व	18370.24	16237.02	13416.43
पूँजीगत			
दत्तमत	12619.81	12104.60	10936.86
प्रभारित	(+) 32024.13	4769.44	4769.44
कुल : राजस्व	(+) 19404.32	16874.04	15706.30
सकल योग	(+) 1034.08	33111.06	29122.73

7.6 गृह मंत्रालय का अन्य व्यय, गृह मंत्रालय, कभी भी कर्ज की अदायगी तथा रक्षा सेवाएं-थल सेना के संबंध में अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत अभ्यर्पित की गई राशि अव्ययित प्रावधानों से अधिक थी। विवरण परिशिष्ट-VII-ग में दिए गए हैं।

निधियों का पुनर्विनियोग

7.7 संवितरण के लिए कोई अनुदान अथवा विनियोग उन उपशीर्षों अथवा मानक विषयों शीर्षों में वितरित किया जाता है जिनके अन्तर्गत उसे लेखाबद्ध किया जाता है। वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले सक्षम अधिशासी प्राधिकारी द्वारा एक अनुदान अथवा विनियोग के भीतर प्राथमिक इकाइयों के बीच जिसके साथ ऐसी अनुदान अथवा विनियोग सम्बन्धित है, का पुनर्विनियोजन अनुमोदित कर सकता है। निधियों का पुनर्विनियोग केवल तभी करना चाहिए जब यह ज्ञात हो अथवा प्रत्याशित हो कि उस इकाई के विनियोग, जिससे निधियों का अन्तरण किया जाना है, को पूरी तरह प्रयोग में नहीं लाया जाएगा अथवा अव्ययित प्रावधान को पुनर्विनियोजन की इकाई में प्रभावी किया जा सकता है।

7.8 2006-07 के लिए पुनर्विनियोजन आदेशों के संदर्भ में विनियोग लेखाओं की नमूना जांच से पता चला कि संसद द्वारा प्राधिकृत मूल प्रयोजन/कार्यकलाप को विफल करते हुए विभिन्न प्राथमिक इकाइयों के बीच निधियों के भारी पुनर्विनियोजन किए गए थे। कुछ मामले जहाँ पर निधियों के भारी पुनर्विनियोजन किये गये थे, कर्ज की अदायगी (83527 करोड़ रु.), ग्रामीण विकास विभाग (4209 करोड़ रु.), ब्याज भुगतान (4102 करोड़ रु.), राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अन्तरण (2668 करोड़ रु.), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (1933 करोड़ रु.), उर्वरक विभाग (1011 करोड़ रु.), सङ्क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग (990 करोड़ रु.), महिला एवं बाल विकास विभाग (626 करोड़ रु) तथा पैयजल आपूर्ति (590 करोड़ रु) में थे।

उप-शीर्षों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

7.9 लेखाओं की नमूना जांच से पता चला कि 11 अनुदानों/विनियोगों के 17 मामलों में, कुल 426.23 करोड़ रु. का पुनर्विनियोजन अविवेकपूर्ण था क्योंकि जिन उपशीर्षों में निधियां पुनर्विनियोजन के द्वारा अन्तरित की गई थीं उनके अन्तर्गत मूल प्रावधान पर्याप्त से अधिक था। एक करोड़ रु. से अधिक के कुछ मामले परिशिष्ट-VII-घ में दिए गए हैं। परिणामतः उप-शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचतें इन शीर्षों को पुनर्विनियोजित राशि से अधिक थीं।

उप-शीर्षों से अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

7.10 सात अनुदानों/विनियोगों के आठ उप-शीर्षों, जैसा कि परिशिष्ट-VII-ड में दर्शाया गया है, में कुल 3722.87 करोड़ रु के अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन थे जहां

प्रत्येक मामले के अन्तर्गत अन्तिम संवितरण पुनर्विनियोजन से पहले मूल प्रावधान की अपेक्षा अधिक थे। प्रत्येक में इन शीर्षों से पुनर्विनियोजन के पश्चात अन्तिम प्रावधान की तुलना में आधिक्य पुनर्विनियोजित राशियों से अधिक था।

अनियमित पुनर्विनियोग

7.11 वित्त मंत्रालय ने अनुदेश जारी किये थे कि वर्ष के दौरान जारी कोई भी पुनर्विनियोग आदेश जिसका एक उप-शीर्ष के अंतर्गत 25 प्रतिशत से अधिक अथवा पांच करोड़ रु. जो भी अधिक हो, तक बजट प्रावधान को बढ़ाने का प्रभाव हो, अनुपूरक मांगों की अंतिम बैच के साथ संसद को सूचित किया जाना चाहिए। विशेष मामलों में, अनुपूरक मांगों की अंतिम बैच के प्रस्तुतीकरण के पश्चात मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी किसी भी पुनर्विनियोग आदेश की उपरोक्त सीमा बढ़ जाने पर सचिव/अवर सचिव, व्यय विभाग, का पूर्वानुमोदन अपेक्षित है।

7.12 2006-07 के लिए विनियोग लेखाओं की नमूना जांच से पता चला कि 48 अनुदानों/विनियोगों के 179 उप-शीर्ष/मामले ऐसे थे जिनमें पांच करोड़ रुपए से अधिक का पुनर्विनियोग किया गया था। इनमें से, 37 अनुदान/विनियोगों के 105 उप-शीर्षों/मामलों में पुनर्विनियोग बजट प्रावधान के 25 प्रतिशत से बढ़ गया तथा इन्हें अनुपूरक अनुदान मांगों की अंतिम बैच के साथ संसद को सूचित किया जाना अपेक्षित था। केवल 84 मामलों में ऐसे पुनर्विनियोग संसद को सूचित किए गए थे।

सचिव (व्यय) के पूर्वानुमोदन के बिना पुनर्विनियोग

7.13 सभी पुनर्विनियोग जिनका एक उप-शीर्ष के अंतर्गत पांच करोड़ रु. अथवा अधिक से बजट प्रावधान बढ़ाने में प्रभाव पड़ता हो, सचिव (व्यय) के पूर्वानुमोदन से ही किए जाने चाहिए, चाहे पुनर्विनियोजित राशि पूर्ववर्ती पैराग्राफों में उल्लिखित पुनर्विनियोग नियंत्रण की सीमा प्रावधान के 25 प्रतिशत के भीतर हो। तालिका 7.4 में उल्लिखित मामलों में, पांच करोड़ रुपये से अधिक के पुनर्विनियोग के लिए सचिव (व्यय) का पूर्वानुमोदन नहीं लिया गया था।

तालिका 7.4: मामले, जिनमें पुनर्विनियोग के लिए सचिव (व्यय) का पूर्वानुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	अनुदान की सं. एवं नाम	मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष	राशि
1.	41 – राजस्व विभाग	2875 – अन्य उद्योग	अन्य व्यय	मूः 18.25 पुः 6.25
2.	103 – जल संसाधन मंत्रालय	2711 – बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	केन्द्रीय जल आयोग	मूः 30.12 पुः 5.01

मूः = मूल प्रावधान

पुः = पुनर्विनियोजन

अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

7.14 2000-2001 से आगे सिविल मन्त्रालयों के अन्तर्गत प्राप्त मूल तथा अनुपूरक अनुदानों तथा मूल प्रावधानों से अनुपूरक प्रावधानों की प्रतिशतता की स्थिति परिशिष्ट-VII-च में दी गई है। 33 अनुदानों से सम्बन्धित 36 मामलों में, जिनके ब्यौरे तालिका 7.5 में दिए गए हैं, जबकि अनुपूरक प्रावधान अधिक व्यय की प्रत्याशा में 2006-07 के दौरान 3432.03 करोड़ रु. प्राप्त किये थे, अन्तिम व्यय मूल अनुदान/विनियोग से भी कम हुआ था। अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान की कुल राशि त्रुटिपूर्ण बजटीकरण के प्रदर्शन को इंगित कर रहा था।

तालिका 7.5: अनुपूरक अनुदान/विनियोग से अधिक अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	मूल प्रावधान	प्राप्त अनुपूरक अनुदान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान
सिविल					
राजस्व-दत्तमत्त					
1.	03 – पशुपालन एवं डेयरी विभाग	1030.72	110.04	1007.41	133.35
2.	06 – नाभिकीय ऊर्जा विभाग	1182.59	116.51	1093.27	205.83
3.	14 – दूरसंचार विभाग	4565.46	60.59	4555.39	70.66
4.	17 – उपभोक्ता कार्य विभाग	210.03	6.77	165.87	50.93
5.	18 – खाद्य एवं जन वितरण विभाग	24655.88	1.13	24451.88	205.13
6.	19 – संस्कृति मंत्रालय	772.00	25.08	702.77	94.31
7.	20 – रक्षा मंत्रालय	6817.41	64.00	5842.44	1038.97
8.	28 – उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विकास मंत्रालय	1253.74	0.50	1239.92	14.32
9.	29 – पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	1495.63	3.04	1351.50	147.17
10.	50 – गृह मंत्रालय	759.45	9.23	741.56	27.12
11.	52 – पुलिस	14090.65	547.54	14037.26	600.93
12.	54 – संघ शासित क्षेत्र सरकारों को	1123.37	142.61	910.21	355.77
अन्तर्राण					
13.	55 – स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	25878.71	189.30	25694.82	373.19
14.	56 – उच्च शिक्षा विभाग	6982.27	133.78	6923.67	192.38
15.	57 – महिला एवं बाल विकास विभाग	4852.94	45.54	4770.40	128.08
16.	66 – भू विज्ञान मंत्रालय	475.75	56.05	458.89	72.91
17.	75 – राज्य सभा	102.00	0.93	85.34	17.59

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2006-07

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	मूल प्रावधान	प्राप्त अनुपूरक अनुदान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान
18.	87 – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	1615.31	60.52	1603.22	72.61
19.	89 – सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	1788.65	13.29	1656.44	145.50
20.	91 – कंपड़ा मंत्रालय	2034.58	602.54	1873.94	763.18
21.	93 – जनजातीय कार्य मंत्रालय	157.65	1.00	126.32	32.33
22.	99 – शहरी विकास विभाग	1067.79	54.27	924.87	197.19
23.	100 – लोक निर्माण कार्य	779.77	21.86	701.91	99.72
24.	101 – लेखन सामग्री एवं मुद्रण	154.06	7.98	137.65	24.39
राजस्व-प्रभारित					
25.	35 – राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अन्तरण	29406.50	195.61	28440.42	1161.69
पूंजीगत-दत्तमत्त					
26.	8 – उर्वरक विभाग	105.04	12.18	92.04	25.18
27.	14 – दूरसंचार विभाग	101.00	25.00	75.60	50.40
28.	20 – रक्षा मंत्रालय	682.17	4.96	376.22	310.91
29.	32 – मुद्रा, सिक्के एवं टिकटे	0.08	96.37	-	96.45
30.	33 – वित्तीय संस्थानों को भुगतान	232.80	42.46	196.52	78.74
31.	46 – स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	475.68	29.86	361.15	144.39
32.	69 – कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	28.03	1.00	2.58	26.45
33.	99 – शहरी विकास विभाग	1120.54	12.44	1054.87	78.11
पूंजीगत-प्रभारित					
34.	35 – राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अन्तरण	5000.00	700.00	4700.00	1000.00
रक्षा सेवाएं					
राजस्व (दत्तमत्त)					
35	24 – रक्षा सेवाएं - वायु सेना	10081.43	34.46	10062.96	52.93
राजस्व (प्रभारित)					
36	22 – रक्षा सेवाएं - थल सेना	14.10	3.59	13.85	3.84
योग					
			3432.03		

व्यय/संशोधित अनुभानों का अवास्तविक अनुभान

7.15 अनुपूरक अनुदान प्राप्त करते समय, मंत्रालय/विभागों ने तालिका 7.6 में दर्शाई गई योजनाओं/गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न उद्देश्यों के लिए बड़ी राशि की अतिरिक्त आवश्यकता की सूचना संसद को दी परन्तु अन्ततः वे न केवल समस्त अनुपूरक अनुदानों या उसके भाग, बल्कि कुछ मामलों में मूल बजट प्रावधान को भी व्यय करने में असमर्थ रहे।

तालिका 7.6 उप-शीर्षों के अन्तर्गत अतिरिक्त अनुपूरक निधियों को दर्शाती विवरण

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	अनुदान सं. व नाम	मुख्य-शीर्ष/उप-शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	मंत्रालय/विभाग द्वारा आरोपित कारण
1.	7- रसायन एवं गैर रसायन विभाग	2852.05.205.01 - भोपाल गैस रिसाव आपदा (दावों का संसाधन) अधिनियम 1985	6.89	51.94	6.94	51.88	भोपाल गैस रिसाव आपदा पीड़ितों द्वारा दावों के गैर प्रस्तुतीकरण
2.	32- मुद्रा, सिक्के एवं टिकटें	4046.00.208.01 - सिक्के	-	96.37	-	96.37	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सिक्के के वास्तविक मूल्य को सरकारी लेखों में क्रेडिट करने के निर्णय को अन्तिम रूप न दिए जाने के कारण
3.	34 -विनियोजन ब्याज भुगतान	2049.01.126 - बैंक में धनराशि के बाजार स्थिरीकरण जमा योजना पर प्रदत्त ब्याज	मू. 1434.75 पु. 1521.69	547.47	2941.72	562.19	अपेक्षा से कम खजाना बिलों के निर्गम के कारण
4.	37- विनियोजन कर्ज की अदायगी	6001.00.105.06 - अप्रीकन विकास निधि	17.52	1.46	5.56	13.42	विनिमय दर में विचलन के कारण
5.	46- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	4210.01.001.01 - राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय	-	0.50	-	0.50	के.लो.नि.वि. द्वारा प्रस्तुत डेबिट की अप्राप्ति के कारण
6.	-वही-	4210.03.105.07 - वर्धमान महावीर चिकित्सा महाविद्यालय, नई दिल्ली	26.00	10.00	25.32	10.68	पंजीगत निर्माण कार्यों पर व्यय की धीमी गति के कारण

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	अनुदान सं. व नाम	मुख्य-शीर्ष/उप-शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	मंत्रालय/विभाग द्वारा आरोपित कारण
7.	52- पुलिस	2055.00.119.04 – राज्य पुलिस मुख्यालय	461.82	17.46	446.56	32.72	नई बनाई गई 3 आई.आर. बटालियनों हेतु कर्मचारियों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण शीर्ष को निधि अन्तरित करने के कारण
8.	-वही-	2055.00.119.08 – सड़क सुरक्षा कक्ष	11.67	0.01	10.17	1.51	मशीनरी एवं उपकरणों के प्रापण हेतु प्रस्तावों को अन्तिम रूप न दिए जाने के कारण
9.	-वही-	2055.00.120.01 - स्थापना	697.54	50.00	680.93	66.61	वाहनों के प्रापण को अन्तिम रूप न दिए जाने, मितव्ययिता उपाय तथा नए भर्ती किए गए कार्मिकों का देश से कार्यग्रहण करने के कारण
10.	99- शहरी विकास विभाग	2216.05.053.05 – एमपी बंगलो की मरम्मत एवं रखरखाव	20.00	23.31	20.03	23.28	अपेक्षित लम्बित दावों के फलीभूत न होने के कारण
11.	-वही-	4216.01.700.17 - लोक सभा/राज्य सभा	10.50	8.88	8.67	10.71	अपेक्षित लम्बित दावों के फलीभूत न होने के कारण
12.	101- लेखन सामग्री एवं मुद्रण	2058.00.103.02 – मुद्रणालय	114.85	7.98	101.76	21.07	पेपर की खरीद हेतु आपूर्ति आदेश को जारी करने में विलम्ब, रिक्त पदों को न भरा जाना तथा चिकित्सा एवं लेखन सामग्री पर कम व्यय के कारण
13.	105- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	3601.04.378.02 – अल्पसंख्यकों हेतु कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना	-	0.60	-	0.60	राज्य सरकारों से प्रस्तावों की अप्राप्ति के कारण
14.	-वही-	3601.04.378.03 – व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों हेतु योग्यता-सह-साधन आधार	-	9.00	-	9.00	मन्त्रिमंडल द्वारा योजना को अनुमोदित न करने के कारण

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	अनुदान सं. व नाम	मुख्य-शीर्ष/उप-शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	मंत्रालय/विभाग द्वारा आरोपित कारण
15.	-वही-	3602.04.378.02 - व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों हेतु योग्यता-सह-साधन आधार		1.00		1.00	मन्त्रिमंडल द्वारा योजना को अनुमोदित न करने के कारण

अवास्तविक बजट पूर्वानुभान

7.16 प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बजट परिपत्र अनुबद्ध करते हैं कि अनुमानों की रूपरेखा तैयार करते समय पूर्व निष्पादन, विभिन्न योजनाओं के सूत्रीकरण/कार्यान्वयन के स्तर, योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वित अभिकरणों की संस्थागत क्षमता, व्यय करने वाले अभिकरणों द्वारा व्यय पर नियंत्रण आदि पर पूरा ध्यान दिया जाए। इसका उद्देश्य बाद की अवस्था में परिहार्य अभ्यर्पणों हेतु क्षेत्र को न्यूनतम करना है। इसके अतिरिक्त सामान्यता परियोजनाओं/योजनाओं की बजट पूर्व संवीक्षा को पूर्ण किए बिना बजट में कोई प्रावधान नहीं किए जाने चाहिए। तथापि जहाँ आवश्यक संवीक्षा किए बिना प्रावधान किए गए हैं, संसद द्वारा बजट पारित करने तक वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पहले ऐसी संवीक्षा पूर्ण कर लेनी चाहिए तथा समुचित अनुमोदन प्राप्त कर लेने चाहिए। शीर्षवार विनियोग लेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि विभिन्न उप-शीर्षों के अन्तर्गत मंत्रालयों/विभागों ने अत्यधिक प्रावधान किए थे जिसका परिणाम अन्ततः वर्ष के अन्त में भारी बचतों तथा अभ्यर्पण में हुआ। परिशिष्ट-VII-छ में विवरण दिए हैं।

अवास्तविक बजटीकृत प्रक्षेपण के कारण भारी अनुपूरक अनुदान

7.17 भारत के संविधान के अनुच्छेद 114 के अन्तर्गत संसद सरकार को भारत की समेकित निधि से विशिष्ट राशियां विनियोजित करने हेतु प्राधिकृत करती है। संसद संविधान के अनुच्छेद 115 के संबंध में अनुगामी विनियोग अधिनियम द्वारा अनुपूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान भी संस्थीकृत कर सकती है। व्यय के अनुमान तैयार करते समय मंत्रालयों/विभागों से पिछले वर्षों के दौरान वितरण की प्रवृत्ति को ध्यान में रखना तथा पूर्ण सावधानी बरतना अपेक्षित है ताकि वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करने से पहले अनुमानों में सभी अनिवार्य तथा भावी व्यय हेतु प्रावधान किए जा सके। वित्त मंत्रालय विचार विमर्श तथा बजट पूर्व बैठकों/संवीक्षा पश्चात बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देती है। वर्ष 2006-07 के लिए विनियोग लेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय/विभागों ने बड़ी संख्या में मूल प्रावधानों से भी अधिक अनुपूरक अनुदान/विनियोग प्राप्त किए थे नीचे दर्शाए गए कुछ मामलों में अनुपूरक अनुदान मूल प्रावधानों के 59 से 876 प्रतिशत के बीच थे। यह मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा बजट

अनुमानों के वास्तविक आधार पर तैयार नहीं करने तथा वास्तविक बजटीकृत प्रक्षेपण को सुनिश्चित करने हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा बजट पूर्व बैठकों के आयोजन तथा संवीक्षा तंत्र के अभियंत्र प्रभाव के न होने को दर्शाता था।

तालिका 7.7: अवास्तविक बजटीकृत प्रक्षेपण के कारण भारी अनुपूरक अनुदानों के विवरण दर्शाती विवरणी

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	अनुदान सं.	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	मूल प्रावधान की तुलना में अनुपूरक की प्रतिशतता
1.	07- रसायन एवं गैर रसायन विभाग	राजस्व- दत्तमत्त 93.20	816.57	876
		पूँजीगत- दत्तमत्त 76.20	412.19	541
2.	70- पैदलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	राजस्व- दत्तमत्त 3106.62	24150.02	777
		पूँजीगत- दत्तमत्त --	528.58	--
3.	48- भारी उद्योग विभाग	राजस्व- दत्तमत्त 332.74	2180.61	655
		पूँजीगत- दत्तमत्त 580.88	613.42	106
4.	16- कम्पनी कार्य मंत्रालय	पूँजीगत- दत्तमत्त 10.00	26.80	268
5.	33- वित्तीय संस्थानों को भुगतान	राजस्व- दत्तमत्त 4169.43	6567.78	158
6.	35- राज्य तथा सं.शाक्षे. सरकारों को अन्तरण	राजस्व- दत्तमत्त 28924.79	21240.42	73
7.	10- कोयला मंत्रालय	राजस्व- दत्तमत्त 205.71	131.79	64
8.	53- गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	राजस्व- दत्तमत्त 964.51	620.29	64
9.	8- उर्वरक विभाग	राजस्व- दत्तमत्त 18049.02	10704.16	59
10.	66- भू विज्ञान मंत्रालय	पूँजीगत- दत्तमत्त --	59.10	-
11.	45- खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय	पूँजीगत- दत्तमत्त --	33.30	-

डाक सेवाएं (अनुदान सं.13)

7.18 2006-07 की अवधि के दौरान 5201.104-डाक सेवाओं का यंत्रीकरण एवं आधुनिकीकरण शीर्ष के अन्तर्गत 336.18 करोड़ रु के बजट आबंटन में से अनुदान के पूंजीगत वर्ग के अन्तर्गत निरन्तर बचतें पाई गई। आबंटित राशि में से 85.80 करोड़ रु की राशि को अव्ययित छोड़कर केवल 250.38 करोड़ रु का खर्च किया गया था। 2002-07 के दौरान शीर्ष के अंतर्गत निरन्तर बचत का विवरण तालिका 7.8 में दिया गया है।

तालिका 7.8: पूंजीगत (दत्तमत) अनुभाग के अन्तर्गत निरन्तर अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	बजट प्रावधान तथा अनुपूरक अनुदान	वास्तविक व्यय	अव्ययित प्रावधान	प्रतिशतता
2002-03	128.56	41.54	87.02	68
2003-04	129.18	48.16	81.02	63
2004-05	178.75	126.29	52.46	29
2005-06	367.09	268.98	98.11	27
2006-07	385.98	284.73	101.25	26

7.19 राजस्व (दत्तमत) एवं पूंजीगत (दत्तमत) अनुभागों में अन्तर्गत बचतों हेतु विभाग द्वारा पूर्व में दिए गए कारण निम्नप्रकार से हैं:

तालिका 7.9: अनुदान में बचतें

(करोड़ रुपयों में)

अनुदान सं. 13	कुल अनुदान अथवा पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचतें	डाक विभाग द्वारा बताए गए सहायक कारण
राजस्व (दत्तमत)	6898.88	6779.09	119.79	<ul style="list-style-type: none"> - वेतन, मजदूर या.भ. तथा चिकित्सा व्यय के अन्तर्गत कम व्यय - सेवानिवृत्ति लाभों के दावों की कम प्राप्ति - विनियम लेखा वाउचरों की अप्राप्ति - प्रशिक्षण पर कम व्यय - बिलों की अप्राप्ति
पूंजीगत (दत्तमत)	385.98	284.73	101.25	<ul style="list-style-type: none"> - म.नि.आ.एवं नि. बिलों की अप्राप्ति/असमायोजन तथा कार्य का असमापन - डाक घर के कम्प्यूटरीकरण का असमापन तथा वीएसएटी सेवाओं के विच्छेदन
योग	7284.86	7063.82	221.04	-

रक्षा सेवाएँ:

7.20 रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखाओं की संवीक्षा ने चार अनुदानों के दत्तमत भाग के अन्तर्गत 2004-07 के वर्षों के दौरान अव्ययित प्रावधान की निरन्तर प्रवृत्ति को प्रकट किया जिसका विवरण तालिका 7.10 में दिया गया है।

तालिका 7.10 : निरन्तर अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रुपए में)

अनुदान सं. उप-मुख्य/ लघु शीर्ष	2004-05	2005-06	2006-07	अव्ययित राशि के लिए विनियोग लेखाओं में दिये गये कारण
22- रक्षा सेवाएँ - थल सेना				
800- अन्य व्यय	32.84	31.20	19.06	मंत्रालय ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।
23- रक्षा सेवाएँ - वायु सेना				
104- सिविलियनों के वेतन एवं भत्ते	5.10	15.25	32.94	-वही-
25- रक्षा आयुध कारखाने				
054- उत्पादन	6.62	20.27	22.23	-वही-
110- भण्डार	10.43	26.55	18.43	-वही-
800- अन्य व्यय	8.43	17.13	19.27	-वही-
27- रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय				
02 - जल सेना				
104 - संयुक्त स्टाफ	27.67	12.17	19.41	-वही-
03 - वायु सेना				
103- अन्य उपकरण	27.87	18.93	2032.78	-वही-
202- निर्माण कार्य	21.12	5.42	74.22	-वही-
05 - अनुसंधान एवं विकास संगठन				
052- मशीनरी एवं उपकरण	54.73	31.23	72.43	-वही-

अनुदानों के उपर्युक्त शीर्षों में भारी अव्ययित प्रावधानों की निरन्तर प्रवृत्ति, रक्षा मंत्रालय द्वारा निधियों की आवश्यकता से अधिक अनुमान लगाने को प्रदर्शित करती है।

7.21 अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण

अनुदान अथवा विनियोग में बचतों का पूर्वानुमान होने पर उन्हें वित्तीय वर्ष की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना अभ्यर्पित करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त बचतों को सम्भावित भावी आधिक्य हेतु भी आरक्षित नहीं किया जाना चाहिए। 2006-07 के दौरान रक्षा सेवाओं की 4 अनुदानों के प्रभारित खंड के अन्तर्गत, जहां 21.68 करोड़ रु का अभ्यर्पण किया गया था, 46.46 करोड़ रु के अव्ययित प्रावधान थे। दो अनुदानों के दत्तमत खंडों के अन्तर्गत, जहां 3457.29 करोड़ रु का अभ्यर्पण किया गया था, 4111.11 करोड़ रु के अव्ययित प्रावधान थे। इसमें से 667.17 करोड़ रु रक्षा सेवाएं-थल सेना से सम्बन्धित अनुदान के दत्तमत खंड के अन्तर्गत आधिक्य द्वारा आफसौट किए गए थे जिसका परिणाम 3443.93 करोड़ रु के अव्ययित प्रावधान में हुआ। इसके अतिरिक्त दत्तमत खंड में तीन अनुदानों के अन्तर्गत 3457.29 करोड़ रु तथा प्रभारित खंड में चार अनुदानों के अन्तर्गत 21.68 करोड़ रु वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन अभ्यर्पित किए गए थे जो प्रावधानों के विपरीत था जैसा कि नीचे दी गई तालिका 7.11 में वर्णित है। यह दर्शाता है कि बजट नियंत्रण प्राधिकारियों ने वित्तीय वर्ष 2006-07 के बिलकुल अन्त में भी अभ्यर्पणों का उचित ढंग से मूल्यांकन नहीं किया था।

तालिका 7.11 : अव्ययित प्रावधान तथा अभ्यर्पणों का विवरण

(करोड़ रुपए में)

अनुदान/विनियोग	अव्ययित प्रावधान		अभ्यर्पित राशि		अभ्यर्पित न की गई राशि	
	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत
22- रक्षा सेवाएं - थल सेना	-	-	-	34.97	-	-
23- रक्षा सेवाएं - जल सेना	1.13	-	0.22	-	0.91	-
24- रक्षा सेवाएं - वायु सेना	4.39	-	4.01	-	0.38	-
25- रक्षा सेवाएं - आयुध कारखाने	-	458.05	-	358.67	-	99.38
26- रक्षा सेवाएं - अनुसंधान एवं विकास	0.19	-	0.05	-	0.14	-
27- रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	40.75	3653.06	17.40	3063.65	23.35	589.40
कुल योग	46.46	4111.11	21.68	3457.29	24.78	688.78

7.22 मांग सं. 27- रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय - मुख्य शीर्ष- 4076 से संबंधित अनुपूरक मांग एवं बचतों का अभ्यर्पण

मंत्रालय ने मुख्य शीर्ष- 4076 के अन्तर्गत मांग सं. 27- रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के 'प्रभारित' भाग के अन्तर्गत कुल 64.05 करोड़ रु (49.05 करोड़ रु + 15.00 करोड़ रु) की राशि की अनुपूरक मांग प्राप्त की थी। तथापि, विनियोग लेखाओं में मंत्रालय ने 63.65 करोड़ रु की राशि को प्रदर्शित किया है। इसका परिणाम 40 लाख रु से बचतों के अभ्यर्पण की न्यूनोक्ति में हुआ। मामले को लेखापरीक्षा (अगस्त

2007) में उठाए जाने के बाद ही सितम्बर 2007 के अन्त में रक्षा मंत्रालय ने मामले पर वित्त मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श किया। विनियोग लेखे में अक्टूबर 2007 तक सुधार नहीं किया गया था।

7.23 विषय शीर्ष “सहायता अनुदान” की नामावली का विषय शीर्ष “अंशदान” में अनियमित परिवर्तन

मुख्य शीर्ष 2075- विविध सामान्य सेवाएं- लघु शीर्ष 108- केन्द्रीन भण्डार विभाग के अन्तर्गत मंत्रालय, अधिकृत लेखापरीक्षा अधिकारी अर्थात् म.नि.ले.प.र.से. की सहमति के बिना पिछले दो वर्षों अर्थात् 2005-06 एवं 2006-07 से एक नया विषय शीर्ष “अंशदान” प्रचालित कर रहा था। 2006-07 के दौरान मंत्रालय द्वारा दी गई 92 करोड़ रु. के सहायता अनुदान की राशि को अप्राधिकृत विषय शीर्ष “अंशदान” के अन्तर्गत अनुचित रूप से दर्ज किया गया है।

नि.म.ले.प. के 2007 की प्रतिवेदन सं. 1 के पैराग्राफ 7.21 में यह टिप्पणी की गई थी लेकिन मंत्रालय ने कोई उपचारी उपाय नहीं किए हैं तथा अप्राधिकृत रूप से शीर्ष का प्रचालन तथा व्यय का दर्ज करना जारी रखा। इसके अतिरिक्त 2007-08 के बजट अनुमानों में अनुदानों हेतु विस्तृत मांगों में, मंत्रालय ने अनियमित रूप से इस शीर्ष के अन्तर्गत 80 करोड़ रु को प्रक्षेपित एवं विनियोजित किया है। इसे बंद किया जाना चाहिए।

अध्याय ४

चयनित अनुदानों की समीक्षा

अनुदान सं. ३ - पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य उद्योग विभाग (कृषि मंत्रालय)

प्रस्तावना

४.१ पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य उद्योग विभाग (पूर्व में पशुपालन एवं डेयरी विभाग के नाम से ज्ञात) पशुधन उत्पादन, माल के परिक्षण, संरक्षण एवं समुन्नति, डेयरी विकास, दिल्ली दुग्ध योजना एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से सम्बन्धित मामलों के लिए उत्तरदायी है। यह मत्स्यग्रहण एवं मत्स्य उद्योग से सम्बन्धित सभी मामलों, जिनमें अन्तर्देशीय एवं समुद्रीय क्षेत्र भी शामिल हैं, की देखभाल भी करता है।

विभाग पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्य उद्योग के क्षेत्र में नीतियों एवं कार्यक्रमों के नियन्त्रण में राज्य/संघशासित क्षेत्र सरकारों को परामर्श देता है।

बजट एवं व्यय

४.२ पिछले तीन वर्षों के लिए बजट प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों तथा अव्ययित प्रावधानों की समग्र स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका ४.१: बजट एवं व्यय

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	कुल प्रावधान		वास्तविक संवितरण		अव्ययित प्रावधान	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
2004-05	807.28	19.41	765.33	18.38	41.95	1.03
2005-06	918.92*	20.22	818.07*	1.70	100.85	18.52
2006-07	1140.76	15.14	1007.41	2.85	133.35	12.29

* ४.२ करोड़ रु का प्रभारित विनियोग एवं संवितरण सम्मिलित है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

निरन्तर बचत

४.३ सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 48(2) के अनुसार मंत्रालयों/विभागों को पिछले वर्षों के दौरान उनकी संवितरण-प्रवृत्ति तथा अन्य सम्बद्ध कारकों जैसे वित्त मंत्रालय द्वारा जारी मितव्ययी अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए अपने अनुमान तैयार करने अपेक्षित हैं। वर्ष 2004-07 के विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि नीचे

दर्शाए गए उपशीर्षों के अंतर्गत प्रावधानों का निरन्तर कम उपयोग हो रहा था जो अयथार्थवादी बजटीकरण, त्रुटिपूर्ण वित्तीय प्रबन्धन तथा योजनाओं के कार्यान्वयन में लापरवाही को दर्शाता था। उपशीर्षों के विवरण नीचे दिए गए हैं:

तालिका 8.2 : निरन्तर बचत

(करोड़ रुपयों में)

उप-शीर्ष	2004-05		2005-06		2006-07	
	मूल प्रावधान	बचत	मूल प्रावधान	बचत	मूल प्रावधान	बचत
3451.00.090.39- पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य उद्योग विभाग	9.25	1.10	11.58	2.74	13.00	1.25
2403.00.101.01- पशु संग्रहोध प्रमाणीकरण सेवाएं	-	-	5.85	1.16	5.00	2.09
2403.00.102.01- केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म	15.10	2.19	17.16	3.18	15.62	1.53
2403.00.102.03- केन्द्रीय हिमीभूत वीर्य उत्पादन एवं प्रशिक्षण संस्थान, हेसरघट्ठा	2.01	0.65	7.63	3.54	3.03	0.99
2403.00.103.15- केन्द्रीय मुर्गीपालन विकास संगठन	9.61	0.74	-	-	10.98	0.95
2403.00.104.01- भेड़ प्रजनन एवं विकास	5.26	0.84	7.36	2.22	6.22	0.66
2404.00.111.01 – प्रशासन	7.26	0.22	8.22	0.44	9.16	3.76
2404.00.111.02- प्रापण	151.72	6.43	172.93	25.53	175.09	31.33
2404.00.111.06- परिवहन	3.92	0.26	5.96	1.40	5.44	1.14
2405.00.102.01 – अवतरण तथा लंगरगाह सुविधाएं	1.14	0.16	1.20	0.16	1.32	0.27
2405.00.103.03- भारतीय मत्स्य उद्योग सर्वेक्षण	33.85	5.46	35.61	3.96	33.65	5.13
2405.00.103.05 – तटवर्ती मछली पालन	11.75	3.75	12.15	2.88	7.67	2.32
2405.00.103.07 – अवतरण तथा लंगरगाह सुविधाएं	1.50	0.27	9.00	3.99	6.50	3.50
2405.00.103.10 – निकर्षण पोत का अनुरक्षण	2.00	0.51	2.00	0.31	1.00	0.79
2405.00.800.09 – जल संवर्धन प्राधिकरण	0.81	0.22	0.99	0.30	1.01	0.32
2405.00.800.11- डेटाबेस एवं सूचना नेटवर्किंग का सुदृढ़ीकरण	6.75	4.85	-	-	3.45	1.66
3601.03.583.02- आहार एवं चारा विकास	14.00	4.85	13.50	1.88	12.40	3.08

चुने हुए अनुदानों की समीक्षा

उप-शीर्ष	2004-05		2005-06		2006-07	
	मूल प्रावधान	बचत	मूल प्रावधान	बचत	मूल प्रावधान	बचत
3601.03.601.10 – गुणवत्ता एवं स्वच्छ दुग्ध हेतु अवसरचना का सुदृढ़ीकरण	37.42	12.78	-	-	33.50	8.85
3601.04.576.06 – पशु और भैंस प्रजनन हेतु राष्ट्रीय परियोजना	-	-	1.00	0.50	1.00	0.47
3601.04.577.05 – पांव एवं मुख रोग नियंत्रण कार्यक्रम	-	-	9.95	3.00	6.95	3.00

अव्ययित प्रावधानों का अभ्यर्पण

8.4. सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 56(2) प्रावधान करता है कि अनुदान या विनियोग में अव्ययित प्रावधानों का पूर्वानुमान होने पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना उन्हें सरकार को अभ्यर्पित किया जाना चाहिए। अव्ययित प्रावधान को सम्पादित भावी आधिक्य हेतु भी आरक्षित नहीं रखना चाहिए। नमूना जांच से प्रकट हुआ की इसके विपरीत मंत्रालय ने प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन अव्ययित प्रावधान अभ्यर्पित किए। 2004-07 के दौरान अभ्यर्पित राशियों के विवरण नीचे दिए गए हैं:

तालिका 8.3: अव्ययित प्रावधानों का अभ्यर्पण

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	अव्ययित प्रावधान		अभ्यर्पित राशि		अभ्यर्पण की तिथि
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	
2004-05	41.95	1.03	28.11	0.69	31.03.2005
2005-06	100.85	18.52	91.26	18.00	31.03.2006
2006-07	133.35	12.29	124.86	11.80	31.03.2007

यदि अव्ययित प्रावधानों का पूर्वानुमान होते हुए अभ्यर्पण कर दिया जाता तो अन्य योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों में उनका फलदायक उपयोग किया जा सकता था।

अन्धाधुन्ध व्यय

8.5. सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 56(3) के अनुसार, अन्धाधुन्ध व्यय, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अन्तिम महीने में, वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाएगा तथा इससे बचा जाना चाहिए। इसके विपरीत, वर्ष 2004-2005 एवं 2005-06 की अन्तिम तिमाही में भारी संवितरण किए गए। कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं:

तालिका 8.4: अन्याधुन्य व्यय

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	मुख्य शीर्ष	कुल व्यय	मार्च में वहनित व्यय	वर्ष के मार्च माह के दौरान व्यय की प्रतिशतता
2004-05	4405- मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	14.90	14.90	100
2005-06	4405- मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	1.70	1.70	100

अवास्तविक बजटीकरण

8.6 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 48(2) के अनुसार मंत्रालयों/विभागों को अन्य बातों के साथ-साथ पिछले वर्षों के दौरान संवितरण प्रवृत्ति तथा वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मितव्ययी अनुदेशों जैसे अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए अपने अनुमान तैयार करने अपेक्षित हैं।

वर्ष 2004-07 के विनियोग लेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि अनेक उप-शीर्ष, जो परिशिष्ट-VII के में दर्शाए गए हैं, के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे और अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किए गए, जिससे वह मूल उद्देश्य विफल हो गया जिसके लिए संसद द्वारा बजट प्रावधान पारित किए गए थे।

अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

8.7 अनुपूरक अनुदान प्राप्त करते समय मंत्रालय को उपलब्ध या वर्ष के दौरान उपलब्ध होने की संभावना वाले संसाधनों को ध्यान में रखना चाहिए तथा अतिरिक्त बजट के लिए निधियों की आवश्यकता के पूर्व अनुमान के समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। केवल अपवादात्मक एवं अत्यावश्यक मामलों में ही अनुपूरक मांगों का सहारा लेना चाहिए।

निम्नलिखित मामलों में सम्पूर्ण अनुपूरक प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया था। यह मानीटरिंग के अभाव को दर्शाता है।

तालिका 8.5: अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

(लाख रुपयों में)

वर्ष	उप-शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान
2004-05	3601.04.576.08- राज्यों को पशुधन बीमा हेतु सहायता	अ.- 900.00	-	900.00

बकाया उपयोग प्रमाण पत्र

४.८ सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 212(1) के अनुसार जिस उद्देश्य के लिए अनुदान संस्थीकृत किया गया था। उसके लिए उसके वास्तविक उपयोग का प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्था अथवा संगठन द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बारह माह के भीतर प्रस्तुत करने अपेक्षित हैं। इन प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अनुदानों का उपयोग उचित रूप से तथा उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए ये संस्थीकृत किए गए थे तथा जहाँ अनुदान कुछ शर्तों के साथ जारी किए गए थे वहाँ निर्धारित शर्तों की पूर्ति की गई थी। जहाँ निर्धारित अवधि के अन्दर प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होते हैं, मंत्रालय/विभाग को ऐसे संस्थान अथवा संगठन को भविष्य में किसी अनुदान, आर्थिक सहायता अथवा अन्य वित्तीय सहायता हेतु काली सूची में डालने की स्वतंत्रता है। कृषि मंत्रालय द्वारा 2005-06 तक जारी किए गए अनुदानों हेतु उपयोग प्रमाण पत्रों से सम्बन्धित अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 2107.13 करोड़ रु से सम्बन्धित 244 मामलों में उपयोग प्रमाण पत्र 31-3-2007 तक बकाया थे।

विनियोजन/पुनर्विनियोजन से अधिक व्यय

४.९ उन मामलों में जहाँ भुगतान के लिए विद्यमान प्रावधान पर्याप्त नहीं हैं, भुगतान एवं लेखा कार्यालय (भु.ले.का) अनुदान नियंत्रित करने वाले विभागाध्यक्ष से केवल यह लिखित आश्वासन प्राप्त होने पर ही भुगतान कर सकता है कि संवितरण हेतु आवश्यक निधियाँ पुनर्विनियोग आदेश आदि जारी करके प्रदान कर दी जाएंगी।

वर्ष 2004-07 के लिए शीर्षवार विनियोग लेखाओं की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि निम्नलिखित मामलों में उपलब्ध प्रावधान से अधिक व्यय का सामंजस्य स्थापित करने के लिए पुनर्विनियोजन आदेश जारी नहीं किए गए थे जो निष्प्रभावी बजटीय नियंत्रण को दर्शाता है।

तालिका ४.६: विनियोजन/पुनर्विनियोजन से अधिक व्यय

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	उप-शीर्ष	मूल (मु) पुनर्विनियोजन (पु)	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य व्यय
2004-05	3601.04.588.01 मुर्गीपालन विकास हेतु सहायता	मु. 4.32 पु. 10.05	14.37	14.57	0.20
2005-06	2404.00.111.01- प्रशासन	मु. 8.22 पु. - 1.08	7.14	7.78	0.64
	2404.00.111.03- संसाधन	मु. 23.21 पु. - 0.24	22.97	23.90	0.93

त्रुटिपूर्ण आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली

8.10 मुख्य लेखा नियंत्रक के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कृषि मंत्रालय का आन्तरिक लेखापरीक्षा स्कन्ध मंत्रालय के अधीन इकाईयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा के संचालन हेतु उत्तरदायी है। पिछले तीन वर्षों के दौरान संचालित लेखापरीक्षा निम्न प्रकार है:-

तालिका 8.7: आन्तरिक लेखापरीक्षा की कार्यप्रणाली

वर्ष	इकाईयों की कुल संख्या	योजित इकाईयों की संख्या	वास्तव में निरीक्षित इकाईयों की संख्या
2004-05	184	96	93
2005-06	180	116	93
2006-07	181	82	51

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि मंत्रालय की आन्तरिक लेखापरीक्षा की स्थिति सन्तोषजनक नहीं थी। वर्ष 2004-07 के दौरान केवल 51 से 93 इकाईयों का निरीक्षण किया गया था। मंत्रालय द्वारा भारी मात्रा में निधियों के निक्षेप तथा इसके कार्यकलापों की रेंज को ध्यान में रखते हुए व्यय, नियमितता, औचित्य तथा मितव्ययिता को स्थापित/बनाए रखने के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को प्रभावी बनाने की अत्यन्त आवश्यकता है।

अनुदान सं. 7 - रसायन एवं पैट्रोरसायन विभाग

(रसायन एवं पैट्रोरसायन मंत्रालय)

प्रस्तावना

8.11 रसायन एवं पैट्रोरसायन विभाग (i) देश में रसायन एवं पैट्रोरसायन तथा औषधीय क्षेत्रों की वृद्धि विकास एवं विनियमों की प्राप्ति हेतु नीतियों एवं कार्यक्रमों के निर्माण एवं कार्यान्वयन (ii) व्यापक उपभोग वाली उच्च गुणवत्ता की आवश्यक औषधियों की उचित मूल्यों पर उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा (iii) उद्योगों के उपरोक्त क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु सार्वजनिक-निजी साझेदारी की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

बजट एवं व्यय

8.12 अनुदान के दत्तमत अनुभाग के अंतर्गत गत तीन वर्षों हेतु बजट प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों तथा अव्ययित प्रावधानों की समग्र स्थिति नीचे दी गई है:-

तालिका 8.8: बजट एवं व्यय

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	कुल प्रावधान		वास्तविक संवितरण		अव्ययित प्रावधान	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
2004-05	382.72	41.67	249.84	26.08	132.88	15.59
2005-06	758.95	174.48	709.46	72.07	49.49	102.41
2006-07	909.77	488.39	850.42	456.28	59.35	32.11

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अव्ययित प्रावधान तथा प्रावधान से आधिक्य

8.13 अनुदान के दत्तमत अनुभाग के अंतर्गत कुल अव्ययित प्रावधान अन्य शीर्षों के अंतर्गत आंशिक रूप से अधिक संवितरण द्वारा विस्थापित थे जिसका परिणाम 2004-07 के दौरान निवल अव्ययित प्रावधान में हुआ जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:-

तालिका 8.9: अव्ययित प्रावधान तथा प्रावधान से आधिक्य

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	सकल अव्ययित प्रावधान		आधिक्य द्वारा विस्थापित अव्ययित प्रावधान		निवल अव्ययित प्रावधान	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
2004-05	132.88	18.07	-	2.48	132.88	15.59
2005-06	51.20	102.41	1.71	-	49.49	102.41
2006-07	69.67	37.10	10.32	4.99	59.35	32.11

अनुदान के राजस्व तथा पूंजीगत अनुभाग में भारी अव्ययित प्रावधान बजटीय अनुमानों या/तथा कार्यक्रम प्रबन्धन की दक्षता की समीक्षा की आवश्यकता के द्वातक हैं। वर्ष 2004-05 से 2006-07 के दौरान अव्ययित प्रावधानों के मुख्य मामलों का ब्लौरा परिशिष्ट-VIII-ख में दर्शाया गया है।

अध्ययन से ज्ञात हुआ कि व्यय, अनुमान तथा योजना के अनुसार नहीं किए गए थे। यह न केवल कमजोर बजटीकरण को दर्शाता है बल्कि विभिन्न योजनाओं के निष्पादन में त्रुटियों तथा निष्पादन में कमियों को भी दर्शाता है क्योंकि मूलतः जिन उद्देश्यों के लिए अनुदान या विनियोजन किए गए थे, प्राप्त किए बिना ही रह गए। न केवल अनुमानों तथा वास्तविक व्यय के बीच बड़े अन्तरों को कम करने बल्कि दुर्लभ संसाधनों का लाभदायक उपयोग करने हेतु बजट प्रक्रिया को अधिक वास्तविक बनाने की आवश्यकता है।

अव्ययित प्रावधान के अभ्यर्पण में विलम्ब

8.14 सामान्य वित्तीय नियमावली का नियम 56(2) प्रावधान करता है कि अनुदान या विनियोग में अव्ययित प्रावधानों का पूर्वानुमान होने पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति की

प्रतीक्षा किए बिना उन्हें सरकार को अभ्यर्पित किया जाना चाहिए। अव्ययित प्रावधान को सम्भावित भावी आधिक्य हेतु भी आरक्षित नहीं रखना चाहिए। तथापि, इसके विपरीत, विभाग ने अव्ययित प्रावधान को वित्तीय वर्षों 2004-07 के अंतिम दिवस को अभ्यर्पित किया था जैसाकि नीचे वर्णित है:-

तालिका 8.10: अव्ययित प्रावधान के अभ्यर्पण में विलम्ब

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	अव्ययित प्रावधान		अभ्यर्पित राशि		अभ्यर्पण की तिथि
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	
2004-05	132.88	15.59	132.76	15.59	31.03.2005
2005-06	49.49	102.41	41.57	92.24	31.03.2006
2006-07	59.35	32.11	59.03	32.10	31.03.2007

निरन्तर अव्ययित प्रावधान

8.15 उप-शीर्षों के अंतर्गत 2004-07 के दौरान निरन्तर अव्ययित प्रावधान थे जैसाकि नीचे वर्णित है जो त्रुटिपूर्ण बजटीकरण एवं वित्तीय प्रबंधन को इंगित करता है:-

तालिका 8.11: निरन्तर अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	2004-05	2005-06	2006-07
1.	2852.04.800.01- केन्द्रीय प्लास्टिक अभियान्त्रिकी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान	28.44	38.42	
2.	2852.05.205.03 – कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान हेतु अनुदान	2.99	2.63	
3.	2852.05.205.06 – रसायन उन्नयन एवं विकास योजना	2.85	0.73	0.99
4.	2852.05.206.08 – राष्ट्रीय औषधीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (रा.ओ.मू.नि.प्रा.)	0.29	0.61	2.41
5.	6857.02.190.06 – बंगाल रसायन तथा औषधी लि.	0.01	5.27	1.99

अन्धाधुन्द्य व्यय

8.16 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 56(3) के अनुसार, अन्धाधुन्द्य व्यय, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अन्तिम महीने में, वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाएगा तथा इससे बचा जाना चाहिए। इसके विपरीत, वित्तीय वर्षों के जनवरी-मार्च महीनों के दौरान कुल व्यय के 44 प्रतिशत से 91 प्रतिशत के बीच संवितरण किए गए थे। पिछले तीन वर्षों 2004-07 के दौरान मुख्य शीर्षों के अंतर्गत मार्च माह में किया गया व्यय 22 प्रतिशत से 47 प्रतिशत के बीच था जैसाकि नीचे वर्णित है:-

चुने हुए अनुदानों की समीक्षा

तालिका 8.12: अन्धाधुन्ध व्यय

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	मुख्य शीर्ष	कुल व्यय	वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय	मार्च में किया गया व्यय	वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के व्यय की प्रतिशतता	वर्ष के मार्च माह के दौरान व्यय की प्रतिशतता
2004-05	2852-उद्योग 6857-रसायन एवं औषधीय उद्योगों हेतु ऋण	243.54 25.57	220.54 13.06	67.51 9.96	91 51	28 39
2005-06	6856-औषधीय उद्योगों हेतु ऋण 6857-रसायन एवं औषधीय उद्योगों हेतु ऋण	1.49 70.58	1.29 41.56	0.42 33.06	87 59	28 47
2006-07	6857-रसायन एवं औषधीय उद्योगों हेतु ऋण	106.97	47.09	23.44	44	22

विनियोजन/पुनर्विनियोजन से अधिक व्यय

8.17 लेखा कार्यालय का एक महत्वपूर्ण कार्य यह होता है कि वह यह देखे कि किसी उपशीर्ष या विनियोजन की प्राथमिक इकाई के अन्तर्गत बजट आबंटन से अधिक व्यय न किया जाए। यदि वर्तमान प्रावधान भुगतान को पूरा करने के लिए अपर्याप्त नहीं है तो, भुगतान एवं लेखा कार्यालय (भु.ले.का.) अनुदान नियंत्रक विभागाध्यक्ष से यह लिखित आश्वासन प्राप्त करने के उपरान्त ही भुगतान कर सकता है कि संवितरण के सामंजस्य हेतु पुनर्विनियोजन आदेश आदि जारी करके प्रदान कर दिया जाएगा।

वर्ष 2004-07 हेतु शीर्षवार विनियोजन की नमूना जांच ने प्रकट किया कि निम्न मामलों में विभाग ने उपलब्ध प्रावधान से अधिक भुगतान किया यद्यपि उपलब्ध प्रावधानों से अधिक अंतिम व्यय के सामंजस्य हेतु कोई पुनर्विनियोजन आदेश जारी नहीं किए गए थे। यह त्रुटिपूर्ण बजटीय नियत्रण को इंगित करता है:-

तालिका 8.13: विनियोजन/पुनर्विनियोजन से अधिक व्यय

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं	उप-शीर्ष	मूल/पुनर्विनियोजन	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय
2005-06					
1.	3451.00.090.30 – रसायन एवं पैट्रोरसायन विभाग	मू. 7.19 पु. 0.50	6.69	6.75	0.06
2.	2852.05.205.01 – भोपाल गैस रिसाव आपदा (दावों की प्रक्रिया) अधिनियम 1985	मू. 673.88 पु. 0.28	674.16	674.48	0.32

2006-07						
3.	3451.00.090.30 – रसायन एवं पैट्रोरसायन विभाग	मू. पु.	9.52 - 1.00	8.52	8.55	0.03
4.	2852.05.205.06 – रसायन उन्नयन एवं विकास योजना	मू. पु.	2.00 -1.09	0.91	1.01	0.10
5.	2852.05.206.08 – राष्ट्रीय औषधीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (रा.ओ.मू.नि.प्रा.)	मू. पु.	7.35 -2.47	4.88	4.94	0.06

अवास्तविक बजटीकरण

8.18 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 48(2) के अनुसार मंत्रालयों/विभागों को अन्य बातों के साथ-साथ पिछले वर्षों के दौरान संवितरण प्रवृत्ति तथा वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मितव्ययी अनुदेशों जैसे अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए अपने अनुमान तैयार करने अपेक्षित हैं।

वर्ष 2004-07 के विनियोजन लेखाओं की समीक्षा से प्रकट हुआ कि निम्न वर्णित उपशीर्षों के अंतर्गत इन वर्षों के दौरान प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे तथा उन्हें अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित अथवा अभ्यर्पित किया गया था जिससे उन मूल उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया गया जिनके लिए संसद द्वारा बजट प्रावधान बनाए गए थे। इन वर्षों के दौरान अप्रयुक्त प्रावधानों की प्रतिशतता 51 प्रतिशत से 87 प्रतिशत के बीच थी।

तालिका 8.14: अवास्तविक बजट बनाना

(करोड़ रुपयों में)				
क्र.सं.	उप-शीर्ष	मूल प्रावधान	अप्रयुक्त प्रावधान	अप्रयुक्त प्रावधान की प्रतिशतता
2004-05				
1	2852.04.800.01-केन्द्रीय प्लास्टिक एवं अभियान्त्रिकी तकनीकी संस्थान	38.30	28.44	74
2	2852.05.205.03 – कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान हेतु अनुदान	5.73	2.99	52
3	2852.05.205.06 – रसायन उन्नयन एवं विकास योजना	3.40	2.84	84
2005-06				
4.	2852.04.800.01 – केन्द्रीय प्लास्टिक एवं अभियान्त्रिकी तकनीकी संस्थान	49.30	38.42	78
5.	2852.05.205.03 – कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान हेतु अनुदान	3.33	2.63	79
6.	2852.05.205.06 – रसायन उन्नयन एवं विकास योजना	1.00	0.73	73
7	6857.01.190.03 – हिन्दुस्तान कीटनाशक लि.	59.00	51.45	87
8.	6857.02.190.03 – भारतीय दवा एवं औषधी लि.	14.20	7.20	51

चुने हुए अनुदानों की संवीक्षा

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	मूल प्रावधान	अप्रयुक्त प्रावधान	अप्रयुक्त प्रावधान की प्रतिशतता
9.	6857.02.190.04 - हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक लि.	63.00	32.70	52
2006-07				
10.	2852.05.205.01 - भोपाल गैर सिसाव आपदा (दावों की प्रक्रिया) अधिनियम, 1985	58.83	51.38	87
11.	2852.05.205.06 - रसायन उन्नयन एवं विकास योजना	2.00	1.09	55

समस्त निधियों को अनुपयोग

8.19 वर्ष 2004-05 से 2006-07 के विनियोजन लेखाओं की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि मंत्रालय द्वारा उप-शीर्षों के अंतर्गत समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे जैसा कि नीचे वर्णित है। यह इस तथ्य को इंगित करता है कि बजट अनुमान/अनुपूरक योजनाओं तथा परियोजनाओं की पर्याप्त बजट-पूर्व संवीक्षा किए बिना तैयार किए गए थे।

तालिका 8.15: समस्त निधियों का अनुपयोग

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	कुल प्रावधान	अव्ययित प्रावधान
2004-05			
1	6857.02.190.03-भारतीय दवा एवं औषधी लि	14.27	14.27
2005-06			
2.	6857.02.190.05- स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्माशूटिकल्स लि.	3.09	3.09
2006-07			
3.	6856.00.190.03- केन्द्रीय प्लास्टिक एवं अभियान्त्रिकी तकनीकी संस्थान	30.00	30.00

अनुपूरक मांगों का अवास्तविक अनुमान

8.20 अनुपूरक अनुदान प्राप्त करते समय मंत्रालय को उपलब्ध या वर्ष के दौरान उपलब्ध होने की संभावना वाले संसाधनों को ध्यान में रखना चाहिए तथा अतिरिक्त बजट के लिए निधियों की आवश्यकता के पूर्व अनुमान के समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। केवल अपवादात्मक एवं अत्यावश्यक मामलों में ही अनुपूरक मांगों का सहारा लेना चाहिए।

यद्यपि 2006-07 के दौरान उच्च व्यय की प्रत्याशा में अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किए गए थे फिर भी 99.90 प्रतिशत अनुपूरक प्रावधान अव्ययित रहे।

तालिका 8.16: अनुपूरक मांगों का अवास्तविक अनुमान

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	उप-शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक वितरण	अव्ययित प्रावधान
2006-07	2852.05.205.01 भोपाल गैस रिसाव आपदा (दावों की प्रक्रिया) अधिनियम, 1985	मू. 6.89 अ. 51.94	6.94	51.89

अनुदान सं. 82 : वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान विभाग

(विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय)

प्रस्तावना

8.21 वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान विभाग (वै.ओ.आ.वि.) की स्थापना जनवरी 1985 में हुई जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिक मंत्रालय के तीन गठित विभागों में से एक है। इसके मुख्य कार्य औद्योगिक क्षेत्र को देश के अनुसंधान एवं विकास में अपना अंश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देना, उच्च व्यावसायिक संभावना वाली अत्याधुनिक, भू-मण्डलीय स्तर पर प्रतियोगितात्मक प्रौद्योगिकियों का विकास, लैब रैकेल आ.एवं वि. के तीव्रतर व्यावसायिकरण को उत्प्रेरित करना, समग्र निर्यात में प्रौद्योगिकी आधारित निर्यात के अंश में वृद्धि, औद्योगिक परामर्श एवं प्रौद्योगिक प्रबन्धन योग्यताओं का सुदृढ़ीकरण तथा देश में वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान को सुगम बनाने के लिए उपयोगकर्ता सहायक सूचना नेटवर्क की स्थापना हैं। वै.ओ.आ.वि. दो स्वायत्त निकायों नामतः वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (वै.ओ.आ.प.), परामर्श विकास केन्द्र (प.वि.के.) तथा दो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ‘राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (रा.अ.वि.नि.)’ तथा केन्द्रीय इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (के.इ.लि.)’ के क्रियाकलापों के समन्वय से, अतिरिक्त ‘प्रौद्योगिक प्रोत्साहन, विकास तथा उपयोग (प्रौ.प्रो.वि.उ.) कार्यक्रम’ योजनागत योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है।

बजट तथा व्यय

8.22 पिछले तीन वर्षों के लिए अनुदान के दत्तमत अनुभाग के अन्तर्गत बजट प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों तथा अव्ययित प्रावधानों की समग्र स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 8.17: बजट एवं व्यय

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	कुल प्रावधान		वास्तविक संवितरण		अव्ययित प्रावधान	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
2004-05	1336.92	13.10	1283.93	2.06	52.99	11.04
2005-06	1536.06	20.97	1451.61	18.48	84.45	2.49
2006-07	1749.92	0.10	1486.41	0.02	263.51	0.08

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

विनियोजन/पुनर्विनियोजन से अधिक व्यय

8.23 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 57 तथा 63 के परिशिष्ट-14 में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार लेखा कार्यालय का एक महत्वपूर्ण कार्य यह होता है कि वह यह देखे कि किसी उप-शीर्ष या विनियोजन की प्राथमिक इकाई के अन्तर्गत बजट आबंटन से अधिक व्यय न किया जाए। यदि वर्तमान प्रावधान भुगतान को पूरा करने के लिए अर्पयात नहीं है तो, भुगतान एवं लेखा कार्यालय (भु.ले.का.) किसी भी उप-शीर्ष या प्राथमिक इकाई के अन्तर्गत बजट आबंटन से अधिक भुगतान केवल अनुदान नियंत्रक विभागाध्यक्ष से यह लिखित आश्वासन प्राप्त करने के उपरान्त ही कर सकता है कि संवितरण के सामंजस्य हेतु आवश्यक निधियां पुनर्विनियोजन आदेश आदि जारी करके प्रदान कर दी जाएंगी।

वर्ष 2004-07 के लिए शीर्ष-वार विनियोग लेखाओं की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि निम्न मामलों में भु.ले.का. ने उपलब्ध प्रावधान से अधिक भुगतान किया था तथा विभाग ने उपलब्ध प्रावधान से अधिक अंतिम व्यय के सामंजस्य हेतु कोई पुनर्विनियोजन आदेश जारी नहीं किए गए थे जो निष्प्रभावी आंतरिक नियंत्रण तंत्र को दर्शाता है।

तालिका 8.18: विनियोजन/पुनर्विनियोजन से अधिक व्यय

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	उप-शीर्ष	मूल (मू.) अनुपूरक (अ.) पुनर्विनियोजन (पु.)	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)
2004-05	3425.60.151.01- प्रशासन	मू. 192.00 अ. 0.01 पु. 10.98	202.99	203.00	0.01
2006-07	3425.60.200.03- प्रोद्योगिक प्रोत्साहन विकास और उपयोग कार्यक्रम हेतु सहायता अनुदान	मू. 33.55 अ. 0.01 पु. - 9.55	24.01	24.22	0.21

अव्ययित प्रावधान का अभर्पण

8.24 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 56(2) में प्रावधान है कि अनुदान या विनियोग में अव्ययित प्रावधानों का पूर्वानुमान होने पर उसको वित्तीय वर्ष की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना सरकार को अभ्यर्पित किया जाना चाहिए। अव्ययित प्रावधान को सम्भावित भावी आधिक्य हेतु भी आरक्षित नहीं रखना चाहिए। नमूना जांच से प्रकट हुआ कि नियम के उल्लंघन में, वै.ओ.अ.वि. ने दिसम्बर/जनवरी माह में संशोधित अनुमानों के अनुमोदन के बावजूद प्रतिवर्ष वित्तीय वर्षों की समाप्ति पर अव्ययित प्रावधान अभ्यर्पित किए। 2004-07 के दौरान अभ्यर्पित राशियों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

तालिका 8.19: अव्ययित प्रावधान का अभर्पण

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	अव्ययित प्रावधान		अभ्यर्पित राशि		अभ्यर्पित न की गई राशि		अभर्पण की तिथि
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	
2004-05	52.99	11.04	51.30	11.00	1.69	0.04	31 मार्च 2005
2005-06	84.45	2.49	56.13	2.00	28.32	0.49	31 मार्च 2006
2006-07	263.51	0.08	172.00	शून्य	91.51	0.08	26 मार्च 2007

अनुपूरक अनुदानों का अवास्तविक अनुमान

8.25 अनुपूरक अनुदान प्राप्त करते समय, मंत्रालय को उपलब्ध या वर्ष के दौरान उपलब्ध होने की संभावना वाले संसाधनों को ध्यान में रखना चाहिए तथा अतिरिक्त बजट के लिए निधियों की आवश्यकता के पूर्वानुमान के समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। अनुपूरक अनुमानों का सहारा अपवादात्मक एवं अत्यावश्यक मामलों में ही लिया जाना चाहिए।

निम्नलिखित मामलों में, वै.ओ.अ.वि. ने अनुपूरक प्रावधान अधिक व्यय की प्रत्याशा में किए गए थे परन्तु अंतिम व्यय मूल अनुदानों/विनियोजनों से भी कम था। इसलिए अनुपूरक प्रावधान की समग्र राशि अनावश्यक, त्रुटिपूर्ण बजट को दर्शाती है।

तालिका 8.20: अनुपूरक अनुदानों का अवास्तविक अनुमान

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	उप-शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अव्ययित प्रावधान
2004-05	3425.60.151.02- राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं	मू. 927.04 अ. 31.00 पु. -52.56	905.47	0.01

चुने हए अनुदानों की समीक्षा

वर्ष	उप-शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अव्यायित प्रावधान
2005-06	3425.60.200.03- प्रौद्योगिक प्रोत्साहन विकास और उपयोग कार्यक्रम हेतु सहायता अनुदान	मू. 26.95 अ. 0.01 पु. - 6.15	19.80	1.01
2006-07	3425.60.151.02- राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं	मू. 1167.25 अ. 0.01 पु. - 104.60	993.85	68.81

अन्धाधुन्द्य व्यय

8.26 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 56(3) के अनुसार, अन्धाधुन्द्य व्यय, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अन्तिम महीने में, वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाएगा तथा इससे बचा जाना चाहिए। इसके विपरीत, विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों में मार्च माह के दौरान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत किया गया व्यय कुल व्यय का 20 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच था:

तालिका 8.21: अन्धाधुन्द्य व्यय

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	उप-शीर्ष	व्यय		वित्तीय वर्ष के मार्च माह के दौरान व्यय की प्रतिशतता
		वर्ष के दौरान	मार्च में	
2004-05	3425.60.151.03- वैज्ञानिक पूल	4.00	1.00	25
	3425.60.151.04- अनुसंधान योजनाएं, छात्रवृत्ति एवं अध्येतावृत्ति	98.00	48.50	49
	3425.60.151.09- नव सहस्राब्दी भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व पहलकदमी	50.00	16.25	33
	3425.60.200.03- प्रौद्योगिक प्रोत्साहन, विकास एवं उपयोग कार्यक्रम हेतु सहायता अनुदान	13.23	7.30	55
	6859.02.190.05- केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिक्स लि. को ऋण	2.00	2.00	100
2005-06	3425.60.151.03- वैज्ञानिक पूल	4.00	1.00	25

वर्ष	उप-शीर्ष	व्यय		वित्तीय वर्ष के मार्च में माह के दौरान व्यय की प्रतिशतता
		वर्ष के दौरान	मार्च में	
2006-07	3425.60.200.02- वैज्ञानिक संस्थान और व्यावसायिक निकायों को सहायता	0.60	0.60	100
	3425.60.200.04- सूचना प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन	0.45	0.41	91
	4859.02.190.02- केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक लि.	10.00	5.00	50
	3425.60.151.01- प्रशासन	248.00	58.25	23
	3425.60.151.03- वैज्ञानिक पूल	4.50	1.13	25
	3425.60.151.04- अनुसंधान योजनाएं, छात्रवृत्ति एवं अध्येतावृत्ति	125.00	25.00	20
	3425.60.200.03- प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन विकास एवं उपयोग कार्यक्रम हेतु सहायता अनुदान	24.22	7.12	29

निरन्तर बचत

8.27 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 48(2) के अनुसार मंत्रालयों/विभागों को पिछले वर्षों के दौरान उनकी संवितरण-प्रवृत्ति तथा अन्य सम्बद्ध कारकों जैसे वित्त मंत्रालय द्वारा जारी मितव्ययी अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए अपने अनुमान तैयार करने अपेक्षित हैं। वर्ष 2004-07 के विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि कुछ शीर्षों के अंतर्गत प्रावधानों का निरन्तर कम उपयोग हो रहा था जो अवास्तविक बजटीकरण, त्रुटिपूर्ण वित्तीय प्रबन्धन और योजनाओं के निष्पादन के कार्यान्वयन में लापरवाही/कमी को दर्शाता था। इस प्रकार के शीर्षों का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 8.22: निरन्तर बचत

(करोड़ रुपयों में)

उप-शीर्ष	2004-05			2005-06			2006-07		
	बजट प्रावधान	संवितरण	बचत	बजट प्रावधान	संवितरण	बचत	मूल प्रावधान	बजट प्रावधान	बचत
3451.00.090.01 - वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान	4.81	4.04	0.77	4.90	3.72	1.18	5.25	3.84	1.41

चुने हुए अनुदानों की समीक्षा

उप-शीर्ष	2004-05			2005-06			2006-07		
	बजट प्रावधान	संवितरण	बचत	बजट प्रावधान	संवितरण	बचत	मूल प्रावधान	बजट प्रावधान	बचत
3425.60.151.02- राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं	958.04	905.47	52.57	1054.43	1003.50	50.93	1167.26	993.85	173.41
3425.60.151.09- नव सहस्राब्दी भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व पहलकदमी		-	-	70.00	43.54	26.46	90.00	33.61	56.39
5425.00.800.08- प्रौद्योगिकी के अंतरण के लिए विशेष निर्माण कार्य/एशियाई एवं प्रशांत केन्द्र के लिए भवन	0.10	0.06	0.04	0.97	0.48	0.49	0.10	0.02	0.08

त्रुटिपूर्ण आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली

8.28 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध प्रत्यक्ष रूप से लेखा नियंत्रक के अधीन कार्य करता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (वि.प्रा.मं.) का भुगतान एवं लेखा कार्यालय (भु.ले.का.) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा का संचालन नहीं कर रहा है। इस प्रकार, लेखाओं की परिशुद्धता एवं पूर्णता के सत्यापन हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा का मुख्य कार्य भु.ले.का. द्वारा नहीं किया जा रहा था।

अनुदान सं. 87- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

प्रस्तावना

8.29 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय समाज के सुविधावंचित और उपेक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जातियों, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों, देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे, वरिष्ठ नागरिकों, अपंग व्यक्तियों और व्यसनों (मादक द्रव) से पीड़ितों के कल्याण के लिए उत्तरदायी है। मंत्रालय का उद्देश्य शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक सुधार तथा मानव शक्ति विकास कार्यक्रमों द्वारा समाज के सुविधा वंचित और उपेक्षित वर्गों को समर्थ बनाना है।

बजट एवं व्यय

8.30 पिछले तीन वर्षों के लिए बजट प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों और अव्ययित प्रावधानों की समग्र स्थिति नीचे दी गई है:-

तालिका 8.23: बजट एवं व्यय

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	कुल प्रावधान		वास्तविक संवितरण		अव्ययित प्रावधान	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
2004-05	1377.28	179.75	1231.36	173.60.	145.92	6.15
2005-06	1581.61	118.10	1539.02	118.10	42.59	-
2006-07	1675.83	202.29	1603.22	123.50	72.61	78.79

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

निरन्तर अव्ययित प्रावधान

8.31 पिछले तीन वर्षों के दौरान लेखे के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत अनुदान के राजस्व तथा पूंजीगत अनुभागों में निरन्तर अव्ययित प्रावधान थे। 2004-07 के निरन्तर अव्ययित प्रावधानों के कुछ मामले परिशिष्ट-VIII-ग में दर्शाए गए हैं। अनुदान के अंतर्गत भारी अव्ययित प्रावधान मंत्रालय में त्रुटिपूर्ण बजटीय अनुमानों को दर्शाते हैं।

इस प्रकार, बजटीय अनुमानों तथा कार्यक्रम प्रबंधन की दक्षता की समीक्षा की आवश्यकता थी।

मंत्रालय ने बचतों हेतु स.शा.क्षे. प्रशासनों से प्रस्तावों तथा अनुदानों के लिए दावों की अप्राप्ति, वित्त मंत्रालय द्वारा अवेतन मदों पर अनिवार्य कटौती का अधिरोपण, कुछ योजनाओं का अन्य मंत्रालयों में स्थानांतरण तथा कुछ योजनाओं की अस्वीकृति को अरोपित किया। मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि वर्षानुवर्ष निरन्तर बचतों की वास्तविकता के अतिरिक्त बचतों के लिए बताए अंशदायी कारणों से प्रभावी मानीटरिंग द्वारा बचा जा सकता था।

निरन्तर अव्ययित प्रावधानों से प्रभावित योजनाएं

कम व्यय की निरन्तरता से प्रभावित कुछ योजनाएं नीचे चर्चित हैं:

8.32(i) वृद्धों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

वृद्ध व्यक्तियों के जीवन के स्तर की प्रतिष्ठा को समर्थ बनाने तथा सुधारने के उद्देश्य से वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम की योजना नवम्बर 1992 से कार्यान्वित की जा रही है। योजना के अंतर्गत, गैर सरकारी संगठनों (गै.स.सं.) को वृद्ध आश्रमों, दैनिक देखभाल केन्द्र तथा चल चिकित्सीय इकाईयों को संरक्षण करने एवं अनुरक्षण करने तथा वृद्ध व्यक्तियों हेतु गैर-संस्थागत सेवाएं प्रदान करने के लिए परियोजना की लागत की 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। तथापि, इन आवश्यक गतिविधियों के लिए बनाए गए बजट प्रावधान का एक सार्थक भाग 2004-07 वर्षों के दौरान अनुपयोगी रहा जैसा कि तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 8.24: अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	बजट प्रावधान	अव्ययित राशि	बजट के प्रति अव्ययित राशि की प्रतिशतता
2004-05	18.79	3.12	17
2005-06	24.05	9.99	42
2006-07	26.00	13.61	52

इस प्रकार, योजना के परिव्यय के कम उपयोग ने कार्यान्वयन में शिथिलता को दर्शाया जो इस योजना के उद्देश्य तथा लक्ष्य की अप्राप्ति का कारण बनी।

8.32(ii) आवारा बच्चों के लिए योजना

इस कार्यक्रम का लक्ष्य बिना घरों एवं परिवार बंधन के बच्चों को अभावग्रस्तता से बचाना तथा सड़कों से उनके जीवन को हटाने में सहायता करना है। योजना इन बच्चों को घर, खाना, स्वास्थ्य, देखभाल, शिक्षा, मनोरंजन सुविधाएं प्रदान करना तथा उनका दुर्व्यवहार तथा शोषण से बचाव तलाशती है। आवारा बच्चों के कल्याण के लिए उपलब्ध कराए गए बजट प्रावधान का मुख्य भाग 2004-07 के दौरान अनुपयोगी रहा जैसा निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 8.25: अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	बजट प्रावधान	अव्ययित प्रावधान	अव्ययित राशि की प्रतिशतता
2004-05	12.55	0.77	6
2005-06	17.20	6.61	38
2006-07	12.00	12.00	100

निधियों के अनुपयोग/अल्पयोग का परिणाम परिकल्पित सुविधाओं तथा आवारा बच्चों को शोषण से बचाव न प्रदान किए जाने में हुआ।

8.32(iii) देखभाल तथा सुरक्षा की आवश्यकता वाले कामगार बच्चों के कल्याण हेतु योजना

बच्चों को जारी तथा भविष्य में शोषण से बचाने की दृष्टि से, मंत्रालय ने देखभाल तथा सुरक्षा की आवश्यकता वाले कामगार बच्चों के कल्याण के लिए एक योजना को सूचित किया (मार्च 2001)। योजना का उद्देश्य कामकाजी बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि सहित सुविधा प्रदान करके शिक्षा की मुख्य धारा में उनके प्रवेश/पुनः प्रवेश को सरल बनाना है चाहे उन्होंने शिक्षा प्रणाली सम्पन्न नहीं की हो या

किसी अन्य कारणों से उनकी शिक्षा रोक दी गई हो। 2004-07 के दौरान योजना के अंतर्गत बंजट प्रावधानों तथा बचतों का और निम्नलिखित थे:

तालिका 8.26: अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	बंजट प्रावधान	अव्ययित प्रावधान	बचत की प्रतिशतता
2004-05	7.00	7.00	100
2005-06	7.00	5.88	84
2006-07	3.00	3.00	100

2004-05 तथा 2006-07 के दौरान इस योजना के अंतर्गत कुल प्रावधान अप्रयुक्त रहे तथा 2005-06 के दौरान प्रावधान का केवल 16 प्रतिशत उपयोग किया गया था।

अयथार्थ बजटीकरण

8.33 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 48(2) के अनुसार मंत्रालयों/विभागों को अन्य बातों के साथ-साथ पिछले वर्षों के दौरान संवितरण प्रवृत्ति तथा वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए भित्तिव्ययी अनुदेशों जैसे अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए अपने अनुमान तैयार करने अपेक्षित हैं।

8.33(i) अनुदान की समीक्षा से उजागर हुआ कि विभिन्न उप-शीर्षों के अंतर्गत, 2004-07 तीन वर्षों के दौरान पूर्ण या/और बड़े प्रावधान अनुपयोगी रहे थे, जिनका अन्य शीर्षों हेतु पुनर्विनियोजन किया गया। मूल उद्देश्य, जिसके लिए बंजट प्रावधान किए गए थे, अपूर्ण रहे। उपशीर्ष, जिन्होंने भारी अव्ययित प्रावधान दर्ज किए, का विवरण परिशिष्ट-VIII-घ में दिया गया है।

8.33(ii) 2006-07 के दौरान मंत्रालय ने “3601.04.341.07-मैट्रीकोर्ट छात्रवृत्ति योजना” के अंतर्गत 5.50 करोड़ रु. का अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया। मंत्रालय द्वारा 5.50 करोड़ रु. का पूर्ण अनुपूरक अनुदान का अनुपयोगी रहा, जिसने संसद से विशिष्ट रूप से सांगी निधियों को उपयोग करने के लिए मंत्रालय के उदासीन अभिगम को दर्शाया।

8.33(iii) “4235.02.190.02- राष्ट्रीय विकलांग वित्त तथा विकास निगम” उपशीर्ष के अन्तर्गत निगम के पास पड़े अव्ययित शेरों को ध्यान में लिए बिना निधियां प्रदान की गई थीं जिसका परिणाम कम खर्च में हुआ। और नीचे दिए गए हैं :

तालिका 8.27: अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें (प्रतिशतता)	कारण
2004-05	11.00	1.00	10.00 (90)	बचत निगम के पास पड़े अव्ययित शेष की उपलब्धि के कारण थी।
2006-07	11.00	5.50	5.50 (50)	बचत निगम के पास पड़े अव्ययित शेष की उपलब्धि के कारण थी।

8.33(iv) 2006-07 के दौरान, “कमजोर वर्गों हेतु राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगम” शीर्ष के पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत 67.47 करोड़ रु. (152.47 करोड़ रु. के वास्तविक प्रावधान का 44 प्रतिशत संघटित करके) अप्रयुक्त रहे। मंत्रालय ने राजस्व अनुभाग में अधिक आवश्यकताओं को कम उपयोग हेतु आरोपित किया जिन्हें पृथक रूप से अनुपूरक अनुदान के माध्यम से प्राप्त किया गया था।

अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण

8.34 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 56(2) के प्रावधानों तथा वित्त मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार अव्ययित राशि का पूर्वानुमान होने पर, वर्ष की समाप्ति तक इंतजार किए बिना, शीघ्रता से अभ्यर्पण किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने अव्ययित प्रावधानों का 2004-07 वित्तीय वर्षों के अंतिम दिन में अभ्यर्पण किया। 2004-07 के दौरान राजस्व तथा पूंजीगत अनुभागों के अंतर्गत अभ्यर्पित राशियों के बारे निम्नलिखित थे:

तालिका 8.28: अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	अव्ययित प्रावधान		अभ्यर्पित राशि		अभ्यर्पण की तिथि
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	
2004-05	145.92	6.15	141.97	6.16	31.3.2005
2005-06	42.59	--	33.98	--	31.3.2006
2006-07	72.61	78.79	4.82	60.50	31.3.2007
गोण	261.12	84.94	180.77	66.66	

सभी तीन वर्षों के दौरान, वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पित की गई राशि लगातार अव्ययित राशि की अपेक्षा काफी कम थी। पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्व तथा पूंजीगत अनुभागों के अंतर्गत 346.06 करोड़ रु. के कुल प्रावधानों में से, केवल 247.43 करोड़ रु. अभ्यर्पित किए गए थे जो भी वित्तीय वर्षों के अन्तिम दिन।

मंत्रालय ने 72.88 करोड़ रु. की राशि के अव्ययित निधियों के अभ्यर्पण न करने हेतु दो योजनाओं का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा अत्यसंख्यक कार्य मंत्रालय में स्थानांतरण के प्रति आरोपित किया तथा बताया कि वित्त मंत्रालय के आदेशों के जारी

होने के पश्चात निधियों का अभ्यर्पण या स्थानांतरण इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि स्थानांतरित योजनाओं के अंतर्गत व्यय मंत्रालय या अनुदान प्रचालन शाखा का लिहाज किए बिना विशिष्ट योजनाओं के अंतर्गत किया जाना था।

अन्धाधुन्ध व्यय

8.35 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 56(3) के अनुसार, वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में अन्धाधुन्ध संवितरण से विशेष रूप से बचा जाना चाहिए। तथापि, 2004-07 वर्षों में मार्च के दौरान परिशिष्ट-VIII-ड में दर्शाए गए लेखे के शीर्षों की बड़ी संख्या के अन्तर्गत किए गए संवितरण कुल संवितरणों के 28 से 62 प्रतिशत के बीच थे। अन्तिम तिमाहियों के दौरान संवितरण वर्ष में कुल संवितरणों के 48 तथा 80 प्रतिशत के बीच थे। विभिन्न संगठनों को मार्च में जारी निधियां रचनात्मक रूप से वर्ष के दौरान खर्च नहीं की जा सकती।

मंत्रालय ने बताया कि वित्तीय वर्ष के अंत में निधियों का जमघट न होने देने को सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की जा चुकी है।

योजना आयोग के दिशानिर्देशों की अननुपालना

8.36 योजना आयोग मंत्रालय द्वारा वार्षिक बजट प्रस्तावों को तैयार करने के लिए दिशानिर्देश जारी करता है। दिशानिर्देशों के अनुसार, 2004-05 से 2006-07 हेतु योजनागत प्रस्ताव विभिन्न तत्वों जैसे कि प्रत्येक योजना के अंतर्गत भौतिक उपलब्धियां, शून्य आधारित बजटीय (शू.आ.ब.) निर्णयों के परिणाम, योजनाएं तथा राष्ट्रीय सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम (रा.सा.न्यू.का.) में सरकारी रूपरेखा की प्राथमिकता आदि पर ध्यान देने के पश्चात तैयार किए जाने थे। वार्षिक योजनाओं का अस्थायी आकार पिछले वर्षों की तुलना में 5 से 15 प्रतिशत के बीच की वृद्धि के साथ दर्शाया जाना था।

नमूना जांच ने प्रकट किया कि मंत्रालय ने अन्य तत्वों जैसे लक्ष्यों के विरुद्ध भौतिक उपलब्धियां तथा बजट परिणाम को देखे बिना अस्थायी आकार के आधार पर योजनागत प्रस्तावों को तैयार किया था।

त्रुटिपूर्ण आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली

8.37 मंत्रालय की आंतरिक लेखापरीक्षा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक (मु.ले.नि.) के अधीन है। 2004-07 के दौरान मु.ले.नि. ने 11 लेखापरीक्षाएं की जैसा कि परिशिष्ट-VIII-च में ब्यौरा दिया गया है। इन 11 इकाईयों में से, 7 बाह्य स्थान इकाईयां थीं। यह देखा गया कि 2004-07 की अवधि के दौरान मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों जो कल्याण योजनाओं के अंतर्गत योजनागत व्यय वहन

करने के लिए जिम्मेदार थे तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (आ.सं.अ.) के अभिलेख लेखापरीक्षा के बिना रह गए। सितम्बर 2004 के दौरान मंत्रालय के केवल एक प्रभाग की लेखापरीक्षा की गई। इस प्रकार, आंतरिक लेखापरीक्षा का क्षेत्र उपेक्षणीय था।

मू.ले.नि. ने त्रुटिपूर्ण आंतरिक नियंत्रण को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के लिए अलग आन्तरिक लेखापरीक्षा स्कंध की गैर मौजूदगी पर आरोपित किया तथा बताया कि आंतरिक लेखापरीक्षा दल हेतु पदों के सृजन या ऐसा बाहर से कराने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा था।

अध्याय 9

सरकार की वित्तीय व्यवस्था का प्रबंधन: एक सामान्य मूल्यांकन

राजकोषीय निष्पादन के संकेतक

9.1 यह अध्याय उन मूलभूत सूचकों, जो उपलब्ध संसाधनों की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता का निर्धारण करने, चिन्ताजनक क्षेत्रों को उजागर करने तथा सरकार की वित्त व्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलुओं का चित्रण करने में सहायता करते हैं, के संदर्भ में 1992-2007 के दौरान सरकार के वित्त की संक्षिप्त स्थिति को दर्शाता है। संघ सरकार के राजकोषीय मापदण्डों को भौटे तौर पर चार मुख्य घटकों के समूह में बाँट दिया गया है और प्रत्येक घटक के लिए संकेतकों के समूहों की कल्पना की गई है जिससे समय के साथ राजकोषीय विकास का मूल्यांकन किया जाये। संसाधन संग्रहण, व्यय प्रबंधन, राजकोषीय असन्तुलन का प्रबंधन और राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन चार मुख्य घटक हैं।

संसाधन संग्रहण

9.2 इस मुख्य घटक के अंतर्गत संसाधनों की पर्याप्तता, इन संसाधनों की वृद्धि और पूर्व निवेश पर वापसी, वित्तीय अंतर्वर्तन और आज तक हुए पूँजीगत व्यय के चित्रण हेतु तालिका 9.1 में दर्शाए गए आठ संकेतकों को शामिल किया गया है। स.घ.उ. अनुपात की तुलना में राजस्व प्राप्ति वर्तमान सेवाओं के प्रावधान के लिए संसाधनों के वर्तमान प्रवाह की पर्याप्तता का संकेत देता है। राजस्व प्राप्तियों में कर तथा गैर-कर प्राप्तियों के साथ-साथ सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के लिए उपभोक्ता प्रभारों की वसूली सम्मिलित है। संसाधनों की पर्याप्तता का दूसरा संकेतक, कर-स.घ.उ. अनुपात है, जो राजस्व प्राप्तियों का एक उप-समुच्चय है। यह अनुपात ऐसे संसाधनों तक सरकार की पहुँच का संकेत देता है जिनके लिए कोई प्रत्यक्ष सेवा प्रावधान बाध्यता नहीं है। राजस्व और कर उत्पादकता संसाधनों को जुटाने के लिए किये गये प्रयासों की प्रगति के संकेतक हैं। अन्य चार, पूर्व निवेश की वापसी और उपभोक्ता प्रभारों की वसूली के संकेतक हैं। तालिका 9.1, VIIIवीं, IXवीं तथा Xवीं पंचवर्षीय योजना अवधियों को सम्मिलित करते हुए 1992-2007 हेतु इन संकेतकों के मान में गति का सारांश दर्शाती है।

तालिका 9.1: संसाधन संग्रहण के संकेतक

(प्रतिशत)

अवधि	राजस्व प्राप्ति/स.घ.उ.	सकल कर प्राप्ति/स.घ.उ.	राजस्व उत्प्लावकता*	कर उत्प्लावकता*	अग्रिमों पर वापसी	निवेश पर वापसी	उपभोक्ता प्रभारों की वसूली - सामाजिक सेवाएं	उपभोक्ता प्रभारों की वसूली - आर्थिक सेवाएं
1992-2007	12.39	9.50	0.97	1.06	13.54	7.97	3.46	50.27
VIII वीं योजना (1992-97)	12.71	9.32	0.93	0.96	11.23	2.35	9.57	57.22
IX वीं योजना (1997-02)	12.37	8.65	0.82	0.86	14.15	5.30	3.59	55.80
X वीं योजना (2002-07)	12.29	10.07	1.13	1.55	14.29	12.40	2.17	44.56
2002-03	12.20	8.80	1.53	2.01	15.11	8.83	2.03	43.07
2003-04	12.26	9.20	1.10	1.41	15.91	9.84	1.91	45.27
2004-05	12.05	9.75	0.96	1.52	14.30	13.29	1.49	51.37
2005-06	12.08	10.26	1.09	1.42	13.36	14.79	4.28	45.39
2006-07	12.73	11.48	1.46	1.87	12.03	14.67	1.03	40.32

* राजस्व और कर उत्प्लावकता के गुणांक अनुपात में है।

9.3 स.घ.उ. की तुलना में राजस्व प्राप्तियों के अनुपात में मन्द प्रवृत्ति को देखा गया था। VIII वीं योजना (1992-1997) के दौरान मूल्यों की तुलना में IX वीं योजना (1997-2002) के दौरान अनुपात 12.37 तक तथा उसके बाद X वीं योजना (2002-07) के दौरान 12.29 की औसत तक कम हुआ। तथापि, कर वसूली X वीं योजना अवधि के दौरान उत्प्लावक बंनी रही तथा बढ़ती हुई प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया। इन प्रवृत्तियों ने X वीं योजना अवधि के दौरान कर स.घ.उ. में निरन्तर वृद्धि को प्रदर्शित किया तथा 1992-93 से प्रथम बार 2005-06 में 10 प्रतिशत के ऊर गई। यह संवेग कायम रहा तथा वर्तमान वर्ष के दौरान यह 11.48 प्रतिशत के स्तर तक हुआ। यद्यपि हाल के वर्षों के दौरान उत्प्लावक में सुधार था, इसे कायम रखने की आवश्यकता है। राजस्व उत्प्लावक, जो कि VIII वीं योजना (1992-1997) के दौरान एक से कम था तथा IX वीं योजना (1997-2002) के दौरान और बदतर हुआ, X वीं योजना अवधि के दौरान पांच में से चार वर्षों में न केवल सुधार गया था बल्कि एक से भी बढ़ गया था। निवेश और ऋणों एवं अग्रिमों से वापसी में सकारात्मक सुधार प्रतीत होता था, परन्तु वर्षों के दौरान उपभोक्ता प्रभार की वसूली में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गयी थी। अतः संसाधन संग्रहण प्रयासों ने एक मिलीजुली स्थिति प्रस्तुत की थी।

व्यय प्रबंधन

9.4 व्यय प्रबंधन में इसकी वृद्धि और गुणवत्ता के चित्रण के लिए, तालिका 9.2 में दर्शाए गए आठ संकेतकों की पहचान की गई थी। योजनागत व्यय, पूँजीगत व्यय और विकास व्यय, व्यय की गुणवत्ता के संकेतक हैं। स.घ.उ. की तुलना में व्यय के अनुपात के पैरामीटर और उत्प्लावकता (राजस्व प्राप्ति के संदर्भ में) स.घ.उ. के साथ व्यय के सम्बन्ध तथा इन मापदण्डों में बदलाव के प्रति इसकी अनुक्रियाशीलता को दर्शाते हैं। निश्चित समय सीमा में इन मापदण्डों के मूल्य, तालिका 9.2 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 9.2: व्यय प्रबंधन के संकेतक

(प्रतिशत)

अवधि	कुल व्य./ स.घ.उ.	राजस्व व्य./ स.घ.उ.	राजस्व व्यय/ कुल व्यय	यो.व्य./ कुल व्यय	पूँ.व्य./ कुल व्यय	वि. व्य.*/ कुल व्यय	नि. रा. के साथ कुल व्यय की उत्प्लावकता (अनुपात)	निवल राजस्व प्राप्तियों के साथ राजस्व व्यय की उत्प्लावकता (अनुपात)
1992-2007	18.69	15.81	84.60	23.05	8.06	41.10	0.93	1.03
VIII वीं योजना (1992-97)	19.66	15.51	78.88	23.68	9.61	42.24	0.76	0.94
IX वीं योजना (1997-02)	19.51	16.31	83.61	20.99	7.00	40.40	1.09	1.28
X वीं योजना (2002-07)	17.88	15.61	87.27	24.17	8.19	41.16	0.74	0.84
2002-03	19.38	16.66	85.99	23.40	6.40	39.96	0.53	0.70
2003-04	18.33	15.91	86.83	24.13	6.98	40.10	0.49	0.57
2004-05	17.57	14.57	82.93	24.20	9.77	38.69	0.75	0.32
2005-06	17.08	15.16	88.74	23.08	9.21	41.28	0.76	1.30
2006-07	17.63	15.95	90.47	25.57	8.15	41.04	0.89	0.99

कु.व्य.= कुल व्यय, रा.व्य.= राजस्व व्यय; यो.व्य.= योजनागत व्यय; पूँ.व्य.= पूँजीगत व्यय; नि.रा.प्र.= निवल राजस्व प्राप्ति, वि.व्य.= विकास व्यय को प्रदर्शित करता है सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर कुल व्यय है और यहां हर कुल व्यय में ऋण और अग्रिम शामिल नहीं है।

9.5 संसाधन संग्रहण पर मापदण्डों के मामले की भाँति व्यय के संबंध में मापदण्डों की गति भी मिली जुली स्थिति प्रस्तुत करती थी। कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में पूँजीगत व्यय में VIII वीं योजना (1992-1997) में 9.61 प्रतिशत के स्तर से IX वीं योजना (1997-2002) के दौरान 7 प्रतिशत मन्दन देखा गया। तथापि X वीं योजना अवधि के दौरान इसने त्वरित प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया जिससे 1992-2007 के दौरान विकास दर औसत प्रवृत्ति रूप से बढ़ गई। कुल व्यय में विकास व तथा योजनागत व्यय

का भाग कुछ समय तक लगभग स्थिर रहा जबकि राजस्व व्यय ने बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाया तथा VIII वीं योजना (1992-1997) में 78.88 प्रतिशत की औसत से IX वीं योजना (1997-2002) में 83.61 तथा इसके बाद X वीं योजना (2002-07) के प्रथम चार वर्षों के दौरान 87.27 प्रतिशत की औसत तक बढ़ा। 1992-2007 अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों के साथ कुल तथा राजस्व व्यय की उत्पावकता ने मिली-जुली प्रवृत्ति प्रदर्शित की।

राजकोषीय असन्तुलन का प्रबंधन

9.6 राजकोषीय असन्तुलन के प्रबंधन को दर्शाने हेतु तालिका 9.3 में दर्शाए गए पाँच संकेतकों की पहचान की गई थी। इसमें स.घ.उ. की तुलना में राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटे के अनुपात, राजस्व घाटे राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व घाटे का अनुपात और चालू राजस्व का बकाया (चा.रा.ब.) शामिल था। यद्यपि, घाटे निश्चित ही सरकार की प्राप्ति और व्यय के बारे में इसकी नीति के परिणाम हैं, ये राजकोषीय स्वास्थ्य का उपयोगी प्रतिनिधित्व करते हैं। 2003 का राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (रा.उ.ब.प्र.) अधिनियम तथा उनके अधीन बनाई गई नियमावली, जैसे की अब वे हैं, (i) सरकार को 31 मार्च 2009 तक राजस्व घाटे को समाप्त करने और उसके पश्चात पर्याप्त राजस्व आधिक्य बनाने, तथा (ii) 31 मार्च 2009 तक राजकोषीय घाटे को स.घ.उ. के 3 प्रतिशत से अधिक नहीं नीचे आने के लिए उपयुक्त कदम उठाने के लिए अधिदेश दिया गया था। इन मापदण्डों के निश्चित अवधि में मान, जो ऊपर उल्लिखित किया गया है, को तालिका 9.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 9.3: राजकोषीय असन्तुलन के प्रबंधन के संकेतक

(प्रतिशत)

अवधि	राजस्व घाटा/स.घ.उ	राजकोषीय घाटा/स.घ.उ	प्राथमिक घाटा/स.घ.उ.	राजस्व घाटा/राजकोषीय	चालू राजस्व का बकाया (करोड़ रुपयों में)
1992-2007	3.42	5.12	0.72	66.86	-11859
VIII वीं योजना (1992-97)	2.80	6.04	1.77	46.26	-2191
IX वीं योजना (1997-02)	3.95	6.23	1.49	63.26	-28622
X वीं योजना (2002-07)	3.32	4.16	-0.08	79.74	-4763
2002-03	4.47	5.48	0.41	81.56	-38195
2003-04	3.65	2.93	-1.71	124.77	-22348
2004-05	2.52	3.32	-0.87	75.82	8794
2005-06	3.08	4.62	0.66	66.51	2161
2006-07	3.22	4.43	0.69	72.62	25771

9.7 स.घ.उ. की तुलना में घाटे का अनुपात और राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व घाटे का अनुपात अनुपात संघीय वित्त की सुभेद्रता के सूचक हैं। वित्त उस स्तर तक सुभेद्र हो जाता है जब राजकोषीय घाटा परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु उपयोग में नहीं लाया जाता क्योंकि पुनर्भुगतान क्षमता में कोई पुनर्भुगतान वृद्धि नहीं होती तथा वहनित देयताओं के पीछे परिसम्पत्ति का सम्बल नहीं होता। यह अनुपात VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 46.26 प्रतिशत की औसत से बढ़कर 2003-2004 में 124.77 प्रतिशत की उच्चतम सीमा तक बढ़ गया। यह पहली बार था कि राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटा अधिक हो गया था। यद्यपि बाद के वर्षों के दौरान अनुपात ने सुधार प्रदर्शित किया था परन्तु अब भी यह VIIIवीं एवं IXवीं योजना अवधियों में पहले से ही प्राप्त स्तरों से विचारणीय उच्च तथा अधिक है। इसलिए रा.उ.ब.प्र. अधिनियम 2003 के आदेश द्वारा राजस्व घाटे के पूर्ण निरसन के लिए वृहदत्तर प्रयासों की आवश्यकता है। पूर्व कर्जों की वसूली में बढ़ोत्तरी के कारण 2003-04 में स.घ.उ. की तुलना में राजकोषीय घाटे के अनुपात में जो तीव्र सुधार देखा गया था, बाद के वर्षों में उसके वेग को बनाए नहीं रखा जा सका, हालांकि कर्जों व अग्रिमों की वसूलियां नए अग्रिमों से अधिक होती रहीं। दीर्घ-आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में राजकोषीय नीति की सार्थक भूमिका है परन्तु इसकी प्रभावोत्पादकता एवं प्रभावकारिता राजकोषीय घाटे की संरचना पर निर्भर है। तथापि, वृहद संरचनात्मक राजकोषीय घटा, संरचनात्मक प्राथमिक घाटे के प्रबल भाग के कारण था तथा दीर्घ-आर्थिक उतार चढ़ाव के दौरान संरचनात्मक ब्याज भुगतानों ने राजकोषीय घाटे के चक्रीय घटक की होने वाली भूमिका को कम कर दिया। प्राथमिक अधिशेष, जो कि 30 वर्षों में पहली बार 2003-04 तथा 2004-05 में दो वर्षों के लिए निरन्तर कम हुआ था, मुख्यतः सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय में वृद्धि के कारण तथा राज्य एवं स.शा.क्षे. सरकारों को सहायता अनुदान के कारण 2005-06 तथा 2006-07 में दुबारा घाटे में बदला। चालू राजस्व का बकाया गैर-योजना राजस्व बकाया को प्रदर्शित करता है और यदि ये धनात्मक है, वहाँ उस सीमा तक, चालू राजस्व में से योजनागत व्यय निधिकृत है। चा.रा.ब., जो कि 1990-91 में ऋणात्मक हो गया था, 2004-05 में धनात्मक हो गया तथा 2005-06 तथा 2006-07 में लगातार धनात्मक बना रहा। राजकोषीय असंतुलन, जो चालू वर्ष के दौरान बदत्तर प्रवृत्ति को दर्शाता है, की पहचान के लिए वृहद प्रयास करने की आवश्यकता है।

राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन

9.8 ऋण की वहनियता सरकार की वित्त व्यवस्था के मूल्यांकन का मुख्य मुद्दा है। स.घ.उ. की तुलना में ऋण का अनुपात जितना अधिक होगा, सरकार द्वारा ऋण लिये जाने की संभावित लागत उतनी ही अधिक होगी। औसत ब्याज दर, ब्याज तथा स.घ.उ. वृद्धि में अन्तर (डोमर अन्तराल के रूप में संदर्भित) तथा राजकोषीय देयताओं की तुलना में परिसम्पत्तियों (उधार ली गई निधियों का उपयोग) का अनुपात, ऋण प्रबंधन के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। उधार की प्रतिशतता के रूप में ब्याज को सम्मिलित करते हुये

ऋण विमोचन भी चालू उपयोग के लिए उपलब्ध संसाधनों के अनुप्रयोग के स्वायत्तता की मात्रा दर्शाता है। यह अनुपात जितना बड़ा होगा, वर्तमान सेवाओं के लिए उपयोग हेतु उधारों से उपलब्ध राशि उतनी ही कम होगी। राजकोषीय देयताओं के प्रबंधन के सात संकेतकों के मूल्यों को नीचे दी गई तालिका 9.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 9.4: राजकोषीय देयताओं के प्रबंधन के संकेतक

अवधि	राजकोषीय देयताएं/ स.घ.उ.	ऋण प्राप्ति की तुलना में ऋण विमोचन	औसत व्याज दर कुल देयताएं	डोमर अंतराल	देयताओं की तुलना में परिसम्पत्तियों का अनुपात	राजकोषीय देयताएं/ राजस्व प्राप्ति	परिसम्पत्तियों की उपत्तिवक्ता
1992-2007	58.35	96.92	7.54	4.67	46.65	471	0.66
VIII वीं योजना (1992-97)	60.72	93.10	7.91	8.63	57.68	478	0.83
IX वीं योजना (1997-02)	58.92	94.70	9.06	1.43	50.90	476	0.70
X वीं योजना (2002-07)	57.25	98.68	7.40	5.68	40.26	466	0.53
2002-03	62.98	97.87	8.90	-1.14	44.78	516	0.40
2003-04	60.01	105.33	8.28	4.23	41.48	489	-0.10
2004-05	58.32	95.78	7.89	5.17	39.36	484	0.43
2005-06	55.19	99.44	7.75	6.34	39.32	457	0.98
2006-07	52.96	97.20	7.84	7.82	37.71	416	0.59

9.9 राजकोषीय देयताओं के प्रबंधन से सम्बन्धित मापदण्डों में प्रवृत्तियाँ भी एक मिलीजुली स्थिति प्रस्तुत करती हैं। स.घ.उ. की तुलना में ऋण अनुपात IX वीं योजना (1997-2002) के दौरान समेकन के उपरान्त 2001-02 में तीव्र वृद्धि देखी गयी थी तथा 2002-03 में उच्चतम सीमा पर पहुँचने के उपरान्त इसने बाद के वर्षों में कमी की प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया। हालांकि, स.घ.उ. के सापेक्ष राजकोषीय देयताओं की निम्न वृद्धि के कारण पिछले तीन वर्षों में अनुपात संतुलित हो गया, यह अभी भी काफी उच्च है। जबकि IX वीं योजना के दौरान राजकोषीय देयताओं पर व्याज की दर बढ़ गयी थी हाल के वर्षों में इसमें मंदन पाया गया था। तथापि, अधिक ऋण प्रलंबन के कारण सरकार व्याज दरों में संतुलन का पूरा लाभ नहीं उठा सकी। डोमर अंतराल 2002-03 को छोड़कर शेष समय में धनात्मक बना रहा। देयताओं की तुलना में परिसम्पत्तियों का अनुपात VIII वीं पांच वर्षीय योजना के दौरान 57.68 प्रतिशत से कम होकर IX वीं योजना (1997-2002) में 50.90 तथा इसके बाद X वीं योजना (2002-07) के दौरान 40.26 की औसत पर पहुँच गया। 2006-07 में 37.71 का अनुपात यह प्रदर्शित करता है कि संघ सरकार की कुल राजकोषीय देयताओं के लगभग 62 प्रतिशत का कोई परिसम्पत्ति सम्बल नहीं था। परिसम्पत्तियाँ भी राजकोषीय देयताओं की अपेक्षा निम्न दर

पर बढ़ रही थीं। 1992-2007 के दौरान परिसम्पत्तियों की समग्र उत्प्लावकता 0.66 थी जो देयताओं में प्रत्येक एक प्रतिशत की बढ़त के प्रति परिसम्पत्तियां में केवल 0.66 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाती थीं। VIIIवीं योजना अवधि से 2003-04 तक परिसम्पत्तियों की उत्प्लावकता में गिरावट जारी रही जबकि वास्तव में पिछले वर्ष में परिसम्पत्तियां कम हुई थीं परन्तु परिवर्ती वर्षों में उत्प्लावकता ने तेजी पकड़ी और 2005-06 में 0.98 के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के पश्चात चालू वर्ष में 0.59 था।

9.10 चूंकि वर्तमान सेवाओं के लिए उपयोग हेतु उपलब्ध संसाधन, स.घ.उ. के सापेक्ष कम हो गए थे, यह आवश्यक है कि इनका उपयोग अधिकतम दक्षता के साथ किया जाए। ये अदक्षताएं, संसाधनों का समय पर उपयोग करने की अयोग्यता, परियोजनाओं में विलम्ब करने तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन की कठोरताओं जैसे कि निधियों के व्यपगत होने तथा बजट प्रस्तावों में अपारदर्शिताओं का परिणाम हैं। ये तथा इस प्रतिवेदन में अन्यत्र इंगित किए गए दूसरे मुद्दे सरकार की बजटीय प्रक्रियाओं सहित सरकारी वित्त व्यवस्था तथा लेखाओं में सुधार के विभिन्न उपायों की मांग करते हैं।

(ए.के.ठाकुर)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय राजस्व

नई दिल्ली

दिनांक

29 नवंबर 2007

प्रतिहस्ताक्षरित

(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक

30 नवंबर 2007

परिशिष्टों की सूची

क्र. सं.	परिशिष्ट सं	पृष्ठ सं.
1.	III-क संघ सरकार का कुल व्यय	138
2.	V-क संघ सरकार की कुल देयताएं	139
3.	V-ख अप्रयुक्त बाह्य सहायता - क्षेत्रवार	140
4.	VI- क प्राधिकरण तथा संवितरण	141
5.	VI- ख अनुदानों/विनियोगों में निवल अव्ययित प्रावधान	143
6.	VI- ग सिविल मंत्रालयों के अन्तर्गत प्रभारित तथा दत्तमत संवितरणों का समानुपात	144
7.	VI- घ मार्च माह 2007 तथा 2006-07 की अंतिम तिमाही के दौरान अन्धाधुन्ध व्यय	145
8.	VII- क निधि के पर्याप्त पुनर्विनियोग के बिना व्यय के मामले दर्शने वाला विवरण (एक करोड़ स्पये और उससे अधिक)	154
9.	VII- ख अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत 100 करोड़ रु से अधिक अव्ययित प्रावधान के ब्याएँ	157
10.	VII- ग उन मामलों के उदाहरण जिनमें अव्ययित प्रावधानों की राशि से अधिक अभ्यर्पण किया गया	159
11.	VII- घ मुख्य विनियोग के महत्वपूर्ण मामले जो कि अनुपयोगिता के कारण अविवेकी थे (केवल एक करोड़ रु से अधिक पुनर्विनियोग के मामले उल्लेखित हैं)	160
12.	VII- छ मुख्य विनियोग के महत्वपूर्ण मामले जो कि अनुपयोगिता के कारण अविवेकी थे (केवल दो करोड़ रु से अधिक पुनर्विनियोग के मामले उल्लेखित हैं)	162
13.	VII- च मूल तथा अनुपूरक अनुदानों/विनियोगों की स्थिति	163
14.	VII- छ अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण (दो करोड़ स्पये तथा अधिक की बचत)	164
15.	VIII-क अवास्तविक बजटीकरण	179
16.	VIII-ख अव्ययित प्रावधान	181
17.	VIII-ग निरंतर अव्ययित प्रावधान	184
18.	VIII-घ अयथार्थ बजटीकरण	186
19.	VIII-छ अंधाधुन्ध व्यय	190
20.	VIII-च त्रुटिपूर्ण आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली	191

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2006-07

परिशिष्ट-III-क
(पैराग्राफ 3.8 के संदर्भ में)
संघ सरकार का कुल व्यय

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राजस्व	पूँजीगत	ऋण एवं अग्रिम	योग
1992-93	132794	20586	17619	170999
1993-94	152317	24650	21874	198841
1994-95	177699	19266	23898	220863
1995-96	198302	17544	24810	240656
1996-97	226372	15704	29035	271111
1997-98	277732	20225	35471	333428
1998-99	300456	25200	46594	372250
1999-00	343195	29023	27359	399577
2000-01	342647	25426	27761	395834
2001-02	375582	31295	38614	445491
2002-03	409591	30497	36222	476310
2003-04	440086	35401	31330	506817
2004-05	455571	53654	40108	549333
2005-06	540637	56119	12493	609249
2006-07	658240	59293	10019	727552

परिशिष्ट-V-क
(पैराग्राफ 5.3 के संदर्भ में)
संघ सरकार की कुल देयताएं

(करोड रुपयों में)

वर्ष	आंतरिक कर्ज	बाह्य कर्ज		लोक लेखा		कुल देयताएं	
		ऐतिहासिक दर पर	वर्तमान दर पर	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	आरक्षित निधि एवं जमा	ऐतिहासिक दर पर	वर्तमान दर पर
1976-77	14458	8611	*	7709	2830	33608	*
1977-78	18996	8985	*	9130	3062	40173	*
1978-79	19855	9373	*	10756	3499	43483	*
1979-80	24319	9964	*	12486	3445	50214	*
1980-81	30864	11298	*	13953	3633	59748	*
1981-82	35653	12328	*	16578	3626	68185	*
1982-83	46939	13682	*	19887	4364	84872	*
1983-84	50264	15120	*	23874	6003	95261	*
1984-85	58537	16636	*	29705	8563	113441	*
1985-86	71039	18153	*	36859	11433	137484	*
1986-87	86312	20299	*	44928	15006	166545	*
1987-88	98646	23223	*	54528	19165	195562	*
1988-89	114498	25746	*	68536	20991	229771	*
1989-90	133193	28343	*	87065	19592	268193	*
1990-91	154004	31525	*	107107	21922	314558	*
1991-92	172750	36948	109608	121500	23464	354662	427322
1992-93	199100	42269	120813	136802	23752	401923	480467
1993-94	245712	47345	127798	160355	24556	477968	558421
1994-95	266467	50928	142389	192222	28993	538610	630071
1995-96	307869	51249	148583	213435	33680	606233	703567
1996-97	344475	54239	149077	239042	37919	675675	770513
1997-98	388998	55332	161442	291867	42097	778294	884404
1998-99	459696	57254	177934	333261	41595	891806	1012486
1999-00	714254	58437	186075	172212	47508	992411	1120049
2000-01	803698	65945	190017	186592	58535	1114770	1238842
2001-02	913061	71546	199897	213449	73133	1271189	1399540
2002-03	1020689	59612	196068	251293	80126	1411720	1548176
2003-04	1141706	46125	184203	241349	92376	1521556	1659634
2004-05	1275971	60877	191271	263048	92989	1692885	1823279
2005-06	1389758	94243	194199	275380	109462	1868843	1968799
2006-07	1544975	102716	201233	307546	131295	2086532	2185049

* वर्तमान विनियम दर उपलब्ध नहीं है।

परिशिष्ट-V-ख
(पैराग्राफ 5.22 के संदर्भ में)
अप्रयुक्त बाह्य सहायता - क्षेत्रवार

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	क्षेत्र	वर्तमान दर पर अप्रयुक्त बाह्य सहायता
1.	विद्युत	3265.28
2.	सड़क	13368.53
3.	सामाजिक	1848.35
4.	शहरी विकास	14278.93
5.	जल संसाधन प्रबंधन	6017.93
6.	परमाणु ऊर्जा	6429.38
7.	कृषि एवं ग्रामीण विकास	9121.81
8.	पर्यावरण एवं वानिकी	3153.61
9.	अवसंचना क्षेत्र (सामान्य)	1667.94
10.	अन्य	2929.24
11.	अवसंरचना क्षेत्र (रिलेवे)	1318.45
12.	ऊर्जा (गैर-पारम्परिक)	777.92
13.	संरचना समायोजन/तीव्र संवितरण	366.44
14.	स्वास्थ्य	4260.03
15.	उद्योग एवं वित्त	130.66
16.	उर्वरक क्षेत्र	3344.90
17.	जल आपूर्ति एवं जल निकास	3503.47
	योग	75782.87

परिशिष्ट-VI- क
(पैराग्राफ 6.4 के संदर्भ में)
प्राधिकरण तथा संवितरण

(करोड़ रुपयों में)

संवितरणों का प्रकार	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	योग	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान
क - सिविल					
दत्तमत					
I. राजस्व	310212.08	90636.98	400849.06	380076.08	20772.98
II. पूंजीगत	33433.97	8800.45	42234.42	30406.36	11828.06
III. ऋण एवं अग्रिम	5517.72	576.85	6094.57	5302.82	791.75
योग	349163.77	100014.28	449178.05	415785.26	33392.79
प्रभारित					
IV. राजस्व	176988.69	5146.14	182134.83	184537.57	*(+2402.74
V. पूंजीगत	80.65	5.70	86.35	39.08	47.27
VI. लोक ऋण	1098307.66	349581.44	1447889.10	1485638.37	*(+37749.27
VII. ऋण एवं अग्रिम	5173.68	702.01	5875.69	197.82	5677.87
योग	1280550.68	355435.29	1635985.97	1670412.84	*(+34426.87
कुल योग	1629714.45	455449.57	2085164.02	2086198.10	*(+1034.08
संवितरण की कटौती में वसूलियां			51653.16	45952.77	
कुल निवल प्रावधान			2033510.86		
कुल निवल संवितरण				2040245.33	
ख - डाक					
दत्तमत					
I. राजस्व	6533.64	365.24	6898.88	6779.09	119.79
II. पूंजीगत	385.97	0.01	385.98	284.73	101.25
योग	6919.61	365.25	7284.86	7063.82	221.04
प्रभारित					
III. राजस्व	0.05	0.18	0.23	0.03	0.20
IV. पूंजीगत	-	0.01	0.01	0.01	-
योग	0.05	0.19	0.24	0.04	0.20
कुल योग	6919.66	365.44	7285.10	7063.86	221.24
संवितरण की कटौती में वसूलियां			155.75	207.16	
कुल निवल प्रावधान			7129.35		
कुल निवल संवितरण				6856.70	

*आधिक्य

(करोड़ रुपयों में)

संवितरणों का प्रकार	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपुरक अनुदान/विनियोग	योग	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान
ग - रक्षा सेवाएं					
दत्तमत					
I. राजस्व	54581.80	144.00	54725.80	54827.49	(+)101.69*
II. पूंजीगत	37444.25	-	37444.25	33791.19	3653.06
योग	92026.05	144.00	92170.05	88618.68	3551.37
प्रभारित					
III. राजस्व	22.64	6.59	29.23	19.04	10.19
IV. पूंजीगत	13.75	64.05	77.80	37.05	40.75
योग	36.39	70.64	107.03	56.09	50.94
कुल योग	92062.44	214.64	92277.08	88674.77	3602.31
संवितरण की कटौती में वसूलियाँ			319.60	286.93	
कुल निवल प्रावधान			91957.48		
कुल निवल संवितरण				83387.84	
कुल	दत्तमत	448109.43	100523.53	548632.96	511467.76
भा.स.नि.	प्रभारित	1280587.12	355506.12	1636093.24	1670468.97
कुल योग भा.स.नि. (रिलेव को छोड़ कर)		1728696.55	456029.65	2184726.20	2181936.73
व्यय की कटौती में कुल वसूली				46446.86	
वित्त लेखे के अनुसार कुल					2135489.87
भा.स.नि.					

* अधिक्य

टिप्पणी: अनुदानों की मांगों में, प्रभारित संवितरण का प्रावधान विनियोग कहलाता है और दत्तमत संवितरण में, यह अनुदान कहलाता है।

भा.स.नि.: भारत की समेकित निधि

परिशिष्ट-VI-ख
(पैराग्राफ 6.6 के संदर्भ में)
अनुदानों/विनियोगों में निवल अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रुपयों में)

प्रभावित अनुदान तथा विनियोग	अव्ययित प्रावधान		आधिक्य		निवल अव्ययित प्रावधान	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
क - सिविल						
दत्तमत	20772.98	12619.81	-	-	20772.98	12619.81
अनुदानों की संख्या	92	67	-	1	-	-
प्रभारित	1185.18	1025.14	3587.92	33049.27	(+)2402.74*	(+)32024.13*
विनियोगों की संख्या	37	10	2	1	-	-
ख - डाक						
दत्तमत	119.79	101.25	-	-	119.79	101.25
अनुदानों की संख्या	1	1	-	-	-	-
प्रभारित	0.20	-	-	-	0.20	-
विनियोगों की संख्या	1	-	-	-	-	-
ग - रक्षा सेवाएं						
दत्तमत	565.48	3653.06	667.17	-	+101.69*	3653.06
अनुदानों की संख्या	4	1	1	-	-	-
प्रभारित	10.19	40.75	-	-	10.19	40.75
विनियोगों की संख्या	5	1	-	-	-	-

* आधिक्य

परिशिष्ट-VI-ग
(पैराग्राफ 6.7 के संदर्भ में)
सिविल मंत्रालयों में प्रभारित तथा दत्तमत संवितरणों का समानुपात

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	वर्ष	अनुमोदन			संवितरण			प्रतिशतता	
		दत्तमत	प्रभारित	जोड़	दत्तमत	प्रभारित	योग	दत्तमत को	प्रभारित को
1.	1995-96	96720	282079	378799	90196	231831	322027	28	72
2.	1996-97	107583	313320	420903	96316	280355	376671	26	74
3.	1997-98	145613	486038	631651	132239	452232	584471	23	77
4.	1998-99	139083	504105	643188	139488	468679	608167	23	77
5.	1999-2000	157780	512075	669855	148642	453196	601838	25	75
6.	2000-01	173677	530530	704207	160753	405289	566042	28	72
7.	2001-02	218136	481679	699815	201574	473950	675524	30	70
8.	2002-03	230649	547152	777801	213833	504119	717952	30	70
9.	2003-04	254328	564275	818603	231100	599889	830989	28	72
10.	2004-05	278555	703835	982390	252254	724942	977196	26	74
11.	2005-06	330051	1193138	1523189	301269	1288817	1590085	19	81
12.	2006-07	449178	1635986	2085164	415785	1670413	2086198	20	80

परिशिष्ट-VI-घ

(पैराग्राफ 6.10 के संदर्भ में)

मार्च माह 2007 तथा 2006-07 की अंतिम तिमाही के दौरान अन्धाधुन्द्य व्यय

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	अनुदान तथा मुख्य शीर्ष के विवरण	कुल प्रावधान	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	मार्च में व्यय	कुल व्यय से मार्च में व्यय की प्रतिशतता	अंतिम तिमाही में वहनित व्यय
1 – कृषि तथा सहकारिता विभाग						
1.	6402 – मृदा एवं जल संरक्षण हेतु ऋण	5.00	2.50	50	2.50	50
5 – परमाणु ऊर्जा						
2.	4859 – दूरसंचार एवं इलैक्ट्रोनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	8.49			8.49	100
3.	5401 – परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	713.75	134.45	19	290.10	41
6 – नाभिकीय शक्ति योजना						
4.	4801 – विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1183.68	41.69	4	1011.60	85
5.	6801 – विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	1919.37	486.78	25	833.25	43
8 – उर्वरक विभाग						
6.	3475 – अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	704.16	704.16	100	704.16	100
9 – नागरिक उड्डयन मंत्रालय						
7.	5053 – नागरिक उड्डयन पर पूंजीगत परिव्यय	15.62	7.74	50	12.85	82
8.	7053 – नागरिक उड्डयन हेतु ऋण	15.00	7.75	52	12.75	85
11 – वाणिज्य विभाग						
9.	4407 – बागवानी पर पूंजीगत परिव्यय	30.00	30.00	100	30.00	100
12 – औद्योगिक नीति एवं उन्नयन विभाग						
10.	2852 – उद्योग	375.48	176.27	47	206.87	55

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	अनुदान तथा मुख्य शीर्ष के विवरण	कुल प्रावधान	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	मार्च में व्यय	कुल व्यय से मार्च में व्यय की प्रतिशतता	अंतिम तिमाही में वहनित व्यय
15 – सूचना प्रौद्योगिकी विभाग						
11.	3453 – विदेशी व्यापार एवं निर्यात उन्नयन	1.05	0.12	11	1.05	100
12.	4859 – दूरसंचार एवं इलेक्ट्रोनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	18.10	3.43	19	9.60	53
13.	5475 – अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	82.98	33.90	41	52.50	63
16 - कम्पनी कार्य मंत्रालय						
14.	3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएं	45.83	28.41	62	31.28	68
15.	5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	36.80	31.82	86	35.60	97
18 – खाद्य एवं जन वितरण विभाग						
16.	3456 – नागरिक आपूर्ति (प्रभारित)	0.12	0.12	100	0.12	100
19 - संस्कृति मंत्रालय						
17.	3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	2.70	0.81	30	1.48	55
28- उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय						
18.	2250-अन्य सामाजिक सेवाएं	15.37	3.84	25	6.51	42
19.	6851-ग्राम एवं लघु उद्योगों हेतु ऋण	5.56	-	-	2.00	36
29 - पर्यावरण एवं वन मंत्रालय						
20.	2406 – वानिकी एवं वन्य जीवन	496.74	69.93	14	245.67	49
21.	3601 – राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	196.15	17.22	9	121.33	62
22.	4406 – वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	2.82	0.29	10	2.05	73

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	अनुदान तथा मुख्य शीर्ष के विवरण	कुल प्रावधान	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	मार्च में व्यय	कुल व्यय से मार्च में व्यय की प्रतिशतता	अंतिम तिमाही में वहनित व्यय
23.	5425 - अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरण अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय	5.91	0.61	10	2.39	40
24.	6406 - वानिकी एवं वन्य जीवन हेतु ऋण	10.49	-	-	10.49	100
30- विदेश मंत्रालय						
25.	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	1.00	0.46	46	0.68	68
26.	4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय	0.40	0.22	55	0.25	63
31- आर्थिक कार्य विभाग						
27.	2075-अन्य सामान्य सेवाएं	3.10	2.13	69	2.15	69
28.	3075-अन्य परिवहन सेवाएं	1517.45	801.23	53	801.23	53
33- वित्तीय संस्थानों को भुगतान						
29.	2075-विविध सामान्य सेवाएं	125.00	-	-	125.00	100
30.	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	1610.46	1607.46	100	1607.46	100
31.	2416-कृषि वित्तीय संस्थान	2629.08	2146.20	82	2146.20	82
32.	2885-उद्योग एवं खनिजों पर अन्य परिव्यय	530.14	235.34	44	530.14	100
33.	3466-अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान	1.81	0.66	36	0.66	36
34.	3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	4152.72	4152.72	100	4152.72	100
35.	4885-उद्योग एवं खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय	140.00	-	-	50.00	36
34-विनियोग - ब्याज भुगतान						
36.	2049-ब्याज भुगतान	154280.29	24902.91	16	60558.17	39
35-राज्य एवं सं.शा.क्षे. सरकारों को अन्तरण						
37.	2075-विविध सामान्य सेवाएं	12304.13	8511.36	69	8511.36	69

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2006-07

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	अनुदान तथा मुख्य शीर्ष के विवरण	कुल प्रावधान	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	मार्च में व्यय	कुल व्यय से मार्च में व्यय की प्रतिशतता	अंतिम तिमाही में वहनित व्यय
38.	3602-संघ शासित क्षेत्र सरकारों हेतु सहायता अनुदान	325.00	101.56	31	203.12	62
41- राजस्व विभाग						
39.	2020-आय एवं व्यय पर करों की वसूली	0.33	0.09	27	0.14	42
43- अप्रत्यक्ष कर						
40.	4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	24.86	20.10	81	24.86	100
45 - खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय						
41.	4408 - खाद्य, भंडार एवं मालगोदाम पर पूंजीगत परिव्यय	31.05	15.05	48	15.05	48
46-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग						
42.	2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	22.82	1.35	6	10.10	44
43.	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	3988.28	756.31	19	1517.38	38
44.	3602- संघ शासित क्षेत्र सरकारों हेतु सहायता अनुदान	19.24	3.82	20	8.29	43
45.	3606-सहायता सामग्री एवं उपकरण	115.45	27.73	24	75.15	65
46.	4210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	361.15	108.16	30	178.16	49
47- आयुष विभाग						
47.	3601-राज्य सरकारों हेतु सहायता अनुदान	174.93	23.06	13	86.79	50
48 - भारी उद्योग विभाग						
48.	2852 - उद्योग	2366.76	1188.01	50	1205.09	51
49.	4858 - अभियांत्रिकी उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	594.62	194.62	34	574.12	97

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	अनुदान तथा मुख्य शीर्ष के विवरण	कुल प्रावधान	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	मार्च में व्यय	कुल व्यय से मार्च में व्यय की प्रतिशतता	अंतिम तिमाही में वहनित व्यय
50- गृह मंत्रालय						
50.	2013-मंत्री परिषद	0.05	0.04	80	0.05	100
51.	3601-राज्य सरकारों हेतु सहायता अनुदान	66.27	5.42	8	55.20	83
51-मंत्रीमंडल						
52.	2013-मंत्री परिषद	121.34	8.95	7	53.82	44
53.	2055-पुलिस	143.26	47.50	33	69.14	48
54.	4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	2.83	1.30	46	1.45	51
52- पुलिस						
55.	3601-राज्य सरकारों हेतु सहायता अनुदान	918.70	245.72	27	418.35	46
56.	3602- संघ शासित क्षेत्र सरकारों हेतु सहायता अनुदान	6.24	6.24	100	6.24	100
57.	4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	1846.68	599.51	32	757.56	41
58.	7601-राज्य सरकारों हेतु ऋण एवं अग्रिम	11.00	-	-	8.13	74
53- गृह मंत्रालय का अन्य व्यय						
59.	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	10.33	5.02	49	5.18	50
60.	2245-प्राकृतिक आपदाओं हेतु राहत	220.01	158.71	72	174.86	79
61.	2250-अन्य सामाजिक सेवाएं	0.58	0.55	95	0.55	95
62.	3053-नागरिक उड्डयन	13.78	6.43	47	7.02	51
57-महिला एवं बाल विकास विभाग						
63.	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	280.16	104.69	37	166.63	59
58-सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय						
64.	2221-प्रसारण	1124.09	312.34	28	593.62	53

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2006-07

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	अनुदान तथा मुख्य शीर्ष के विवरण	कुल प्रावधान	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	मार्च में व्यय	कुल व्यय से मार्च में व्यय की प्रतिशतता	अंतिम तिमाही में वहनित व्यय
65.	4220-सूचना एवं प्रसार पर पूंजीगत परिव्यय	20.20	6.33	31	9.54	47
66.	6220-सूचना एवं प्रसार हेतु ऋण	15.00	15.00	100	15.00	100
59-श्रम एवं रोजगार मंत्रालय						
67.	3601-राज्य सरकारों हेतु सहायता अनुदान	51.45	21.98	43	28.70	56
68.	3602- संघ शासित क्षेत्र सरकारों हेतु सहायता अनुदान	0.49	0.49	100	0.49	100
64- गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय						
69.	2810 – गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत	300.03	75.76	25	190.76	64
70.	3601 – राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	16.68	4.26	26	10.76	65
71.	4810 – गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत पर पूंजीगत परिव्यय	40.03	40.00	100	40.03	100
65-प्रवासीय भारतीय कार्य मंत्रालय						
72.	2061 – विदेश सामले	10.56	4.19	40	7.13	68
66-भू-विज्ञान मंत्रालय						
73.	3403 – समुद्र विज्ञान अनुसंधान	288.55	70.57	25	110.49	38
67- पंचायती राज मंत्रालय						
74.	2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	69.58	58.00	83	67.44	97
69-कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेशान मंत्रालय						
75.	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	61.65	9.03	15	28.68	47
76.	4059-लोक कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	2.47	-	-	2.12	86
77.	7601-राज्य सरकारों हेतु ऋण एवं अग्रिम	11.00	6.50	59	6.50	59

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	अनुदान तथा मुख्य शीर्ष के विवरण	कुल प्रावधान	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	मार्च में व्यय	कुल व्यय से मार्च में व्यय की प्रतिशतता	आंतिम तिमाही में वहनित व्यय
70 – पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय						
78.	4802 – पैट्रोलियम पर पूँजीगत परिव्यय	528.58	528.58	100	528.58	100
71-योजना मंत्रालय						
79.	3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	20.37	5.45	27	8.65	42
80.	3601-राज्य सरकारों हेतु सहायता अनुदान	3.00	0.03	1	2.20	73
78 – ग्रामीण विकास विभाग						
81.	3054 – सड़क एवं पुल	9995.32	4945.42	49	5780.21	58
79 – भूमि संसाधन विभाग						
82.	2506 – भूमि सुधार	0.94	0.80	85	0.87	93
83.	3601 – राज्य सरकारों हेतु सहायता अनुदान	175.45	102.54	58	141.91	81
81 – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग						
84.	5455 – मौसम विज्ञान पर पूँजीगत परिव्यय	34.88	14.70	42	20.27	58
85.	7425 – अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु ऋण	35.00	19.10	55	26.10	75
84 – जहाजरानी विभाग						
86.	3601 – राज्य सरकारों हेतु सहायता अनुदान	12.00	11.07	92	11.07	92
87.	3605 – अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग	1.31	1.31	100	1.31	100
88.	4858 – अभियांत्रिकी उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	9.50	7.00	74	7.00	74
89.	5051 – बंदरगाह एवं प्रकाश स्तम्भ पर पूँजीगत परिव्यय	145.42	80.29	55	88.38	61
90.	5052 – जहाजरानी पर पूँजीगत परिव्यय	25.51	24.71	97	24.71	97
91.	6858 – अभियांत्रिकी उद्योगों हेतु ऋण	57.01	36.57	64	46.34	81

(करोड रुपयों में)

क्र. सं.	अनुदान तथा मुख्य शीर्ष के विवरण	कुल प्रावधान	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	मार्च में व्यय	कुल व्यय से मार्च में व्यय की प्रतिशतता	अंतिम तिमाही में वहनित व्यय
85 – सङ्क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग						
92.	3055 – सङ्क परिवहन	43.88	22.28	51	28.18	64
93.	7075 – अन्य परिवहन सेवाओं हेतु ऋण	395.50	195.50	49	195.50	49
88– अन्तरिक्ष विभाग						
94.	3252 – उपग्रह प्रणाली	355.22	73.60	21	173.34	49
95.	3402 – अन्तरिक्ष अनुसंधान	2227.00	747.52	34	1055.44	47
96.	5252 – उपग्रह प्रणाली पर पूंजीगत परिव्यय	21.54	11.45	53	14.94	69
97.	5402 – अन्तरिक्ष अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	380.07	159.04	42	203.82	54
90 – इस्पात मंत्रालय						
98.	2852 - उद्योग	397.69	252.25	63	253.69	64
91– कपड़ा मंत्रालय						
99.	4851 – ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	18.35	14.17	77	14.86	81
100.	4860 – उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.32	0.32	100	0.32	100
99– शहरी विकास विभाग						
101.	3601 – राज्य सरकारों हेतु सहायता अनुदान	353.54	158.24	45	213.28	60
100– लोक निर्माण कार्य विभाग						
102.	4202 – खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	1.86	0.60	32	0.87	47
103.	4885 – उद्योगों एवं खनिजों पर पूंजीगत परिव्यय	3.60	1.49	41	1.64	46
101 – लेखनसामग्री एवं मुद्रण						
104.	2058 – लेखनसामग्री एवं मुद्रण	132.40	97.21	73	110.40	83
102 – आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय						
105.	2215 – जल आपूर्ति एवं जल निकास	27.57	27.57	100	27.57	100
106.	2216 – आवास	23.91	12.03	50	18.44	77

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	अनुदान तथा मुख्य शीर्ष के विवरण	कुल प्रावधान	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	मार्च में व्यय	कुल व्यय से मार्च में व्यय की प्रतिशतता	अंतिम तिमाही में वहनित व्यय
107.	2217 – शहरी विकास	13.94	8.27	59	10.46	75
103 – जल संसाधन मंत्रालय						
108.	7601 – राज्य सरकारों हेतु ऋण एवं अग्रिम	2.64	1.60	61	1.60	61
104- युवा मामले एवं खेलकूद मंत्रालय						
109.	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं ‘ संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	2.72	1.29	47	1.42	52
रक्षा सेवाएं						
27-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय						
110.	4076-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	37522.05	13741.98	37	17729.34	47

परिशिष्ट-VII-क
(पैराग्राफ 7.3 के संदर्भ में)
निधि के पर्याप्त पुनर्विनियोग के बिना व्यय के मामले दर्शाने वाला विवरण
(एक करोड़ स्पये और उससे अधिक)

क्र. सं.	उप शीर्ष सिविल	प्रावधान	वास्तविक व्यय	(करोड़ स्पयों में) अंतिम अधिक्य व्यय
11- वाणिज्य विभाग				
1.	2407.03.015.01 - रबड़ बोर्ड	मू. पु. (-)	89.34 20.03	74.72 5.41
2.	3453.00.800.08 - समुद्री माल निर्यात विकास प्राधिकरण	मू. पु.	67.00 (-) 14.40	54.75 2.15
30- विदेश मंत्रालय				
3.	2052.00.090.02 - विदेश मंत्रालय	मू. अ. पु.	127.66 15.68 6.76	151.61 1.51
4.	2061.00.101.01 - प्रबंधन एवं स्थापना	मू. अ.	899.99 51.41	962.16 10.76
5.	3605.00.101.11 - नेपाल हेतु सहायता	मू. पु.	65.00 118.00	186.40 3.40
6.	3605.00.101.15 - अन्य विकासशील देशों हेतु सहायता	मू. पु.	391.99 (-) 9.33	412.33 29.67
7.	4216.01.700.18 - विदेश मामले	मू. पु.	31.00 2.50	39.75 6.25
34- विनियोजन-ब्याज भुगतान				
8.	2049.01.101 - बाजार ऋणों पर ब्याज	मू. पु.	83348.79 (-) 2118.77	84146.49 2916.47
9.	2049.01.103.01 - खजाना बिलों पर छूट - 91 दिवसीय खजाना बिल	मू. अ. पु.	510.00 566.00 0.30	1388.81 312.51
10.	2049.01.108 - खजाना बिलों पर छूट - 182 दिवसीय खजाना बिलों पर ब्याज	मू. पु.	440.00 120.00	679.69 119.69
11.	2049.01.110 - 364 दिवसीय खजाना बिलों पर ब्याज	मू. पु.	1605.00 23.00	2178.88 550.88
12.	2049.01.116 - 14 दिवसीय खजाना बिल	मू. पु.	1500.00 640.00	2171.79 31.79
13.	2049.01.200.03 - क्षतिपूर्ति एवं अन्य बाण्ड	मू. पु.	3406.50 3755.78	7670.72 508.44
14.	2049.02.216 - भा.ग्रा.वि.बैं. से ऋणों पर ब्याज	मू. पु.	952.84 180.52	1135.70 2.34
15.	2049.03.104.02 - अन्य राज्य भविष्य निधि	मू. पु.	1154.71 4.46	1330.25 171.08

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2006-07

क्र.	उप शीर्ष सं.	प्रावधान	वास्तविक व्यय	(करोड़ रुपयों में) अंतिम अधिक्य व्यय
16.	2049.03.111.01 - सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों हेतु जमा योजना पर ब्याज	मू. पु.	40.00 91.28 9.71	44.02 107.55 6.56
17.	2049.05.105.01 - रेलवे पेंशन निधि	मू. पु.		
			37 - विनियोजन-कर्ज की अदायगी	
18.	6001.00.106.05 - विशेष धारक बाण्ड	मू.	1.00	3.74 2.74
19.	6001.00.115 - 14 दिवसीय खजाना बिल	मू. अ. पु.	780000.00 305803.46 83507.54	1210749.26 41438.26
20.	6001.00.106.31 - 6.5% बचत बाण्ड, 2003 (अकर्रर्योग्य)	मू.	-	97.54 97.54
21.	6001.00.110 - 364 दिवसीय खजाना बिल	मू. अ.	26860.00 1159.00	29018.33 999.33
			39- पेंशन	
22.	2071.01.115.01- सामान्य पेंशन	मू. अ.	350.00 22.00	374.00 2.00
			52- पुलिस	
23.	2055.00.800.08 - भारत-पाक सीमा निर्माण कार्य	मू. पु.	44.35 (-) 10.87	50.10 16.62
			58- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	
24.	2220.01.105.01 - फिल्म प्रभाग	मू. पु.	27.74 0.36	29.20 1.10
25.	2220.60.112.01 - रोजगार समाचार सेवा	मू. पु.	29.17 (-) 6.41	24.27 1.51
26.	4220.01.200.04 - फिल्म महोत्सव परिसर - विस्तार एवं परिवर्तन	मू. पु.	3.18 (-)2.86	2.10 1.78
			80- पेयजल आपूर्ति विभाग	
27.	3601.04.264.03 - त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम	मू. पु.	2994.50 155.53	3151.49 1.46
			84- जहाजरानी विभाग	
28.	3051.03.101.05 - सामान्य आरक्षित निधि	मू.	49.40	54.00 4.60
			85- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग	
29.	3055.00.004.20 - सड़क सुरक्षा	मू. पु.	37.20 (-) 6.80	33.30 2.90
30.	3601.01.821.02 - बीआरडीबी के अन्तर्गत सड़क निर्माण कार्य	मू. पु.	586.54 (-) 158.91	432.18 4.55

नि.मःले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2006-07

(करोड़ रुपयों में)
अंतिम अधिक्य
व्यय

क्र. सं.	उप शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	
100- लोक निर्माण कार्य विभाग				
31.	2059.80.001.01 - निर्देशन	मू. पु.	60.03 (-) 6.14	56.07
रक्षा सेवाएं				
22 - रक्षा सेवाएं - थल सेना				
32.	101- थल सेना के वेतन एवं भत्ते	मू. पु.	13587.80 (-) 183.59	13869.24
33.	103 - वेतन एवं भत्ते तथा विविध व्यय - सहकारी बल	मू. पु.	250.32 1.37	258.06
34.	104 - सिविलियनों के वेतन एवं भत्ते	मू. पु.	1452.41 6.96	1482.12
35.	105- परिवहन	मू. पु.	1239.98 35.00	1298.57
36.	110 - भण्डार	मू. पु.	9698.15 143.72	9932.34
37.	111 - निर्माण कार्य	मू. पु.	3215.57 0.10	3254.19
38.	112 - राष्ट्रीय राइफल्स	मू. पु.	1414.23 33.12	1514.24
23 - रक्षा सेवाएं - जल सेना				
39.	111 - निर्माण कार्य	मू. पु.	464.04 12.89	488.90
40.	112 - संयुक्त स्टाफ	मू. अ. पु.	374.55 58.67 5.13	443.35
24 - रक्षा सेवाएं - वायु सेना				
41.	101.- वायु सेना के वेतन एवं भत्ते	मू. अ. पु.	2205.00 34.46 19.62	2265.55
42.	111 - निर्माण कार्य	मू. पु.	875.70 4.70	909.06
26 - रक्षा सेवाएं - अनुसंधान एवं विकास				
43.	110 - भण्डार	मू. पु.	1470.97 (-) 115.66	1368.71
27 - रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय				
44.	102 - भारी एवं हल्के वाहन	मू. पु.	585.76 75.54	684.23
45.	112 - राष्ट्रीय राइफल्स	मू. पु.	15.30 (-) 14.52	22.82
46.	103 - अन्य उपकरण	मू. पु.	1297.07 (-) 122.11	1186.65
47.	202 - निर्माण कार्य	मू. पु.	218.87 (-) 49.81	186.38
48.	101 - वायुयान एवं वायुयंत्र	मू. पु.	11272.90 (-) 1375.07	12913.72
51128.49				

परिशिष्ट-VII-ख

(पैराग्राफ 7.4 के संदर्भ में)

अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत 100 करोड़ रु से अधिक अव्ययित प्रावधान के ब्यौरे

(करोड़ समयों में)

क्र. सं.	अनुदान सं. तथा नियंत्रक मंत्रालय/विभाग	अव्ययित प्रावधान की राशि
सिविल		
राजस्व - दत्तमत		
1.	1- कृषि एवं सहकारिता विभाग	111.27
2.	3- पशुपालन एवं डेयरी विभाग	133.35
3.	5- परमाणु ऊर्जा	107.36
4.	6- नाभिकीय ऊर्जा योजना	205.83
5.	18- खाद्य एवं जन वितरण विभाग	205.13
6.	20- रक्षा मंत्रालय	1038.97
7.	29- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	147.17
8.	30- विदेश मंत्रालय	118.37
9.	31- आर्थिक कार्य विभाग	132.31
10.	33- वित्तीय संस्थानों हेतु भुगतान	1687.99
11.	35- राज्य एवं सं.शा.क्षे. सरकारों हेतु अन्तरण	722.36
12.	43- अप्रत्यक्ष कर	153.79
13.	46- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2274.91
14.	48- भारी उद्योग विभाग	138.52
15.	52- पुलिस	600.93
16.	53- गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	183.38
17.	54- संघ शासित क्षेत्र सरकारों हेतु अन्तरण	355.77
18.	55- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	373.19
19.	56- उच्च शिक्षा विभाग	192.38
20.	57- महिला एवं बाल विकास विभाग	128.08
21.	58- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	171.38
22.	59- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	105.40
23.	61- विधि एवं न्याय	199.72
24.	64- नव एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय	207.85
25.	67- पंचायतीराज मंत्रालय	1826.07
26.	70- पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	368.24
27.	72- ऊर्जा मंत्रालय	556.41
28.	78- ग्रामीण विकास विभाग	2624.31
29.	80- पेयजल आपूर्ति विभाग	704.61
30.	81- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	490.04
31.	82- वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	263.51
32.	85- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग	515.54
33.	88- अन्तर्रिक्ष विभाग	505.09
34.	89- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	145.50
35.	91- कपड़ा मंत्रालय	763.18

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2006-07

36.	99- शहरी विकास विभाग	197.19
37.	103- जल संसाधन मंत्रालय	195.08
38.	104- युवा मामले एवं खेलकूद मंत्रालय	138.45
	राजस्व - प्रभारित	
39.	35- राज्य एवं सं.शा.क्षे. सरकारों हेतु अन्तरण	1161.69
	पूँजीगत - दत्तमत	
40.	5-परमाणु ऊर्जा	164.03
41.	6-नामिकीय ऊर्जा योजना	713.39
42.	18-खाद्य एवं जन वितरण विभाग	134.24
43.	20-खास मंत्रालय	310.91
44.	36- सरकारी कर्मचारियों हेतु ऋण आदि	176.90
45.	44- विनिवेश विभाग	7680.01
46.	46- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	144.39
47.	48- भारी उद्योग विभाग	115.16
48.	52- पुलिस	192.72
49.	72- ऊर्जा मंत्रालय	737.70
50.	81-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	111.93
51.	84- जहाजरानी विभाग	145.58
52.	85- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग	281.18
53.	88- अन्तरिक्ष विभाग	116.58
54.	91- कपड़ा मंत्रालय	218.62
55.	94- अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	229.06
	पूँजीगत - प्रभारित	
56.	35-राज्य एवं सं.शा.क्षे. सरकारों हेतु अन्तरण	1000.00
	रक्षा	
	राजस्व - दत्तमत	
57.	25- रक्षा आयुध कारखाना	458.05
	पूँजीगत - दत्तमत	
58.	27- रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	3653.06
	डाक विभाग	
	राजस्व - दत्तमत	
59.	13- डाक विभाग	119.79
	पूँजीगत - दत्तमत	
60.	13- डाक विभाग	101.25

परिशिष्ट-VII-g

(पैरोग्राफ 7.6 के संदर्भ में)

उन मामलों के उदाहरण जिनमें अव्ययित प्रावधानों की राशि से अधिक अभ्यर्पण किया गया

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	अनुदान/ विनियोग	कुल अव्ययित प्रावधान	अभ्यर्पित राशि
सिविल			
राजस्व - दत्तमत			
1.	53 – गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	183.38	226.92
पूंजीगत - दत्तमत			
2.	50 – गृह मंत्रालय	8.75	10.02
पूंजीगत - प्रभारित			
3.	37 – कर्ज की अदायगी	@	3749.34
रक्षा सेवाएं			
राजस्व - दत्तमत			
4.	22 – रक्षा सेवाएं - थल सेना	*	34.97
@ 33049.27 करोड़ रु का अधिक व्यय			
* 667.17 करोड़ रु का अधिक व्यय			

परिशिष्ट VII-घ

(पैराग्राफ 7.9 के संदर्भ में)

मुख्य विनियोग के महत्वपूर्ण मामले जोकि अनुपयोगिता के कारण अविवेकी थे
(केवल एक करोड़ रु. से अधिक पुनर्विनियोग के मामले उल्लेखित हैं)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष	(करोड़ रुपयों में)	
				उप-शीर्ष में पुनर्विनियोग की राशि	पुनर्विनियोग के उपरान्त उप-शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम अव्ययित प्रावधान
	सिविल				
1.	5 – परमाणु ऊर्जा	2852 - उद्योग	2852.09.202.02 – स्टेनलैस स्टील सीमलैस ट्यूब प्लान्ट	2.11	4.09
2.	14- दूरसंचार विभाग	2071 – पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त लाभ	2071.01.104.01 – सामान्य पेंशन	18.00	38.53
3.	30- विदेश मंत्रालय	2061- विदेश मामले	2061.00.800.07 – विशेष प्रतिनिधिमण्डल	1.02	2.40
4.	34- विनियोजन-ब्याज भुगतान	2049- ब्याज भुगतान	2049.01.125 – केन्द्र/राज्य सरकार प्रतिभूतियों के मोचन पर प्राप्त धनराशियों के पुनर्विनिवेश के प्रति एनएसएसएफ को जारी विशेष भारत सरकार की प्रतिभूतियां	19.29	44.20
5.	-वही-	-वही-	2049.03.104.04 – राज्य रेलवे भविष्य निधि	10.89	24.39
6.	-वही-	-वही-	2049.03.109.02 – राष्ट्रीयकृत बैंकों हेतु जारी विशेष प्रतिभूतियां	129.11	188.86
7.	-वही-	-वही-	2049.60.701.03 – अन्य व्यय	1.19	2.30
8.	43- अप्रत्यक्ष कर	2037- सीमाशुल्क	2037.00.102.04 – सुप्रचालन निदेशालय	2.12	3.18
9.	-वही-	-वही-	2038.00.001.03 – राष्ट्रीय सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं मादक द्रव्य अकादमी	1.85	2.15

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2006-07

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष	उप-शीर्ष में पुनर्विनियोग की राशि	पुनर्विनियोग के उपरान्त उप-शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम अव्ययित प्रावधान
10.	65- प्रवासीय भारतीय कार्य मंत्रालय	2061 - विदेश मामले	2061.00.800.03 - अन्य योजनाएं	1.62	1.81
11.	66- भू-विज्ञान मंत्रालय	3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425.60.600.01 - राष्ट्रीय मध्यम रेंज मौसम पूर्वानुमान केन्द्र (रा.म.रें.मौ.पू.के.)	1.01	2.48
12.	91- कपड़ा मंत्रालय	2857- ग्राम एवं लघु उद्योग	2851.00.104.10 - डिजाइन एवं तकनीकी उन्नयन	1.84	4.44
13.	-वही-	-वही-	2852.08.600.16 - भारतीय जूट निगम के ऋण एवं ब्याज को बट्टे खाते डालना	212.16	509.65
14.	100- लोक निर्माण कार्य	4059 - पूजीगत परिव्यय तथा लोक निर्माण कार्य	4059.80.051.07 - लेखापरीक्षा	2.00	6.01
15.	103- जल संसाधन मंत्रालय	3601- राज्य सरकारों हेतु सहायता अनुदान	3601.04.528.01 - कमाण्ड क्षेत्र विकास	7.87	12.79
डाक व दूरसंचार विभाग					
16.	13 - डाक सेवाएं	3201- डाक सेवाएं	3201.05.053.05- डाक तार कालोनियों/कर्मचारी आवासों पर आवृति व्यय हेतु भा.सं.नि.लि. को अन्तरित राशि का घटाव	7.90	8.00
17.	-वही-	-वही-	3201.08.101- पोस्ट कार्ड, लिफाफे, टिकटें आदि	6.25	6.51
426.23					

परिशिष्ट VII-ड

(पैराग्राफ 7.10 के संदर्भ में)

मुख्य विनियोग के महत्वपूर्ण मामले जोकि अनुपयोगिता के कारण अविवेकी थे
(केवल दो करोड़ रु. से अधिक पुनर्विनियोग के मामले उल्लेखित हैं)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष	उप-शीर्ष से पुनर्विनियोग की राशि	(करोड़ रुपयों में) पुनर्विनियोग के उपरान्त उप- शीर्ष के अन्तर्गत आधिक्य की राशि
					सिविल
1.	30 – विदेश मंत्रालय	3605 – अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग	3605.00.101.15 – अन्य विकासशील देशों हेतु सहायता	9.33	29.66
2.	34 – विनियोजन - ब्याज भुगतान	2049- ब्याज भुगतान	2049.01.101 – बाजार ऋणों पर ब्याज	2118.77	2916.47
3.	37 – विनियोजन - कर्ज की अदायगी	6001- केन्द्रीय सरकार आन्तरिक ऋण	6001.00.105.04 – एशियन विकास बैंक	2.84	4.06
4.	52 – पुलिस	2055- पुलिस	2055.00.800.08 – भारत-पाक सीमा निर्माण कार्य	10.87	16.62
5.	103 – जल संसाधन मंत्रालय	3601- राज्य सरकारों हेतु सहायता अनुदान	3601.04.528.01 – कमांड क्षेत्र विकास	7.88	12.79
रक्षा सेवाएं					
6.	22 – रक्षा सेवाएं - थल सेना	2076 - रक्षा सेवाएं - थल सेना	101- थल सेना के वेतन एवं भत्ते	183.59	465.03
7.	27 – रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4076 - रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	01.112- राष्ट्रीय राइफल्स	14.52	22.04
8.	-वही-	-वही-	03.101- वायुयान एवं वायु यंत्र	1375.07	3015.89
3722.87					

परिशिष्ट-VII-च
(पैराग्राफ 7.14 के संदर्भ में)
मूल तथा अनुपूरक अनुदानों/विनियोगों की स्थिति

(करोड रुपयों में)

वर्ष	प्रावधान	राजस्व		दत्तमत		पूंजीगत		प्रभारित		योग
		दत्तमत	प्रभारित	पूंजीगत	ऋण एवं अग्रिम	लोक ऋण	पूंजीगत	ऋण एवं अग्रिम		
	मूल	132204	153591	14185	5775	354767	25	21216	681763	
2000-01	अनुपूरक	19672	19	486	1355	-	6	906	22444	
	प्रतिशत	15	-	3	23	-	24	4	3	
	मूल	158814	131178	20389	5215	285150	35	21339	622120	
2001-02	अनुपूरक	20256	13	3842	9620	40628	1	3334	77694	
	प्रतिशत	13	-	19	184	14	3	16	13	
	मूल	183815	140769	18672	4914	321155	23	26842	696190	
2002-03	अनुपूरक	18187	12	684	4376	56787	1	1564	81611	
	प्रतिशत	10	-	4	89	18	4	6	12	
	मूल	208340	143833	19634	7086	367079	36	25763	771771	
2003-04	अनुपूरक	15888	4744	1862	1517	21702	4	1115	46832	
	प्रतिशत	8	3	9	21	6	11	4	6	
	मूल	215854	151300	23148	14669	342119	32	28899	776021	
2004-05	अनुपूरक	22539	78	599	1744	180366	1	1041	206368	
	प्रतिशत	10	-	3	12	53	3	4	27	
	मूल	260249	164936	25972	6302	601477	53	1179	1060168	
2005-06	अनुपूरक	34784	612	1101	1643	420204	4	4674	463022	
	प्रतिशत	13	-	4	26	70	8	396	44	
	मूल	310212	176989	33434	5517	1098308	80	5174	1629714	
2006-07	अनुपूरक	90637	5146	8800	577	349582	6	702	455450	
	प्रतिशत	29	3	26	10	32	8	14	28	

परिशिष्ट VII-छ

(पैराग्राफ 7.16 के संदर्भ में)

अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण
(दो करोड़ रुपये तथा अधिक की बचत)

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	बजट प्रावधान पर अव्ययित प्रावधान की प्रतिशतता
अनुदान सं. 02- कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग					
1.	2415.01.150.10 – बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं/योजनाएं	92.50	11.50	81.00	88
2.	2415.80.798.03 – अन्य कार्यक्रम	45.50	4.72	40.78	90
अनुदान सं. 08- उर्वरक विभाग					
3.	2852.03.004.02 – भारत यू.के. उर्वरक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान	12.95	4.00	8.95	69
4.	2852.03.004.05 – विभाग का वि.एवं प्रौ. कार्यक्रम	4.97	2.08	2.89	58
अनुदान सं. 9- नागरिक उड्डयन मंत्रालय					
5.	5053.80.800.01 – नागरिक उड्डयन सुरक्षा	5.00	0.15	4.85	97
अनुदान सं. 10- कोयला मंत्रालय					
6.	2803.00.101.01 – कोयला क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना के विकास के प्रति शुल्क (उत्पाद शुल्क) की वसूली के प्रति भुगतान	26.94	13.81	13.13	49
7.	2803.00.004.01 – अन्य योजनाएं	21.09	6.00	15.09	72
8.	2803.00.800.02 – पर्यावरण उपाय	55.90	8.00	47.90	86
अनुदान सं. 11- वाणिज्य विभाग					
9.	2407.01.016.01 – चाय बोर्ड	120.11	42.48	77.63	65
10.	2407.02.800.01 – काफी बोर्ड	29.00	13.00	16.00	55
11.	3453.00.800.36 – आधुनिकीकरण एवं उन्नयन	4.86	2.40	2.46	51
12.	5453.80.800.07 – आधुनिकीकरण एवं उन्नयन	4.00	1.79	2.21	55
अनुदान सं. 12- औद्योगिक नीति एवं उन्नयन विभाग					
13.	2852.80.800.09 – निवेश प्रोत्साहन गतिविधियों का संचालन	15.00	3.31	11.69	78
14.	2852.80.800.19 – राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतियोगितात्मकता परिषद	7.00	2.41	4.59	66
अनुदान सं. 16- कम्पनी कार्य मंत्रालय					
15.	3451.00.090.05 – कम्पनी कार्य मंत्रालय	91.95	45.83	46.12	50
16.	3475.00.800.58 – राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (रा.क.वि.अ.)	5.74	0.29	5.45	95

(करोड़ रुपयों में)

बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	बजट प्रावधान पर अव्ययित प्रावधान की प्रतिशतता		
क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान			
अनुदान सं. 17- उपभोक्ता कार्य विभाग					
17.	3456.00.001.04 – उपभोक्ता कल्याण निधि के अन्तर्गत परियोजनाएं	33.00	3.94	29.06	88
18.	3602.03.361.01 – उपभोक्ता विवाद समाधान अभिकरणों का सुदृढ़ीकरण	4.00	-	4.00	100
19.	5475.00.102.12 – राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग	3.15	-	3.15	100
20.	5475.00.102.13 – भार मापक अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण	8.99	-	8.99	100
21.	7475.00.103.07 – शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी संघों को ऋण	5.00	2.35	2.65	53
अनुदान सं. 18- खाद्य एवं जन वितरण विभाग					
22.	2408.01.001.02 – अन्य कार्यालय	8.25	0.29	7.96	96
23.	2408.01.102.03 – 1974-75 हेतु कारखाना पूर्व चीनी मूल्य लेवी के पुनर्निर्धारण दावों के निपटान हेतु देय आर्थिक सहायता	10.00	2.59	7.41	74
24.	2408.01.800.06 – चीनी मिलों को निर्यात नौभार पर आन्तरिक परिवहन एवं मालभाड़ा शुल्क तथा अन्य अनुमत्य दावों की प्रतिपूर्ति	50.00	20.96	29.04	58
25.	4408.02.190.04 – भारतीय खाद्य निगम	32.25	3.00	29.25	91
26.	6860.04.190.07 – एन्हाइड्रस एल्कोहल अथवा एल्कोहल से इथेनाल के उत्पादन हेतु चीनी मिलों	75.00	2.28	72.72	97
अनुदान सं. 19- संस्कृति मंत्रालय					
27.	2205.00.106.03 – पुरातत्त्विक खोज एवं खुदाई	7.00	3.35	3.65	52
28.	2205.00.107.09 – भारतीय संग्रहालय, कोलकाता	12.50	7.30	5.20	42
29.	4202.04.104.01 – भवन	5.00	0.48	4.52	90
30.	4202.04.106.01 – भवन	13.50	7.62	5.88	44
31.	4202.04.107.01 – भवन	14.00	1.64	12.36	88
32.	4202.04.108.01 – भवन	15.00	3.04	11.96	80
अनुदान सं. 28- उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विकास मंत्रालय					
33.	4552.00.800.03 – एनईसी कर्मचारियों/एनईसी अतिथि गृह हेतु आवास	6.00	0.79	5.21	87
अनुदान सं. 30- विदेश मंत्रालय					
34.	3605.00.101.09 – बांग्लादेश को सहायता	50.00	19.42	30.58	61

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	बजट प्रावधान पर अव्ययित प्रावधान की प्रतिशतता
35.	3605.00.101.16 – आपदा राहत हेतु सहायता	5.10	1.60	3.50	69
36.	3605.00.101.20 – अफ्रीकी देशों को सहायता	60.00	10.00	50.00	83
37.	7605.00.097 – भूटान सरकार को ऋण	70.40	35.20	35.20	50
अनुदान सं. 31- आर्थिक कार्य विभाग					
38.	2047.00.800.01 – अनिवार्य जमा के अन्तर्गत जमा पर ब्याज (आयकर दाता) योजना 1974	1.00	0.13	0.87	87
39.	2070.00.800.28 – पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण को सहायता अनुदान	5.00	3.00	2.00	40
40.	2075.00.800.14- देहात सहयोग ढांचा कार्य- II हेतु अम्ब्रेला स्पोर्ट परियोजना	4.00	2.19	1.81	45
41.	3605.00.101.30- विकास सहायता	214.17	4.53	209.64	98
42.	5475.00.800.12- अवसंरचना विकास हेतु सहायता	500.00	-	500.00	100
43.	7605.00.051.01- नई जमा	5.00	-	5.00	100
44.	7605.00.061.01- नई जमा	21.00	2.92	18.08	86
45.	7605.00.094.09- नई जमा 1994	18.00	-	18.00	100
46.	7605.00.102.01- नई जमा	5.00	0.51	4.49	90
अनुदान सं. 33- वित्तीय संस्थानों को भुगतान					
47.	2885.01.800.01 – भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम बैंक को अनुदान	25.00	9.95	15.05	60
48.	2885.01.800.03 – ऋणों पर ब्याज की दरों में छूट के बदले में आर्थिक सहायता	99.33	0.08	99.25	100
49.	2885.01.800.06 – भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक को अनुदान	20.00	5.00	15.00	75
50.	2885.01.800.11 – स्ट्रैस असेट्स स्टैबिलाइजेशन फंड की प्रतिभूतियों का मोचन	1500.00	-	1500.00	100
51.	5465.01.190.16 – जी.बी.नि. में सामान्य रिजर्व हेतु निवेश	80.00	-	80.00	100
अनुदान सं. 34- विनियोजन - ब्याज भुगतान					
52.	2049.03.117 – परिभाषित योगदान पेंशन योजना पर ब्याज	23.50	2.31	21.19	90
53.	2049.05.101.04 – प्रकाश-स्तम्भ एवं प्रकाश पोत मूल्यहास रिजर्व निधि	8.00	4.38	3.62	45
54.	2049.05.101.06 – बदरपुर ताप विद्युत स्टेशन मूल्यहास रिजर्व निधि	109.21	18.49	90.72	83

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संचितरण	अव्ययित प्रावधान	बजट प्रावधान पर अव्ययित प्रावधान की प्रतिशतता
55.	2049.60.101.30 – टैक्सटाइल उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1995 की धारा 9(2) तथा 18(6) के अन्तर्गत ब्याज	25.32	-	25.32	100
56.	2049.60.106.01 – 6.96% पर ब्याज भारत सरकार कम्पनी विशेष तेल बांड, 2009	1376.40	627.69	748.71	54
अनुदान सं. 35- राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों हेतु अन्तरण					
57.	3601.01.113.01 – वैट सम्बन्धी व्यय हेतु राज्यों को अनुदान	10.00	-	10.00	100
58.	3601.01.114.01 – स्वर्ण मन्दिर परिसर के सौन्दर्यकरण हेतु सहायता	27.50	13.75	13.75	50
59.	3601.02.101.24 – किशोरियों हेतु पोषण कार्यक्रम (कि.पो.का.)	162.77	64.47	98.30	60
60.	3601.02.101.27 – राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्य योजना (रा.ई.ग.का.यो.)	300.00	121.76	178.24	59
61.	3601.02.101.37 – सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम (सु.पु.का.)	304.00	163.35	140.65	46
62.	7601.06.200 – अन्य अर्थोपाय अग्रिम	1000.00	-	1000.00	100
अनुदान सं. 36- सरकारी कर्मचारियों हेतु ऋण आदि					
63.	7610.00.201.01 – मंत्रालय एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन	240.00	117.43	122.57	51
64.	7610.00.202.01 – मोटर गाड़ियों की खरीद हेतु अग्रिम	37.00	19.11	17.89	48
अनुदान सं. 37- विनियोजन - कर्ज की अदायगी					
65.	6001.00.106.15 – 9% राहत बांड, 1987	3.00	0.21	2.79	93
66.	6001.00.106.23 – 9% राहत बांड, 1999	1171.26	600.29	570.97	49
67.	6001.00.106.24 – 8% राहत बांड, 2002	383.42	113.54	269.88	70
68.	6001.00.114 – अर्थोपाय अग्रिम	50000.00	25226.00	24774.00	50
69.	6001.00.126.01 – 91 दिवसीय खजाना बिल	78000.00	33225.77	44774.23	57
70.	6001.00.126.04 – 182 दिवसीय खजाना बिल	29000.00	10834.86	18165.14	63
अनुदान सं. 41- राजस्व विभाग					
71.	2875.01.107.02 – अफीम की खरीद	31.93	18.35	13.58	43
72.	2875.01.109.01 – प्रबन्धन	17.06	6.09	10.97	64
73.	3602.01.110.05 – वैट के आरम्भ के कारण राजस्व हानि हेतु सं.रा.क्षे. को क्षतिपूर्ति	49.00	-	49.00	100

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	बजट प्रावधान पर अव्ययित प्रावधान की प्रतिशतता
अनुदान सं. 42- प्रत्यक्ष कर					
74.	4059.01.800.01 – बने बनाए आवास का अर्जन	19.00	2.63	16.37	86
75.	4216.01.111.01 – बने बनाए फ्लैटों का अर्जन	7.00	1.25	5.75	82
अनुदान सं. 43- अप्रत्यक्ष कर					
76.	2038.00.001.01 – निरीक्षण	160.57	43.68	116.89	73
77.	3606.00.228.01 – औषधि प्रवर्तन वस्तुएं एवं प्रशिक्षण सहायता	5.23	1.88	3.35	64
78.	4216.01.108.01 – बने बनाए फ्लैटों का अर्जन	10.00	4.55	5.45	55
79.	4047.00.037.01 – निवारक एवं अन्य कार्य	55.68	24.87	30.81	55
अनुदान सं. 45- खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय					
80.	2408.01.103.07 – मानव संसाधन विकास हेतु बागवानी आधारित उद्योग	14.95	5.96	8.99	60
अनुदान सं. 46- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग					
81.	2210.05.105.41 – एम्स सरीखे अति विशेषज्ञता- सह-शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं राज्य सरकार के अस्पतालों का उच्चीकरण	75.00	6.27	68.73	92
82.	2210.05.800.05 – राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को अनुदान	4.60	-	4.60	100
83.	2210.06.107.03 – राष्ट्रीय जीव वैज्ञानिक मानकीकरण एवं गुणवत्ता नियंत्रण संस्थान	34.40	7.41	26.99	78
84.	2210.06.800.08 – स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी एवं प्रबंधन	9.00	-	9.00	100
85.	2210.06.800.24 – केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत नई पहलकदमियां	100.00	47.23	52.77	53
86.	2210.06.800.27 – एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम	55.00	12.93	42.07	76
87.	2210.06.800.29 – आपातकालीन चिकित्सा राहत	40.00	21.71	18.29	46
88.	2211.00.003.03 – परिवार कल्याण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई	5.98	1.23	4.75	79
89.	2211.00.003.19 – पुरुष भागीदारी	2.92	0.89	2.03	70
90.	2211.00.108.06 – स्वायत्त/स्वयंसेवी संगठनों/समितियों के माध्यम से परियोजनाएं	7.00	-	7.00	100
91.	2211.00.108.07 – यूएनएफपीए से प्राप्त सहायता के अन्तर्गत गतिविधियाँ	2.21	0.13	2.08	94
92.	2211.00.108.08 – यूएसएड सहायता प्राप्त परियोजना एसआईएफपीएसए, उ.प्र., लखनऊ	50.00	16.84	33.16	66

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	बजट प्रावधान पर अव्ययित प्रावधान की प्रतिशतता
93.	2211.00.109.03 – आरसीएच में प्रशिक्षण	7.38	1.84	5.54	75
94.	2211.00.109.07 – औषधियों एवं उपकरणों (वैक्सीन आदि को छोड़कर) अप्रापण	250.00	-	250.00	100
95.	2211.00.200.04 – गर्भ निरोधकों सामाजिक विपणन	48.05	20.31	27.74	58
96.	2211.00.200.21 – एफपी सामग्री की निःशुल्क आपूर्ति	100.00	42.69	57.31	57
97.	2211.00.800.09 – राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अन्तर्गत उपाय	9.00	2.37	6.63	74
98.	2211.00.800.13 – सार्वजनिक-निजी साझेदारी - पीआईपी के अन्तर्गत एफपी कार्यक्रम में गैर सरकारी संगठनों का कार्य करना	30.18	3.68	26.50	88
99.	2211.00.800.14 – प्रबन्धन सूचना प्रणाली	19.50	8.87	10.63	55
100.	3601.04.243.02 – बाह्य सहायता प्राप्त घटक	2.72	-	2.72	100
101.	3601.04.246.01 – आरसीएच औषधियों एवं उपकरणों की आपूर्ति	214.00	-	214.00	100
102.	3601.04.263.07 – राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम (सामान्य घटक)	7.00	-	7.00	100
103.	3601.04.263.69 – एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम	38.00	-	38.00	100
104.	3602.04.240.02 – एफपी सामग्री की निःशुल्क आपूर्ति	3.75	0.40	3.35	89
105.	3602.04.246.01 – आरसीएच औषधियों एवं उपकरणों की आपूर्ति	10.00	-	10.00	100
106.	3602.04.246.02 – नेमी प्रतिरक्षण कार्यक्रम	5.50	3.10	2.40	44
107.	3606.00.237.05 – राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम एवं पोलिया उन्मूलन सुदृढ़ीकरण हेतु भौतिक सहायता	181.00	62.61	118.39	65
108.	4210.03.105.05 – लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल	8.20	1.75	6.45	79
109.	4210.04.101.13 – एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम हेतु सामग्री एवं उपकरणों की थोक खरीद	35.00	-	35.00	100
अनुदान सं. 47- आयुष विभाग					
110.	2210.02.101.08 – दिल्ली में राष्ट्रीय आयुर्वेदिक औषधालय	15.00	0.04	14.96	100

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	बजट प्रावधान पर अव्ययित प्रावधान की प्रतिशतता
111.	2210.02.200.07 – अनुसंधान संस्थानों (निजी अर्धसरकारी/सरकारी/विश्वविद्यालय/गैर सरकारी संगठन) के माध्यम से अतिरिक्त भित्तीय अनुसंधान परियोजनाओं हेतु अनुदान	17.09	4.18	12.91	76
112.	2210.05.103.01 – राष्ट्रीय यूनानी औषधि संस्थान, बंगलौर को अनुदान	8.00	3.00	5.00	63
113.	3601.04.225.08 – आयुष संस्थाओं/महाविद्यालयों का विकास एवं उच्चीकरण	50.00	26.86	23.14	46
अनुदान सं. 48- भारी उद्योग विभाग					
114.	2852.80.800.18 – भारत अर्थ मूर्वस लिमिटेड को समर्थन हेतु सहायता अनुदान योजना	64.00	-	64.00	100
115.	4854.60.800.01 – सार्वजनिक क्षेत्र उपकरणों की निरन्तर जीवन क्षमता हेतु महत्वपूर्ण संतुलनकारी निवेश	2.60	-	2.60	100
अनुदान सं. 50- गृह मंत्रालय					
116.	2250.00.103.01 – अयोध्या में अर्जित सम्पत्तियों का संरक्षण एवं रखरखाव	3.50	0.13	3.37	96
117.	3601.01.106.01 – संसदीय एवं राज्य विधानसभाओं के चुनावों के दौरान होमगार्डों की तैनाती	4.00	-	4.00	100
118.	3601.01.110.04 – मादक द्रव्य नियंत्रण ब्यूरो	2.50	-	2.50	100
119.	4059.80.201.03 – मानव अधिकार आयोग	4.00	-	4.00	100
120.	4059.80.051.33 – राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर	6.00	0.60	5.40	90
अनुदान सं. 52- पुलिस					
121.	2055.00.104.05 – अनुसंधान	931.00	499.99	431.01	46
122.	2055.00.104.06 – सीमा जांच चौकी	20.00	7.76	12.24	61
123.	4055.00.800.06 – अन्य सीमा का प्रबन्धन	130.11	12.58	117.53	90
124.	4055.00.800.06 – भारत चीन सीमा	10.00	0.90	9.10	91
125.	4055.00.800.06 – भारत म्यांमार सीमा निर्माण कार्य	2.00	-	2.00	100
अनुदान सं. 53- गृह मंत्रालय का अन्य व्यय					
126.	2070.00.800.26 – राष्ट्रीय पहचान पत्र योजना	10.10	3.33	6.77	67
127.	2235.01.112.04 – पाक अधिकृत कश्मीर एवं छम्ब नियाबत क्षेत्र से विस्थापित व्यक्ति	2.00	-	2.00	100

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	बजट प्रावधान पर अव्ययित प्रावधान की प्रतिशतता
128.	2235.60.200.02 – स्वतंत्रता सेनानियों को निःशुल्क रेलवे पास	55.00	29.34	25.66	47
129.	2245.80.102.06 – विश्व बैंक सहायता से चक्रवात जोखिम घटाव परियोजना	10.10	-	10.10	100
130.	2245.80.102.12 – आपदाओं के मामले में तीव्र हस्तक्षेप हेतु विशेषीकृत क्षमता का निर्माण	32.48	0.08	32.40	100
131.	3601.01.343.01 – मिजोरम	18.85	-	18.85	100
132.	3601.01.343.04 – असम	9.99	-	9.99	100
133.	3601.01.343.06 – जम्मू कश्मीर राहत एवं पुनर्वास	168.23	69.31	98.92	59
134.	3601.01.347.01 – भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति	3.61	-	3.61	100
अनुदान सं. 54- संघ शासित क्षेत्र सरकारों हेतु अन्तरण					
135.	3602.02.101.01 – राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	458.67	157.26	301.41	66
अनुदान सं. 55- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग					
136.	2251.00.090.01 – प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग	13.59	5.56	8.03	59
137.	2202.01.112.04 – विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों को भोजन पकाने की लागत पूर्ति हेतु सहायता	4.00	0.27	3.73	93
138.	2202.01.112.07 – परामर्श/विशेषज्ञ एवं मूल्यांकन/अध्ययन हेतु शुल्क का भुगतान	7.00	-	7.00	100
139.	2202.01.800.19 – जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (ईएपी)	197.91	97.91	100.00	51
140.	3602.04.187.01 – भोजन पकाने की लागत पूर्ति हेतु सहायता	30.00	1.27	28.73	96
141.	3602.04.187.02 – प्रबन्धन, मानीटरिंग एवं मूल्यांकन	80.00	10.94	69.00	86
अनुदान सं. 56- उच्चतर शिक्षा विभाग					
142.	2202.02.800.33 – विकलांग बच्चों हेतु एकीकृत शिक्षा - स्वयंसेवी संगठन	13.15	5.54	7.61	58
143.	2202.02.800.37 – विद्यालयों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी - स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान	7.50	-	7.50	100
144.	2202.02.800.39 – पहुंच एवं समता - स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान	6.00	3.00	3.00	50
145.	2202.80.004.08 – बौद्धिक संपदा शिक्षा अनुसंधान एवं सार्वजनिक पहुंच हेतु योजना	4.50	1.74	2.76	61

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वार्ताविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	बजट प्रावधान पर अव्ययित प्रावधान की प्रतिशतता
146.	2203.00.102.03 – पुणे एवं कोलकाता में शैक्षिक अनुसंधान हेतु भारतीय विज्ञान संस्थान (शै.आ.भा.वि.सं.)	50.00	10.25	39.75	80
147.	2203.00.105.04 – गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम हेतु अनुदान - सामुदायिक पालिटैक्निक	25.60	8.91	16.69	65
148.	2203.00.105.09 – विकलांग व्यक्तियों हेतु पॉलिटैक्निक	3.60	1.42	2.18	61
149.	2203.00.112.38 – नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना	4.50	-	4.50	100
150.	2203.00.112.39 – नए योजना एवं वास्तुकला विद्यालयों की स्थापना	5.00	-	5.00	100
151.	2203.00.800.10 – प्रौद्योगिकी विकास मिशन	4.50	-	4.50	100
152.	3601.01.166.01 – विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमान में सुधार	10.00	-	10.00	100
153.	3601.03.160.01 – वर्तमान पॉलिटैक्निकों के उच्चीकरण/नए पॉलिटैक्निकों की स्थापना हेतु सहायता	4.05	-	4.05	100
154.	3601.03.162.02 – संस्कृत शिक्षा का विकास	14.58	8.22	6.36	44
155.	3601.04.172.04 – पहुंच एवं समता	2.10	-	2.10	100
156.	3601.04.180.01 – शिक्षा का व्यावसायीकरण	16.50	2.50	14.00	85
अनुदान सं. 57- महिला एवं बाल विकास विभाग					
157.	2235.02.103.46 – स्वयंसिद्धा	2.50	0.27	2.23	89
अनुदान सं. 58- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय					
158.	2220.01.800.02 – बाल चलचित्र समिति	5.36	2.75	2.61	49
159.	2220.02.001 – निर्देशन एवं प्रशासन	3.00	-	3.00	100
160.	2220.02.800 – अन्य व्यय	5.85	-	5.85	100
161.	4220.01.200.01- गतिशील छवि संग्रहालय की स्थापना (फिल्म प्रभाग)	7.00	0.59	6.41	92
162.	4220.60.101.03 – प्रैस सूचना ब्यूरो के राष्ट्रीय प्रैस केन्द्र एवं लघु भीड़िया केन्द्रों की स्थापना	10.00	0.07	9.93	99
163.	4220.60.101.06 – निजी एफएम रेडियो स्टेशनों हेतु भवन एवं टावर	10.00	0.63	9.37	94
अनुदान सं. 59- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय					
164.	2230.01.106.04 – स्वास्थ्य	7.45	4.45	3.00	40

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	बजट प्रावधान पर अव्ययित प्रावधान की प्रतिशतता
165.	2230.01.109.07 – बीड़ी मजदूरों एवं निम्न आय वर्गीय आवास समूहों हेतु आवासों का निर्माण	5.00	-	5.00	100
166.	2230.01.111.05 – असंगठित क्षेत्र मजदूरों हेतु सामाजिक सुरक्षा योजना	4.00	-	4.00	100
अनुदान सं. 61- न्याय एवं विधि					
167.	2020.00.001.06 – राष्ट्रीय कर अधिकरण	10.40	-	10.40	100
168.	3602.04.891.01 – न्यायतंत्र हेतु अवसंरचनागत सुविधाओं के लिए अनुदान	10.00	-	10.00	100
अनुदान सं. 63- खान मंत्रालय					
169.	2853.02.004.01 – भारतीय खान ब्यूरो	5.81	2.32	3.49	60
अनुदान सं. 65- प्रवासीय भारतीय कार्य मंत्रालय					
170.	2052.00.090.34 – प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	20.16	11.27	8.89	44
171.	4059.60.051.23 – प्रवासी भारतीय केन्द्र	2.50	0.02	2.48	99
अनुदान सं. 69- कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय					
172.	2052.00.090.05 – कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	61.90	31.71	30.19	49
173.	2070.00.003.14 – परियोजना मूल्यांकन हेतु क्षमता निर्माण	3.00	-	3.00	100
174.	4055.00.800.05 – केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो	10.10	0.11	9.99	99
175.	4059.80.051.05 – लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी	17.93	2.12	15.81	88
अनुदान सं. 70- पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय					
176.	2802.80.800.05 – पैट्रोलियम नियामक बोर्ड	15.00	0.02	14.98	100
अनुदान सं. 71- योजना मंत्रालय					
177.	2245.80.102.08 – सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम	15.00	0.47	14.53	97
178.	3451.00.101.10 – राष्ट्रीय ज्ञान आयोग	4.00	1.38	2.62	66
179.	3475.00.800.52 – योजना हेतु 50वें वर्ष की पहल	11.64	4.31	7.33	63
180.	3475.00.800.71 – सरकार में मूल्यांकन क्षमता का सुदृढीकरण	8.55	0.26	8.29	97
अनुदान सं. 72- ऊर्जा मंत्रालय					
181.	2801.02.102.01 – सामान्य	11.69	1.97	9.72	83
182.	2801.02.797.01 – मूल्यांकन - बदरपुर ताप विद्युत स्टेशन	6.34	1.06	5.28	83

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	बजट प्रावधान पर अव्ययित प्रावधान की प्रतिशतता
183.	2801.80.800.23 – दिल्ली को छोड़कर अन्य संघ राज्य क्षेत्रों हेतु संयुक्त एसईआरसी की स्थापना	3.00	-	3.00	100
अनुदान सं. 78- ग्रामीण विकास विभाग					
184.	2216.03.800.15 – ग्रामीण भवन केन्द्र नवाचार धारा	8.02	0.38	7.64	95
185.	2501.06.101.08 – प्रबन्धन सूचना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	3.00	-	3.00	100
186.	2515.00.800.21 – जन कार्यवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी के उन्नति परिषद को अनुदान	70.00	35.00	35.00	50
अनुदान सं. 79- भूमि संसाधन विभाग					
187.	3602.03.467.03 – राजस्व और भूमि प्रशासन का आधुनिकीकरण	2.00	-	2.00	100
अनुदान सं. 80- पेयजल आपूर्ति विभाग					
188.	2215.01.102.06 – मानव संसाधन विकास	25.00	0.10	24.90	100
189.	2215.01.102.07 – मानीटरिंग एवं मूल्यांकन	2.00	-	2.00	100
190.	2215.01.102.09 – सूचना, शिक्षा एवं संचार	10.00	1.38	8.62	86
191.	2215.01.102.14 – प्रबन्धन सूचना प्रणाली एवं कम्प्यूटरीकरण	8.00	0.01	7.99	100
192.	2215.02.105.05 – मानीटरिंग एवं मूल्यांकन	12.00	3.11	8.89	74
193.	2215.02.105.06 – मानव संसाधन विकास	5.00	-	5.00	100
194.	2215.02.105.12 – सूचना, शिक्षा एवं संचार	62.00	13.83	48.17	78
195.	3601.04.264.02 – मानीटरिंग एवं अन्वेषक इकाईयां	2.50	0.28	2.22	89
196.	3601.04.264.06 – मानव संसाधन विकास	36.00	-	36.00	100
197.	3601.04.264.07 – सूचना, शिक्षा एवं संचार	20.00	-	20.00	100
198.	3601.04.264.08 – प्रबन्धन सूचना प्रणाली एवं कम्प्यूटरीकरण	12.00	2.67	9.33	78
अनुदान सं. 84- जहाजरानी विभाग					
199.	2852.06.102.21 – गैर केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पोत प्रांगण एवं निजी क्षेत्र पोत प्रांगणों को आर्थिक सहायता	18.01	-	18.01	100
200.	3051.80.004.01 – अन्य मद (अ. एवं वि. योजना)	10.00	0.22	9.78	98
201.	3052.02.001.01 – महानिदेशक जहाजरानी	17.37	9.45	7.92	46
202.	3056.00.190.03 – सीआईडल्यूटीसी हेतु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अनुदान	26.00	-	26.00	100

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	बजट प्रावधान पर अव्ययित प्रावधान की प्रतिशतता
203.	5051.01.102.01 – अन्य व्यय	40.00	-	40.00	100
204.	5051.02.200.05 – उत्तर सुनामी निर्माण कार्य	89.76	44.52	45.24	50
205.	5051.03.101.01 – प्रकाश स्तम्भों का निर्माण एवं सुधार	29.60	7.05	22.55	76
206.	5052.01.800.01 – सर्वेक्षण यात्रा	20.00	-	20.00	100
207.	5075.60.800.07 – प्रमुख बंदरगाहों हेतु वैब आधारित इलैक्ट्रॉनिक डेटा इन्टरचेंज का विकास	7.83	1.66	6.17	79
208.	6858.03.190.04 – कोचीन शिप्यार्ड लि.	7.51	-	7.51	100
अनुदान सं. 85 – सङ्क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग					
209.	3054.02.800.02 – सङ्क निर्माण कार्य	18.57	8.93	9.64	52
210.	3054.04.337.07 – केन्द्रीय सङ्क निधि से विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अनुदान	6.07	1.76	4.31	71
211.	3601.04.105.01 – अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की सङ्कों	162.06	93.10	68.96	43
212.	3601.04.106.01 – आर्थिक महत्व की सङ्कों	110.00	-	110.00	100
213.	3602.02.105.01 – दिल्ली में सङ्कों	43.84	22.27	21.57	49
214.	3602.02.105.02 – पाञ्जिचेरी में सङ्कों	3.60	-	3.60	100
215.	3602.04.105.01 – अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की सङ्कों	8.55	0.50	8.05	94
अनुदान सं. 86- लघु उद्योग मंत्रालय					
216.	2851.00.102.07 – लघु उद्योगों की सांख्यिकी का संग्रह	3.95	0.60	3.35	85
217.	2851.00.102.56 – माइक्रो वित्तीय कार्यक्रम	29.28	10.00	19.28	66
218.	2851.00.800.28 – असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र उपक्रम आयोग	29.57	5.55	24.02	81
219.	6851.00.102.01 – स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना आदि के कार्यान्वयन हेतु प्रावधान	4.00	-	4.00	100
अनुदान सं. 89- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय					
220.	3454.02.800.04 – कार्यक्रम कार्यान्वयन	4.60	1.52	3.08	67
221.	5475.00.112.27 – सांस्थानिक विकास एवं क्षमता निर्माण	17.71	10.44	7.27	41

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	बजट प्रावधान पर अव्ययित प्रावधान की प्रतिशतता
अनुदान सं. 91- कपड़ा मंत्रालय					
222.	2851.00.103.38 – एकीकृत हथकरघा समूह विकास योजना	10.00	5.47	4.53	45
223.	2851.00.104.27 – ज.एवं क. हेतु एकीकृत विकास पैकेज	5.00	2.71	2.29	46
224.	2851.00.104.30 – क्रेडिट गारंटी योजना	3.50	0.06	3.44	98
225.	2851.00.108.01 – बिजली करघा हेतु तकनीकी सेवा केन्द्र	7.82	3.90	3.92	50
226.	2852.08.202.03 – टैक्सटाइल्स समिति को टैक्सटाइल पर उपकर के संग्रह हेतु भुगतान	21.00	10.30	10.70	51
227.	2852.08.202.15 – कपास प्रौद्योगिकी मिशन	100.00	25.00	75.00	75
228.	2852.00.202.16 – मूल्य समर्थन के अन्तर्गत भारतीय कपास निगम द्वारा कपास का प्रापण	280.00	119.84	160.16	57
229.	2852.08.202.27 – एकीकृत टैक्सटाइल पार्क	189.00	101.55	87.45	46
230.	3601.01.726.04 – हथकरघा अभिकरणों द्वारा हथकरघा वस्त्र की बिक्री पर 10% की दर से एक बार दी गई छूट की प्रतिपूर्ति योजना	60.50	19.05	41.45	69
231.	3602.04.726.02 – दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना	2.50	-	2.50	100
232.	4860.01.190.03 – टैक्सटाइल अभिकरणों की शर्तों पर भुगतान (राष्ट्रीयकरण), अधिनियम 1995 की सं. 39	27.32	0.32	27.00	99
233.	6860.01.190.01 – राष्ट्रीय कपड़ा निगम	250.00	62.50	187.50	75
234.	6860.01.190.06 – एल्गिन मिल्स कम्पनी लिमिटेड	5.00	-	5.00	100
अनुदान सं. 92- पर्यटन मंत्रालय					
235.	3452.80.003.08 – सेवाप्रदाता हेतु क्षमता निर्माण	10.00	5.02	4.98	50
236.	3452.80.800.15 – आईटीडीसी के विनिवेश प्राप्ति के वापसी हेतु प्रावधान	4.39	-	4.39	100
237.	5452.01.102.12 – वृहद राजस्व उत्पादक परियोजनाओं हेतु सहायता	47.00	1.02	45.98	98
अनुदान सं. 99 – शहरी विकास विभाग					
238.	2215.02.191.03 – चयनित नगरों में हवाई अड्डे के निकट ठोस कूड़ा निपटान पर अग्रगामी परियोजना	35.00	6.00	29.00	83
239.	2217.05.191.04 – जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नगर नवीनीकरण मिशन	30.00	1.84	28.16	94

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2006-07

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	बजट प्रावधान पर अव्ययित प्रावधान की प्रतिशतता
240.	2217.05.800.12 – शहरी सूचना प्रणाली	24.00	2.30	21.70	90
241.	2217.05.800.13 – एकत्रित वित्त विकास निधि	50.00	-	50.00	100
242.	2217.05.800.18 – शहरी अवसंरचना परियोजनाओं की एसपीवी हेतु व्यवहार्यता अन्तराल निधि	25.00	-	25.00	100
243.	2217.05.800.19 – ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय मिशन मोड परियोजना	75.00	-	75.00	100
244.	2217.80.001.02 – शहरी परिवहन परियोजना	29.99	1.98	28.01	93
245.	2217.80.004.01 – शहरी एवं क्षेत्रीय योजना में अनुसंधान	25.00	3.81	21.19	85
अनुदान सं. 100 – लोक निर्माण कार्य					
246.	2059.01.799.01 – स्टाक	90.00	40.65	49.35	55
247.	4059.80.051.14 – खाने	7.00	3.39	3.61	52
248.	4059.80.051.15 – गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत	3.00	0.81	2.19	73
अनुदान सं. 102 – आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय					
249.	2216.02.190.03 – बाल्मीकी अम्बेडकर आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु हुड़को को अनुदान	73.11	10.69	62.42	85
250.	2216.80.800.05 – संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से शहरी गरीबी हेतु राष्ट्रीय नीति को सहायता	9.00	4.11	4.89	54
अनुदान सं. 103 – जल संसाधन मंत्रालय					
251.	2701.80.004.05 – अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम	12.56	5.79	6.77	54
252.	2701.80.004.07 – जल विज्ञान परियोजना	14.07	0.81	13.26	94
253.	2701.80.005.01 – राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण	41.00	18.77	22.23	54
254.	2702.02.005.13 – जल विज्ञान परियोजना	2.78	0.55	2.23	80
255.	2711.01.800.13 – कोसी उच्च बांध का सर्वेक्षण एवं जांच	13.90	5.20	8.70	63
256.	3601.01.752.01 – सतलुज यमुना सम्पर्क नहर परियोजना	25.00	-	25.00	100
257.	3601.03.786.08 – लालबकेआ, कमला, बागमती एवं खंडो नदियों पर तटबन्धों का विस्तार	32.25	18.34	13.91	43
258.	3601.03.786.12 – कोसी एवं गण्डक परियोजनाओं के बाढ़ सुरक्षा कार्य का रखरखाव	5.24	2.50	2.74	52
259.	3601.04.786.03 – गंगा घाटी राज्यों में महत्वपूर्ण अपरदन रोधी निर्माण कार्य	81.20	39.62	41.58	51

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2006-07

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	बजट प्रावधान पर अव्ययित प्रावधान की प्रतिशतता
अनुदान सं. 104 – युवा मामले एवं खेलकूद मंत्रालय					
260.	2204.00.102.17 – एचआईवी/एड्स से सम्बन्धित योजना	5.20	-	5.20	100
261.	2204.00.103.23- किशोरों के विकास एवं सशक्तिकरण हेतु वित्तीय सहायता की योजना	6.50	1.20	5.30	82
262.	2204.00.103.26 – एचआईवी/एड्स से सम्बन्धित योजना	3.80	-	3.80	100
263.	2204.00.104.34 – राज्य खेलकूद अकादमी	2.00	-	2.00	100
264.	2204.00.104.35.– डोप जांच हेतु योजना	4.00	-	4.00	100
265.	2204.00.104.40 – पुरस्कारों से सम्बन्धित योजना	5.00	1.28	3.72	74
266.	4202.03.800.09 – राज्य खेलकूद अकादमी	2.00	-	2.00	100

परिशिष्ट-VIII- क
(पैराग्राफ 8.6 के संदर्भ में)
अवास्तविक बजटीकरण

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	उप-शीर्ष	मूल प्रावधान	अव्ययित प्रावधान
2004-05	3601.03.601.11- डेयरी/मुर्गी पालन वैंचर कैपिटल फंड	5.70	5.70
	3601.04.576.08- राज्यों को पशुधन बीमा हेतु सहायता	9.00	9.00
	3602.04.576.03- पशु एवं भैंस प्रजनन हेतु राष्ट्रीय परियोजना	0.50	0.50
	3602.04.579.01- संकटग्रस्त पशु नसलों का संरक्षण	0.50	0.50
	3602.04.632.03- प्रमुख एवं लघु बंदरगाहों में मत्स्यग्रहण यानों हेतु अवतरण एवं लंगर डालने की सुविधा	0.50	0.50
2005-06	2403.00.105.05- सुअर पालन विकास हेतु विधानमंडलहीन संघ शासित क्षेत्रों को सहायता	2.00	2.00
	2405.00.800.12- राष्ट्रीय मत्स्यपालन विकास बोर्ड	5.00	5.00
	3601.03.601.11- डेयरी/मुर्गी पालन वैंचर कैपिटल फंड	10.50	10.50
	3601.04.576.08- राज्यों को पशुधन बीमा हेतु सहायता	45.30	45.30
	3601.04.586.01- राज्यों को एकीकृत सुअर पालन विकास हेतु सहायता	10.00	10.00
	3601.04.586.05- लघु रोमंथकों का एकीकृत विकास	13.50	13.50
	3602.04.576.03- पशु एवं भैंस प्रजनन हेतु राष्ट्रीय परियोजना	1.00	1.00
	3602.04.579.02- एकीकृत सुअर पालन विकास हेतु सहायता	1.00	1.00
	3602.04.579.03- लघु रोमंथकों का एकीकृत विकास	0.50	0.50
	3602.04.588.01- मुर्गी पालन विकास हेतु सहायता	0.50	0.50
	3602.04.632.01- समुद्रीय मत्स्यपालन का विकास	1.00	1.00
	4405.00.103.03- गहन समुद्रीय मत्स्यपालन	11.50	11.50
	4405.00.109.02- केन्द्रीय मत्स्यपालन नौटिकल एवं अभियांत्रिकी संस्थान	5.15	5.15
2006-07	2403.00.103.16- ग्रामीण पश्च अहाता मुर्गीपालन विकास	0.50	0.50
	2403.00.105.05- सुअर पालन हेतु विधानमंडलहीन सं.शा.क्षे. को सहायता	1.00	1.00
	3601.04.576.08- राज्यों को पशुधन बीमा हेतु सहायता	1.00	1.00

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2006-07

वर्ष	उप-शीर्ष	मूल प्रावधान	अव्ययित प्रावधान
	3601.04.586.01- राज्यों को एकीकृत सुअर पालन विकास हेतु सहायता	4.00	4.00
	3601.04.586.05- लघु रोमंथकों का एकीकृत विकास	12.00	12.00
	3601.04.588.02- ग्रामीण पश्च अहाता मुर्गीपालन विकास	8.30	8.30
	3602.04.576.05- विधानमंडलयुक्त सं.शाक्षे. को पशुधन बीमा हेतु सहायता	1.00	1.00
	3602.04.579.02- एकीकृत सुअर पालन विकास हेतु सहायता	1.00	1.00
	3602.04.579.03- लघु रोमंथकों का एकीकृत विकास	0.50	0.50
	3602.04.601.01- गुणवत्तायुक्त एवं साफ दूध हेतु अवसंरचना सुदृढ़ीकरण	0.50	0.50
	3602.04.632.01- समुद्रीय मत्स्यपालन का विकास	0.50	0.50
	4405.00.103.03- गहन समुद्रीय मत्स्यपालन	7.00	7.00
	4405.00.109.02- केन्द्रीय मत्स्यपालन नौटिकल एवं अभियांत्रिकी संस्थान	5.15	5.15

परिशिष्ट-VIII-ख
(पैरा 8.13 के संदर्भ में)
अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष का नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक वितरण	अव्ययित प्रावधान	विभाग द्वारा अव्ययित प्रावधानों हेतु दिए गए कारण
2004-05					
I – राजस्व अनुभाग (दत्तमत)					
1.	2852.04.800.01 – केन्द्रीय प्लास्टिक अभियान्त्रिकी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान	38.30	9.86	28.44	बाह्य सहायता प्राप्त न होने के कारण।
2.	2852.05.205.01 – भोपाल गैस रिसाव आपदा (दावों की प्रक्रिया) अधिनियम, 1985	305.11	211.93	93.18	विनिमय दरों में अन्तर तथा कार्य योजना के अनुसार मामलों का निपटारा न होने तथा परिणामतः न्यायिक अधिकारियों तथा उनके सहायक स्टाफ के पदों के न भरे जाने के कारण।
3.	2852.05.205.03 – कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान हेतु अनुदान	5.73	2.74	2.99	रासायनिक हथियारों की सुविधा पर पाबंदी के कारण संगठन के लिए विशिष्टीकृत जनशक्ति उपलब्ध करने में कठिनाई के कारण।
4.	2852.05.205.06 – रसायन उन्नयन एवं विकास योजना	3.40	0.55	2.85	महा रसायन परियोजना की स्थापना का व्यावहारिक अध्ययन कराने का व्यय भारतीय कम्पनी ने कम. लागत में कार्यान्वित किया था।
II. पूंजीगत अनुभाग (दत्तमत)					
5.	6857.01.190.04 – हिन्दुस्तान जैव रसायन लिमिटेड	7.19	5.59	1.60	वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष के अंतिम तिमाही में आबंटन का एक तिहाई से अधिक व्यय करने पर लगाई गई पाबंदी के कारण।
6.	6857.02.190.03 – भारतीय दवा एवं औषधि लिमिटेड	14.27	शून्य	14.27	इस तथ्य के कारण कि कम्पनी अपनी आय से वेतन के व्यय को भी पूरा करने में समर्थ थी।

(करोड़ रुपयों में)

क्र.स.	उप-शीर्ष का नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक वितरण	अव्ययित प्रावधान	विभाग द्वारा अव्ययित प्रावधानों हेतु दिए गए कारण
7.	6857.02.190.04 – हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड	9.43	7.27	2.16	मंत्रालय की सलाह पर सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की गई विशेष अवकाश याचिका के कारण कर्मचारियों को सेवान्त लाभ का भुगतान न किए जाने के कारण।
2005-06					
I – राजस्व अनुभाग (दत्तमत)					
8.	2852.04.800.01 – केन्द्रीय प्लास्टिक अभियान्त्रिकी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान	49.30	10.88	38.42	ऋण के रूप में बाह्य सहायता प्रदान करने के निर्णय के कारण।
9.	2852.05.205.03 – कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान हेतु अनुदान	3.33	0.70	2.63	बचत, पहले जारी किए गए अनुदान के उ.प्र. न भेजने के कारण कम जारी करने के कारण थी।
10.	2852.05.205.06 – रसायन उन्नयन एवं विकास योजना	1.00	0.27	0.73	बचत, रसायन उन्नयन एवं विकास योजना के अंतर्गत सम्बद्ध योजना के सम्पूर्ण न होने के कारण थी।
11.	2852.05.206.08 – राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण	3.56	2.95	0.61	बचत, चिकित्सा, घरेलू यात्राएं, मजदूरी तथा अ.प्र.व्य. आदि लेखा शीर्षों के अंतर्गत मितव्ययी अनुदेशों के कारण थी।
II. पूँजीगत अनुभाग (दत्तमत)					
12.	6857.01.190.03 – हिन्दुस्तान कीटनाशक लिमिटेड	59.00	7.55	51.45	बचत, संशोधित अनुमानों में लगाई कटौती तथा दिल्ली के उद्योगों के हस्तांतरण के कारण कार्यपूँजी के नुकसान का मुआवजा हेतु सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन न मिलने के कारण हुई थी।
13.	6857.01.190.04 – हिन्दुस्तान जैव रसायन लिमिटेड	7.00	6.00	1.00	बचत, वित्त मंत्रालय द्वारा लगाई गई सीमा के कारण थी।
14.	6857.02.190.03 – भारतीय दवा एवं औषधि लिमिटेड	14.20	7.00	7.20	बचत, इस तथ्य के कारण थी कि कम्पनी अपना व्यय अपनी आय से पूरा करने में सक्षम थी।
15.	6857.02.190.04 – हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड	63.00	30.30	32.70	बचत, मंत्री परिषद द्वारा पुनर्वास पैकेज के देशी से

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष का नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक वितरण	अव्ययित प्रावधान	विभाग द्वारा अव्ययित प्रावधानों हेतु दिए गए कारण
					अनुमोदन के कारण थी।
16.	6857.02.190.05 – स्मिथ स्ट्रेनिस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	3.09	-	3.09	कम्पनी के परिशोधन प्रक्रिया के तहत होने के कारण समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे।
17.	6857.02.190.06 – बंगाल रसायन एवं औषधि लिमिटेड	15.00	9.73	5.27	बचत, मंत्री परिषद के अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण थी।
18.	6857.02.190.07 – बंगाल प्रतिरक्षा लिमिटेड	11.69	10.00	1.69	बचत, कम्पनी के परिशोधन प्रक्रिया में होने के अंतर्गत होने के कारण थी।
2006-07					
I – राजस्व अनुभाग (दत्तमत)					
19.	3451.00.090.30 – रसायन एवं पैट्रोरसायन विभाग	9.52	8.55	0.97	बचत, निधियों के हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक लिमिटेड को हस्तांतरण के कारण थी, जिसके लिए प्रारम्भ में प्रावधान सचिवालय शीर्षक के अंतर्गत रखे गए थे।
20.	2852.05.205.01 – भोपाल गैस रिसाव आपदा (दावों की प्रक्रिया) अधिनियम, 1985	58.83	6.94	51.89	बचत, भोपाल गैस रिसाव आपदा के पीड़ितों द्वारा दावे पेश न किये जाने के कारण हुई थी।
21.	2852.05.205.06 – रसायन उन्नयन एवं विकास योजना	2.00	1.01	0.99	बचत, कुछ योजनाओं के पूरा न होने के कारण थी।
22.	2852.05.206.08 – राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (रा.ओ.मू.नि.प्रा.)	7.35	4.94	2.41	बचत, प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के कारण सूचना प्रौद्योगिकी हेतु रखी गई निधियों के अनुपयोग के कारण थी।
II. पूँजीगत अनुभाग (दत्तमत)					
23.	4857.01.190.03 – हिन्दुस्तान जैव रसायन लिमिटेड	275.00	270.00	5.00	बचत, मंत्री परिषद द्वारा कम प्रस्तावों को पारित किए जाने के कारण थी।
24.	6856.00.190.03 – केन्द्रीय प्लास्टिक अभियान्त्रिकी प्रौद्योगिकी संस्थान	30.00	-	30.00	प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के कारण पैट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठनों को ऋण जारी न किए जाने के कारण थी।
25.	6857.02.190.06 – बंगाल रसायन एवं औषधि लिमिटेड	26.48	24.49	1.99	वित्त मंत्रालय द्वारा योजनेतर व्यय पर लगाई गई कटौती के कारण।

परिशिष्ट-VIII-ग
(पैराग्राफ 8.31 के संदर्भ में)
निरन्तर अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	वर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अव्ययित प्रावधान
1.	2225.03.001.02- आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु राष्ट्रीय आयोग	2004-05	1.66	0.40	1.26
		2005-06	0.60	0.02	0.58
		2006-07	1.12	0.25	0.87
2.	2225.03.277.05- बाल एवं बालिका छात्रावास	2004-05	1.00	-	1.00
		2006-07	0.50	-	0.50
3.	2225.01.277.09- मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	2004-05	0.10	0.01	0.09
		2005-06	0.30	-	0.30
		2006-07	0.20	0.02	0.18
4.	2235.02.101.01- राष्ट्रीय दृष्टिहीन, बधिर, मंदबुद्धि एवं शारीरिक विकलांग संस्थान का विस्तार एवं सुधार	2004-05	59.74	50.05	9.69
		2005-06	66.11	61.96	4.15
		2006-07	64.41	62.79	1.62
5.	2235.02.101.10- अन्य योजनाएं	2004-05	179.99	151.56	28.43
		2005-06	175.59	148.27	27.32
		2006-07	166.64	138.31	28.33
6.	2235.02.102.27- अन्तर्देशीय अंगीकरण हेतु नवजात एवं बाल गृहों हेतु सहायता	2004-05	2.65	2.23	0.42
		2005-06	5.00	2.24	2.76
		2006-07	2.50	-	2.50
7.	2235.02.102.28- आवास बच्चों हेतु योजना	2004-05	12.55	11.78	0.77
		2005-06	17.20	10.59	6.61
		2006-07	12.00	-	12.00
8.	2235.02.102.31- देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता वाले कामगार बच्चों के कल्याण हेतु योजना	2004-05	7.00	-	7.00
		2005-06	7.00	1.12	5.88
		2006-07	3.00	-	3.00
9.	2235.02.105.01- नशाबन्दी हेतु शिक्षा कार्य	2004-05	26.09	25.50	0.59
		2005-06	30.64	22.35	8.29
		2006-07	24.50	20.44	4.06
10.	2235.02.106.04- राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान	2004-05	4.31	4.01	0.30
		2005-06	5.35	4.55	0.80
		2006-07	6.10	4.59	1.51
11.	2235.02.107.05- वृद्धों से सम्बन्धित कार्यक्रम हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	2004-05	18.79	15.68	3.11
		2005-06	24.05	14.06	9.99
		2006-07	26.00	12.39	13.61

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2006-07

क्र. सं.	उप-शीर्ष	वर्ष	प्रावधान	वार्तविक व्यय	अद्यायित प्रावधान
12.	2235.02.107.07- वृद्धाश्रम आदि के निर्माण हेतु रचैचिक संगठनों को सहायता	2004-05	1.25	0.49	0.76
		2005-06	1.25	0.42	0.83
		2006-07	1.00	-	1.00

परिशिष्ट-VIII- घ
(पैराग्राफ 8.33 के संदर्भ में)
अयथार्थ बजटीकरण

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष एवं उप-शीर्ष	मूल प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	प्रतिशतता	मंत्रालय द्वारा बताए गए कारण
2004-05						
1.	2225.01.277.02- बाल छात्रावास	4.00	2.49	1.51	38	बचत राज्य सरकारों द्वारा समान अंश प्रदान न करने के कारण विश्वविद्यालयों से पर्याप्त प्रस्तावों की अप्राप्ति के कारण थी।
2.	2225.01.277.15- अनुसूचित जाति विद्यार्थियों हेतु आवासीय विद्यालय	8.50	-	8.50	100	बचत योजना के गैर सूत्रीकरण के कारण थी।
3.	2225.03.001.02- आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु राष्ट्रीय आयोग	1.66	0.40	1.26	76	बचत संविधान के संशोधन के कारण पूरे वर्ष आयोग के कार्य न करने के कारण थी।
4.	2225.80.001.08- राष्ट्रीय गैर अधिसूचित, बंजारा एवं अर्ध-बंजारा जनजाति आयोग	1.15	0.63	0.52	45	बचत आयोग को जारी रखने के लिए परिसंशोधन के कारण थी।
5.	2235.02.101.10- अन्य योजनाएं	179.99	151.56	28.43	16	बचत कुछ सामासिक क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना न होने, कुछ योजनाओं के तैयार न होने तथा तकनीकी परामर्श समिति द्वारा कुछ प्रस्तावों को स्वीकृति न देने एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों की अप्राप्ति के कारण थी।
6.	2235.02.102.31- देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता वाले कामगार बच्चों के कल्याण हेतु योजना	7.00	-	7.00	100	बचत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस योजना को देरी से किए गए अनुमोदन के कारण थी।
7.	2235.02.107.07- वृद्धाश्रम आदि के निर्माण हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	1.25	0.49	0.76	61	बचत स्वैच्छिक संगठनों से अपर्याप्त प्रस्तावों की अप्राप्ति के कारण थी।
8.	2235.02.200.03- सूचना एवं जनशिक्षा केन्द्र	5.00	2.79	2.21	44	बचत विभिन्न अभिकरणों से सभी तरह से पूर्ण प्रस्तावों की अप्राप्ति के कारण थी।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2006-07

9.	3601.03.376.02- अतिरिक्त कोचिंग के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों की योग्यता का उन्नयन	18.00	1.77	16.23	90	बचत आर्थिक कार्य मंत्रिमंडल समिति द्वारा योजना की अधिसूचना को अनुमोदित न करने के कारण थी।
10.	3601.03.376.03- आवासीय पब्लिक स्कूलों में अध्ययन को बढ़ावा देने हेतु मेधावी अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को सहायता	4.50	-	4.50	100	योजना के गैर सूत्रीकरण के कारण समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे।
11.	3601.04.341.04- कोचिंग तथा सम्बद्ध योजना	3.00	1.35	1.65	55	बचत छत्तीसगढ़, हि.प्र. एवं झारखण्ड राज्य सरकार से पर्याप्त प्रस्तावों की अप्राप्ति के कारण थी।
12.	3601.04.341.08- मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना	15.94	9.84	6.10	38	बचत बिहार, केरल, कर्नाटक, हरियाणा एवं झारखण्ड राज्य सरकार से पर्याप्त प्रस्तावों की अप्राप्ति के कारण थी।

2005-06

13.	2225.03.800.02- पिछड़े वर्गों हेतु स्वैच्छिक संगठनों हेतु सहायता	5.00	3.24	1.76	35	बचत स्वैच्छिक संगठनों से पर्याप्त प्रस्तावों तथा राज्य सरकारों से निरीक्षण प्रतिवेदनों की कम प्राप्ति के कारण थी।
14.	2225.03.001.02- आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु राष्ट्रीय आयोग	60.00	1.98	58.02	97	बचत वित् मंत्रालय द्वारा योजनेतर एवं अवैतनिक मदों में कटौती के कारण थी।
15.	2235.02.102.27- अन्तर्देशीय अंगीकरण हेतु नवजात एवं बाल गृहों हेतु सहायता	5.00	2.24	2.76	55	बचत स्वैच्छिक संगठनों से पर्याप्त प्रस्तावों तथा राज्य सरकारों से निरीक्षण प्रतिवेदनों की कम प्राप्ति के कारण थी।
16.	2235.02.102.28- आवारा बच्चों हेतु योजना	17.20	10.59	6.61	38	बचत स्वैच्छिक संगठनों से पर्याप्त प्रस्तावों तथा राज्य सरकारों से निरीक्षण प्रतिवेदनों की कम प्राप्ति के कारण थी।
17.	2235.02.102.31- देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता वाले कामगार बच्चों के कल्याण हेतु योजना	7.00	1.12	5.88	84	बचत स्वैच्छिक संगठनों से अपर्याप्त प्रस्तावों की अप्राप्ति के कारण थी।
18.	2235.02.107.05- वृद्धों से सम्बन्धित कार्यक्रम हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	24.05	14.06	9.99	42	बचत स्वैच्छिक संगठनों से पर्याप्त प्रस्तावों तथा राज्य सरकारों से निरीक्षण प्रतिवेदनों की कम प्राप्ति के कारण थी।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2006-07

19.	2235.02.107.07- वृद्धाश्रम आदि के निर्माण हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	1.25	0.42	0.83	66	बचत वित्त मंत्रालय द्वारा अवेतनिक मदों पर कटौती तथा नए स्वैच्छिक संगठनों से पूर्ण प्रस्तावों की अप्राप्ति के कारण थी।
20.	3601.03.376.04- अनुसूचित जाति विद्यार्थियों हेतु आवासीय विद्यालय	5.00	-	5.00	100	योजना के गैर सूत्रीकरण के कारण समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे।
2006-07						
21.	2225.01.277.02- बाल छात्रावास	6.00	3.23	2.77	46	बचत विश्वविद्यालयों से पर्याप्त प्रस्तावों की अप्राप्ति के कारण थी।
22.	2225.01.277.14- बालिका छात्रावास	8.00	5.32	2.68	33	बचत विश्वविद्यालयों से पर्याप्त प्रस्तावों की अप्राप्ति के कारण थी।
23.	2225.01.277.18- अनुसूचित जाति हेतु उच्च श्रेणी शिक्षा	5.00	-	5.00	100	योजना के अनुमोदित न होने के कारण समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे।
24.	2225.01.800.26- पी सी आर अधिनियम तथा अत्याचार रोधी अधिनियम को लागू करने हेतु मशीनरी का सुदृढ़ीकरण	0.60	0.02	0.58	97	-
25.	2225.03.001.02- आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु राष्ट्रीय आयोग	1.12	0.25	0.87	78	बचत आयोग की स्थापना में देरी के कारण थी।
26.	2225.03.800.02- पिछड़े वर्गों हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	5.50	2.22	3.28	60	बचत स्वैच्छिक संगठनों से पर्याप्त प्रस्तावों तथा राज्य सरकारों से निरीक्षण प्रतिवेदनों की कम प्राप्ति के कारण थी।
27.	2225.80.102.01- अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति हेतु पूर्व-परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों को चलाने के लिए गैर सरकारी संस्थानों को अनुदान	4.80	2.67	2.13	44	बचत योजना के प्रचालन हेतु 96 लाख रु. के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को प्राधिकृत करने के कारण थी।
28.	2225.80.800.05- बाबा साहिब डा. बी.आर. अम्बेडकर का शताब्दी- महोत्सव	1.00	-	1.00	100	अपूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2006-07

29.	2235.02.107.04- सामाजिक रक्षा सेवा प्रदान करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	3.50	1.15	2.35	67	बचत स्वैच्छिक संगठनों से पर्याप्त प्रस्तावों की अप्राप्ति के कारण थी।
30.	2235.02.107.05- वृद्धों से सम्बन्धित कार्यक्रम हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	26.00	12.39	13.61	52	बचत स्वैच्छिक संगठनों से पर्याप्त प्रस्तावों की अप्राप्ति के कारण थी।
31.	2235.02.107.07- वृद्धश्रम आदि के निर्माण हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	1.00	-	1.00	100	स्वैच्छिक संगठनों से अपर्याप्त प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे।
32.	3601.04.341.04- कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना	3.00	1.25	1.75	58	बचत, राज्य सरकार से प्रत्याशा से अपर्याप्त प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण थी।
33.	3601.04.366.02- बाल कुव्यवस्था की रोकथाम एवं नियंत्रण	20.70	-	20.70	100	-
34.	4225.80.190.16- कमजोर वर्गों हेतु राष्ट्रीय वित्तीय एवं विकास निगम	152.47	85.00	67.47	44	बचत, राजस्व अनुभाग में अधिक आवश्यकताओं के कारण थी।

परिशिष्ट-VIII-ड
(पैराग्राफ 8.35 के संदर्भ में)
अंधाधुंध व्यय

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	मुख्य शीर्ष का विवरण	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	मार्च में व्यय	कुल व्यय की तुलना में मार्च में व्यय की प्रतिशतता	अन्तिम तिमाही के दौरान किया गया व्यय	वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिमाही के दौरान व्यय की प्रतिशतता
2004-05	2013- मंत्री परिषद	0.04	0.02	50	0.03	75
	2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	53.94	21.71	40	27.24	51
	2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	278.01	99.35	36	154.63	56
	4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	172.60	106.50	62	125.21	73
2005-06	2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	99.31	27.89	28	62.41	63
	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	283.82	103.40	36	136.20	48
	4235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	11.00	6.00	55	6.00	55
2006-07	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	151.81	76.67	51	121.91	80

परिशिष्ट-VIII-च
(पैराग्राफ 8.37 के संदर्भ में)
त्रुटिपूर्ण आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली

वर्ष	लेखापरीक्षित प्रभाग/इकाई का नाम	लेखापरीक्षा की तिथि	लेखापरीक्षा की अवधि
2004-05	निदेशक, अ.जा./अ.ज.जा., पुणे	16.8.04 से 19.8.04	4/96 से 3/04
	भु.ले.अ., सा.न्या.अ.	6.9.04 से 17.9.04	4/99 से 3/04
2005-06	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, दिल्ली	1.3.06 से 10.3.06	5/96 से 3/01
	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अहमदाबाद	19.12.05 से 22.12.05	4/99 से 3/05
	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, बैंगलौर	19.12.05 से 23.12.05	4/03 से 3/05
	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, कोलकाता	26.8.05 से 30.8.05	4/99 से 3/04
2006-07	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, हैदराबाद	18.4.06 से 21.4.06	12/03 से 3/06
	भु.ले.अ., सा.न्या.अ.	5.9.06 से 15.9.06	4/04 से 3/06
	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, दिल्ली	6.11.06 से 10.11.06	3/01 से 3/06
	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, पटना	11.12.06 से 15.12.06	4/96 से 3/06
	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, गुवाहाटी	29.1.07 से 2.2.07	4/94 से 3/06

शब्दावली

- 14 दिवसीय नीलामी खजाना बिल** : जून 1997 से आरम्भ किया गया 14 दिवसीय अवधि का प्रपत्र। इस साधन की नीलामी साप्ताहिक आधार पर पूर्व निर्धारित विच्छेद मूल्य पर की जाती है।
- 14 दिवसीय प्राथमिक खजाना बिल** : राज्य सरकारों, वाणिज्यिक बैंकों तथा अन्य विशिष्ट निकायों को अपनी अस्थायी अधिशेष निधियाँ निवेश करने में सक्षम बनाने के लिए जून 1997 से आरम्भ किया गया 14 दिवसीय अवधि का प्रपत्र।
- 364 दिवसीय नीलामी खजाना बिल** : 364 दिवसीय अवधि का उधार लेने का यह साधन अप्रैल 1992 से आरम्भ किया गया था। इस साधन की नीलामी पाक्षिक आधार पर पूर्व-निर्धारित विच्छेद मूल्य पर की जाती है।
- 91 दिवसीय नीलामी खजाना बिल** : उधार के लिए जनवरी 1993 से आरम्भ किया गया साधन। इस साधन की नीलामी साप्ताहिक आधार पर पूर्व-निर्धारित विच्छेद मूल्य पर की जाती है।
- तदर्थ खजाना बिल** : जब कभी सरकार का नकद शेष 50 करोड़ रु. के स्तर से कम हो जाए, संघ सरकार की ओर से भा.रि.बैं. द्वारा उसके पक्ष में सृजित किया गया 91 दिवसीय प्रपत्र। जब भी सरकार का नकद शेष अधिक हो जाए सम्मत स्तर को बनाए रखने के लिए ऐसी राशियों के तदर्थ रद्द कर दिए गये थे। 1 अप्रैल 1997 से यह प्रपत्र बन्द कर दिया गया था।
- विनियोग** : विनियोग का अर्थ है, विनियोग की प्राथमिक इकाई में सम्मिलित निधियों के विशिष्ट व्यय को वहन करने हेतु आबंटन।
- विनियोग लेखे** : विनियोग लेखे, संसद द्वारा बजट अनुदानों में प्रत्येक दत्तमत तथा प्रभारित विनियोग के अन्तर्गत प्राधिकृत निधियों की कुल राशि (मूल तथा अनुपूरक) और साथ साथ प्रत्येक के सामने वास्तविक व्यय तथा विनियोग के प्रत्येक अनुदान अथवा विनियोग के अधीन बचत अथवा आधिक्य को प्रस्तुत करते हैं।
- विनियोग अधिनियम** : संसद द्वारा विनियोग बिल पारित होने के पश्चात् यह राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। बिल को राष्ट्रपति की सहमति मिलने के पश्चात् यह अधिनियम बन जाता है।
- विनियोग विधेयक** : लोक सभा द्वारा अनुच्छेद 113 के अधीन अनुदान किए जाने के बाद यथा-सम्बन्धीय भारत की समेकित निधि में से (क) लोक सभा द्वारा इस प्रकार किए गए अनुदानों की, तथा (ख) भारत की समेकित निधि पर भारित किन्तु संसद के समक्ष पहले रखे गए विवरण में दी हुई राशि से किसी भी अवस्था में अनाधिक व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित समस्त धन के विनियोग के लिए विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

पूंजीगत व्यय

: इसके अन्तर्गत परिसम्पत्तियों के अभिग्रहण के लिए अदायगी, अंश-पूंजी में निवेश और सरकार द्वारा दिए गए उधार एवं अग्रिम आते हैं।

पूंजीगत प्राप्ति

: पूंजीगत प्राप्ति में सरकार द्वारा जनता से लिए गए उधार, भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए उधार, विदेशी सरकारों से लिए गए ऋण, सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की पुनर्प्राप्ति, विनिवेश की प्राप्ति आदि शामिल है।

प्रभारित विनियोग

: संविधान के अनुच्छेद 112(3) के अधीन समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित राशि को प्रभारित विनियोग कहा जाता है।

भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.)

: भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अधीन संघटित निधि, जिसमें सभी प्राप्तियों, राजस्वों और कर्जों का प्रवाह होता है। समस्त व्यय भा.स.नि. से विनियोग द्वारा दत्तमत अथवा प्रभारित किया जाता है। इसमें राजस्व लेखा (राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय) तथा पूंजीगत लेखा (लोक ऋण तथा कर्ज इत्यादि) नामक दो प्रभाग हैं।

भारत की आकस्मिकता निधि

: विधि द्वारा, अग्रदाय के रूप में, संसद भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकती है जिसमें ऐसी विधि द्वारा निर्धारित राशियाँ समय-समय पर डाली जाएंगी तथा अनपेक्षित व्यय का संविधान के अनुच्छेद 115 अथवा 116 के अधीन संसद द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकृत होना लम्बित रहने तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने के लिए उक्त निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रखी गयी हैं।

ऋण सेवा

: देय मूलधन तथा ब्याज का ऋणदाता को भुगतान। इसमें आमतौर पर सेवा प्रभार आदि शामिल होते हैं।

अनुदानों की मांग

: अनुदानों की मांग किये जाने वाले व्यय की सकल राशि के लिए है तथा व्यय की कटौती में ली जाने वाली वसूलियों को पृथक रूप से पाद टिप्पणियों के रूप में दर्शाकर संसद को दो स्तरों में प्रस्तुत किया जाता है। अनुदान के लिए मुख्य मांगें वित्त मंत्रालय द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण सहित प्रस्तुत की जाती हैं। अनुदानों के लिए विस्तृत मांगें उस सदन में सम्बद्ध मंत्रालय की मांग के लिए चर्चा होने के कुछ दिन पहले सम्बद्ध मंत्रालय द्वारा लोक सभा के पटल पर रखी जाती है।

: जैसा कि अनुदानों की मांग सकल व्यय के लिए होती है और वार्षिक वित्तीय विवरण प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत होने वाले व्यय को बताता है, अतः दोनों का योग, खातों में सकल व्यय की कटौती की प्राप्तियों को समायोजित करने के बाद का भिलान होना चाहिए।

- अधिक अनुदान**
- : ऐसे मामलों में जहां व्यय अनुदान/विनियोग के पृथक् ‘खण्ड’ अर्थात् राजस्व (प्रभारित), राजस्व (दत्तमत्), पूंजीगत (प्रभारित) तथा पूंजीगत (दत्तमत्) में अनुमोदन से बढ़ जाते हैं, इस प्रकार के अनुदान/विनियोग को अधिक अनुदान माना जाता है।
- बाह्य ऋण**
- : सरकार द्वारा विदेशों से, अधिकतर विदेशी मुद्रा में अर्थात् अधिकतर विश्व बैंक, अ.पु.वि.बै., आई.डी.ए. आदि से कर्जा अनुबन्धित ऋण।
- राजकोषीय घाटा**
- : यह राजस्व प्राप्तियों तथा ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों के ऊपर ऋण की अदायगी के उपरान्त निवल राशि को शामिल करते हुए कुल खर्च का आधिक्य है। यह सरकार के कुल उधार तथा लम्बित ऋणों की वृद्धि दर को भी दर्शाता है।
- उपादान लागत पर स.घ.उ.**
- : उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद उत्पादन साधनों की उस मूल्य का मापक है जिस पर स.घ.उ. होता है अर्थात् उन साधनों द्वारा अर्जित आय पर। यह बाजार मूल्य पर स.घ.उ. में अप्रत्यक्ष करों की कटौती तथा रियायतों के योग से प्राप्त होता है।
- बाजार मूल्य पर स.घ.उ.**
- : बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं पर कुल अंतिम खर्च को प्रदर्शित करता है। यह एक निश्चित समय में देश में उत्पादित कुल वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य है। इसका माप चालू कीमतों या आधार वर्ष के दौरान की कीमतों पर की जाती है।
- आन्तरिक ऋण**
- : भारत में जनता से लिए गए नियमित कर्जे, आन्तरिक ऋण होते हैं, इसे “भारत में लिया गया ऋण” भी कहते हैं। यह समेकित निधि को क्रेडिट किए गए कर्जों तक सीमित होता है।
- एम-3**
- : यह व्यापक मुद्रा है जिसे जनता के पास मुद्रा, मांग-जमा और बैंकों में सावधि जमा तथा अन्य भारतीय रिजर्व बैंक में जमा मुद्रा, के कुल योग के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- मुख्य शीर्ष**
- : लेखे में वर्गीकरण की मुख्य इकाई, मुख्य शीर्ष के रूप में जानी जाती है। मुख्य शीर्ष के लिए चार अंकों का एक कोड निर्धारित किया गया है, पहला अंक यह सूचित करता है कि मुख्य शीर्ष का संबंध प्राप्ति शीर्ष से है अथवा राजस्व व्यय शीर्ष अथवा पूंजीगत व्यय शीर्ष अथवा ऋण शीर्ष से है।
- लघु शीर्ष**
- : लघु शीर्ष को तीन अंकों वाले कोड दिए गए हैं, जो प्रत्येक उप-मुख्य शीर्ष/मुख्य शीर्ष (जहां कोई उप मुख्य शीर्ष न हो) के अंतर्गत “001” से प्रारंभ होते हैं।
- नयी सेवा**
- : का अभिप्राय नई नीति निर्णय जो पूर्व में संसद के संज्ञान में न लाया गया हो, से उद्भूत निर्धारित सीमा से बाहर किए गए व्यय से है, जिसमें एक नई गतिविधि या एक नए निवेश का तरीका शामिल है।
- सेवा का नया साधन**
- : वर्तमान गतिविधि के महत्वपूर्ण विस्तार से उद्भूत निर्धारित सीमा से बाहर किया गया एक वृहत् व्यय।

- मूल अनुदान** : किसी वित्त वर्ष में किसी सेवा के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण में उपलब्ध की गई राशि को मूल अनुदान अथवा विनियोग कहा जाता है।
- प्रारंभिक घटा** : राजकोषीय घटे में से ब्याज भुगतानों को घटा दिया जाए तो प्रारंभिक घटा आ जाता है। इसकी सरकार की राजस्व प्राप्तियों तथा ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों की तुलना में उसके अद्याजी व्यय के आधिक्य के रूप में व्याख्या की जा सकती है।
- लोक लेखा** : भारत सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से प्राप्त समेकित निधि में शामिल धन से इतर सभी धन भारत के लोक लेखे में क्रेडिट किया जाता है [भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(2)]। इसमें भारत की समेकित निधि में शामिल ऋण से भिन्न 'ऋण' से संबंधित लेन-देन शामिल होता है। लोक लेखा लेन-देन संसद द्वारा दत्तमत/विनियोग के अधीन नहीं होते हैं और शेष अग्रेनीत किए जाते हैं।
- लोक ऋण (भारत का)** : भारत सरकार द्वारा लिया गया आंतरिक तथा बाह्य उधार।
- पुनर्विनियोजन** : इसका अर्थ है विनियोग की एक प्राथमिक इकाई से ऐसी दूसरी इकाई को निधियों का अंतरण।
- आरक्षित धन** : यह मौद्रिक आधार है। यह सरकार को भा.रि.बैं. के निवल क्रेडिट, वाणिज्यिक तथा सहकारी बैंकों पर भा.रि.बैं. के दावों, वाणिज्यिक क्षेत्र में भा.रि.बैं. के क्रेडिट, भा.रि.बैं. का निवल विदेशी विनियम, लोक लेखे में सरकार की मुद्रा देयता में घटा भा.रि.बैं. की निवल अमौद्रिक देयताओं की राशि है।
- राजस्व घटा** : यह राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय के आधिक्य के बराबर है।
- राजस्व व्यय** : यह सरकार के सामान्य संचालन, अनुरक्षण व्यय, ब्याज भुगतानों आर्थिक सहायता तथा अंतरण आदि करने के लिए है। यह चालू व्यय है जिससे परिसम्पत्तियों का सृजन नहीं होता है। राज्य सरकारों अथवा अन्य वर्गों को दिए गए अनुदानों को राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है भले ही कुछ अनुदान परिसम्पत्तियां सृजन करने के लिए बनाए गए हों।
- राजस्व प्राप्तियां** : इसमें सरकार द्वारा उद्ग्रहीत करों तथा शुल्कों से प्राप्त आय, सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर ब्याज तथा लाभांश, शुल्क तथा सरकार द्वारा की गई सेवाओं के लिए अन्य प्राप्तियां शामिल हैं।
- स्टॉक** : स्टॉक, प्रमाण पत्र के रूप में रखी गई सरकारी प्रतिभूति का एक रूप, जो पृष्ठांकन तथा सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरणीय न हो बल्कि लोक ऋण कार्यालय की बहियों में हस्तांतरण विलेख निष्पादित करके तथा हस्तांतरण दर्ज करके हो।

अनुपूरक अनुदान

यदि संविधान के अनुच्छेद 114 के उपबन्धों के अनुसार निर्भित किसी विधि द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजन के लिए अपर्याप्त पाई जाती है अथवा उस पर वर्ष के मूल बजट में अपेक्षित न की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक अथवा अतिरिक्त व्यय की चालू वित्त वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गई है तो सरकार संविधान के अनुच्छेद 115(1) के उपबन्धों के अनुसार अनुपूरक अनुदान अथवा विनियोग प्राप्त करेंगी।

अव्ययित प्रावधान का
अभ्यर्पण

केन्द्र सरकार के विभागों को उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों अथवा विनियोगों में अव्ययित प्रावधानों को, जैसे ही ये प्रत्याशित हों, वित्त वर्ष समाप्त होने से पहले वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित करना होता है। वित्त मंत्रालय, वित्त वर्ष के समाप्त होने से पूर्व इस प्रकार के अभ्यर्पणों को स्वीकार करने की स्वीकृति लेखापरीक्षा अधिकारी/या लेखा अधिकारी, जैसा भी मामला हो, को सूचित करेगा।

टैप खजाना बिल

91 दिवसीय अवधि का प्रपत्र जिसके द्वारा सरकार धन उधार लेती है। इस प्रपत्र का अभिप्राय वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उनके अधिशेष का निवेश करना था। यह प्रपत्र 1 अप्रैल 1997 से बन्द कर दिया गया था।

खजाना बिल

खजाना बिल ऐसे साधन है जो संघ सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अस्थायी संसाधन अंतराल को पूरा करने के इरादे से अल्प अवधि कर्जे को उगाहने के लिए जारी किए जाते हैं।

अव्ययित प्रावधान

जब व्यय, बजट प्रावधान से कम होता है, तब अव्ययित प्रावधान होते हैं।

दत्तमत्त अनुदान

अन्य व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित राशि जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 113(2) के अंतर्गत संसद का मतदान अपेक्षित है, को दत्तमत्त अनुदान कहा जाता है।